राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 3] पंचम् विधान सभा के तृतीय सत्र का 34 वां दिवस [संख्या 23

बुधवार,

दिनांक 21 मार्च, 1973

विधान सभा की बैठक म० पू० 11.01 बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(कृषि, वित्त, समाज-कल्याण, शिक्षा, स्वायत्त शासन, उद्योग, जन-सम्पर्क, अकाल राहत, जलदाय, जनस्वास्थ्य, खाद्य एवं आयोजना विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न । श्रीमती जमुना सोलंकी ।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के बेरोजगार स्नातकों को आर्थिक सहायता

643. **श्रीमती जमुना सोलंकी** (केकड़ी) : क्या समाज-कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि अनुसूचित जातियों, जन-जातियों के स्नातक बेरोजगारों को राज्य सरकार द्वारा कोई आर्थिक सहायता दी जाती है ? यदि हां, तो किस मात्रा में और किस स्तर पर ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री ओंकारलाल चौहान): जी हां। अनुसूचित जाति व जन-जाति के बेरोजगार स्नातक एवं स्नातकोत्तर व्यक्तियों को इस विभाग द्वारा बेरोजगार वृत्तिका दी जाती है । बेरोजगार स्नातकों को 150 रुपया प्रति माह तथा बेरोजगार स्नातकोत्तर व्यक्तियों को 250 रुपया प्रति माह की दर से वृत्तिका दी जाती है।

श्रीमती जमुना सोलंकी : अध्यक्ष महोदय मैं यह पूछना चाहती हूं कि क्या पोस्ट ग्रेजुएट को सहायता दी जाती है और दी जाती है, तो कितने समय तक ?

श्री ओंकारलाल चौहान : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बहुत साफ है और उसकी सूचना प्रश्न के उत्तर में दे दी गई है ।

श्री मोहनलाल छंगाणी (फलोदी) : अध्यक्ष महोदय, अब वह देना बन्द कर दिया है क्या ?

श्री ओंकारलाल चौहान : समाप्त नहीं की गई है, बराबर दी जा रही है ।

Page No.2

श्री मोहनलाल छंगाणी : क्या भीलवाड़ा जले में ऐसे लोगों को वृत्तिका देना बन्द कर दया, है ?

श्री ओंकारलाल चौहान : ऐसी मेरे पास कोई सूचना नहीं है ।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या ऐसे जो अनएम्पलॉयड ग्रेजुएट्स हैं उन्हें आप काम में लेते हैं क्या ?

श्री ओंकारलाल चौहान : जी हां, जहां कहीं भी जगहें होती हैं उनके जैसी तो उन्हें वहां पर लगाया जाता है ।

श्री यशवंतसिंह नाहर (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आप इसे कितने साल बाद तक देते रहते हैं और आज तक कितने पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं जिनको वृत्तिका दे रहे हैं ?

श्री ओंकारलाल चौहान : अभी तक 633 स्नानकोत्तर लोगों को दी जा रही है ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास ऐसी सूचना है कि भीलवाड़ा में अब बन्द कर दी गई है । मैंने इसके बारे में आपको पत्र भी लिखा है जो शायद आज आपको मिल गया होगा या मिल जायेगा ।

श्री ओंकारलाल चौहान : अध्यक्ष महोदय, मुझे अभी तक इनका कोई पत्र नहीं मिला है और अगर भीलवाड़ा में देना बन्द कर दिया होगा, तो मैं इसके बारे में जानकारी करूंगा, और अगर उन्हें नहीं मिल रही होगी तो उन्हें दिलाने की व्यवस्था की जावेगी ।

श्री दिनेशराय डांगी (देसूरी) : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए तो राज्य सरकार ने स्टाईपेन्ड देने की व्यवस्था की है लेकिन जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो कि मुश्किल से 10-15 होंगे उनके लिए अगर राज्य सरकार स्टाईपेन्ड की व्यवस्था करदें तो ठीक रहेगा । क्या राज्य सरकार इस बारे में विचार करने की कार्यवाही करेगी ?

श्री ओंकारलाल चौहान : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की नीति तो ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए ही है, लॉ ग्रेजुएट्स के लिए अभी तक राज्य सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है अगर कोई इस प्रकार के प्रार्थना-पत्र आये तो राज्य सरकार इस ओर विचार कर सकती है ।

श्री केदारनाथ : क्या आप जिन लोगों को स्टाईपेन्ड देते हैं उन्हें सोशियल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट में अथवा अन्य कोई जगह उनके फिट हो, राज्य सरकार को चाहिए कि उन्हें वहां पर एम्पलॉय करे ।

श्री ओंकारलाल चौहान : मैं आपके सुझाव को उत्तम मानता हूं और अगर कोई इस प्रकार के लोगों के लिए जगह खाली मिलेगी तो उन्हें भर लिया जायेगा ।

श्रीमती जमुना सोलंकी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहती हूं कि क्या यह प्रति वर्ष दी जाती है ?

श्री ओंकारलाल चौहान : जी हां, प्रति वर्ष दी जाती है ।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, आज सैकड़ों ऐसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के ग्रेजुएट्स हैं उन्हें

(एक माननीय सदस्य) नौकरी नहीं मिल रही है और न ही उन्हें यह वृत्ति ही दी जाती है, क्या उनके संबंध में राज्य सरकार कोई विचार रखती है ?

श्री औंकारलाल चौहान : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार तो अपनी तरफ से यह व्यवस्था कर रही है लेकिन मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे शिक्षा का प्रसार बढ़ता जाता है उसी प्रकार उनमें बेरोजगारों की मात्रा भी बढ़ती जाती है । लेकिन राज्य सरकार की वित्तीय कठिनाइयों के कारण सभी को तो वृत्तिका दी नहीं जा सकती है । इसलिये राज्य सरकार ने सिर्फ ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स तक ही इसे सीमित रखा है।

श्रीमती जमुना सोलंकी : क्या यह वृत्तिका प्रति वर्ष दी जाती है और इसके लिये क्या राज्य सरकार ने कोई अवधि दे रखी है कि इतने समय तक दी जायेगी? यह कितने साल तक दी जाती है ?

श्री औंकारलाल चौहान: जब तक वे बेरोजगार रहते हैं तब तक दी जाती है।

प्रश्न संख्या 644

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र रोत। (अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये) ।

श्री भैरूंलाल।

इकलेरा में सैकेण्डरी परीक्षा केन्द्र

645. **भैरूंलाल** (इकलेरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:– क्या यह सही है कि बोर्ड आफ हायर सैकेण्डरी एज्यूकेशन, इजमेर ने अगले सत्र से इकलेरा में सैकेण्डरी परीक्षा केन्द्र इकलेरा में खोलने का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की ?

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री जुझारसिंह) : जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री भैरूंलाल : अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष भी इसके लिये निवेदन किया गया था कि अकलेरा में बोर्ड आफ हायर सैकेण्डरी एज्यूकेशन, अजमेर का परीक्षा केन्द्र खोला जाय और ऐसा आश्वासन भी दिया गया था कि वहां खोला जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, वहां 100 लड़के तो इकलेरा में ही दसवीं क्लास के पढ़ते हैं और बाकी जो आसपास के गांव हैं जैसे हरनावदा, बारदा, मनोहरथाना इन सभी जगहों के मिलकर करीब 250 लड़के हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, इकलेरा से इन गांवों की स्कूलें दस-पांच मील दूर रहती है इसलिये वहां पर शिक्षा हायर सैकेण्डरी का परीक्षा सेन्टर खोलना जरूरी है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस बात का आश्वासन दें कि इस साल वहां पर परीक्षा सेन्टर खोल दिया जायेगा।

श्री जुझारसिंह: अध्यक्ष महोदय, इस बात का आश्वासन दिया गया था कि इस पर राज्य सरकार विचार करेगी और दो सेन्टर की बात थी। एक तो खानपुर और दूसरा इकलेरा। वहां पर दोनों जगहों पर देखने में राज्य सरकार ने खानपुर में हायर सैकेण्डरी और सैकेण्डरी परीक्षा का सेन्टर खोलने का निर्णय लिया गया और इकलेरा में सेन्टर खोलने का निर्णय नहीं लिया गया।

प्रश्न संख्या 646

श्री अध्यक्ष: श्री करनीसिंह। (अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)।

(श्री अध्यक्ष)

श्री लूणाराम।

कम्बल का कारखाना

647. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि इस वर्ष उत्तर पश्चिमी राजस्थान में फौजियों के लिये कम्बल बनाने का कारखाना स्थापित किया जा रहा है? यदि हां, तो इस संबंध में कहां-कहां से मांग प्राप्त हुई है और क्या ऐसे स्थानों का विभाग द्वारा सर्वे किया जा चुका है?

(2) सर्वे करने में किन खास बातों का खयाल रखा जायगा?

(3) क्या सूडसर जिला चूरू में जिन मुद्दों पर कारखाना स्थापित किया जाना है उसके लिये उपयुक्त समझा जा रहा है? यदि हां, तो वहां उक्त उद्योग की स्थापना कब तक करदी जायेगी?

राज्य मंत्री, उद्योग (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(3) इस प्रकार के कारखाने की स्थापना का फिलहाल राज्य सरकार का विचार नहीं है, अतएव सूडसर, जिला चूरू का उपयुक्त होने अथवा नहीं होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री लूणाराम : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने यह फरमाया कि ऐसी कोई सूचना उनके पास नहीं है कि वूलन मिल के लिये कोई कारखाना खोला जाय। अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले सत्र में इसी विधान सभा के 11 सदस्यों के दस्तखत कराकर एक प्रार्थना-पत्र मंत्री महोदया को दिया था और उन्होंने उस प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही करने के लिये भी कहा था पर अब यह फरमा रही हैं कि ऐसा कोई प्रार्थना पत्र उनके पास नहीं आया तो मैं इस असमंजस में हूँ कि कौनसी बात सही मानूं कौनसी बात सच है। आज जो मंत्री महोदया ने बताया वह सही है या जो मैंने उनको प्रार्थना-पत्र दिया था वह सही है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष जी, इस तरह के कारखाने खोलने के बारे में राज्य सरकार का पश्चिमी जिले में फौजियों के लिये कम्बल बनाने के लिये कोई कारखाना बनाने की योजना अभी सरकार के फिलहाल विचाराधीन नहीं है। यह सही है कि इन्होंने पिछले सत्र में एक प्रार्थना-पत्र दिया था उसके अनुसार सर्वे भी कराया गया उद्योग विभाग के माध्यम से लेकिन राज्य सरकार ने इस प्रकार कोई कारखाना खोलने का अभी विचार नहीं रखती है इसके लिये राजकीय उपक्रम विभाग को भी लिखा लेकिन यह पंचम् पंचवर्षीय योजना तक के अन्त तक तो इसके लिये कोई योजना है नहीं।

श्री लूणाराम : अध्यक्ष महोदय, इस सदन के माननीय सदस्यों ने फौजियों के लिये कम्बल ऊन के बनाने के लिये उद्योग की बात मंत्री महोदय से की और उनको प्रार्थना-पत्र भी दिया था और यह कहा गया था कि पश्चिमी राजस्थान में कारखाना स्थापित किया जायेगा।

इसके लिये कारखाना स्थापित किया जायेगा।

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, अगर प्राइवेट एन्टरप्रेन्योर राजस्थान पश्चिमी जिले में इस बारे में प्रार्थना-पत्र दें तो उद्योग विभाग उसको जो भी फेसीलिटीज दे सकता है देगा।

श्री लूणाराम : क्या फौजियों के लिये

Page No.5

(श्री लूणाराम)
ऊन के कम्बल बनाने के लिये और कोई सुझाव आये हैं और वे राज्य सरकार के विचाराधीन हैं ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में अभी कुछ भी कहने को तैयार नहीं हूं। मैं अभी इतना बता सकती हूं कि ऐसे उद्योग की अभी फिलहाल पंचम् पंच-वर्षीय योजना के अन्त तक तो इसके लिये कम सम्भावना नजर आ रही है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट । श्री मोहरसिंह।

पिछड़े जिलों में जनसम्पर्क अधिकारी का कार्यालय

648. **श्री लूणाराम** (डूंगरगढ़) : [श्री मोहरसिंह (चूरू) की अनुपस्थिति में]: क्या जनसम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान के कौन-कौन से पिछड़े हुए जिलों में जनसम्पर्क अधिकारी के कार्यालय नहीं हैं?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान के ऐसे समस्त पिछड़े हुए जिलों में भयंकर अकाल है और वहां पर जन-सम्पर्क अधिकारी की अत्यन्त आवश्यकता है ?

राज्य मंत्री, जन-सम्पर्क (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) इस समय राजस्थान के 26 जिलों में से निम्नलिखित 6 जिलों में जन सम्पर्क अधिकारी के कार्यालय नहीं हैं :— (1) बून्दी, (2) जालोर, (3) टौंक, (4) सीकर (5) बांसवाड़ा (6) चूरू । उक्त जिलों में से सीकर तथा बांसवाड़ा जिलों में सहायक जन-सम्पर्क अधिकारी के कार्यालय हैं। चूरू जिला में कार्यालय की देख-रेख जन सम्पर्क अधिकारी बीकानेर करते हैं, चूरू में पृथक् से जन-सम्पर्क अधिकारी का पद स्वीकृत नहीं है।

(2) सरकार इस संबंध में विचार कर रही है ।

श्री लूणाराम : अध्यक्ष महोदय, चूरू जिला भौगोलिक दृष्टि से काफी बड़ा है, और उसमें सात तहसीलें है। बहुत लम्बा क्षेत्र है और इस क्षेत्र में हर साल अकाल पड़ते रहते हैं तो क्या इस अकाल की परिस्थिति को देखते हुए ऐसे जिले में राज्य सरकार जन-सम्पर्क अधिकारी का कार्यालय खोलने का विचार रखती है जिससे कि वहां पर अकाल की दृष्टि को देखते हुए वहां के लोगों को जो आज कठिनाई महसूस हो रही है वह राज्य सरकार को बतायी जा सके। इसके लिये क्या राज्य सरकार चूरू जिले में जनसम्पर्क अधिकारी का कार्यालय इस वर्ष स्थापित करेगी ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, धनाभाव की स्थिति को देखते हुए इस वक्त इस बारे में कोई आश्वासन देना संभव नहीं है, लेकिन इस विभाग के द्वारा यह कोशिश की जा रही है कि उन जिलों में भी जनसम्पर्क अधिकारी के कार्यालय खोले जायं।

श्री लूणाराम: धनाभाव का बहुत बड़ा आधार नहीं है। आश्वासन दिया था जनसम्पर्क अधिकारी का कार्यालय पुनः स्थापित कर दिया जावेगा लेकिन खोला नहीं गया।

श्रीमती कमला बेनीवाल : पहले सब ही जिलों में जन-सम्पर्क अधिकारी के कार्यालय थे, लेकिन कटौती के आधार पर ही 6 जिलों में कम किये गये हैं और हम यह कह नहीं

(श्रीमती कमला बेनीवाल)
सकते हैं कि एक दम से उनको चालू किये जा सकेगा ।

श्री लूणाराम : क्या आधार या काटने का उस जिले में ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ।

प्रश्न संख्या 649

श्री हाजी जान मोहम्मद ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री मूलचन्द सामरिया ।

हिन्दुस्तान स्टील व टाटा के ऑफर का माल

650. **श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा)** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या हिन्दुस्तान स्टील व टाटा के जो आफर अहमदाबाद व कोटा के मिले वे सीधे पार्टीज को दे दिये गये ?

(2) क्या संचालक उद्योग विभाग ने उस माल को चैक किया ?

(3) क्या यह माल सीधा बेचा गया ?

(4) उक्त माल की क्या कीमत थी ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त माल जिन पार्टीज को दिया गया वह इन्डस्ट्रीज में युटिलाइज नहीं किया गया जब कि इसे केवल उद्योग में ही काम में लाना था ?

राज्य मंत्री उद्योग (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) जी हां।

(2) संचालक ने स्वयं चैंकिग नहीं किया परन्तु उनके अधीनस्थ अधिकारी समय समय पर चैंकिग करते रहे हैं ।

(3) उद्योग विभाग की जानकारी में ऐसा कोई केस नहीं है।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(5) इसकी जांच की जा रही है।

श्री मूलचन्द सामरिया : जब उद्योग विभाग के तीन-तीन अधिकारियों ने चैंकिग किया तो उसका क्या नतीजा था ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : उद्योग विभाग ने चैंकिग किया तब सहायक निदेशक, श्री शर्मा, श्री पुरोहित और श्री मेहता ने एक इन्टेन्सिव चैंकिग का कार्य किया । उसके दौरान यह पाया गया कि 16 पार्टीज ने आवंटन का उपयोग उचित रूप में नहीं किया है । आगे उनको रोका गया है । कुल मिला कर 25 पार्टीज रहती हैं जिनके बारे में यह शंका पायी गयी कि जो आवंटन किया गया उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं किया अभी जांच चल रही है और इस आशंका के कारण फरदर एलाटमेन्ट उनको रोक दिया गया है ।

श्री मूलचन्द सामरिया : जांच शीघ्र करके पूरी जानकारी दें ।

प्रश्न संख्या 651

श्री अध्यक्ष : श्री हरलाल मीणा ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

श्री बनवारीलाल ।

गांधी शताब्दी वर्ष में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों को भू-खण्डों का आवंटन

652. **श्री बनवारीलाल** (निवाई) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गांधी जन्म शताब्दी वर्ष में राज्य सरकार ने एक विशेष परिपत्र द्वारा यह प्रस्ताव किया था कि अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के जिन लोगों के पास आवासीय भू-खण्ड नगर परिषदों एवं नगरपालिकाओं की सीमा में नहीं हैं उनको गांधी जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष में आवासीय भू-खण्ड आवंटित किये जायं।

(2) उपरोक्त परिपत्र के निदेशानुसार कौन-कौन सी नगरपालिकाओं ने अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के व्यक्तियों को आवासीय भू-खण्ड आवंटित किये ?

(3) क्या जयपुर नगर न्यास ने भी किन्ही अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के व्यक्तियों को भू-खण्ड देने का निर्णय लिया था ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि जयपुर नगर न्यास ने बहुत सारे व्यक्तियों को भू-खण्ड आवंटित किये थे और उनसे धनराशि भी जमा कराली गई ?

(5) क्या जिन व्यक्तियों ने धनराशि जमा करायी उनको आवंटित भू-खण्डों पर कब्जा दे दिया गया ? यदि नहीं, तो किन कारणों से कब्जा नहीं दिया गया तथा कब तक दे दिया जावेगा ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) :

(1) जी हां।

(2) सूचना नगरपालिकाओं से प्राप्त होने पर ही दी जावेगी।

(3) जी हां, तालिका सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(4) जी हां।

(5) राज्य सरकार द्वारा भू-खण्ड रद्द करने के कारण कब्जा देने का प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री बनवारीलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, न तो इसकी सूचना वहां से आयी है और न ही मुझे तालिका मिली है। चूंकि पूरी इन्फोर्मेशन नहीं है इसलिये इसको आगे के लिये पोस्टपोन कर दिया जाय।

श्री मोहनलाल छंगाणी : नगरपालिका की सूचना भी सरकार के पास नहीं आयी।

श्री परसराम मदेरणा : सब नगरपालिका राजस्थान में 145 से ऊपर हैं उनसे सूचना प्राप्त करने का प्रश्न था। सब जगह से सूचना नहीं आयी है। इस प्रश्न के भाग 2 की सूचना आने पर माननीय सदस्य को भिजवा दूंगा। भाग 3 की सूचना आयी मैंने उसका उत्तर दे दिया।

श्री अध्यक्ष : सूचना भेज दीजिये।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अनुसूचित जाति को प्लॉट आवंटित करते हैं तो कोई पॉपुलेशन उसके लिये निश्चित है या कोई वैसे ही क्राइटेरिया बना कर आवंटित करते हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : हर स्कीम में कुछ ब्लाक ऐसे रखे गये हैं जिनमें लो इनकम ग्रुप वालों को मिले।

श्री बनवारीलाल : 30-2-69 को राजस्थान सरकार ने परिपत्र निकाला अनुसूचित जाति और जन-जाति के लिये और खास कर हरिजनों के लिये जिनके रहने के लिये मकान न हों नगरपालिका और नगर न्यास को आदेश थे कि उनको गांधी शताब्दी वर्ष में प्लॉट दिये जायें। जयपुर नगरपालिका में 200 - 250 प्लॉट्स का आवंटन हुआ, उनको रद्द किया।

श्री परसराम मदेरणा : 16 के रद्द हुए हैं जिसकी सूचना मैंने आपको दे दी है।

श्री बनवारीलाल : किन लोगों को आवंटित किये ?

श्री अध्यक्ष : इसकी सूचना आपको दे देंगे।

श्री बनवारीलाल : 16 के कैंसल किये और शेष को मंजूर किये तो उनके बारे में बतायें कि किन-किन को किये गये ?

श्री अध्यक्ष : श्री किशन मोटवानी।

श्री बनवारीलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय.....

श्री अध्यक्ष : वे सूचना दे देंगे।

अजमेर में मिट्टी के तेल का भाव

653. **श्री किशन मोटवानी** (अजमेर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि करीब दो माह पूर्व मिट्टी का तेल रेल द्वारा अजमेर में उतारना बन्द कर दिया था ? यदि हां, तो किन-किन कारणों से बन्द किया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि इन्डियन आॅइल कार्पोरेशन ने अन्डरटेकिंग दी थी कि बगैर किसी भाव की बढ़ोतरी के जयपुर से लाकर अजमेर में मिट्टी का तेल जनता को दिया जायेगा ?

(3) क्या यह सही है कि जयपुर से ट्रक द्वारा अजमेर मिट्टी का तेल लाया जाने लगा इसलिये जिलाधीश, अजमेर ने 3 पैसा प्रति लीटर पर बढ़ोतरी का आदेश दिया ?

(4) क्या यह सही है कि अब तारीख 14-2-73 से मिट्टी का तेल रेल से अजमेर में उतरने लगा है व तारीख 15-2-73 से जनता को वही मिट्टी का तेल बेचा जा रहा है ?

(5) क्या यह भी सही है कि तारीख 14-2-73 व 15-2-73 को 3 पैसा प्रति लीटर बढ़ोतरी को वापिस नहीं लिया गया है ? अगर हां, तो आदेश क्यों नहीं निकाला ?

राज्य मंत्री, उद्योग (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) जी हां। टैंक वेगनों की कमी के कारण भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा अलग-अलग स्थानों पर अलग अलग वेगनों की प्रणाली समाप्त कर दी गई। इसी निर्णय के अन्तर्गत अजमेर में भी पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स का उतारना बन्द कर दिया गया।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। यातायात खर्चा बढ़ जाने से ऐसा किया गया।

(4) 15-2-73 से केरोसीन अजमेर

(श्रीमती कमला बेनीवाल)
में ही अनलोड किया जा रहा है और बेचा जा रहा है।

(5) जी हां। अजमेर में केरोसीन अनलोड करने की सूचना जिलाधीश कार्यालय में देर से मिलने के कारण आदेश देर से निकाला गया।

श्री किशन मोटवानी : यह आपने कब सूचना दी ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : 15-2-73 से काम शुरू हो गया है लेकिन कलेक्टर द्वारा सूचना जारी की गयी 18-2-73 से।

श्री किशन मोटवानी : 19 तारीख को आदेश नहीं निकाले। क्या यह सत्य है कि 20 तारीख को आदेश निकाले ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : लिखित में आप बता रहे हैं 20 को निकाला। आदेश 18 को ही जारी कर दिये गये।

श्री किशन मोटवानी : वे क्रियान्वित हुए ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : उस आदेश के आधार पर ही।

श्री किशन मोटवानी : क्या आप यह मानती हैं कि 3 पैसा प्रति लीटर ज्यादा लिया जा रहा था ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जो भी इस प्रकार का ज्यादा लिया गया वह चैरिटी फन्ड में दे दिया।

श्री किशन मोटवानी : 14 तारीख को मैं कलेक्टर और एस. डी. ओ. से मिला। 14 को डिस्ट्रिब्यूशन हुआ। हमने कहा कम कीजिये तो वे कहते हैं कि परमीशन नहीं है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : तीन दिन तक सूचना नहीं मिली आदेश जारी नहीं किये। तीन पैसे बढ़े हुए जरूर थे और उसके अनुसार बिक्री हुई। जो तीन पैसे अधिक उठाये गये वह चैरिटी फन्ड में जमा कराये हैं।

श्री किशन मोटवानी : किनको इन्फर्मेशन देनी थी ? 14 से 18 तक इन्फर्मेशन नहीं मिली तो किनको देनी थी ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : इन्डियन आइल कम्पनी को सूचना देनी थी कि 15 तारीख को अनलोड हो रहा है। उसका इन्तजाम करेंगे। कम्पनी की ओर से देरी से कलेक्टर को सूचना मिली।

श्री किशन मोटवानी : इस प्रकार की अनियमितता के लिये इन्क्वायरी करने की सोचते है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : कम्पनी की ओर से सूचना देर से दी गयी उसके लिये हमने पूछा है कि देरी का क्या कारण था। अभी जवाब आया नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री केदारनाथ।

अकाल राहत कार्यों पर काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी

654. **श्री केदारनाथ** (गंगानगर) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अकाल राहत कार्यों पर काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी टास्क बेसिस पर

Page No.10

(श्री केदारनाथ)
निर्धारित की जाने के पूर्व किस दर पर किस माह से और कब तक चुकाई जाती रही ?

(2) क्या यह सही है कि टास्क बेसिस के पूर्व मजदूरों को चुकारा अत्यन्त विलम्ब से किया जाता रहा ? यदि हां, तो कितना ?

(3) क्या यह सही है कि अब भी मजदूरी राहत कार्यों पर विलम्ब से चुकाई जा रही है ?

अकाल राहत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) दिनांक 16-1-73 से मजदूरी की दरें बढ़ायी गईं इससे पूर्व निम्न दरें प्रचलित थीं :—

(क)	खोदने वाला	1.50 रु.
(ख)	ढोने वाला	1.25 रु.
(ग)	अवयस्क	1.00 रु.

ये दरें दिनांक 18 अक्तूबर, 1968 से लागू की गई थीं । श्रमिकों से जो टास्क मजदूरी एवज में अपेक्षित थी, उसका निर्धारण फैमिन कोड के पैरा 78 के तहत किया जाता था । टास्क का पुनः निर्धारण करने के लिये दिनांक 11 अप्रेल, 1969 को सहायता विभाग से आदेश जारी किये गये, जिनके द्वारा सहायता कार्यों पर किये जाने वाले टास्क का पुनः निर्धारण किया गया । तब से मजदूरी उसी टास्क के आधार पर ही चुकायी जाती रही है । अब दिनांक 16-1-73 को सहायता विभाग द्वारा प्रसारित की गई टास्क की मात्रा के स्थान पर विभिन्न अभिकरणों की बी. एस. आर. की टास्क को ही आधार बनाया गया है । पहले दिनांक 16-1-73 को 90 प्रतिशत टास्क चालू किया गया, बाद में दिनांक 1-2-73 से इसे घटा कर 70 प्रतिशत कर दिया गया है ।

(2) यह सही नहीं है ।

(3) कुछ विलम्ब पिछले दिनों हुआ था । परन्तु अब यह व्यवस्था की गई है कि मजदूरी का चुकारा देरी से न हो । दिनांक 25 मार्च तक की मजदूरी इसी माह में कर देने के आदेश दे दिये हैं ।

श्री केदारनाथ : आपने फरमाया कि टास्क बेसिस से पहले फेमिन कोड के अन्दर पूरी मजदूरी काटी थी । तो क्या आप उस फेमिन कोड में कोई रिवीजन लाये हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : मैंने यह किया कि जो फेमिन कोड में टास्क का प्रावधान है जो पी. डब्ल्यू डी. विभाग या दूसरे विभागों के टास्क से काफी कम था उसमें सुधार करके यह किया है कि इन से 70 पर्सेन्ट होना चाहिये । 69 में जो टास्क बेसिस था उसमें दूसरे क्लॉज थे जो कन्ट्रॉडिक्टरी भी थे । दस बाई दस बाई एक के हिसाब से रखा गया था । इसको बाद में रेशनलाईज किया गया । 69 में दूसरा टास्क प्रेस्क्राईब किया गया । और वह टास्क चलता रहा । 16-1-73 को दूसरी टास्क लागू की गई जिसमें बी. एण्ड आर. की टास्क को शिड्यूल्ड रेटके साथ में कोरिलेट कर दिया । इसमें भी टास्क जो परफॉर्म करना पड़ेगा फेमिन में काम करने वाले श्रमिक को 90 प्रतिशत ही करना होगा । पर राज्य सरकार को और जानकारी मिली कि इसमें कटौती ज्यादा होने की सम्भावना है तो दस की जगह 30 पर्सेन्ट कमी कर दी । अब बी. एस. आर. से रिलेटेड है 70 पर्सेन्ट परफोर्मेन्सेज आना चाहिये । अब इसी के अनुसार पगार वगैरह दी जाती है ।

श्री केदारनाथ : वेजेज के अलावा भी प्रोटीन ओरियेन्टेड फूड भी मिलता है क्या ?

श्री परसराम मदेरणा : जी नहीं । ऐसा कुछ नहीं मिलता ।

श्री केदारनाथ : महाराष्ट्र में ऐसा फूड मिलता है भारत सरकार की तरफ से । आप भी इसकी जानकारी प्राप्त करें ।

प्यावा तथा केराप जल वितरण योजना

655. **श्री भोमाराम चौधरी** (डीडवाना) : क्या जलदाय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्यावा जल योजना के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(2) क्या यह सही है कि केराप जल वितरण योजना अकाल राहत कार्यों में थी । यदि हां, तो उसमें से मामडोदा, सादों की ढाणी तथा गावड़ियों की ढाणी को वंचित क्यों रखा गया तथा उनको कब तक शामिल किया जायेगा ?

जलदाय मन्त्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) योजना बनाई जा चुकी है एवं तकनिकी जांच की जा रही है, धनराशि की उपलब्धि पर स्वीकृति की कार्यवाही की जावेगी ।

(2) जी हां, मामडोदा गांव के लिए पास के गांव बंडारी से पानी ले सकते हैं । इसी प्रकार सादों की ढाणी एवं ग वारियों की ढाणी के निवासी पास के गांव बड़ोद से पानी प्राप्त कर सकते हैं । इन को शामिल करने की कोई योजना नहीं है ।

श्री भोमाराम : रायसिंहपुर ग्राम के लोगों ने योजना के अन्तर्गत पांच प्रतिशत खर्चे की रकम भी जमायी थी, उसे पानी क्यों नहीं दिया गया ?

श्री चन्दनमल बैद : कौन से गांव को ? जरा दुबारा स्पष्ट फरमा दें ।

श्री भोमाराम : रायसिंहपुर ।

श्री चन्दनमल बैद : रायसिंहपुर गांव का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है । आपने जो प्रश्न पूछा है उसमें भी इस गांव का नाम कहीं नहीं है । प्यावा जल योजना 9 लाख 15 हजार की तैयार की जा चुकी है । इस योजना की तकनिकी जांच की जा रही है । जांच होने पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।

श्री भोमाराम : रायसिंहपुर इसके साथ दिया हुआ था । सन् 70 से इसका पैसा जमा है ।

श्री चन्दनमल बैद : आप स्पेसिफिक प्रश्न पूछते तो जवाब दे सकता था । आपने दो योजनाओं के लिये पूछा । उसका मैंने जवाब दिया कि एक में 9 लाख 15 हजार की बनाई जा चुकी है । धनराशि उपलब्ध नहीं होने से और टैकनिकल जांच भी पूरी नहीं होने से स्वीकृति नहीं हो रही है । दूसरी लगभग 13 लाख की है । जिसके दो भाग हैं । हर भाग में 11 ग्यारह गांव थे अभी तक इसमें दस लाख इस साल खर्च किये जा रहे हैं और जो गांव सम्मिलित करने के लिये कहा उसके लिये कोई दूसरा गांव नजदीक पड़ता है या जहां पाइप लाइन जाती हो इस लिये उन गांवों में पाइप लेजाकर अनावश्यक खर्चा बढ़ाकर करने की आवश्यकता महसूस नहीं करते ।

प्रश्न संख्या 656

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री नानालाल ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 657

श्री केशरीमल व श्री मो० गफ्फार अली

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री बेगाराम ।

रायसिहनगर के हरिजन परिवारों को भूमि

658. **श्री बेगाराम** (रायसिहनगर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

नगरपालिका, रायसिहनगर में कितने ऐसे हरिजन परिवार हैं जिनके पास आबादी भूमि में रहने के लिये जमीन नहीं है तथा कितने परिवारों को आबादी भूमि दी गई है तथा जिस परिवार के पास आबादी भूमि नहीं है उन्हें कब तक आबादी भूमि दी जावेगी ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा) : नगरपालिका कार्यालय में जिन हरिजन परिवारों के पास आवास हेतु भूमि नहीं है ऐसा कोई रेकार्ड रखा हुआ नहीं है । जिससे यह मालूम हो सके कि कितने हरिजन परिवारों के पास आवास हेतु भूमि नहीं है । फिर भी नगरपालिका द्वारा मौके पर की गई सर्वे के आधार पर सूचना अनुसार ऐसे 274 परिवार हैं जिनके पास नगरपालिका आबादी क्षेत्र में आवासी भूमि नहीं है । 444 हरिजन परिवारों को आवास हेतु भूमियां अलॉट की गई है । 35 प्लाट्स हरिजन परिवारों को और अलॉट किये जाने की योजना नगरपालिका के विचाराधीन है ।

श्री बेगाराम : जिन हरिजन परिवारों के पास नगरपालिका में कोई भूमि नहीं है, उनको कब तक दी जावेगी ?

श्री परसराम मदेरणा : एक योजना पालिका के सामने विचाराधीन है जिसमें 35 प्लाट हरिजन परिवारों को दिये जाने की सम्भावना है ।

श्री बेगाराम : क्या यह सही है कि सरकार के ऐसे आदेश हैं कि आबादी के लिहाज से हरिजनों को हर चौथे दिये जाने प्लॉट के अन्दर एक के हिसाब से रिजर्व होना चाहिये जिससे कि वे अलगाव महसूस नहीं करें । बावजूद इसके हर जगह यह किया जाता है कि हरिजनों को शामिल न देकर अलग दूर जगह पर जमीन देने की बात की जाती है जो खराब सीलनभरी, पानी भरी, ऊबड़-खाबड़ और हर तरह से निवास के अयोग्य होती है ऐसी जमीन दी जाती है। जोहड़ों की तलेटी में दी जाती है । फिर समाज कल्याण मंत्रीजी कहते हैं कि 35 लाख बिजली के लिये और नलों के लिये दिये गये हैं । क्या इन नियमों का सख्ती से पालन करावेंगे कि सभी के साथ इनको प्लाट दिये जावें और हर चौथे प्लॉट का आवंटन इनको किया जाय । उसी में मिक्स्ड्स प्लॉट आल्टरनेटिवली अकोर्डिंग टू दी रूल्स अलॉट किये जावेंगे और इन नियमों का सख्ती से पालन कराया जावेगा ?

श्री परसराम मदेरणा : तीसरा चौथा प्लाट इनको दिया जाय ऐसी तो कोई योजना नहीं है । इन्कम ग्रुप के आधार पर यह योजना बनाते हैं, तो ये प्लॉट हरिजनों को ही न

Page No.13

(श्री परसराम मदेरणा)
दूसरे लोगों को भी उसी माप के दिये जाते हैं। पर मैं इस बात का आदेश और देने वाला हूं कि जो योजना बनती है निश्चित तौर से जो भूमि दी जावे हरिजनों को वह इनफीरियर टाइप की न दी जावे। दूसरों को दिये जा रहे हैं उसी प्रकार के उनको भी उपलब्ध होने चाहियें ।

प्रश्न संख्या 659

श्री अध्यक्ष : श्रीमती मदनकौर (अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री प्रतापसिंह ।

गाडोलिया लुहार कालोनी

660. **श्री प्रतापसिंह** (किशनगढ़): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि किशनगढ़-रूपनगढ़ सड़क पर स्थित गाडोलिया लुहार कालोनी का निर्माण किया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि निर्मित क्वार्टर्स में से अनेक क्वार्टर आवंटित करने से पूर्व ही ध्वस्त हो चुके हैं ? यदि हां, तो क्या दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की जावेगी ?

(3) क्या ध्वस्त क्वार्टरों का पुनः निर्माण कराकर सम्बन्धित व्यक्तियों को आवंटित किया जायेगा ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री ओंकारलाल चौहान) : (1) जी हां ।

(2) यह सही है कि निर्मित क्वार्टरों में से अनेक क्वार्टर ध्वस्त हो चुके हैं लेकिन गाडिया लुहारों के मकानों में बसने को तैयार नहीं होने के कारण मकान काफी दिनों तक खाली पड़े रहे जिससे वर्षा में गिर गये।

(3) जी नहीं।

श्री प्रतापसिंह : यह आपकी सूचना बिल्कुल गलत है कि वे बसने को तैयार नहीं हैं। ये आज भी इन क्वार्टरों के सामने बाहर खुले मैदान में हैं और आसमान के नीचे पड़े हैं। यह अत्यन्त खेदजनक है कि इतनी गलत सूचना सदन में मंत्री महोदय देते हैं।

श्री ओंकारलाल चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, 59-60 में प्रति क्वार्टर 750 रुपये के आधार पर ये बनाये गये। इसके बाद कुछ दिनों में बरसात के कारण वे गिर पड़े। अब वे स्वयं अपने पास से कुछ खर्च करके उनको सुधार कर रहना नहीं चाहते। और माननीय सदस्य जानते हैं कि धनाभाव के कारण विभाग भी इन्हें सुधार कर देने में सक्षम नहीं है। पर मैं महसूस करता हूं कि अब कोई आल्टरनेट योजना बने तो मकान तैयार कराकर अलॉट किये जा सकते हैं।

श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : प्रश्न संख्या के भाग दो में पूछा गया कि वे आवंटित होने से पूर्व ही ध्वस्त हो चुके हैं और आपने स्वीकार करते हुए हां कहा है। तो बनाने के बाद ही ध्वस्त हो गये तो बनाने वालों के खिलाफ या उनकी निगरानी करने वालों और पेमेन्ट करने वालों के खिलाफ क्या आपने कोई एक्शन लिया ? मकान ऐसे कैसे गिर गये ?

श्री ओंकारलाल चौहान : ये एस. डी. ओ. के मार्फत बनाये गये थे पर वे बनने से पहले ही गिर गये और उनको ठीक नहीं कराने के कारण आज तक वैसे ही पड़े हैं। इसलिये मैं सोच रहा हूं कि किसकी गलती से ये गिर गये

(श्री औंकारलाल चौहान)
आदेश इस प्रकार के जारी किये गये हैं कि कौन दोषी है इस में और किस प्रकार से इन गिरे हुओं को ठीक किया जाकर उनका लाभ उठाया जा सकता है ।

फौजी के साथ मारपीट

661. **श्री नारायण सिंह** (दांतारामगढ़): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या ग्राम रुलाणा, पंचायत समिति, दांतारामगढ़, पुलिस स्टेशन दांता रामगढ़ में श्री बजरंगलाल मीना नामक व्यक्ति भारतीय सेना में कार्य कर रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि जब उक्त फौजी अपने घर छुट्टी पर आया हुआ था तो उसी ग्राम के एक भूतपूर्व थानेदार ने उसको घर पर बुला कर पीटा तथा उसको बन्द कर दिया तथा उसकी घड़ी, रेडियो व कुछ रुपया जबरन ले लिया ?

(3) क्या यह सही है कि इसकी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन, दांतारामगढ़ (जिला सीकर) में हुई ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

राज्य मंत्री, गृह (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) जी हां ।

(2) जी हां। भूतपूर्व श्री खांगसिंह ने श्री बजरंगलाल को लेन देन के मामले में दिनांक 11-10-72 को अपने घर बुलाया था जहां पर श्री खांगसिंह व उसके लड़के ने उसके साथ कुन्दनआला से मारपीट की तथा उसकी एक रिस्ट वाच, रेडियो और 200 रुपये छीन लिये।

(3) जी हां। श्री बजरंगलाल ने दिनांक 12-10-72 को इस घटना की एक लिखित रिपोर्ट थाना दांतारामगढ़ में की थी जिस पर मुकदमा नं0 43।जेर दफा 39 4।आई. पी. सी. दर्ज किया जाकर तफ्तीश शुरू की गई लेकिन श्री खांगसिंह की दरख्वास्त पर उप-महानिरीक्षक, पुलिस, अजमेर खण्ड, जयपुर ने यह तफ्तीश थाना दांतारामगढ़ से लेकर रीडर थानेदार, श्री सिद्धराम के नाम कर दी जिसने भी बाद तफतीश घटना को सही माना है। मुकदमे की तफ्तीश पूर्ण हो चुकी है और शीघ्र ही चालान अदालत में पेश किया जायेगा।

श्री नारायणसिंह : क्या उसका सामान बरामद हो चुका है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : सामान बरामदगी की मेरे पास जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट श्री भगराज चौधरी।

भीनमाल तहसील के गांवों में पानी का अभाव

662. **श्री भगराज चौधरी** (भीनमाल): क्या जनस्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जालोर जिले की भीनमाल तहसील के गांव करड़ा, चारवाड़ा, लाखावास, वणधर, सामलावास में पीने के पानी की अत्यन्त कमी है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त गांवों में मीठे पानी की व्यवस्था हेतु सरकार ने क्षेत्रीय जल योजना बनायी है ? यदि हां, तो उसे कब तक स्वीकृत कर दिया जावेगा ?

जनस्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) जी हां।

(2) जी हां। योजना की तकनिकी जांच की जा रही है, धनराशि की उपलब्धि पर स्वीकृति की कार्यवाही की जावेगी।

श्री भगराज चौधरी : मंत्री महोदय यह बताने की कोशिश करें कि जो भी धनराशि इन योजनाओं के लिये इस उपलब्ध की गयी उनको देखते हुए जालोर जैसे पिछड़े हुए जिले में जहां मीठे पानी को छोड़ खारा पानी भी नहीं है तो यह क्यों नहीं बताते कि इन योजनाओं को कब तक स्वीकृत कर लेंगे?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, जितनी हमारे पास इस साल धनराशि उपलब्ध थी उसमें से जालोर जिले में 17 क्षेत्रीय योजनाओं की हमने स्वीकृति की और उन 17 स्कीमों में 156 लाख रुपये की राशि आवंटन की गयी। यह धनराशि जालोर जैसे जिले को देखते हुए कम नहीं थी। जो हमारे पास धनराशि उपलब्ध थी उसके अन्दर जितना ज्यादा कर सकते थे वह उस जिले के लिये किया और अब दूसरी स्कीम जिसके लिये आपने प्रश्न पूछा है इसकी योजना हम बना चुके हैं लेकिन हमारे पास इस साल धनराशि उपलब्ध नहीं है। यह योजना 13 लाख 60 हजार रुपये की है। अगली साल जब योजनाओं की मंजूरी की जायेगी तब इस योजना को भी मेरिट्स के आधार पर और धन की उपलब्धि को देखते हुए मंजूर करने की पूरी कोशिश की जायेगी।

श्री भगराज चौधरी : अगली साल का मतलब 1973-74 से है या उससे भी आगे है?

श्री चन्दनमल बैद : 1 अप्रेल से जो साल शुरु होने वाला है उससे मतलब है।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल बैरवा।

श्रम कल्याण केन्द्र, लाखेरी

663. **श्री नन्दलाल बैरवा** (पाटन) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला बूंदी के कस्बा लाखेरी में 'अ' श्रेणी का श्रम कल्याण केन्द्र कार्य कर रहा है? यदि हां, तो उसका निर्माण कब हुआ और उस पर कितनी धनराशि व्यय की गई तथा इसके बाद कब तक इसकी रिपेयर आदि कराई गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार उक्त कल्याण केन्द्र पर 'अ' श्रेणी के अनुपात की सामग्री प्रति वर्ष देती रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या राज्य सरकार उक्त केन्द्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूर्ण रूप से यथासम्भव सामग्री एवं भवन का कार्य पूरा कराये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

श्रम मंत्री (श्री ओंकारलाल चौहान) : (1) जी हां, इसका निर्माण सन् 1963-64 में लगभग 90,000 रुपये की लागत से हुआ था। इसकी रिपेयर भवन निर्माण के बाद नहीं हुई। इसके लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग को कई बार लिखा गया, पर इस भवन के जिला मुख्यालय या उप-खंडीय कार्यालय पर स्थित न होने से वह मरम्मत का कार्य अपने हाथ में लेने को तैयार नहीं

(श्री ओंकारलाल चौहान)

(2) जी हां।

(3) जी हां, मरम्मत आदि के कार्य के लिये वित्तीय प्रावधान किया जा रहा है।

श्री नन्दलाल बैरवा: अध्यक्ष महोदय, 90,000 रुपये की लागत से श्रम कल्याण केन्द्र खोला है और 10 साल में कोई मरम्मत नहीं हुई और बिल्डिंग की बहुत हानि हो रही है और रिपेयर नहीं होने के कारण गिरने की जल्दी ही सम्भावना है। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि हजारों श्रमिक वहां शिक्षा लेने के लिये आते हैं और उसमें जितना भी सामान देना चाहिए वह नहीं पहुंच पा रहा है—क्या मंत्री महोदय इसकी व्यवस्था करेंगे ?

श्री ओंकारलाल चौहान : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न के भाग 3 में उत्तर दिया है, जी हां, मरम्मत आदि के कार्य के लिये वित्तीय प्रावधान किया जा रहा है। जो सामान नहीं है वह शीघ्र ही पहुंचा दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल भदादा।

नये उद्योग को सुविधाएं

664. **श्री भंवरलाल भदादा** (भीलवाड़ा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में सन् 1971 और 1972 में कितने किस किस के नये उद्योग लगे ?

(2) इन नये उद्योग वालों को राज्य सरकार की ओर से क्या सहयोग एवं सहायता प्रदान की गयी ?

(3) राज्य सरकार नये लघु उद्योगों को किस किस रूप में क्या क्या सहयोग एवं सहायता प्रदान करती है ?

राज्य मन्त्री, उद्योग (श्रीमती कमला बेनीवाल) : माननीय अध्यक्षजी, इस प्रश्न के लिये मुझे थोड़ा समय चाहिये।

श्री अध्यक्ष : पोस्टपोन्ड।

श्री रामसिंह विश्नोई।

मण्डोर एवं लूनी के ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रावास

665. **श्री रामसिंह विश्नोई** (लूनी) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, मण्डोर एवं लूनी के ग्रामीणों क्षेत्रों में समाज कल्याण विभाग की ओर से अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिये कोई विभागीय छात्रावास नहीं हैं ? अगर हां, तो छात्रावास खोलने का क्या मापदण्ड है ?

(2) क्या राज्य सरकार अगले वित्तीय वर्ष में इन क्षेत्रों में छात्रावास खोलने का विचार रखती है ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री ओंकारलाल चौहान) : (1) जी हां, छात्रावास प्रारम्भ करने के लिये क्षेत्र में शैक्षणिक सुविधा, अनुसूचित जाति, जन-जाति के पढ़ने वाले बालकों की संख्या आदि के आधार पर प्रस्ताव प्राप्त होने पर उपलब्ध प्रावधान को दृष्टि में रखते हुए विचार किया जाता है।

(2) वर्तमान में ऐसे कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

श्री रामसिंह बिश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले वर्ष और इस वर्ष पंचायत समिति, मण्डोर और लूनी के अन्दर करीब 200 गांव हैं और वहां लूनी के अन्दर अनुसूचित जाति एवं जन जाति का छात्रावास खोलने के लिए निवेदन किया था। लूनी रेल्वे जंक्शन है और सड़क से जुड़ा हुआ है और हायर सैकेण्डरी स्कूल भी है। मैं निवेदन करूंगा कि आप इस वर्ष इस पर विचार करेंगे ?

श्री ओंकारलाल चौहान : विचार किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट !

प्रश्न संख्या 666

श्री भानुकुमार शास्त्री।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 667

श्री रामेश्वरलाल चौधरी।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 668

श्री नाथूराम।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

श्री शिवनारायण।

ग्राम पंचायत मांगरोल को नगरपालिका में परिवर्तित करने का मामला

669. **श्री शिवनारायण** (बारां) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

मांगरोल ग्राम पंचायत को नगरपालिका में परिवर्तित करने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है और इसे नगरपालिका में कब तक परिवर्तित किया जावेगा ?

राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री मूलचन्द) : मांगरोल ग्राम पंचायत को नगरपालिका में परिवर्तित करने हेतु राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 6 की विज्ञप्ति जारी कर दी गई है।

पंचायत विभाग द्वारा राजस्थान पंचायत अधिनियम की धारा 86 के अन्तर्गत विज्ञप्ति जारी करने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री शिव नारायण : कब तक हो जाएगी यह कार्यवाही पूर्ण ?

श्री मूलचन्द : ज्योंही जिलाधीश से इसकी रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी उसके तत्काल बाद ही कार्यवाही हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीलाल।

आदिवासी क्षेत्र के छात्रावास

670. **श्री देवीलाल** (सराड़ा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला उदयपुर, तहसील सराड़ा गांव परसाद और गांव झाडोल में तीसरी श्रेणी के आदिवासी छात्रावासों को दूसरी श्रेणी में स्वीकृत किये जाने की योजना में लिए गए हैं ?

(2) क्या यह सही है कि छात्रों को इस वर्ष अकाल के समय में उनके घरों में खाने को अनाज नहीं होने से तीसरी श्रेणी के छात्रावासों में रहना कठिन हो गया है ?

(3) क्या राज्य सरकार उन

(श्री देवीलाल)
आदिवासियों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उक्त छात्रावासों को पूर्ण सहायता देकर चलाने का विचार कर रही है ?

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्री ओंकारलाल चौहान) : (1) जी नहीं ।

(2) इसकी जानकारी इस विभाग को नहीं है ।

(3) प्रावधान के अभाव में अभी संभव नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ।

प्रश्न संख्या 671

श्री सुखलाल सैणचा ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

श्री विद्यासागर ।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए नियोजन कार्यालय

672. **श्री विद्यासागर** (खेरवाड़ा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के लिए अलग से ही नियोजन कार्यालय की व्यवस्था है ? यदि हां, तो अब तक अनुसूचित जाति तथा जन-जाति के कितने प्रार्थियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है तथा किन-किन व्यक्तियों को रोजगार दिलाया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या यह भी सही है कि विभिन्न विभागों द्वारा नियोजन कार्यालय को नियुक्तियों के लिए सूचित नहीं किया जाता है ? यदि हां, तो क्यों तथा समाज कल्याण विभाग में ऐसा विभाग रखने का क्या उपयोग है ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री ओंकारलाल चौहान) : (1) जी हां । अब तक अनुसूचित जाति तथा जन जाति के क्रमशः 2988 व 567 प्रार्थियों के नाम पंजीकृत हो चुके हैं जिनमें से क्रमशः 82 व 15 व्यक्तियों को रोजगार दिला दिया गया है जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी नहीं ।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिए)

श्री विद्यासागर : आपका जो नियोजन विभाग है जहां जहां पोस्ट खाली होती हैं उसकी इन्फोर्मेशन आपके पास आती है एडवरटाइजमेन्ट की या डिपार्टमेन्ट ही एडवरटाइजमेन्ट्स करते हैं और उसकी सूची आपको भेजते ह ?

श्री ओंकारलाल चौहान : ऐसा है, अध्यक्ष महोदय, कि जितनी भी पोस्ट्स खाली होती हैं उनका एडवरटाइजमेन्ट होता है और उसी के अनुसार वह जगह भरी जाती हैं ।

श्री देवीलाल (सराड़ा) : उसकी सूचना समाज कल्याण विभाग के नियोजन कार्यालय को देते हैं या नहीं ?

श्री ओंकारलाल चौहान : नहीं देते ।

श्री देवीलाल : क्यों नहीं देते जब कि आपके द्वारा इन अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आदेश हैं ? तो आपको सूचना तो मिलनी चाहिए ।

श्री ओंकारलाल चौहान : अध्यक्ष महोदय, आंकड़े अलग-अलग डिपार्टमेन्ट्स से मंगाये जाते हैं और उसी के आधार पर आंकड़े आते हैं।

श्री दिनेशराय डांगी : इसमें खास बात यह है कि विभाग में एक सैल चालू किया गया है। इसमें वैरियस डिपार्टमेन्ट्स सूचित तो नहीं करते तो यह सैल बिलकुल बेकार है और उसके ऊपर जो खर्चा आ रहा है उस खर्चे को अनुसूचित जाति के छात्रावासों के लिए दे दिया जाए तो उससे ज्यादा फायदा होगा बनिस्वत इसके कि एक सैल खोल दिया और उसमें एक डिप्टी-डाइरेक्टर की रैंक का आदमी बैठा दिया। इसके बारे में आप विचार करें।

श्री मूलचन्द सामरिया : क्या आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आपके श्रम डिपार्टमेन्ट में जो रिजर्व कोटा 28 पर्सेन्ट का है उसकी पूर्ति हो चुकी है ?

श्री ओंकारलाल चौहान : यह प्रश्न अलग से है। अलग से पूछेंगे तो बता दूंगा।

श्री मूलचंद सामरिया : मैं दावे के साथ कहता हूं कि इसकी पूर्ति आपके यहां भी नहीं हुई है।

श्री ओंकारलाल चौहान : जितनी राज्य सरकार की घोषणा है····

श्री मूलचन्द सामरिया : यह जनता को धोखा देने के अलावा कुछ नहीं है। लोगों को मूर्ख बनाते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है।

(स्थगित प्रश्न)

प्रश्न संख्या 215

श्री अध्यक्ष : श्री जनार्दन सिंह।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

श्री रामानन्द अग्रवाल।

अलवर में औद्योगिक बस्ती के लिए अलॉट की गई भूमि

218. **श्री योगन्द्रनाथ हाण्डा** (सूरतगढ़) (श्री रामानन्द अग्रवाल की अनुपस्थिति में) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) अलवर में औद्योगिक बस्ती के लिए कितनी क्षेत्रफल भूमि अलॉट की गई है ? वह भूमि कौन-कौन से गांवों में स्थित है ? कृपया प्रत्येक का अलॉट किया गया रकबा गांववार अलग-अलग बताने का कष्ट करें।

(2) औद्योगिक बस्ती के लिए अलॉट की गई भूमि कितने औद्योगिक यूनिटों में वितरण करने के लिए बांटी गई है ? अभी तक जितने प्लॉटों का अलॉटमेन्ट जितनी औद्योगिक इकाइयों में जिस जिस साल में किया गया है उसकी सूची सदन की मेज पर प्लॉटवार, रकबे इकाईवार और सालवार दर्शाते हुए रखने का कष्ट करें।

(3) इन अलॉटशुदा प्लॉटों पर कौन कौन सी इकाइयों ने कार्य शुरू कर दिया है और कब से ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या ऐसी भी कोई औद्योगिक इकाइयां हैं जिसने अलवर की औद्योगिक बस्ती में प्लॉट लेने के लिए प्रार्थना-पत्र दिया है लेकिन उन्हें अभी प्लॉट अलॉट नहीं किया जा सका है ? यदि हां, तो ऐसी इकाइयों की सूची सदन की मेज पर रखें और प्लॉट अलॉट किए जाने के कारण भी प्रत्येक के सामने दर्ज करें।

Page No.20

राज्य मंत्री, उद्योग (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम लिमिटेड जयपुर, को औद्योगिक क्षेत्र के लिए 1,114 बीघा 19 विस्वा भूमि निम्न प्रकार आवंटित की गई है :—

(1) नाहरपुर	361	8
(2) कमालपुर	320	1
(3) गूंदपुर	433	10
	1,114	19

भूतपूर्व अलवर राज्य के समय में बनाये गये औद्योगिक क्षेत्र की 563 बीघा 83 विस्वा भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :-

(1) अलवर	19	19
(2) सोनवा	42	16
(3) सामोला	1	00
(4) नंगली कोता]	91	16
(5) मंगसका	131	17
(6) खेडादेव	275	15
	563	83

(2) अलवर स्टेट द्वारा बनाये गये औद्योगिक क्षेत्र में 15 इकाइयों को तथा राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम को आवंटित भूमि में, उनके द्वारा 47 इकाइयों को भूमि आवंटित की गई है। उक्त इकाइयों को जो प्लॉट उद्योग लगाने हेतु जब-जब आवंटित किये गये हैं, उसकी सूची (क) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) सूची (क) के भाग 3, 4 व 5 में उल्लेखित हैं।

(4) जी हां। सूची (ग) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : कितने लोगों ने इन्डस्ट्रियल कार्य आरम्भ कर दिया है जिनको प्लॉट अलॉट हुये हैं जिन्होंने इन्डस्ट्री आरम्भ कर दी है और कितनों ने आरम्भ नहीं की है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : सूची (ग) आपको पढ़कर सुना सकती हूं।

श्री अध्यक्ष : वे पढ़ लेंगे।

एक माननीय सदस्य : सूची तो रामानन्दजी को मिलती · · ·

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आप टोटल पढ़कर बता दें।

एक माननीय सदस्य : आपको सूची मिली या नहीं।

स्थगित प्रश्न संख्या 294

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव।

(श्री अध्यक्ष)

श्री निरंजननाथ आचार्य ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री यशवन्तसिंह नाहर ।

भारत सरकार से कृषि विकास कार्यक्रम के लिये प्राप्त राशि

330. **श्री यशवन्तसिंह नाहर** (बनेड़ा): क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) गत पांच वर्षों में भारत सरकार से राज्य सरकार को कृषि विकास कार्यक्रमों के लिये कितनी राशि मिली ? कृपया प्रति वर्ष का ब्यौरा दें ।

(2) क्या उक्त सारी राशि कृषि विकास कार्यक्रम में खर्च की गई ? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण थे ? क्या किसी अधिकारी की लापरवाही के कारण खर्च नहीं हुई ? यदि हां, तो क्या ऐसे अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ?

आयोजना मंत्री (श्री चन्दनमल वैद) : अध्यक्ष महोदय इसका उत्तर माननीय कृषि मंत्रीजी देंगे ।

कृषि मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह प्रश्न कल ही मेरे पास आया है अतः इसका उत्तर अगली टर्न पर दे दिया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल ।

जे० के० सिन्थेटिक, कोटा को उद्योग की स्थापना हेतु दिया गया ऋण

355. **श्री मोहनलाल छंगाणी** (फलोदी): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार अथवा उसकी अन्य ऐजेन्सी द्वारा जे० के० सिन्थेटिक लि०, कोटा को उसकी स्थापना से लेकर 31 जनवरी, 1973 तक कब कितना कितना व किस-किस उद्योग की स्थापना के लिये ऋण दिया गया ?

(2) उक्त उद्योग को उसकी स्थापना से लेकर 31 जनवरी, 1973 तक कब कब कितनी-कितनी बैंक गारंटी राज्य सरकार अथवा उसकी ऐजेन्सी द्वारा दी गई ?

(3) जिन उद्योगों के लिये ऋण दिया गया वे उद्योग कौन-कौन से थे ? उक्त कम्पनी ने कब कब भारत सरकार से लाइसेन्स किस किस स्थान के लिये प्राप्त किये ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(4) राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण बैंक गारन्टियों के संबंध में उक्त कम्पनी ने ऋण अथवा बंक गारन्टियों को स्वीकृति की तिथि से कितने समय पश्चात् व किस तिथि को मार्टगेज डीड एग्रीमेन्ट का सम्पादन किया ?

(5) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के गारन्टी नियमों के अन्तर्गत 40 प्रतिशत मार्जिन रखा जाता है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त प्रतिष्ठान को दिए गए ऋण अथवा बैंक गारन्टी के समय राज्य सरकार द्वारा इन नियमों की पालना नहीं की गई ?

(6) द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ पंच-वर्षीय योजनाओं में कुल कितनी धनराशि उद्योगों को ऋण के लिए निर्धारित थी व जे० के० सिन्थेटिक लि० को उक्त राशि का कितना प्रतिशत ऋण दिया गया ?

Page No.22

राज्य मंत्री, उद्योग (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) सूची (क) व (ख) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) राज्य सरकार द्वारा मैसर्स जे० के० सिन्थेटिक लि० हेतु दी बैंक ऑफ राजस्थान लि०, कोटा को एक प्रत्यापूर्ति 23.40 लाख रुपये की दिनांक 25-10-66 को दी गई थी। राजस्थान वित्त निगम द्वारा इस संस्थान के लिए कोई गारन्टी नहीं दी गई।

(3) जिन उद्योगों के लिए ऋण दिया गया वे सूची (क) और (ख) में अंकित हैं। उक्त कम्पनी द्वारा भारत सरकार से समय-समय पर प्राप्त किए लाइसेन्सों की सूची (ग) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) सूची (घ) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) जी हां। गारन्टी नियमों के नियम 6(3) के अनुसार पुरानी मशीनरी, प्लान्ट, बिल्डिंग एवं भूमि को बाजार की कीमत या दिखावट के बाद वाले मूल्य में 40 पर्सेन्ट मार्जिन रखा जाता है चूंकि गारन्टी नियम 1971 से प्रभावशील है अतः उक्त सीमा तक मार्जिन रखा जावे या नहीं रखा जावे इस प्रसंग में लागू नहीं होता है क्योंकि बैंक ऑफ राजस्थान को दी गई गारन्टी 1971 के पूर्व समय की है।

(6) द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाओं में बड़े उद्योगों को ऋण देने के लिए कोई प्रावधान निर्धारित नहीं किया गया था। अतः जे० के० सिन्थेटिक को कितना प्रतिशत दिया गया इसका प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिए)

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मंत्री महोदया यह बताने का कष्ट करेंगी आपने जो निम्बाहेड़ा सीमेन्ट फैक्टरी के लिए लोन दिया उसके लिए आपने युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट लिया या ऐसा कोई प्रावधान है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट अभी प्राप्त नहीं हुआ है। जो जानकारी राज्य सरकार ने प्राप्त की है उसके अनुसार कार्य प्रोग्रेस में है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : क्या-क्या मशीनें लगीं, कितना कन्स्ट्रक्शन हुआ और क्या क्या कार्यवाही हुई यह बता सकेंगी ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन चल रहा है और उसकी जो मशीनें हैं उसको मंगाये जाने की व्यवस्था है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : इस पर भी आपने 60 लाख दे दिया। मैं यह पूछना चाहता हूं क्या यह सब उद्योगों के लिए लागू होता है या केवल साहू उद्योग के लिए ही दिया जाता है....

श्रीमती कमला बेनीवाल : दोनों फैक्ट्रियों के लिए 60 लाख दिया है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : 30 लाख आपने दिया और आर० एफ० सी० ने दिया वह 20 लाख इस तरह 50 लाख दिया है। यह तो पक्की बात है। दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूं यह जो लोन देते हैं यह लेटर ऑफ इन्टेन्ट पर देते हैं या लाइसेन्स पर देते हैं।

Page No.23

श्रीमती कमला बेनीवाल : यह अभी निश्चित नहीं बता सकती हूं लेकिन इन सबके लाइसेन्स भारत सरकार से प्राप्त किये हुए हैं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : लाइसेन्स आने पर लोन दिया जाता है या लेटर ऑफ इन्टेन्ट पर लोन दे देते हैं।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैंने निवेदन किया यह मैं निश्चित तौर से नहीं कह सकती हूं लेकिन लेटर ऑफ इन्टेन्ट मिल चुका है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, फिर इसको स्थगित कीजिए। लेटर ऑफ इन्टेन्ट पर लोन अप्लाई कर सकते हैं यह दूसरी बात है लेकिन मैं जानना चाहूंगा उद्योग विभाग की क्या नीति रही है। कृपया मंत्री महोदया स्पष्ट करने की कृपा करें।

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय अध्यक्षजी, प्रश्नकर्ता महोदय ने जो पूछा है इसको जो भी ऐडवान्स किया गया उन लोगों के अगेन्स्ट में 40 प्रतिशत की गारन्टी ली है उन्होंने लोन का युटिलाईज किया उस सबके बारे में जानकारी माननीय सदस्य को दे दी गई है। मैं आपके मारफत निवेदन करूंगी जितने लोन इस पार्टी के पास हैं उससे चार गुणा गवर्नमेन्ट के पास गारन्टी रखी हुई है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : लेटर ऑफ इन्टेन्ट पर लोन दिया जाता है या लाइसेन्स पर लोन दिया जाता है। इस बारे में कृपया स्पष्टीकरण कीजिए।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : It is strange matte .

श्रीमती कमला बेनीवाल : कोई निश्चित नीति निर्धारित नहीं है जैसा केस का मेरिट होता है उसके अनुसार किया जाता है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, मान लीजिये लेटर ऑफ इन्टेन्ट हमें मिलता है और मैं फलां उद्योग स्थापित करना चाहता हूं तो इसकी क्या नीति है लेटर ऑफ इन्टेन्ट क्या होता है और लाइसेन्स क्या होता है। इस बारे में स्पष्टीकरण कीजिये। मुझे जानकारी चाहिये। नीति का प्रश्न है मुझे जे. के. सिन्थेटिक से कोई मतलब नहीं है।

एक माननीय सदस्य : नीति सम्बन्धी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाता है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : ·· (अश्रव्य) ·· लोकल क्वेश्चन है··

श्री श्रीराम गोटेवाला : मंत्री महोदया ने कहा है मेरिट के आधार पर दिया जाता है। यह किस आधार पर मेरिट डिसाइड करते हैं।

श्रीमती कमला बेनीवाल : जो पार्टी लोन के लिये अप्लाई करती है तो यह देखा जाता है उस उद्योग का लगाना कितना सम्भावित है, कितना लाभ होगा, कितना उसका क्षेत्र है। यह सब कन्सीडर करके राज्य सरकार कन्विन्सड् हो जाती है तो उनको देते हैं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : लेटर ऑफ इन्टेन्ट मिलेगा तो उसको राज्य सरकार लोन देगी ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैंने निवेदन किया मेरिट कन्सीडर की जायेगी।

Page No.24

श्री मोहनलाल छंगाणी : जो पांचवें प्रश्न का उत्तर दिया है उसमें निश्चित है। मैं आपको चैलेन्ज करता हूं कि आज तक जो लोन दिया जे. के. सिन्थेटिक को 3 करोड़ 53 लाख 51 हजार 712। 65 से 70-71 तक .... जो भी फिगर दिये .....

और लघु उद्योगों को लोन दिया है। 1 अप्रैल, 54 से लेकर 31 मार्च, 1971 तक 1 करोड़ 22 लाख और 22 रुपये मात्र का। इधर जो 3 करोड़ का लोन आपने दिया है इसमें साहू जैन शामिल नहीं है। इसमें दूसरे जो बड़े उद्योग लगाए गए हैं और जिनको लोन दिया गया है वे शामिल नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहता हूं कि जो मैंने फिगर दिए हैं, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि मेरे फिगर सही हैं। आपने 17 वर्षों में लघु उद्योगों को जहां केवल 1 करोड़ 22 लाख का लोन दिया है वहां बड़े उद्योगों में से केवल एक जे. के. को 3 करोड़ 53 लाख का लोन दिया है। निम्बाहेड़ा की फैक्ट्री अभी तक शुरू नहीं हुई है। कुछ सीमेंट वगैरा का काम लगा रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर आपकी नीति क्या है, क्या आप लेटर ऑफ इन्टेन्ट पर लोन देते हैं?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैं इसके बारे में स्पष्ट कर चुकी हूं कि किन-किन कामों के लिए और किन किन परपज के लिए लोन दिया गया है।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलते रहे–अश्रव्य)

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : एक बात बता दीजिए। जिनको लोन दिया गया है यह एकमुश्त दिया गया है या इंस्टालमेंट में दिया गया है।

दूसरा यह बताने की कृपा करें कि जिनको लोन दिया जाता है उनको इंस्टालमेंट में दिया जाता है तो अलग अलग स्टेज पर दिया जाता है या एकमुश्त दिया जाता है, यह बताइये।

श्रीमती कमला बेनीवाल : इसका मेरे पास विवरण नहीं है कि इंस्टालमेंट में दिया या एक मुश्त दिया। लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूं कि जो शुरू शुरू में बिग इंडस्ट्रीज को एन्करेजमेंट देने का रवय्या रहता था इस वक्त छोटी इण्डस्ट्रीज को एन्करेजमेंट देने का ज्यादा रहता है, बड़ी इंडस्ट्रीज को ज्यादा नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह तो ठीक है

(व्यवधान–अश्रव्य)

श्री फूलचन्द जैन : मान लीजिए कि किसी को लोन इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट या फाईनेंस कार्पोरेशन से मिलता है तो उनको लोन ग्राण्ट हो जाता है तो ग्राण्ट होने के बाद वह लोन एक साथ मिलता है या वह लोन अलग अलग स्टेज पर मिलता है? इसके बारे में क्या कहना है?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैंने आपसे निवेदन किया कि इन उद्योगों को लोन किश्तों में दिया या एक साथ दिया इसके बारे में मैं निवेदन नहीं कर सकती हूं लेकिन जो जनरल पोलिसी है वह यह है कि जो पैसा दिया जाता है यह एकमश्त भी दिया जा सकता है और इंस्टालमेंट में भी दिया जा सकता है।

श्री फूलचन्द जैन : एकमुश्त नहीं दिया जा सकता है। लोन सेंक्शन होने के बाद भी एक मुश्त नहीं दिया जा सकता है। अलग अलग स्टेज पर कंस्ट्रक्शन के लिए, मशीनरी के लिए

(श्री फूलचन्द जैन)
या अलग 2 आइटम्स के लिए अलग अलग स्टेजेज पर दिया जाता है।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलते रहे—अश्रव्य)

श्री मोहन लाल छंगाणी : एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय। यह बताइये कि यह जो आप लोन देते हैं यह लोन देने और मोर्गेज डीड लिखने में कितना फर्क रहता है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय जैसा मैंने निवेदन किया कि 40 परसेंट का मार्जिन 71 के पहले तक लागू नहीं था। इसकी जगह इन पार्टीज को जो लोन दिया गया और उनके री-पेमेंट के बारे में आज की जो स्थिति है उसके अनुसार जो 1,13,04,620.83 पैसे का लोन दिया गया है उसके अगेंस्ट में जो प्रोपर्टी इनकी मोर्गेज हुई है वह 4 करोड़ 12 लाख के करीब है। इसलिए इसका प्रपोर्शन कितना है और उनकी टर्म एण्ड कण्डीशन क्या हो सकती है यह आप समझ सकते हैं।

(व्यवधान - अश्रव्य)

श्री मोहनलाल छंगाणी : मेरा पूछना यह है कि जब आप लोन देती हैं तो लोन देने और मोर्गेज डीड लिखने में कितना फासला रहता है मैं यह जानना चाहता हूं।

श्रीमती कमला बेनीवाल : इसकी कोई निश्चित अवधि नहीं है।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलते रहे - अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : श्री लोढ़ा।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : इस सम्बन्ध में मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यहां पर सदन में माननीय वित्त मंत्रीजी ने यह बताया था कि इस इण्डस्ट्री के खिलाफ बहुत टैक्स की रकम बकाया है। वह चोरी करते हैं टैक्स की लेकिन सरकार चोरी पकड़ने में समर्थ नहीं हुई है एक बात। दूसरी बात यह कि यह इण्डस्ट्री जिसके बारे में प्रश्न है, इसका प्रधान कार्यालय राजस्थान में नहीं है जिससे टैक्स का, जो इन्कम टैक्स का शेयर हमारे राजस्थान का है यह पूरा का पूरा डाईवर्ट हो जाता है। इन दोनों बातों के होते हुए भी क्या स्टेट की ओर से भविष्य में लोन न देने के लिए सख्ती बर्ती जाएगी और इनको ध्यान में रखा जाएगा ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, टैक्स का प्रश्न बिल्कुल जुदा है। यह सवाल जो लोन इन पार्टीज को एडवांस किया गया है उनके री-पेमेंट की सिक्योरिटी क्या है और उनका यूटिलाइजेशन किस प्रकार किया गया है उसके बारे में है जिसका मैंने जवाब दिया है।

(व्यवधान – अश्रव्य)

श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) : जो छोटे 2 उद्योग धन्धे हैं उनको लोन एडवांस करने में तो बड़ी 2 सिक्योरिटीज मांगते हैं, बड़ी 2 पाबन्दियां हैं लेकिन बड़े उद्योगों पर कोई पाबन्दी नहीं है।

(निरन्तर व्यवधान—अश्रव्य)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, सारा समय इसी में जा रहा है। मेरा एक प्रश्न 657 नेशनल इम्पोरटेंस का है, नेशनल डिफेंस फण्ड की रकम से सम्बन्धित प्रश्न है।

(व्यवधान - अश्रव्य)

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और।

श्री अध्यक्ष : आप भी पूछ लें जल्दी।

श्री श्रीराम गोटेवाला : जब यह लोन दिया गया था तो इन पार्टीज ने क्या कोई यह गारण्टी की थी कि फलां समय तक फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर देंगे। अगर गारण्टी की थी तो मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर उन्होंने गारण्टी फुलफिल नहीं की तो सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : फैक्ट्री कितने अर्से में प्रोडक्शन शुरू कर देगी यह तय किया गया था या नहीं, यह मैं नहीं कह सकती लेकिन फैक्ट्री के साथ में जो टर्म एण्ड कण्डीशन है कि कितनी किस्तें होंगी, कितने ड्यूरेशन में पेमेंट होगा और किस प्रकार से यूटिलाइजेशन किया जाएगा, यह है।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलते रहे - अश्रव्य)

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रश्नों के उत्तर नहीं आते हैं। इसलिए आपकी तरफ से कोई न कोई हिदायत दी जाय। यहां पर उत्तर नहीं दिए जाते हैं और सरकार उन पर पर्दा डालना चाहती है।

श्री मूलचन्द सामरिया : इस उद्योग से माननीय सदस्य को कितना चन्दा मिला यह बता दिया जाय तो शांत हो जाय।

(निरन्तर व्यवधान - अश्रव्य)

प्रश्न सं. 644

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र रोत।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

प्रश्न सं० 646

श्री करण सिंह।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

प्र. सं. 649

श्री हाजी जान मोहम्मद।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्र. सं. 651

श्री हरलाल मीणा।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

प्र. सं. 656

श्री नानालाल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

प्रश्न सं. 657

श्री मोहम्मद गफ्फार अली।

सुरक्षा कोष की राशि

657. श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सुरक्षा कोष के लिए कमानी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के श्रमिकों ने गत भारत-पाक युद्ध के दौरान एक दिन का वेतन जो कि 13 हजार रुपये होता है स्वेच्छा से कटाया था ?

(2) क्या यह सही है कि वह धनराशि कारपोरेशन के मालिकों ने आज तक जमा नहीं कराई ?

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

(3) क्या राज्य सरकार कमानी कारपोरेशन के मालिकों के खिलाफ इस राशि की वसूली के लिए कानूनी कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्रीमती कमला बेनीवाल) :(1)कमानी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि. जयपुर के श्रमिकों, कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने अपनी स्वेच्छा से दिसम्बर, 1971 में सुरक्षात्मक कार्यों के लिए धनराशि एकत्रित करने का प्रस्ताव पारित किया था तदनसार उन्होंने जनवरी, 72 में रु. 6,691) 55 की राशि एकत्रित की। किन्तु युद्ध समाप्त हो जाने तथा परिस्थितियां सामान्य हो जाने के कारण उक्त एकत्रित राशि को संग्रहकर्त्ताओं को लौटाने का निर्णय श्रमिकों एवं कर्मचारियों द्वारा लिया गया। इस प्रकार एकत्रित राशि कमानी इंजीनियरिंग कारपोरेशन द्वारा सम्बन्धित दानदाताओं को लौटा दी गई।

(2) अनुच्छेद 1 में दिए गए उत्तर के अनुसार यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी नहीं। अनुच्छेद 1 में दिए गए उत्तर के अनुसार कानूनी कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली । देखिए, मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगे कि यह रिजोल्यूशन...

श्री अध्यक्ष : फरमाना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आपने यह फरमाया कि लौटाने का फैसला लिया तो यह किस आधार पर लौटाने का फैसला लिया जा सकता है। जब एक बार डिफेंस में पैसा कट गया तो दुबारा कैसे लौटाने का फैसला लिया जा सकता है। मेरी जानकारी के अनुसार यह सवाल चला गया तो उनको प्रेस करके यह पैसा लौटाया गया है। वे लोग पैसा वापिस लेने को तैयार नहीं थे कि जब हमने डिफेंस फण्ड में दे दिया तो हम वापिस नहीं लेंगे। इस तरह का प्रयत्न डिफेंस फण्ड की चोरी का प्रयत्न इण्डस्ट्री द्वारा किया गया है। आप यह बताइये कि यह रुपया कब लौटाया गया है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : जिस कारण से लौटाए जाने का निर्णय लिया गया वह मैंने आपको निवेदन किया है.....

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : लौटाया कब गया ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : इसकी तारीख मेरे पास में नहीं है।

(शोरगुल - अश्रव्य)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न स्थगित होना चाहिए। यह क्रिमिनल ऑफेंस है डिफेंस फण्ड का मिसएप्रोप्रियेशन। उन्होंने मिसएप्रोप्रियेशन किया है और जब सवाल उनके पास गया तो तीन चार रोज पहले ही रुपया लौटा दिया गया है। इसलिए इसको स्थगित करके पूरी जानकारी दी जावे।

श्री गुमानमल लोढ़ा : सवाल आने के बाद लौटाया गया या बाद में लौटाया गया ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : इसको स्थगित करके इन्फार्मेशन कलेक्ट करे राज्य सरकार और यहां पर पेश करे।

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य कह

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

रहे हैं हो सकता है कि प्रश्न आने के बाद में लौटाया गया हो। मैं जानकारी करके फिर निवेदन करूंगी।

श्री अध्यक्ष: Question is adjourned. प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

कपास की पैदावर का सर्वे

644. **श्री रामचन्द्र रोत** (चौरासी): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि डूंगरपुर जिले की अधिकांश तहसीलों में कपास पैदा होती है? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इसकी कोई सर्वे कराई है? यदि हां, तो कब?

उत्तर

जी हां। राज्य सरकार के द्वारा डूंगरपुर जिले का सर्वे नहीं कराया गया है।

पत्थरों की टाल हटाने का प्रस्ताव

646. **श्री करनसिंह** (डीग): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 30-3-71 को नगर विकास न्यास, भरतपुर की मीटिंग में सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि रेल्वे रोड, भरतपुर से पत्थरों की टाल को तुरन्त हटाया जाये?

(2) क्या यह सही है कि उक्त निर्णय के बावजूद आज तक उक्त टाल नहीं हटी है?

उत्तर

(1) न्यास की उक्त मिटिंग में केवल यह निर्णय लिया गया था कि मुरली चित्र लोक के सामने श्री लक्ष्मीचन्द्र ने जो पत्थर डाल रखे हैं, उन्हें हटाया जावे।

(2) बाद में यह जानकारी मिलने पर कि उक्त जमीन नगरपालिका से खरीद शुदा है, टाल नहीं हटाई गई।

ग्राम पंचायत, पिड़ावा को नगर पालिका में बदलने का प्रस्ताव

649. **श्री हाजी जान मोहम्मद** (पिड़ावा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत, पिड़ावा पहले नगरपालिका थी? अगर हां, तो कब तक नगरपालिका रही?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत, तिजारा और पिड़ावा के नगरपालिका में बदलने का प्रस्ताव एक साथ था? अगर हां, तो किस को नगरपालिका बनाया गया और अगर नहीं, तो क्यों नहीं?

उत्तर

(1) जी हां, 23-9-1959 के पूर्व तक।

(2) जी नहीं। ग्राम पंचायत, तिजारा को नगरपालिका में परिवर्तित कर दिया गया है।

ग्राम पंचायत, पिड़ावा को ग्राम पंचायत से नगरपालिका में परिवर्तित करने की कार्यवाही की जा रही है।

समाज कल्याण विभाग की प्राथमिक शालाएं

651. **श्री हरलाल मीणा** (प्रतापगढ़):

(श्री हरलाल मीणा)
क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा प्राथमिक शालाएं पंचायत समितियों के अन्तर्गत चलाई जा रही हैं ? यदि हां, तो पंचायत समितिवार कहां-कहां ?

(2) क्या यह भी सही है कि मंत्रि-मण्डल के निर्णयानुसार समाज कल्याण विभाग ने प्राथमिक शालाएं बन्द करने का नोटिस पंचायत समितियों को दे दिया है ? यदि हां, तो कब ? क्या बीच सेशन में शालाएं बन्द करना उचित होगा ?

(3) क्या यह सच है कि उक्त शालाएं आदिवासी एरिया में चलते बीस-बीस साल हो चुके हैं वहां शाला भवन भी पक्के बन चुके हैं ? यदि हां, तो ऐसी स्थिति में बन्द करना क्या आदिवासियों के लिये अहितकारी नहीं होगा ?

(4) समाज कल्याण विभाग के मद से चलने वाली शालाओं के अध्यापकों के लिये प्रत्येक पंचायत समिति को वेतन का कितना अनुदान देना बकाया है ?

(5) क्या उक्त प्राथमिक शालाओं को शिक्षा विभाग के मद से चलाने हेतु मंत्रि-मण्डल ने कोई निर्णय दिया है ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। लेकिन मंत्रिमण्डल के निर्णयानुसार समाज कल्याण विभाग ने केवल आदिवासी विकास खण्डों वाली पंचायत समितियों की शालाओं का खर्चा आदिवासी विकास खण्ड हेतु दी जाने वाली राशि से वहन करने के लिये लिखा है और यदि वे उस राशि के खर्च वहन न कर सकें तो शालाएं बन्द कर देवें।

(3) जी हां। यह सही है कि ये पाठ-शालाएं गत 15-20 साल से चल रही हैं किन्तु शालाओं के भवन हेतु विभाग ने कोई धनराशि नहीं दी है। विभाग की मंशा शालाओं को बन्द करने की नहीं है।

(4) समाज कल्याण विभाग के मद से चलने वाली शालाओं के अध्यापकों के वेतन के लिये किसी भी पंचायत समिति से बकाया धनराशि की मांग नहीं की गई है।

(5) ऐसे निर्णय की कोई सूचना विभाग के पास नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को सुविधाएं

656. श्री नानालाल (राजसमन्द) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को कई प्रकार की सुविधा देना चाहती है, किन्तु वह उनको बराबर नहीं मिल पाती हैं ? यदि हां, तो इसके लिये क्या व्यवस्था की जा रही है ?

(2) क्या यह सही है कि अनुसूचित

Page No.30

(श्री नानालाल)
जाति व जनजाति के लोगों को गृह निर्माण हेतु बिना व्याज चार हजार रुपया ऋण के रूप में दिया जाना राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत है ? यदि हां, तो उन्हें यह राशि क्यों नहीं दी जाती ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के मोहल्लों में नल व बिजली पहुंचाने की सुविधा दी है ? यदि हां, तो उदयपुर जिले में अब तक किस गांव में क्या क्या सुविधा दी हुई है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) प्रश्न स्पष्ट नहीं है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

ग्राम कानाना की जलदाय योजना

659. श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम कानाना (तहसील पचपदरा, जिला बाड़मेर) की ग्रामीण जलदाय योजना कब स्वीकृत की गई थी ?

(2) अब तक इस योजना पर कितना रुपया किस किस मद (खुदाई, बंधाई, पम्पिग सेट, लाइन डालने इत्यादि) पर व्यय किया जा चुका है ? कृपया मदवार खर्चे के आंकड़े अलग अलग बतावें।

(3) क्या इस नल योजना का काम ठेके से कराया गया था ? यदि हां, तो क्या क्या काम किस ठेकेदार से कराया गया और कितना कितना भुगतान किस किस ठेकेदार को कब कब किया गया ?

(4) अब इस योजना की क्या स्थिति है ? कब तक पीने का पानी मिलना प्रारम्भ हो जायेगा ?

उत्तर

(1) कानाना ग्राम की पंप एवं टैंक जल प्रदाय योजना मार्च 69 में स्वीकृत की गई।

(2) सूची संलग्न है।

(3) जी हां। सूची संलग्न है।

(4) पाइप लाइन टेंकिग का कार्य चालू है। तथा दिनांक 1 मार्च सन् 73 से कुएं में उपलब्ध 4000 गैलन पानी प्रतिदिन वितरण किया जा रहा है और अधिक पानी प्राप्त करने के लिये कुएं में बोरिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

उदयपुर में सरकारी भवनों का अलॉटमेन्ट

666. श्री भानुकुमार शास्त्री, (उदयपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिलाधीश उदयपुर के नियमों के प्रतिकल 4 एफ टाइप सरकारी भवन राजपत्रित अधिकारियों को अलॉट किये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

Page No.31

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

(2) क्या यह सही है कि उक्त भवन अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को अलॉट किये जाने हेतु बनाये गये थे ? यदि हां, तो इन्हें सम्बन्धित वर्ग के कर्मचारियों को क्यों नहीं अलॉट किया गया ? क्या सरकार अब इन्हें संबंधित वर्ग के कर्मचारियों को अलॉट करने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक और यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं । जिस अधिकारी, कर्मचारी का वेतन 300) रु० माहवार या अधिक और 500) रु० तक होता है उसे "एफ" श्रेणी का आवास आवंटित किया जाता है । आवासों का आवंटन का आधार Pay Range जिसमें कर्मचारी भी आता है उससे किया जाता है और किया जा रहा है ।

(2) जी हां । भाग 1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

नावां तहसील में चीनी का वितरण

667. **श्री रामेश्वरलाल चौधरी** (नावां) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नावां तहसील में अक्टूबर 1972, दिसम्बर 1972 तथा आज तक चीनी का वितरण नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार उक्त अवधि की चीनी का वितरण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या सरकार उन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है जिनकी लापरवाही के कारण चीनी का वितरण नहीं हो सका ?

उत्तर

(1) जी हां । क्यों कि मिलों से चीनी प्राप्त नहीं हुई थी ।

(2) जी हां । केन्द्रीय सरकार द्वारा मिलों से पत्र व्यवहार चल रहा है । चीनी प्राप्त होने पर वितरण कराने की व्यवस्था करा दी जावेगी ।

(3) चीनी का कोटा लैप्स होने के लिए किसी अधिकारी/कर्मचारी की लापरवाही नहीं है । अतः किसी प्रकार कार्यवाही की करने का प्रश्न पैदा नहीं होता है ।

जनगणना विभाग के सरप्लस कर्मचारी

668. **श्री नाथूराम** (बागीडोरा) : क्या श्रम नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में जनगणना विभाग के सरप्लस कितने आवेदक नवम्बर 1971 से दिसम्बर 1972 तक पंजीकृत हुए उनमें से कितने को रोजगार मिला और कितने अभी भी काम की प्रतीक्षा में हैं ?

(2) क्या यह सत्य है कि राज्य सरकार ने इस वर्ग के आवेदकों के लिए 25 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखने और नौकरी में प्राथमिकता देने के निर्देश दिए थे लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं तो 1972 में नियोजन कार्यालयों में अधिसूचित रिक्तियों में से कितने प्रतिशत रिक्तियां जनगणना विभाग के कमीशुदा कर्मचारियों के लिए थी तथा नियोजन

Page No.32

(श्री नाथूराम)
कार्यालयों द्वारा प्रेषित आवेदकों में से कितने प्रतिशत इस वर्ग के आवेदक प्रेषित किए गए ?

(स्थगित किया गया)

जैतारण एवं रायपुर तहसीलों में अकाल राहत कार्य

671. **श्री सुखलाल सेणचा** (जैतारण) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जैतारण व रायपुर तहसीलों में अकाल घोषित होने के पश्चात् जिलाधीश पाली ने कितने राहत कार्य खोलने की अनुमति कब कब दी ?

(2) उक्त क्षेत्र में कार्य कब कब आरम्भ किये गए ? सड़क निर्माण के कितने कार्य खोले गए तथा सड़क निर्माण पर कितनी लेबर लगाई गई है तथा अपर्याप्त लेबर लगाने के क्या कारण हैं ? अब पर्याप्त लेबर कब तक लगा दी जावेगी ?

उत्तर

(1) इस वर्ष अकाल घोषित होने के पश्चात् तहसील, जैतारण एवं रायपुर में क्रमशः 43 एवं 44 इस प्रकार कुल 87 राहत कार्य स्वीकृत किए गए हैं। कार्यों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) पाली जिले के उक्त क्षेत्रों में राहत कार्यों को परीक्षण कार्यों के रूप में अक्टूबर माह में ही प्रारम्भ कर दिया गया था। तहसील रायपुर एवं जैतारण में 16 सड़क कार्य स्वीकृत किये गए हैं। इनकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है। इन कार्यों पर लगे मजदूरों की संख्या इस सूची में अंकित है। कार्यों की आवश्यकता को देखते हुए ही कार्यों पर श्रमिक लगाये जाते हैं।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिए)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 1-3-73)

उद्योगों को इलेक्ट्रिक ड्यूटी में रियायत

215. **श्री जनार्दनसिंह गहलोत** (गांधी नगर, जयपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि अप्रेल 1968 से 31 मार्च, 1974 तक जो उद्योग अपना उत्पादन बढ़ायेंगे उन्हें इलेक्ट्रिक ड्यूटी में रियायत दी जाएगी ? यदि हां, तो यह रियायत कितने उद्योगों को प्रदान की गई ? यदि नहीं, तो घोषणाओं को क्रियान्वित क्यों नहीं किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि 1970 से 1975 के मध्य स्थापित होने वाले उद्योगों के लिए ऐसी घोषणायें की गई थीं कि उन्हें इलेक्ट्रिसिटी सबसिडी 10, 15 तथा 25 प्रतिशत के अनुसार प्रदान की जावेगी ? यदि हां, तो अब तक इसमें कितने लोग लाभान्वित हुए हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। इस घोषणा के अन्तर्गत अब तक 306 उद्योगों को इलेक्ट्रिक ड्यूटी में रियायत दिलाने हेतु स्वीकृत प्रदान कर दी गई है।

(2) 1-3-70 से 31-3-74 के बीच जो उद्योग निर्माण कार्य के लिए बिजली लेना

(उद्योग मंत्री)

प्रारम्भ कर चुके हैं अथवा करेंगे उन्हें उत्पादन पर बिजली की खपत के अनुसार 15%, 12½%, 10% रिबेट देने की घोषणा की गई थी। अब तक इस सुविधा के अन्तर्गत उपलब्ध सूचना के अनुसार 7 उद्योग लाभान्वित हुए हैं।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 6-3-73)

भवन की अवाप्ति

294. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (हवा महल) एवं

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : क्या टाउन प्लानिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सिरोही महाराज कुमार के आबू रोड़ स्थित भवन को मार्केटिंग कोआपरेटिव सोसाइटी के हित में अवाप्त करने की कार्यवाही आरम्भ हुई थी ?

(2) क्या यह सही है कि डिप्टी टाउन प्लानर ने इस अवाप्ति की कार्यवाही का अनुमोदन कर राज्य सरकार से इस संबंध में स्वीकृति चाही थी ?

(3) क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री द्वारा उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए घोषित जिले

301. **श्री रामनारायण चौधरी** (मण्डावा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) औद्योगिक दृष्टि से राजस्थान में कौन कौन से जिले पिछड़े घोषित किए गए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे। इन पिछड़े घोषित जिलों को केन्द्रीय या राज्य सरकार से उद्योग लगाने के लिये क्या क्या सुविधाएं सुलभ की जावेंगी ?

(2) औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित करने के क्या क्या आधार हैं तथा जिन जिलों को भारत सरकार को पिछड़ा घोषित करने की सिफारिश नहीं की गई उन जिलों के नाम भी बतलाये जायें तथा किन कारणों से उनको इस सुविधा से वंचित रखा गया ?

उत्तर

(1) सूची (अ) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) पिछड़े जिलों को घोषित करने हेतु भारत सरकार द्वारा जो आधार निर्धारित किए गए हैं उनकी सूची (ब) सदन की मेज पर रख दी गई है। जिन जिलों को पिछड़ा घोषित करने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव नहीं भेजे गए, उनकी सूची (स) सदन की मेज पर रख दी गई है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित आधारों के अनुसार यह जिले पिछड़े नहीं थे अतएव इनकी सिफारिश करना संभव नहीं था।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

थाना दांतारामगढ़ द्वारा अनाज डीलर केस की जांच

302. **श्री केशरदेव** (लक्ष्मणगढ़) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि डांसरोली नौसाल, कांकरा की जनता द्वारा अनाज डीलर श्री शोभागमल, श्री मदनलाल, तहसीलदार दांतारामगढ़ व अन्य कई व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया ? अगर हां, तो जिलाधीश सीकर ने इन पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि श्री शोभागमल अनाज डीलर के खिलाफ वारंट निकाले गए थे ? अगर हां, तो वे थाना दांतारामगढ में कितने रोज और किस कारण से पड़े रहे ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह भी सही है कि थाना दांतारामगढ़ द्वारा अनाज डीलर के केस की जांच की गई थी ? अगर हां, तो जांच रिपोर्ट क्या थी और उस पर आज तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 18-1-73 को अनाज के व्यापारी श्री शोभागमल निवासी सुरेरा के विरुद्ध मुकदमा नं० 4।जेर दफा 420। 468।472 आई०पी०सी० पुलिस थाना दांतारामगढ़ में दर्ज किया जाकर तफतीश की गई। दौरान तफतीश मुलजिम शोभागमल को जमानत पर रिहा किया गया तथा उसकी दुकान का तमाम रिकार्ड भी जब्त किया गया। जिलाधीश सीकर ने भी उसका अनाज का लाईसेन्स रद्द कर दिया। तहसीलदार दांतारामगढ़ व अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध हुई शिकायत या मुकदमा इन गांव वालों की तरफ से नहीं करवाया गया।

(2) जी नहीं। मुलजिम शोभागमल के खिलाफ कोई वारन्ट नहीं निकलवाये गये अतः इन वारन्ट्स का कई रोज तक थाने में पड़े रहने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) जी हां। मुकदमे की तफतीश पूरी हो चुकी है और शीघ्र ही चालान पेश किया जावेगा। यह चालान ही मुकदमें की जांच रिपोर्ट होगी जो अभी तैयार नहीं है अतः इसे पेश करने में असमर्थता है।

डकैतियां, अपहरण, हत्यायें आदि के केसेज

303. **श्री मोहनलाल छंगाणी** (फलोदी): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सन् 1961 से लेकर 28 फरवरी 1973 तक के वर्षों में राज्य में अब तक कितनी डकैतियां, अपहरण, हत्याएं एवं आत्महत्याएं हुई हैं ? जिलेवार, वर्षवार सूचित करते हुए सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) कुल पड़े डाकों में अनुमानतः कितनी कितनी कीमत का सामान गया व उस सामान में से कितना पकड़ा गया ?

(3) पकड़े गये सामान में से कितना सामान वारिसों को किस वर्ष की डकैती का किस किस वर्ष में वापिस दिया गया ?

(4) इस दौरान कितने डाकू दलों का सफाया किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(स्थगित किया गया)

संजय क्रय विक्रय सहकारी समिति फतेहनगर के विरुद्ध विजिलेन्स कमीशन द्वारा गबन की जांच

304. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (हवा महल, जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि फूड कारपोरेशन आफ इण्डिया के लिए सन् 1971-72 में की गई गेहूं की खरीद में संजय क्रय विक्रय सहकारी समिति लि., फतेहनगर द्वारा किये गये 22,500 रुपये के गबन की जांच विजिलेन्स कमीशन कर रहा है ? यदि हां, तो कब से और उसकी क्या प्रगति है ?

(2) क्या अन्य कोई जांच उक्त सहकारी समिति के विरुद्ध भी प्रारम्भ है ? यदि हां, तो किस आरोप में और कब से ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी हां, संजय क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड फतेहनगर के विरुद्ध फूड कारपोरेशन आफ इण्डिया के एजेन्ट के रूप में गेहूं खरीदते समय 50 पैसे प्रति बोरी दलाली व अन्य किसी रूप में वसूल किए जाने का आरोप है, जिसकी जांच हेतु उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, खण्ड उदयपुर को नियुक्त किया जा चुका है ।

प्रकाश प्लास्टिक इन्डस्ट्रीज गंगापुर को उद्योग हेतु भूमि का आवंटन

305. **श्री हरिशचन्द्र पल्लीवाल** (गंगापुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाढ़ सालोदा पंचायत महु कलां के किस खसरे में से कितनी भूमि प्रकाश प्लास्टिक इन्डस्ट्रीज, गंगापुर को इन्डस्ट्रीज के लिए दी गई ?

(2) क्या उक्त भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की थी जो कानूनन खरीदी नहीं जा सकती है ?

(3) क्या जिलाधीश, सवाई माधोपुर द्वारा इस आवंटन में अनियमितता बरती गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करावेगी ?

(स्थगित किया गया)

क्रेस प्रोग्राम योजना के तहत जयपुर जिले में विकास एवं निर्माण कार्य

306. **श्री हनुमान सहाय** (बैराठ) : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 71-72 एवं 72-73 में क्रैश प्रोग्राम योजना के तहत विकास एवं निर्माण कार्य प्रारम्भ किये गये ? यदि हां, तो किस किस जिले में इन कार्यों पर किस किस वर्ष में कितना कितना व्यय किया गया ? जिलेवार आंकड़े प्रस्तुत किये जावें ।

(2) क्या यह भी सही है कि जयपुर जिले में क्रेश प्रोग्राम योजना के अन्तर्गत वर्ष 71-72 एवं 72-73 में कार्य प्रारम्भ किये गये ? यदि हां, तो किस किस तहसील में कौन कौन से कार्य किस किस तिथि से प्रारम्भ किये गए हैं और अब तक कितना कितना रुपया व्यय किया गया है तथा किस किस काम में मेटिरियल एवं मजदूरी पर कितनी कितनी धनराशि व्यय की गई ? उसका विवरण सदन की मेज पर रखा जावे ।

(श्री हनुमान सहाय)

(3) क्या यह सही है कि क्रैश प्रोग्राम के निमित्त गठित जिला स्तरीय कमेटी से स्वीकृति नहीं ली जाकर जिला प्रशासन द्वारा मनमाने तरीके से राज्य सरकार से स्वीकृतियां प्राप्त करके कार्य प्रारम्भ किये गये ? जिला-स्तरीय कमेटी के निर्णय एवं राज्य सरकार की स्वीकृति के आदेश की प्रति प्रस्तुत की जावे ।

(4) क्या यह सही है कि जयपुर जिला प्रशासन द्वारा भेदभाव पूर्ण नीति से यह कार्य प्रारम्भ किये गयें ?

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

अजमेर जिले में चोरियों व माल की बरामदगी

307. **श्रीमती भगवतीदेवी** (भिनाय): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अजमेर जिले में पिछले दो वर्षो में कितनी चोरी की रिपोर्ट पुलिस थानों में दर्ज कराई गई ?

(2) उनमें से कितने मामलों में चोरी का माल बरामद हुआ ?

(3) उनमें से कितने मुकदमें अदालत में पेश किये गये तथा कितने मुकदमों में मुलाजिमों को सजा दी गई ?

उत्तर

(1) अजमेर जिले में दो वर्षों में चोरी के कुल 1019 मुकदमें दर्ज करवाये गये ।

(2) इनमें से कुल 378 मामलों में चोरी का माल बरामद हुआ है ।

(3) इनमें से 378 मुकदमें अदालत में पेश किये जा चुके हैं जिनमें से 109 मुकदमों में सजा हो चुकी है ।

सोडियम सल्फेट प्लान्ट, डीडवाना

308. **श्री भोमाराम चौधरी** (डीडवाना) : क्या उद्योग (राजकीय उपक्रम) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार ने 1971-72 में एग्रीमेन्ट की क्यारियों से कितना नमक खरीदा व बेचा ?

(2) डीडवाना के सोडियम सल्फेट प्लांट की कितनी क्षमता है तथा उससे कितना उत्पादन होता है ?

(3) सोडियम सल्फाइड प्लान्ट में कितना उत्पादन I ग्रेड का तथा II ग्रेड का होता है तथा I व II ग्रेड का निर्धारण कैसे होता है ?

(4) रूवाड़ (क्रूडसल्फेट) 1971-72 में कितना खोदा गया तथा उसमें से कितना राजकीय फैक्ट्री में काम में लिया गया और कितना प्राइवेट फैक्ट्री को बेचा गया ?

(5) क्या यह सही है कि फैक्ट्री से रामसावास, लाडावास, खातियावास एवं मारवाड़ बालियां गावों को वाटर सप्लाई किया गया था ? यदि हां, तो 1972-73 में उसे बन्द क्यों कर दिया गया ? इसमें फैक्ट्री मैन सप्लाई लाइन से गावों तक लाइन का खर्चा क्या वाटर वर्क्स द्वारा किया गया है अथवा फैक्ट्री द्वारा ?

उत्तर

(1) नमक खरीदने का प्रश्न ही नहीं

(उद्योग मंत्री)

होता क्य कि एग्रीमेन्ट की क्यारियां राज्य सरकार की हैं एवं इनमें मजदूरी करने का एग्रीमेन्ट किया जाता है। वर्ष 1971-72 में इन क्यारियों में 1,56,208 क्विन्टल नमक का उत्पादन हुआ एवं 27,996 क्विटल नमक बिका।

(2) डीडवाना के सोडियम सल्फेट प्लान्ट की डिजाइन क्षमता 56.5 टन प्रति दिन है। इसमें 30 टन लगभग सल्फेट का प्रतिदिन उत्पादन होता है।

(3) सोडियम सल्फाइड प्लान्ट में 0.5 टन प्रतिदिन प्रथम श्रेणी एवं 125 से 140 किलोग्राम प्रति दिन द्वितीय श्रेणी के सल्फाइड का उत्पादन होता है। I व II ग्रेड का निर्धारण रासायनिक जांच के आधार पर किया जाता है।

(4) वर्ष 1971-72 में 4,404 टन क्रूड सल्फेट खोदा गया, इसमें से 776 टन राजकीय फैक्टरी के काम में लिया गया शेष अन्य उपभोक्ता प्राइवेट फैक्टरियों को बेचा गया।

(5) फैक्टरी से लाडाबास, रामसावास, खातियाबास एवं बालिया को अतिरिक्त पानी उपलब्ध रहने पर दिया जाता था। पिछले 1 वर्ष से पानी जलदाय विभाग, राजस्थान द्वारा दिया जा रहा है। जलदाय विभाग के द्वारा रामसाबास, लाडाबास, एवं खातियाबास में दिया जा रहा है या नहीं इसकी जानकारी इस विभाग को नहीं है। बालिया को जलदाय विभाग ने खुनखुना से आने वाले राइजिंग मैंन से पानी की सप्लाई शुरू कर रखी है। वाटर सप्लाई की लाइन पर खर्चा जलदाय विभाग के द्वारा किया गया है।

अनुसूचित जाति और जन जाति के पुलिस इन्सपेक्टर व सब इन्सपेक्टर

309. **श्री नन्दलाल जैरथ** (पाटन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान के प्रत्येक जिले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के पुलिस विभाग में इन्सपेक्टर एवं सब-इन्सपेक्टर कितने हैं और वे कहां—कहां कार्य कर रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति का 28 प्रतिशत का कोटा पूरा किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान में अनुसूचित जन जाति के 2 निरीक्षक तथा अनुसूचित जाति के 11 उप-निरीक्षक एवं अनुसूचित जन-जाति के 22 उप-निरीक्षक विभिन्न स्थानों पर कार्य कर रहे हैं। सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं। उप निरीक्षकों के लिए निर्धारित कोटा पूरा नहीं हो सका है क्योंकि सबोर्डिनेट सर्विसेज रूल्स के अन्तर्गत निर्धारित योग्यता के आधार पर ही इन जातियों में से नियुक्तियां की जा सकती हैं और इन जातियों में से योग्य व्यक्ति उपलब्ध नहीं होने के कारण यह कोटा अभी तक पूरा नहीं हुआ है।

पुलिस निरीक्षकों की सीधी भर्ती का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। अतः इस पद के लिए कोटा का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)।

Page No.38

जयपुर जिले के स्थापित उद्योगों को दिया गया अनुदान व ऋण

310. **श्री केदार नाथ** (गंगानगर) : एवं **श्री निरंजननाथ आचार्य** (मावली) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर जिले में मार्च, 1965 के बाद कुल कितने उद्योग स्थापित हुए ? नाम, पता व मालिकों के नामों की सूची मय पतों के सदन के पटल पर रखें ?

(2) उक्त तिथि के बाद राज्य सरकार ने किन-किन उद्योगों को कितनी-कितनी राशि अनुदान अथवा ऋण के रूप में दी है ?

(3) कितने उद्योग जिले में स्थापित हुए उनमें से कितने चालू हैं और कितने बन्द हो गये ? उद्योगों के बन्द होने के क्या कारण रहे ? विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

कोटपूतली में सीमेन्ट उद्योग की स्थापना

311. **श्री सुरेशचन्द्र** (कोटपुतली) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कोटपुतली में सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिये राज्य सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह सही है कि सीमेंट फैक्ट्री के लिये लाइसेन्स दे दिया गया है ? यदि हां, तो कार्य कब तक शुरू किया जायेगा ?

उत्तर

(1) कोटपुतली में सीमेंट उद्योग के स्थापना के लिये राज्य खान एवं भू विज्ञान विभाग द्वारा उपयुक्त चूने के पत्थर के लिये 1957-58 तथा 1967 में सर्वेक्षण कार्य किया गया।

(2) जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जयपुर और जोधपुर नगरों में गंदे व बरसाती पानी के नालों के निर्माण व मरम्मत पर व्यय की गई राशि

312. **श्री अमृत लाल गहलोत** (सरदारपुरा) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के स्थापना से अब तक इस विभाग ने कितनी धनराशि जयपुर एवं जोधपुर नगरों पर गन्दे और बरसाती पानी के नल व नालों के निर्माण एवं पुराने नल व नालों की मरम्मत पर अलग अलग व्यय की ? प्रत्येक वित्तीय वर्ष की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

जयपुर एवं जोधपुर नगरों पर गन्दे और बरसाती पानी के नल व नालों के निर्माण एवं पुराने नल व नालों की मरम्मत पर किये गये व्यय की सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

अप्रशिक्षित स्नातकों को प्रशिक्षित स्नातकों के समकक्ष पदोन्नति

313. **श्री भरतलाल** (बांसवाड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राज्य से मान्यता प्राप्त

(श्री भरतलाल)
सैकेण्डरी एवं हायर सैकेण्डरी विद्यालयों के संचालकों को ये अधिकार हैं कि वे ऐसे स्नातकों को जो कि एल. टी., बी. टी. अथवा बी. एड. नहीं हैं, हाई स्कूल कक्षाएं पढाने के लिये नियुक्त कर लें या पदोन्नति दें और इन्हें प्रशिक्षित स्नातकों का वेतन दें ?

(2) यदि नहीं, तो रेल्वे सैकेण्डरी एवं हायर सैकेण्डरी विद्यालय जो कि राजस्थान शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त हैं और राज्य सरकार से अनुदान लेते हैं, में किस आधार पर अप्रशिक्षित स्नातकों को प्रशिक्षित स्नातकों के समकक्ष पदोन्नति दी जाती है ?

(3) यदि शिक्षा विभाग ने इस प्रकार की छूट दी तो राजस्थान में स्थित रेल्वे सैकेण्डरी स्कूल, आबू रोड, बांदी कुई एवं गंगापुर सिटी में ऐसी अनियमितता क्यों हो रही है। क्या इस संबंध में अविलम्ब कार्यवाही की जावेगी ?

उत्तर

(1) विभाग द्वारा ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया हुआ है।

(2) प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों के वेतन पर ही अनुदान दिया जाता है या एक सत्र या उससे कम अवधि के लिये नियुक्त अप्रशिक्षित अध्यापकों पर दिया जाता है।

(3) इस विषय में विद्यालयों निरीक्षकों को जांच करवाये जाने हेतु लिखा जा रहा है।

बिरदवाल से सत्तासर तक पशुपालकों की कालोनीज बसाने की योजना

314. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि बिरदवाल से सत्तासर तक राजस्थान नहर के बायें किनारे पर पशुपालकों की कोलोनीज बसाई जा सकती है, जहां पर पशुपालकों को नहर का पानी चारागाह स्थापित करने के लिये दिया जा सकता है ? अगर हां, तो क्या इस संबंध में योजना बनाई गई है ? योजना का प्रारूप सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

राजस्थान की पांचवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप अभी तैयार किया जा रहा है और इस प्रकार की योजना बनाने पर विचार हो रहा है।

कोटा डिवीजन के कालेजों में लिपिकों के स्थानान्तरण

315. श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) कोटा डिवीजन के कालेजों में 1970-71 व 1972 में कितने एल. डी. सी. एवं यू. डी. सी. का स्थानान्तरण किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या शिक्षा विभाग में 2 या 3 वर्ष में किसी का स्थानान्तरण नहीं किये जाने का प्रावधान है ? यदि हां, तो अब तक कितने स्थानान्तरण इस डिवीजन में किये गये ?

उत्तर

(1) कोटा डिवीजन से जिन-जिन एल. डी. सी. एवं यू. डी. सी. के स्थानान्तरण किये गये उनकी सूचना वर्ष वार

(शिक्षा मंत्री)

निम्न प्रकार से प्रेषित हैं:-

1970

कहां से:-	कहां:—
(1) श्री के. पी. लड्डा, यू. डी. सी., राजकीय महाविद्यालय, कोटा ।	राजकीय महाविद्यालय, बूंदी ।
(2) आर. एस. दलेला, यू. डी. सी. राजकीय कन्या महाविद्यालय, कोटा ।	राजकीय महाविद्यालय, बारां ।
(3) श्री एन. के. सिंह, यू. डी. सी. राजकीय माहाविद्यालय, बारां ।	राजकीय कन्या महाविद्यालय, कोटा ।

1971

(1) श्री आर. एस. दलेला, यू. डी. सी. राजकीय महाविद्यालय, बारां ।	राजकीय महाविद्यालय, कोटा ।
(2) श्री रामचन्द्र, एल. डी. सी., राजकीय महाविद्यालय, कोटा ।	निदेशालय, कॉलेज-शिक्षा, जयपुर ।
(3) श्री बाबूलाल गुप्ता, एल. डी. सी., राजकीय महाविद्यालय, बारां ।	राजकीय कन्या महाविद्यालय, कोटा ।
(4) श्री गोपीलाल गुप्ता, एल. डी. सी., राजकीय महाविद्यालय, बूंदी ।	यू. डी. सी., राजकीय महाविद्यालय, बारां
(5) श्री मनोहरलाल जैन, एल. डी. सी., राजकीय महाविद्यालय, कोटा ।	यू. डी. सी., राजकीय महाविद्यालय, डूंगरपुर ।
(6) श्री कल्याणसिंह, एल. डी. सी., राजकीय महाविद्यालय, कोटा ।	यू. डी. सी., राजकीय महाविद्यालय, बूंदी ।
(7) श्री हुकमचन्द गटानी, एल. डी. सी., राजकीय महाविद्यालय, झालावाड़ ।	यू. डी. सी., राजकीय महाविद्यालय, बारां ।

1972

(1) श्री हुकमचन्द गटानी, यू. डी. सी., राजकीय महाविद्यालय, बारां ।	राजकीय महाविद्यालय, टोंक ।
(2) बाबूलाल गुप्ता, एल. डी. सी., राजकीय कन्या महाविद्यालय, कोटा ।	यू. डी. सी. राजकीय महाविद्यालय, बारां ।

(2) इस विभाग में 2 या 3 वर्षों में किसी का स्थानान्तरण नहीं किये जाने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। कोटा डिवीजन में केवल प्रश्न एक के उत्तर में दर्शाये गये ही एल. डी. सी. व यू. डी. सी. के स्थानान्तरण किये गये हैं ।

Page No.41

अनुसूचित जाति और जनजाति के अध्यापकों की भर्ती व पदोन्नति

316. **श्री उम्मेदीलाल** (हिण्डौन) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) अनुसूचित जाति व जन-जाति के कितने अध्यापकों को सन् 1971 से अब तक सीधे द्वितीय वेतन श्रृंखला में भर्ती किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अनुसूचित जाति व जनजाति के कितने अध्यापकों को सन् 1971 से अब तक सीधे तृतीय वेतन श्रृंखला में भर्ती किया गया और कितने अध्यापकों को पदोन्नत किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या शिक्षा विभाग में अध्यापकों की भर्ती के समय सुरक्षित स्थानों का कोटा पूरा कर दिया है ? यदि हां, तो सूची प्रस्तुत करें और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(स्थगित किया गया)

जे० टी० स्कूल गोनेर के अध्यापक के पेन्शन का मामला

317. **श्री मोहम्मद गफ्फार अली** (जौहरीबाजार, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री गंगाधर शर्मा, जे. टी. स्कूल, गोनेर से 1952 में रिटायर हुये थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि सन् 1961 में उनको विना फिक्सेशन के प्रश्न को हल किये प्रोवीजनल पेंशन रुपये 16.65 पैसे के हिसाब से स्वीकार की गई ?

(3) क्या यह भी सही है कि उस के पश्चात् अब तक उनके कागजात विचाराधीन हैं और उनकी मुस्तकिल पेंशन का सवाल अभी तक हल नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

(4) क्या नियमानुसार श्री गंगाधर को ज्यादा राशि पेंशन के रूप में प्राप्त होनी चाहिये ?

उत्तर

(1) यह सही है।

(2) यह सही है।

(3) यह सही है किन्तु अब श्री गंगाधर शर्मा भूतपूर्व कनिष्ठ लिपिक का पेंशन प्रकरण महालेखाकार को विद्यालय निरीक्षक, जयपुर के द्वारा अपने पत्र क्रमांक पेंशन/प्रथम/लेखा 2/पेंशन/62, दिनांक 27-2-63 को भेजा जा चुका है। श्री शर्मा की पंजिका उपलब्ध नहीं हुई थी।

(4) जी हां। ज्यादा पेंशन रु. 62.00 दिये जाने का मामला व्यक्तिगत स्तर पर निपटाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

जिला झालावाड़ में बोरिंग मशीन की आवश्यकता

318. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या भू-जलमंडल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला झालावाड़ में अभी तक ब्लास्टिंग एवं बोरिंग करने की कितनी मशीनें उपलब्ध हैं और उनसे कहां कहां कार्य हो रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि झालरापाटन व खानपुर पंचायत समिति में लघु सिंचाई योजना का कार्य चालू हो गया है जहां कुओं

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

को गहरा करवाने एवं ट्यूबवैल (कुएं) खोदने के लिए बोरिंग मशीन की अत्यन्त आवश्यकता है जिसकी काफी मांग की जा रही है परन्तु मशीन नहीं पहुंच रही है। यदि हां, तो क्यों और अब वहां मशीन कब तक पहुंच जावेगी ?

उत्तर

(1) जिला झालावाड़ में इस समय 8 ब्लास्टिंग मशीनें उपलब्ध हैं। बोरिंग की एक भी मशीन उपलब्ध नहीं है। ब्लास्टिंग यूनिट जिले में जहां जहां भी कार्य उपलब्ध होता है वहां कार्य के लिये जाती रहती है।

(2) जी हां, कुओं को गहरा करवाने के लिये जहां ब्लास्टिंग मशीनों की आवश्यकता है – वहां मशीने उपलब्ध कराई जा रही हैं। बोरिंग मशीनें जब उपलब्ध हो जाएंगी तब भेजने की व्यवस्था करदी जावेगी।

जिला झालावाड़ में हरिजनों व पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के गृह निर्माण हेतु जमीन

319. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जिला झालावाड़ में हरिजनों एवं पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को जनवरी, 1972 से आज तक गृह निर्माण के लिये मुफ्त भूमि व गृह निर्माण हेतु अनुदान व कर्ज कहां कहां किसको कितना कितना रुपया कब कब दिया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

हरिजनों एवं पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को गृह निर्माण के लिये मुफ्त भूमि देने का सम्बन्ध इस विभाग से नहीं है। जिला झालावाड़ में जनवरी, 1972 में निम्न 5 मेहतर परिवारों को गृह निर्माण हेतु प्रति परिवार 1000 रुपये की दर से 5000 रुपये का अनुदान स्वीकृत किया है —

क्र० सं०	नाम
1.	श्री रामस्वरूप पुत्र मोहनलाल मेहतर, झालावाड़
2.	श्री गंगूराम पुत्र नुन्नराम मेहतर झालावाड़
3.	श्री कालुराम पुत्र मन्नाराम मेहतर, झालावाड़
4.	श्री पांचूलाल पुत्र भंवरलाल मेहतर, झालावाड़
5.	श्रीमती कंचनबाई पुत्री श्री रामलाल मेहतर, झालावाड़

वर्ष 1971-72 में गृह निर्माण हेतु ऋण देने की कोई योजना नहीं थी। वर्ष 1972-73 में गृह निर्माण हेतु अनुसूचित जाति व जन जाति की सहकारी समितियों को दी राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव हाउसिंग फाइनेन्स सोसाइटी लि० जयपुर द्वारा ऋण स्वीकृत किया जाता है। इस वर्ष झालावाड़ की 6 अनुसूचित जाति व जन जाति की निम्न सहकारी समितियों को उक्त संस्था द्वारा ऋण स्वीकृत किया गया है :—

क्र.सं.	नाम समिति	मकान की संख्या	ऋण राशि
1	2	3	4
1.	श्री कालखेरा भवन नि० सह० स० लि० कालूखेरा	21	84,000

Page No.43

(समाज कल्याण मंत्री)

1	2	3	4
	चचारनी गृह नि० सह० स० लि०, चचारनी	22	88,000
3.	डग गृह० नि० सह० स० लि०, डग	35	1,40,000
4.	चौमहला गृह० नि०सह० स०लि०, चौमहला	56	2,24,000
5.	गंगधार भवन गृह० नि०सह०स०लि०, गंगधार	27	1,08,000
6.	गुवालाद गृह० नि० सह०स०लि०, गुवालाद	17	68,000
	योग ..	178	7,12,000

अलवर जिले में हरिजन बस्तियों में नल व बिजली

320. **श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** (बानसूर): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

अलवर जिले में हरिजन बस्तियों में नल व बिजली लगाने के लिए पिछले तीन साल में कितना रुपया दिया गया और इस धन से किस किस बस्ती में किस किस गांव में नल व बिजली लगाये गये ? कृपया सदन की मेज पर प्रत्येक तहसील की सूची रखने का कष्ट करें ।

उत्तर

अलवर जिले की हरिजन बस्तियों में नल व बिजली लगाने के लिए पिछले तीन सालों में विभाग द्वारा क्रमशः रु० 1,22,270 व रु० 72,656 की राशि स्वीकृत की गई है । इस धनराशि से जिस जिस गांव में नल व बिजली लगाने की स्वीकृति दी गई है उसकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

जिला समाज कल्याण अधिकारियों के विरुद्ध गबन, भ्रष्टाचार आदि की शिकायतें

321. **श्रीमती ऊषा प्रकाश** (बैर): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) किन किन जिला समाज कल्याण अधिकारियों के विरुद्ध गबन, भ्रष्टाचार आदि शिकायतों के सम्बन्ध में विभागीय अथवा भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा कौन कौन सी तिथि को जांच प्रारम्भ की गई ? लिप्त अधिकारी, जांचकर्त्ता विभाग एवं जांच प्रारम्भ करने की तिथि दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) किन किन मामलों में जांच पूरी हो चुकी है और उसके क्या परिणाम रहे तथा जांच के परिणामस्वरूप किस किस दोषी अधिकारी को क्या क्या दण्ड दिये गये ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(2) सूची में अंकित 6 अधिकारियों में से श्री कालूदास सुखपाल के मामले में जांच पूरी हो चुकी है । जांच के परिणाम स्वरूप यह पाया गया कि श्री सुखपाल ने अपने कर्त्तव्यों की घोर अवहेलना की है जिसके कारण रु० 216 के बिल अधिक

Page No.44

(समाज कल्याण मंत्री)

पास कर भुगतान करा कर राजकोष को हानि पहुंचाई है तथा स्टोर की कुछ वस्तुओं की असामयिक एव अनावश्यक मरम्मत करा कर राजकोष को रु० 530.50 की हानि पहुंचाई है। फलस्वरूप इनकी संचयी प्रभाव से एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गई है। शेष मामलों में जांच जारी है।

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

बाड़मेर जिले में अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों को मकान बनाने हेतु अनुदान

322. **श्री अब्दुल हादी** (चौहटन) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को मकान बनाने हेतु अनुदान दिया जाता है ? यदि हां, तो बाड़मेर जिले में सन् 1971–72 में कितना अनुदान किन किन व्यक्तियों को दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

जी नहीं। वर्ष 1972–73 से अस्वच्छ कार्यों में लगे हुए मेहतर परिवारों के अलावा अन्य अनुसूचित जाति व जनजाति के परिवारों को गृह निर्माण हेतु इस विभाग द्वारा कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाता है। वर्ष 1971–72 में बाड़मेर कस्बे में अनुसूचित जाति के निम्न पांच व्यक्तियों को गृह निर्माण हेतु प्रति परिवार 1000 रुपये की दर से 5,000 रुपये स्वीकृत किये गये थे:–

क्र. सं०	नाम अनुदायी मय वल्दियत	जाति
1.	श्री भीलाराम पुत्र भेराराम	मेघवाल
2.	श्री जुकता पुत्र नेनाराम	,,
3.	श्री नीम्बाराम पुत्र कुशलाराम	,,
4.	श्री जीयाराम पुत्र अर्जुनदास	मोची
5.	श्री दुर्गा राम पुत्र विरधाराम	मेहतर

इसके अलावा सन् 1971–72 में ग्राम समदड़ी जिला बाड़मेर के तीन अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए गृह-निर्माण हेतु पंचायत समिति सिवाना को 3,000 रुपये की धनराशि आवंटित की गई थी।

महिला कल्याणार्थ व्यय की गई धनराशि

323. **श्रीमती भगवती देवी** (भिनाय) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) महिला कल्याणार्थ पिछले पांच वर्षों में कितनी राशि रखी गई ? वर्षवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखा जावे।

(2) उक्त राशि में से कितनी राशि व्यय की गई तथा उसमें से ग्रामीण महिलाओं के लिये कितनी राशि खर्च की गई।

उत्तर

(1) समाज कल्याण विभाग द्वारा महिलाओं, पुरुषों तथा बालकों के कल्याणार्थ चलाई

Page No.45

(समाज कल्याण मंत्री)

जा रही योजनाओं पर खर्च की राशि का अलग अलग हिसाब नहीं रखा जाता है। विभाग द्वारा व अनुदानित स्वंय सेवी संस्थाओं द्वारा महिला कल्याणार्थ निम्न कार्य क्रम चलाये जा रहे हैं :—

1. राजकीय महिला सदन, जयपुर।

2. राजकीय उत्तर रक्षा गृह (महिला), अजमेर।

3. मानसिक पीड़ित महिला रक्षा गृह, जयपुर।

4. राजकीय जिला आश्रय गृह (महिला), कोटा व जोधपुर।

5. वालिका गृह, जयपुर।

6. नौ (9) राजकीय कन्या छात्रावास तथा आठ (8) अनुदानित कन्या छात्रावास।

7. कक्षा 5 से ऊंची कक्षाओं में अध्ययन करने वाली छात्राओं के लिए पूर्व मेट्रिक व उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति।

8. पौषाहार केन्द्रों पर गर्भवती एवं दूध पिलाती माताओं को पौषाहार।

9. निराश्रित वूढ़ी एवं अपाहिज महिलाओं को वृद्धावस्था एवं अपाहिज पेन्शन।

10. अध्यन करने वाली लूली, लंगड़ी व अन्धी छात्राओं को विशेष छात्रवृत्ति।

11. महारानी गायत्री देवी पब्लिक स्कूल, जयपुर एवं वनस्थली विद्यापीठ, निवाई में अध्ययन करने वाली छात्राओं को विशेष छात्रवृत्ति।

12. राजस्थान राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं में समाज शिक्षा, उद्योग, प्रौढ़शिक्षा, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं महिला शिविर प्रवृत्तियां महिलाओं के लिए संचालित की जाती हैं। इन प्रवृत्तियों से लगभग 2,500 महिलाएं प्रति दिन लाभ उठाती है।

नोट:—क्रम संख्या 6, 7 तथा 11 की सुविधायें केवल अनुसूचित जाति, जनजाति, विमुक्त जाति एवं घुमक्कड़ जाति की महिलाओं के लिए हैं।

(2) प्रश्न नहीं उठता है।

रोस्टर रजिस्टर

324. श्री सुरेश चन्द्र (कोटपुतली): क्या समाज कल्याण मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के निर्धारित प्रतिशत से आरक्षित पदों की पूर्ति के लिये रोस्टर रजिस्टर तैयार किया गया है? यदि हां, तो कव से ?

(2) क्या यह सही है कि रोस्टर रजिस्टर में निर्धारित प्रणाली के अनुसार नियुक्तियां करने का इन्द्राज भी किया गया है? यदि हां, तो सूची निम्नांकित तालिका में

(श्री सुरेश चन्द्र)

सदन के पटल पर रखें :—

रोस्टर लागू करने की तिथि	रोस्टर लागू करने के पश्चात् सीधी भर्ती द्वारा की गई नियुक्तियों की संख्या वर्गवार	अनु० जाति/अनु० जनजाति के लोगों द्वारा भरे गये स्थानों की संख्या वर्गवार

(3) क्या यह सही है कि इससे पूर्व भी समाज कल्याण विभाग में समय समय पर निर्धारित प्रतिशत से आरक्षित पदों की पूर्तियां नहीं की गई हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 1-4-71 से।

(2) जी हां। समाज कल्याण में की गई नियुक्तियों का विवरण सूची में दर्शाया गया है जो सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) इससे पूर्व समाज कल्याण विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों व मंत्रालयिक सेवाओं में निर्धारित प्रतिशत से आरक्षित पदों की पूर्तियां हो गई थीं। लेकिन आवश्यक योग्यता के व्यक्ति नहीं मिलने के कारण प्रथम व द्वितीय सेवाओं में पूर्ति नहीं हो सकी थी।

(कृपया परिशिष्ट 12 देखिये)

टूल्स एवं प्लान्ट्स की खरीद

325. **श्री निरंजन नाथ आचार्य** (मावली) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सन् 1966–67, 1967–68, 1968-69 एवं 1969-70 में कितने मूल्य के टूल्स एवं प्लान्ट्स (फावड़ा, गेंती, परातें आदि) खरीदे गये थे ?

(2) इन टूल्स एवं प्लान्ट्स का कब-कब वास्तविक सत्यापन किया गया और उसके क्या परिणाम निकले ?

(स्थगित किया गया)

आनन्दपुरी स्कीम, जयपुर

326. **श्री अमृत लाल गहलोत** (सरदारपुरा) : क्या नगर नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि आनन्दपुरी स्कीम,-जयपुर में पहिले से बसी कच्ची बस्ती को सुव्यवस्थित ढंग से बसाई गई योजना का एक अंग है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त स्कीम में वहां के स्थानीय निवासियों को भूखण्ड आवंटन करने और अन्य विकास के कार्य सन् 1958 से चालू हैं और अब तक न तो पूर्ण रूप से इस स्कीम के पुराने निवासियों को भू-खण्ड ही आवंटन हुए हैं और विकास के कार्य भी अधूरे पड़े हैं ?

(3) क्या यह सही है कि सन् 1961 या इससे पूर्व की गई सर्वे रिपोर्ट के अनुसार सभी निवासियों को भू-खण्ड आवंटन कर उन्हें भू-खण्ड का कब्जा भी दिया जा चुका है ? अगर नहीं तो कब तक कब्जा दिया जा सकेगा ? जिन निवासियों को आवंटन के पश्चात् भी अभी तक भू-खण्ड का कब्जा नहीं दिया गया है उन लोगों की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करें ?

(4) क्या यह सही है कि इस स्कीम में उन लोगों को भी भू-खण्ड आवंटन हुये हैं जो यहां के स्थानीय निवासी नहीं थे ? यदि हां, तो किन किन को आवंटित हुये हैं ?

(श्री अमृतलाल गहलोत)

(5) क्या यह सही है कि दीगर लोगों को भू-खण्ड आवंटन करने के कारण भू-खण्डों की कमी पड़ने के कारण उन स्थानीय लोगों के आवंटित शुदा भू-खण्डों के क्षेत्रफल में रद्दोवदल किया जा रहा है जब कि उनके नजराने की धन राशि भी जमा की जा चुकी है और साइट प्लान भी दिये जा चुके हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं । इस योजना की अधिकांश सड़कें निकाली जा चुकी हैं । पानी की लाईन व विजली भी अधिकांश क्षेत्र में पहुंचाई जा चुकी है – इस प्रकार वर्तमान में इस योजना का विकास कार्य पूर्ण प्रगति पर है ।

(3) जी हां । जिन व्यक्तियों को आवंटन पश्चात् कब्जा नहीं दिया जा सका है उनकी सूची संलग्न है ।

(4) जी नहीं ।

(5) जी नहीं । आवंटित भू-खण्डों के क्षेत्रफल में रद्द बदल नहीं की गई है ।

(कृपया परिशिष्ट 13 देखिये)

चूरू जिले की अधूरी बनी सड़कें

327. **श्री लूणाराम** (डूंगरगढ़): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) चूरू जिले में पिछले अकालों में कुल कितनी सड़कें स्वीकृत कर कार्य करवाया गया ? नाम सड़क व लम्बाई मीलों में दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) उक्त सड़कों में से कितनी सड़कों का कार्य पूर्ण मान लिया गया था ? सड़क के नाम व कुल लम्बाई मीलों में दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(3) उक्त सड़कों में से कितनी सड़कें अधूरी रह गई थीं ? नाम व लम्बाई मीलों में दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(4) उक्त अधूरी सड़कों में से कितनी सड़कें इस वर्ष अकाल से प्रभावित क्षेत्रों में हैं ? नाम सड़क व लम्बाई मीलों में दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें । क्या उक्त सड़कों को इस वर्ष पूरा कराया जावेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) सूची 'अ' और 'ब' संलग्न है ।

(2) चूरू जिले में सड़क निर्माण के लिए अधिकतर हिस्सों में धांधला पत्थर के अलावा और कोई चीज उपलब्ध नहीं है राहत कार्यक्रम में श्रम प्रधान कार्य हाथ में लिये जाते हैं । इस दृष्टि से धांधला पत्थर की सड़कों का निर्माण कार्य ही कराया जाता रहा है । इन्हें पक्का कराने का काम हाथ में नहीं लिया जा सकता । धांधला से बनी सड़कें 1-2 साल से अधिक नहीं चलतीं । जब तक कि उन पर पत्थर डालकर डामर न करा दी जावे सूची में दिखाई गई सड़कें पहले राहत व्यवस्था के तहत ली जाकर उन पर धांधला पत्थर डलवाया गया था । बाद

Page No.48

(अकाल सहायता मंत्री)

में डी.पी.ए. पी. के तहत इन्हें लिया जाकर डामर का कार्य कराया जा रहा है। इनके अलावा बाकी सड़कों पर जो कार्य हुआ है उसका विवरण सूची 'अ' में अंकित है।

(3) सड़कों का विवरण सूचियों में अंकित कर दिया गया है।

(4) इस वर्ष चूरू जिले में 907 में से 734 ग्राम अभाव ग्रस्त हैं। इस प्रकार पूर्व स्वीकृत सड़कें अभावग्रस्त क्षेत्र में ही हैं। इनमें से वित्तीय साधनों के अनुसार जितनी सड़कें पूरी हो सकेंगी उन्हें पूरा कराया जावेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

भरतपुर जिले की बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को दी गई सहायता

328. **श्री नत्थासिंह** (नदबई) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले की बयाना, नदबई, रूपवास, वैर, भरतपुर तहसीलों में अगस्त, 1972 में भयंकर बाढ़ आई थी? यदि हां, तो गंभीर, बाण गंगा नदियों का पानी कितना फुट ऊंचा, कहां-कहां पर आया और इस बाढ़ से कितनी जन, धन एवं कच्चे व पक्के मकानों को क्षति, किन–किन ग्रामों व कस्बों में हुई तथा कितनी–कितनी कृषि भूमि किस किस ग्राम में बर्बाद हुई?

(2) क्या उक्त बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिये भारत सरकार एवं राज्य सरकार ने सहायता के लिए कोई रकम स्वीकार की है? यदि हां, तो कितनी?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि भरतपुर जिले की बयाना, नदवई, रुपवास, वैर, तथा भरतपुर तहसीलों में अगस्त, 1972 में भयंकर बाढ़ आई थी। गम्भीरी, बाणगंगा नदियों का पानी निम्नांकित ऊंचाई तक पहुंच गया था :—

बयाना रेलवे क्रोसिंग–12 फीट, सामान्य जल स्तर 10 फीट।

बांध वरेठा– ओवर फ्लो, सामान्य जल स्तर 24-25 फीट।

अजान बांध– ओवर फ्लो, सामान्य जल स्तर 11-00 फीट।

इन बांधों के ओवर फ्लो होकर टूटने के फलस्वरूप उक्त तहसील क्षेत्रों के 58 बांध ओवर फ्लो होकर टूट गये व क्षतिग्रस्त हो गये।

इस बाढ़ से जन, धन एवं कच्चे व पक्के मकानों को क्षति जिन ग्रामों व कस्बों में हुई तथा कृषि भूमि जो बर्बाद हुई उनकी सूची संलग्न है।

(2) उक्त बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिए भारत सरकार व राज्य सरकार ने सहायतार्थ निम्नांकित राशियां स्वीकार की हैं :—

	राशि
(क) फ्री राशन, रेवेन्यू, शैल्टर, चारा, आदि के लिए	3,55,000
(ख) अनुदान मकानात के लिए	25,55,000

(अकालराहत मंत्री)

(ग) पेयजल कूपों की तल सफाई, गहराई, मरम्मत आदि के लिए	45,000
(घ) तकावी बीज क्रय करने हेतु	32,50,000
(ङ) तकावी सिंचाई, कूप गहराई, तल सफाई एवं मरम्मत आदि के लिए	10,00,000
(च) प्रधान मंत्री बाढ़ सहायता कोष से	85,000

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नगर सुधार न्यासों में नॉन ऑफिशियल चेयर मैन

329. श्री हरिशचन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जनवरी, सन् 1972 में किस-किस नगर सुधार न्यासों में नॉन-ऑफिसियल चेयरमैन थे और उन्होंने कब और किस को अपना-अपना चार्ज दिया था? प्रत्येक द्वारा कितना कितना रुपया चार्ज में दिया था? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 14 देखिये)।

बीकानेर जिले में अनाज डीलर्स की नियुक्ति

330. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बीकानेर जिले की किन किन पंचायतों में अभी तक अनाज एवं चीनी के डीलर्स नियुक्त नहीं किये जा सके ?

(2) चीनी की विक्री पर कन्ट्रोल कब लगाया गया है ?

(3) चीनी के वितरण पर कन्ट्रोल लगाने व सम्बन्धित पंचायतों में डीलर्स नियुक्त न होने तक सम्बन्धित पंचायतों के चीनी के कोटा का किसने उपयोग किया ?

(4) सम्बन्धित पंचायतों में अनाज के डीलर्स की नियुक्ति न होने तक वहां की जनता को सस्ता अनाज देने के सम्बन्ध में क्या व्यवस्था की गई ?

उत्तर

(1) खाद्यान्न एवं चीनी के डीलरों की नियुक्ति सभी स्थानों के लिये की जा चुकी है केवल पंचायत खारबारा (तहसील) लूणकरणसर में अभी तक संरपंच, क्षेत्रीय प्रधान, एम. एल. ए. आदि जन प्रतिनिधियों द्वारा इस स्थान के लिये डीलर नियुक्त करने हेतु प्रस्ताव नहीं किया है।

तहसीलदार एवं विकास अधिकारी द्वारा प्रयत्न करने के उपरान्त भी कोई इस क्षेत्र के लिये डीलर बनने हेतु राजी नहीं है।

(2) चीनी की विक्री पर नियन्त्रण जनवरी, 72 से लगाया गया है।

(3) जिन 2 पंचायतों में पूर्व में चीनी के डीलर नियुक्त नहीं हुए थे और उन पंचायतों को चीनी का वितरण नजदीक की पंचायत के डीलर द्वारा नहीं हुआ था उन पंचायतों

(श्री खाद्य मंत्री)

की चीनी आगामी माह के आवंटन में शामिल कर तहसील क्षेत्र में वितरण किया गया।

(4) केवल पंचायत खारवारा तहसील लूणकरणसर के लिये कोई अनाज का डीलर नियुक्त नहीं हुआ है। इस स्थान के जो लोग राजस्थान नहर पर कार्य कर रहे हैं उनके परिवारों को विश्वखाद्य परियोजना के अन्तर्गत खुली हुई सस्ते गल्ले की दुकानों से खाद्यान्न मिलता है। इन दुकानों पर खाद्य विभाग की सस्ते गल्ले की दुकानों की अपेक्षा सस्ती दर पर खाद्यान्न मिलता है। इस क्षेत्र में पर्याप्त प्रयास के बाद भी खाद्यान्न की दूकान के लिये कोई डीलर नियुक्त नहीं किये जाने के कारण जो परिवार राजस्थान नहर परियोजना के अन्तर्गत कार्य नहीं कर रहे हैं उन्हें अनाज के वितरण से वंचित रहना पड़ रहा है तब भी स्थानीय जन प्रतिनिधियों के सहयोग से इस स्थान के लिये खाद्यान्न का डीलर नियुक्त कराने के प्रयास जारी हैं।

खुदरा व्यापारियों की बेकारी के सम्बन्ध में उठाये जाने वाले कदम

331. **श्री विजयसिंह** (मांडल) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या खाद्यान्न के खुदरा व्यापारियों से उनका व्यापार छुड़वाकर सहकारी समितियों को दिया जाने को है? यदि हां, तो खुदरा व्यापारियों की बेकारी के सम्बन्ध में राज्य सरकार क्या कदम उठायेगी?

उत्तर

जी नहीं। खुदरा व्यापारियों का व्यापार छुड़वाकर सहकारी समितियों को दिये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार के स्तर पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। एकांकी व्यापारियों द्वारा की जाने वाली अनियमिततायें व भ्रष्टाचार को रोकने हेतु सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जाती है। इस प्रकार की सहकारी समितियां खुदरा व्यापारी भी बना सकते हैं।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 21–2–73 व 7–3–73)

अकाल राहत कार्यों हेतु सामान की खरीद

25. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (सूरतगढ़) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में अकाल राहत कार्यों के लिये 1966-67, 1967-68, 1968-69, 1969-70, 1970-71, 1971-72, व 1972-73 में क्या-क्या समान कितनी कितनी राशि का, किस-किस वर्ष में कब-कब खरीदा गया?

(2) उक्त सामान का उपरोक्त वर्षों में स्टोर वेरीफिकेशन कब-कब किया गया तथा किस-किस स्टोर में कितने-कितने मूल्य के सामान की कमी पाई गई तथा इसके लिये किस किस को जिम्मेदार ठहराया गया तथा गबन के कितने केस बने और दोषियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 8–3–73)

भवन निर्माण योजना के अन्तर्गत ऋण का आवंटन

178. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) :

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

क्या गृह निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार द्वारा गत दस वर्षों में राज्य के विभिन्न जिलों में भवन निर्माण के लिए कितना ऋण अल्प आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग भवन निर्माण योजना के अन्तर्गत आवंटित किया है ?

(2) सबसे अधिक राशि और सबसे कम राशि किस जिले में भवन निर्माण के लिये आवंटित की गई है ?

(3) आवंटन करने में राज्य सरकार कौन से आधारभूत सिद्धान्तों का परिपालन करती है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा विभिन्न जिलों को गत दस वर्षों में अर्थात् 1962-63 से 1971-72 तक अल्प आय वर्ग में 2,89,-32,264/– तथा मध्यम आय वर्ग में, 2,64,03,585/– की ऋण राशि आवंटित की गई। ब्यौरा सूची में अंकित है।

(2) मध्यम आय वर्ग गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत जयपुर जिले को सबसे अधिक व सबसे कम राशि जालोर जिले को आवंटित की गई। अल्प आय वर्ग गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत सबसे अधिक जयपुर को व सबसे कम जैसलमेर को ऋण आवंटित किया गया है।

(3) आवंटन के समय निम्नलिखित सिद्धान्तों को ध्यान में रखा जाता है :—

1. नगर का आकार व आबादी।
2. पुराने ऋणियों की मांग।
3. वसूली की प्रगति।
4. प्राप्त प्रार्थना-पत्रों के आधार पर जिलाधीशों द्वारा की गई मांग इत्यादि।

(कृपया परिशिष्ट 15 देखिये)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि :—

1. श्री केदारनाथ और श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, सदस्य विधान सभा ने गत 18 मार्च को गंगानगर में हुए अग्नि कांड के पश्चात् आग बुझाने के पर्याप्त साधन न होने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

2. सर्वश्री मीठालाल और, मूलचन्द सामरिया, सदस्य विधान सभा ने गत 18 मार्च को लालसोट में किन्ही अज्ञात व्यक्तियों द्वारा रात को सोते समय श्री प्रभुदयाल नामक व्यक्ति की हत्या कर देने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

3. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा और श्री केदार नाथ, सदस्य विधान सभा ने गंगानगर जिले के राजस्व अधिकारी द्वारा खरीफ, 1971 की बकाया सरकारी रकमों की वसूली के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

4. श्री मोहम्मद गफ्फार अली, सदस्य विधान सभा ने गत 17 मार्च को आर. ए. सी. के कुछ जवानों द्वारा गलता घाटी स्थित कच्ची वस्ती के मकानों को तोड़-फोड़ देने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(श्री अध्यक्ष)

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

5. सर्वश्री योगेन्द्रनाथ हांडा, केदारनाथ और गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा ने गत 20 मार्च को देश भर में वर्किंग जनरलिस्ट्स की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में दो स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है। इस विषय का सम्बन्ध राज्य सरकार से नहीं है। अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमय हूं।

6. श्री गिरधारीलाल भार्गव और श्री मीठालाल मीणा, सदस्य विधान सभा ने अनाज के राष्ट्रीयकरण की घोषणा से उत्पन्न गल्ला व्यापारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में दो स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है।

यह विषय राज्य सरकार की नीति से सम्बन्धित है और इस पर सदन में कल पर्याप्त चर्चा हो चुकी है और सरकार की ओर से प्रकाश डाला जा चुका है। अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

7. सर्वश्री गुमानमल लोढ़ा, मनोहरलाल व गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा ने जोधपुर में अकाल राहत कार्यों में आनंद मार्ग की गतिविधियों के बढ़ने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह प्रस्ताव अस्पष्ट है और किसी विशिष्ट घटना से सम्बन्धित नहीं है तथा अविलम्बनीय लोकमहत्व का भी नहीं है। अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 1 अप्रेल, 1973 से अनाज का राष्ट्रीयकरण करने की घोषणा सरकार ने की है। इसके फलस्वरूप जयपुर शहर के सभी अनाज के व्यापारी विधान सभा भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। अनाज का राष्ट्रीयकरण कर देने से मुनीम, गुमाश्ते और पल्लेदार बेकार हो जाएंगे और किसानों से किस भाव से अनाज लिया जाएगा यह भी स्पष्ट घोषणा नहीं की गई है। गरीब उपभोक्ताओं के नाम पर यह राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है परन्तु इन गरीब उपभोक्ताओं को भी किस भाव पर अनाज दिया जाएगा यह भी सरकार द्वारा कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की गई है...

श्री अध्यक्ष : कल इस पर काफी डिस्कशन हो चुका है माननीय सदस्य।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, इससे गरीबी मिटेगी नहीं बल्कि बढ़ेगी। राजस्थान विधान सभा भवन के सामने व्यापारी और व्यापार पर आश्रित कर्मचारी, मुनीम, गुमाश्ते और पल्लेदार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं खाद्य मंत्री को उनका ज्ञापन दिलाकर उचित कार्यवाही कराई जाए ...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : अध्यक्ष महोदय, वहां पर कोई छोटे व्यापारी नहीं हैं। कुछ मोटे व्यापारी बढ़िया अंगरखी और जयपुरी पगड़ी पहिन कर घूम रहे हैं। ये इसलिए आए हैं कि इनका व्यापार छिन रहा है। माननीय सदस्य यहां पर बड़े व्यापारियों की वकालत कर रहे हैं। प्रदर्शन में कोई पल्लदार और छोटे व्यापारी नहीं आए हैं।... मैं माननीय सदस्य को चुनौती

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
देता हूं अगर वे एक भी छोटा व्यापारी या पल्लेदार बाहर प्रदर्शन करता हुआ दिखा दें···

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : ·· सरकार को इस संबंध में स्पष्ट घोषणा करनी चाहिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सेठों की वकालत करने के लिए इजाजत क्यों दी जाती है अध्यक्ष महोदय।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा प्रस्ताव श्रमजीवी पत्रकारों के सम्बन्ध में था जिसके बारे में यह कहा गया कि यह प्रश्न राजस्थान सरकार से जुड़ा हुआ नहीं है और यह प्रश्न भारत सरकार से संबंध रखता है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या राजस्थान भारत का अंग नहीं है। इन पत्रकारों की मांगे न्यायोचित हैं और अखबारों पर जिन कुछ लोगों की मोनोपोली है वह समाप्त होनी चाहिए। भारत सरकार के पास इनकी मांगें विचाराधीन हैं। उन पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए इस सदन द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए।

श्री खेतसिंह : आपका नाम अखबारों में छप जाएगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह पत्रकारों का ऐसा प्रश्न है जो कि राजस्थान से जुड़ा हुआ है। राजस्थान सरकार इस सम्बन्ध में क्या नीति रखती है उसकी जानकारी इस सदन को दी जानी चाहिए और भारत सरकार को इस सदन की भावनाओं से अवगत कराया जाना चाहिए कि इनकी मांगें वाजिब हैं। अंत में पुनः खाद्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जो व्यापारी विधान सभा भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे वे अवश्य मिलें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ) : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव वर्किंग जनरलिस्ट्स के सम्बन्ध में है····

श्री अध्यक्ष : इस पर बहस नहीं कर सकते।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय इसका दूसरा पहलू भी है। सारे राजस्थान के जो वर्किंग जनरलिस्टस हैं उनकी कल हड़ताल थी और आज सारे राजस्थान में कोई दैनिक पत्र प्रकाशित नहीं हुआ है। यह स्थिति केवल राजस्थान में ही नहीं है, सारे भारत में है। अध्यक्ष महोदय, पत्र हमारी आंख हैं, हमारे कान हैं। समाचार पत्रों के द्वारा हमारी बातें राजस्थान के अन्दर और सारे भारतवर्ष के अन्दर जाती हैं। यह ऐसी क्लास है जो रात-दिन काम करती है और आज उनका भी शोषण होता है। आज तक इनके लिए सरकार तीसरे वेज बोर्ड को कायम नहीं कर सकी है। जर्नलिस्ट की जो मांग है उस पर किसी भी पार्टी का दायरा न रखकर बिना किसी भेद भाव के सदन में विचार किया जाना चाहिए और एक सर्व सम्मत प्रस्ताव इस सदन द्वारा पारित किया जाना चाहिए। वर्किंग जर्नलिस्टस् के साथ हमारी हमदर्दी है और एड हॉक बेसिस पर 25 परसेन्ट की जो उनकी इन्क्रीज की मांग है वह मंजूर की जानी चाहिए।

श्री खेतसिंह : हमारी भी सिम्पेथी है, परन्तु इसका कोई ताल्लुक हमारे से नहीं है

(श्री खेतसिंह)
तब इस पर यहां पर विचार-विमर्श करने से कोई मतलब हल नहीं होगा।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : कांग्रेस के मुख्य सचेतक महोदय 145 विधायकों को रिप्रिजेन्ट करते हैं और हमारी भावनाएं भी उनके साथ हैं। तो चाहिए यह था कि एक मोशन मुख्य सचेतक महोदय की ओर से आता इस सदन में, या दल के नेता की ओर से और दल के नेता नहीं है तो उपनेता महोदय की ओर से ऐसा प्रस्ताव आना चाहिए और उस प्रस्ताव को यह सदन सर्व सम्मति से पारित करे और वर्किंग जर्नलिस्ट के बारे में यह सदन अपनी राय भारत सरकार को भेजे। अध्यक्ष महोदय, यह एक अहम् प्रश्न है। हमारे साथ ताल्लुक रखता है विशेष कर विधायकों के साथ ताल्लुक रखता है। आप चाहेंगे कि हमारे मंत्रियों के वक्तव्य अखबारों में छपते रहें तो हमें भी यह देखना होगा कि इन वरकिंग जर्नलिस्ट्स का शोषण समाप्त हो। उन्होंने अपनी मांगों के लिए आवाज को बुलन्द किया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि कांग्रेस पार्टी के मुख्य सचेतक महोदय या उपनेता, नेता महोदय की ओर से एक प्रस्ताव इस सदन के अन्दर प्रस्तुत किया जाकर उसे सर्वसम्मत रूप से पारित किया जाए।

श्री मीठालाल (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, व्यापारियों की आज सारे राज्य में और सारे हिन्दुस्तान में हड़ताल है और जो अनाज का राष्ट्रीयकरण किया गया है उसके विरुद्ध वे प्रदर्शन कर रहे हैं। वे शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले भी जो प्रदर्शनकारी विधान सभा भवन के समक्ष आए हैं उनके ज्ञापन संबंधित मंत्री महोदय ने लिए हैं और उनके शिष्टमण्डल से मिले हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय इनका ज्ञापन लें ताकि ये प्रदर्शनकारी शांति से प्रदर्शन करते हुए वापिस चले जाएं। दूसरा जो प्रस्ताव पत्रकारों के सम्बन्ध में है उसके संबंध में माननीय सदस्य श्री हांडा ने जो विचार व्यक्त किए हैं उनसे मेरी पार्टी पूरी तरह से सहमत है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधीनगर, जयपुर) : क्या सरकार ने इन व्यापारियों का ज्ञापन लेने से मना कर दिया है? क्या इसीलिए माननीय सदस्य ऐसी आशंका व्यक्त कर रहे हैं? ज्ञापन तो हमेशा ही लेते हैं।

श्री परसराम मदेरणा (खाद्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जो व्यापारियों का शिष्टमण्डल मुझसे मिलना चाहता है, मेरी व्यापारियों के प्रति कोई द्वेषपूर्ण भावना नहीं है, मैं उनके डेलिगेशन से मिलने के लिये तैयार हूं। मैं उनको बुला लूंगा।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : अभी अध्यक्ष महोदय आपने फरमाया है कि जनलिस्ट के बारे में एडजर्नमेंट मोशन पर चर्चा नहीं हो सकती है यह असेम्बली के परव्यू में नहीं आते हैं। जहां तक फाइनेन्शियल कमिटमेंट का सवाल है यह हमारे परव्यू में नहीं आते हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक रिलेशन्स और पब्लिक लाइफ में इनका, जर्नलिस्ट्स का बहुत बड़ा रोल है वह हमारे परव्यू में है और उस पर चर्चा करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : नाट इन दी फार्म ऑफ एडजनमेंट मोशन। और किसी फार्म में लायें तो एतराज नहीं है। इस फार्म में नहीं ला सकते हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो एडजर्नमेंट मोशन दिया था उसके बारे में

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

आपने कहा है कि राज्य सरकार से इन्फर्मेशन चाही गई है। मेरी अर्ज यह है जो कि मैं आपके सामने लाना चाहता हूं और आपके द्वारा मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि शहर की आबादी के बीच में आर० ए० सी० का हैड क्वार्टर है और वहां पर चांदमारी होती है। नेशनल हाई वे के दोनों तरफ आबादी है और वहां पर बन्दूकें चलती रहती हैं। वहां पर चांदमारी की ट्रेनिंग दी जाती है। इसको मैं पेशे नजर करता हूं कि वहां की जनता में बड़ा रोष है और वे यह डिमांड करेंगे कि इसको वहां से हटाया जाय। 7 मर्तबा तोड़ने का काम यू० आई० टी० ने किया। तोड़ने का काम यू० आई० टी० करती थी और इंटे वे उठा ले जाते थे चोरी करके। अब के दोनों ही काम उनको नहीं दिये गये हैं....

श्री अध्यक्ष : अनुदानों की मांगों पर विचार।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : एक एडजर्नमेंट मोशन मैंने आनन्द मार्ग की गतिविधियों के बारे में दिया था। माननीय अध्यक्षजी जोधपुर संभाग में....

श्री अध्यक्ष : It does not refer to any particular instance.

श्री गुमानमल लोढ़ा : उसमें यह स्पष्ट किया गया था कि राज्य सरकार द्वारा जो फोडर डीपो अकाल राहत में जोधपुर संभाग में खोले गये हैं उसमें आनन्द मार्ग को सबसिडी देकर वहां पर उनसे यह कार्य कराया जा रहा है, और जोधपुर शहर की दीवारों पर बड़े बड़े पोस्टर और स्लोगन लिखे हुए हैं। इसके बारे में राज्य सरकार की क्या नीति है? क्या कोई ऐसी नीति बनाई गई हैं, क्योंकि वह संस्था पार्लियामेन्ट्री पद्धति में विश्वास नहीं करती है। यदि यह सच है तो इसके बारे में राज्य सरकार को विचार करना होगा कि इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा क्या अकाल राहत कार्यों में सहयोग लिया जाय, उनको इसमें रखा जाय? राज्य सरकार इस बारे में गम्भीरता से विचार करके इस पर निर्णय लेकर सदन के सदस्यों को अवगत करायें।

श्री परसराम मदेरणा (अकाल राहत मंत्री) : फोडर डीपोज जो संस्थाएं अपने आप से खोलती हैं राज्य सरकार उनके साथ में . . .

श्री गुमानमल लोढ़ा : राज्य सरकार उसको सबसिडी देती है।

श्री परसराम मदेरणा : फोडर डीपोज खोलने की जो राज्य सरकार की योजना है वह राज्य के ही स्टेट डीपोज खोले जाते हैं। किसी संस्था के साथ में हम कोआपरेट नहीं करते हैं। इस प्रकार की कोई योजना नहीं है। केटल को फीड देने की योजना जारी है। जो कन्सेन्ट्रेटेड फीड होता है उसको देने के लिये हम वालन्टरी आर्गेनाइजेशन्स का सहयोग लेते हैं जहां तक सेल डीपो का प्रश्न है राज्य सरकार स्वयं ही सेल डीपो खोलती है।

श्री गुमानमल लोढा : जो आप बता रहे हैं वही केटल फीड सेन्टर्स हैं जहां पर केटल को चारा दिया जाता है और रखा जाता है। इसके बारे में आज नहीं तो कभी भी मंत्री महोदय स्पष्टीकरण करेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : जहां तक मेरी जानकारी है मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी ने

Page No.56

(श्री परसराम मदेरणा)
1-2 सेन्टर्स चूरू और सीकर में अवश्य खोले हैं। बाकी का मैं नहीं कह सकता हूं। आनन्द मार्ग के संबंध में अभी तक मुझे सूचना नहीं है कि जोधपुर में किस प्रकार के फीडिंग सैन्टर्स उन्होंने खोले हैं। जिलाधीश ने उनके साथ में कोई एग्रीमेंट किया हो इसकी मैं जानकारी करके कह सकूंगा।

एक माननीय सदस्य : सीकर में नहीं खुले हैं।

श्री परसराम मदेरणा : खुल जायेंगे।

अनुदानों की मांगें

मांग संख्या 19, 20, व 39 का प्रस्तुतीकरण

श्री परसराम मदेरणा (कृषि मंत्री) : माननीय अध्यक्षजी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33 पशुपालन के संबंध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,08,70,000 रुपये की राशि प्रदान की जाय।

माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के संबंध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 9,67,08,000 तक की राशि प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष : मांगें प्रस्तुत हुईं।

श्री खेतसिंह : एक और है।

श्री चन्दनमल वैद (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 95-कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत के संबंध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,50,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष : मांगें प्रस्तुत हुईं।

मांग संख्या 19, 20 व 39 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) :-

1. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि के दक्ष कर्मचारियों द्वारा कृषकों को समय पर उचित जानकारी न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

2. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बोरिंग आपरेशन्स के अभाव के कारण कृषकों को होने वाले नुकसान पर चर्चा के लिए)।

3. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक उद्यान की उचित देख-रेख न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

4. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि सम्बन्धी परीक्षाएं तथा अन्वेषण उचित प्रकार से नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

5. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया

Page No.57

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

कम कर दिया जाय (भारतीय कृषि विपणन की उन्नति के लिये योजनाओं को लागू नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

6. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषकों को समय पर यूरिया खाद व उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध न कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

7. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [मृदा (स्वायल कंजरवेशन) संरक्षण योजनायें लागू न किये जाने की स्थिति पर चर्चा के लिये]।

8. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गहन कृषि कार्यक्रम की असफलता पर चर्चा के लिये)।

9. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उन्नत किस्म के सांड उपलब्ध कराने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

10. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशु चिकित्सालयों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

11. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [कैटल ब्रीडिंग फार्म (पशुप्रजनन क्षेत्र) के अभाव पर चर्चा के लिये]।

12. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भेड़ तथा ऊन विकास योजनाओं की असफलता पर चर्चा के लिये)।

13. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भेड़पालकों को सरकार द्वारा उचित संरक्षण न दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

14. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान की जलवायु के अनुसार भेड़ प्रजनन केन्द्रों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

15. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 95-कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कुओं को गहरा करने पर सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री शंकर सिंह रावत (नसीराबाद):

16. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि विभाग की लापरवाही तथा शिथिलता से समय पर खाद, बीज नहीं देने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये)।

17. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार द्वारा आगामी वर्ष खरीफ के लिए शीघ्र बीज उपलब्ध कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री लूनाराम (डूंगरगढ़):

18. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में 100 रुपया कम कर दिया जाय (गहन कृषि की योजनाओं को सफल बनाने हेतु चर्चा के लिये)।

19. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 95–कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कुओं को गहरा करने हेतु कम प्रावधान रखे जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा):

20. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि विभाग के व्यर्थ के व्यय के बारे में चर्चा के लिये)।

श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा):

21. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि के विकास एवं उत्पादन की वृद्धि हेतु राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा):

22. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुंझुनू जिले में जिला कृषि अधिकारी का कार्यालय खोलने पर चर्चा के लिये)।

23. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गेहूं तथा बाजरे के सुधरे हुए बीज उत्पादन पर चर्चा के लिये)

24. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुंझुनू, सीकर और चूरू जिले में बाजरे की फसल में लगने वाली "रूखड़ी" की बीमारी का कोई इलाज तलाश नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

25. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुंझुनू जिले को बिसाऊ कस्बे में पशु चिकित्सालय के अभाव पर चर्चा के लिये)।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर):

26. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गायों की नस्ल सुधारने हेतु अच्छे सांडों को उपलब्ध कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

27. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषकों को उन्नत किस्म के बीज व खाद समय पर उपलब्ध नहीं कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

28. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा पशुपालकों को उचित प्रोत्साहन नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री मोहनलाल छंगाणी (फलौदी):

29. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

31–कृषि के अंतर्गत मांग में 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषकों को उन्नत किस्म के बीज व खाद समय पर उपलब्ध नहीं कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

30. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा पशुपालकों को उचित प्रोत्साहन नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री मोहनराज (बाली):

31. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि उपज की रक्षा हेतु कीटनाशक दवाईयों के चल अस्पताल पंचायत समिति मुख्यालय पर कायम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर):

32. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि विभाग में जो गड़बड़ है उस पर चर्चा के लिये)।

33. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशुधन सुधार हेतु अपनाई गई प्रणाली की असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री मोहरसिंह (चूरू):

34. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में सूखी खेती के बारे में अनुसंधान केन्द्र खोलने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

35. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू जिले में भू-संरक्षण कार्य न होने पर चर्चा के लिये)।

36. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू जिले में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र चालू कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

37. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू जिले में उन्नत किस्म के दुधारू गाय व अच्छी नस्ल के सांड न उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये)।

38. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू जिले में चल पशु चिकित्सा के अभाव पर चर्चा के लिये)।

श्री नारायणसिंह चौधरी (सीकर):

39. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर जिले में खाद व बीज समय पर न मिलने के कारण फसल में हुए नुकसान पर चर्चा के लिये)।

40. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों को सहायता अनुदान मद में

(श्री नारायणसिंह चौधरी)
पशुपालन हेतु कम धनराशि देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री शंकरलाल (पाली):

41. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि उत्पादन की योजनाओं में शिथिलता होने पर चर्चा के लिये)।

42. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में पशुपालकों के हितार्थ पशुपालक बोर्ड की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री अजीतसिंह (टोंक):

43. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा खराब बीज वितरण किये जाने के बारे में चर्चा के लिये)।

44. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खाद वितरण की दोषपूर्ण प्रणाली पर चर्चा के लिये)।

45. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भेड़ों की किस्म की उन्नति के बारे में हुई असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती निर्मला कुमारी (चित्तौड़गढ़):

46. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में कृषि सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

47. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भेड़ों के विकास के लिए अपनाई गई नीति की असफलता पर चर्चा के लिये)।

48. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान की पिछड़ी कृषि व्यवस्था के आधुनिकरण पर चर्चा के लिये)।

49. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में पशुओं की खराब नस्ल के सुधार हेतु चर्चा के सम्बन्ध में)।

श्री मीठालाल मीना (लालसोट):

50. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील लालसोट में भू-गर्भ जल मंडल के सर्वेक्षण के आधार पर राजकीय नलकूपों की व्यवस्था करने हेतु चर्चा के लिये)।

51. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चाकसू तहसील के भू-तल जल सर्वे कराये जाकर पूर्ण क्षेत्र में ट्यूब वैलों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

52. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री मीठालाल मीना)

कम कर दिया जाय (लालसोट में अलग से कृषि उपज समिति मंडी स्वीकृत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

53. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33– पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लालसोट तहसील क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर कम से कम पांच अतिरिक्त पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

54. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लालसोट के राजकीय पशु चिकित्सालय में दवाइयों व औजारों की समुचित व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

55. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशुपालन के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों से कर्जा दिलवाने हेतु चर्चा के लिये) ।

56. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राष्ट्रीयकृत बैंकों से लालसोट - दौसा क्षेत्र के किसानों को कृषि कार्यों में ऋण दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

श्री मूलचन्द समरिया (दौसा) :

57. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राष्ट्रीयकृत बैंकों से लालसोट-दौसा क्षेत्र के किसानों को कृषि कार्यों में ऋण दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

श्री करनसिंह (डीग):

58. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि के विकास हेतु विभागीय सहायता द्वारा कुओं में विद्युत् लगवाने में असमर्थता पर चर्चा के लिये) ।

श्री नाथुराम (बागीडारा) :

59. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि विभाग, बांसवाड़ा द्वारा रबी अभियान में खाद वितरण में हुई अनियमितता व भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये) ।

60. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में कृषि विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

61. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि विभाग द्वारा बांसवाड़ा जिले के लिए पंपिंग सेट्स के लिए दो लाख रुपये की स्वीकृत राशि नहीं देने से किसानों को हुई हानि पर चर्चा के लिये) ।

श्री शंकरलाल जाट (कपासन) :

62. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा कृषि को अधिक प्रोत्साहन न देने पर चर्चा के लिये) ।

63. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपय

(श्री शंकरलाल जाट)

कम कर दिया जाय (पशुपालकों की स्थिति की ओर राज्य सरकार का अधिक ध्यान दिलाने पर चर्चा के लिये)।

64. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 95-कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि उन्नति के उपकरणों हेतु कोई प्रावधान न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) :

65. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में ड्राई फार्मिंग प्रोजेक्ट लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

66. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों के लिये बाड़मेर जिले हैडक्वार्टर बाड़मेर नगर में जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

67. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तिलवाड़ा पशु मेले में रोशनी, स्वच्छ जल की व्यवस्था न करने के कारण से जनता में तीव्र असंतोष पर चर्चा के लिये)।

68. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के मुख्यालय में जिला पशु चिकित्सालय के भवन के निर्माण की स्वीकृति कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

69. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भेड़पालकों को राज्य सरकार द्वारा ऋण उपलब्ध कराने के लिये कोई व्यवस्था नहीं किये जाने के कारण उक्त धन्धे को बड़ा आघात पहुंच रहा है जिस पर चर्चा के लिये)।

70. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [बाड़मेर जिले में राजकीय थरपारकर ब्रीड (सांड) का कार्य स्थापित करने में राज्य सरकार द्वारा बर्ती जा रही उपेक्षा पर चर्चा के लिये]।

71. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशुपालकों को ऋण दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री राजेन्द्र भारतीय (बूंदी) :

72. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31- कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया (बूंदी जिले में चावल की फसल का सर्वनाश रोकने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री रावतराम आर्य (छापर) :

73. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31- कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू जिले में ट्यूबवैल के द्वारा सिचाई के साधन बढ़ाने के बारे में चर्चा के लिये)।

74. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम

(श्री रावतराम आर्य)

कर दिया जाय (असिंचित क्षेत्रों में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई कारगर कदम नही उठाये गये हैं इस पर चर्चा के लिये)।

श्री यद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) :

75. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर जिले की बानसूर तहसील में खार के कारण काश्त की जमीन नाकाविल काश्त होने को रोकने में विभाग द्वारा कोई कदम न उठाये जाने पर चर्चा के लिये)

76. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर जिले में भेड़-पालन कार्य को प्रोत्साहन देने में विभागीय शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

77. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 95-कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर जिले में कृषि उन्नति के लिये ट्यूब वैल बनाने पर सरकार की शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन) :

78. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बूंदी जिला में कृषकों को समय पर खाद वितरण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

79. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बूंदी जिला में कृषि उपज मंडियों की अब तक स्थापना नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

80. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बूंदी में चम्बल एवं मेज के खाल दरड़ों को कृषि योग्य बनाये जाने में विभाग द्वारा सहायता नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

81. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में कृषकों को ट्रेक्टर समय पर एवं भेदभाव नीति बरतने से एलोट किये जाने की समस्या पर चर्चा के लिये)।

82. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी तहसील केशव-रायपाटन के ग्राम लाखेरी पापड़ी खराइता में चलाये गये बुलडोजर में किसानों से अधिक चार्जेज लिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

83. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी कृषकों को समय पर अच्छे बीज एवं खाद का वितरण नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

84. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी के कस्बा कापरेन एवं लाखेरी में पशु चिकित्सालय नहीं खोले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) :

85. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री भीमसेन)

कम कर दिया जाय (जिला कृषि अधिकारी छतरगढ़ की मुख्यालय फिलहाल बीकानेर में रखे जाने पर चर्चा के लिये)।

86. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लिफ्ट कैनाल क्षेत्र में कृषि के डिमोन्स्ट्रेशन प्लाट्स के संचालन पर चर्चा के लिये)।

87. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान मुख्य नहर के नये किनारे पर पशुपालकों की कॉलोनीज योजनाबद्ध तरीके से बसाकर उनके सर्वांगीण विकास पर चर्चा के लिये)।

88. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लूणकरणसर में पशु चिकित्सा भवन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

89. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [मोबाइल यूनिट का मुख्यालय बीकानेर के बजाय पूंगल (बीकानेर) में स्थापित करने पर चर्चा के लिये]।

90. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रिंडर पेस्ट लिटेशन मोबाइल यूनिट का मुख्यालय बीकानेर के बजाय लूणकरणसर में स्थापित करने पर चर्चा के लिये)।

91. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 95-कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कत्तरियासर गौवत बीकानेर के लिये परीक्षणात्मक नलकूप खोदे जाने की स्वीकृति के बावजूद विलम्ब होने पर चर्चा के लिये)।

92. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 95-कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लूणकरणसर क्षेत्र के कालू से शेखसर क्षेत्र में भूतल जल के कृषि प्रयोजनार्थ ट्यूब वेल्स के निर्माण पर चर्चा के लिये)।

93. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 95-कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर तहसील के पलाना, केरासेरसर, नौरंगदेसर, नापासर, गुसाईसर, सेरेरा व नोरवा तहसील के भूतल जल बाहुल्य वाले गांवों में स्टेट ट्यूब वैल्स निर्माण न किये जाने पर चर्चा के लिये)।

94. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 95-कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कत्तरियासर, तहसील बीकानेर में मीठा पानी उपलब्ध होने के बावजूद भी परीक्षणात्मक नलकूप खोदे जाने के विलम्ब पर चर्चा के लिये)।

श्री दिवास गर (खेरवाड़ा):

95. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति खेरवाड़ा, जिला उदयपुर के कृषि विभाग द्वारा शंकर, मक्का के बीज को अनुदान के बटवारे पर चर्चा के लिये)।

श्री गोपाल जोशी (बीकानेर) :

96. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत पर मॉडर्न लेबोरेटरी की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

97. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (यू. ए. एस. के वेतनमानों पर चर्चा के लिये)।

श्री उम्मेदीलाल (हिण्डोन) :

98. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील हिण्डोन में खाद व बीज समय पर नहीं मिलने के कारणों पर चर्चा के लिये)।

श्री जगमोहनसिंह (छबड़ा) :

99. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा कृषि उपज के भाव उसकी होने वाली लागत को देखकर तय नहीं किए जाते जिससे कृषि उद्योग घाटे में जा रहा है के संबंध में चर्चा के लिये)।

100. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उर्वरक खाद व अन्य कृषि औजारों की दिनों दिन बढ़ती हुई कीमतों को रोकने के लिए कोई प्रावधान न किए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री भंवरसिंह शेखावत (नवलगढ़) :

101. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि के क्षेत्र में आधुनिकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनू):

102. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [किसानों को समय पर खाद (fertiliser) न मिलने के बारे में चर्चा के लिये]।

103. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में धीरे धीरे अच्छी नस्ल के दुधारू पशुओं के नष्ट होने पर चर्चा के लिये)।

श्री जितेन्द्रसिंह भाटी (भीम) :

104. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नाहर कमेटी रिपोर्ट को लागू नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

105. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा अभी तक मण्डी यार्डों के बनाने के लिये कोई निश्चित कार्यक्रम न बना पाने व ऋण उपलब्ध नहीं करा पाने पर चर्चा के लिये)।

श्री श्रीनिवास शारदा (निम्बाहेड़ा) :

106. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि उपज मण्डी समितियों की स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा) :

107. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वर्तमान वर्ष में राजस्थान में केमिकल

(श्री अमृतलाल गहलोत)

फर्टीलाइजर की उपलब्धि में अत्यन्त कमी एवं वितरण की दोषपूर्ण व्यवस्था के प्रचलन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

108. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वर्तमान वर्ष में राजस्थान में सूखे के कारण कृषि उत्पादन में कमी को दूर करने के उपायों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

109. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट में आवश्यक, उचित एवं व्यवहारिक संशोधन करने में विलम्ब के संबंध में चर्चा के लिये)।

110. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान राज्य में स्वीकृत डेरी पशुओं का संकरण द्वारा सुधार की योजनाओं को कार्यान्वित करने में शिथिलता आने के संबंध में चर्चा के लिये)।

111. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जैसलमेर जिले में पशुपालन विभाग द्वारा संचालित चानन ग्राम में स्थित डेयरी फार्म की दोषपूर्ण व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये)।

श्री हरिसिंह (बेगूं):

113. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि संबंधी विकास के कार्यों में गति लाने के विषय में चर्चा के लिये)।

113. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि अन्वेषण को फेज्ड मेनर में विश्वविद्यालय को न देकर सम्पूर्ण अन्वेषण विश्वविद्यालय को देने के संबंध में चर्चा के लिये)।

114. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में पशुधन के विकास के विषय में चर्चा के लिये)।

श्री चेतराम (टोडाभीम):

115. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि विभाग, राजस्थान में कृषि उन्नति कार्यों में असफल रहा है तथा किसानों को बीज, खाद, रासायनिक खाद आदि वितरण कार्यों में होने वाले भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

116. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान सरकार राज्य के पशुओं की नस्ल सुधारने में असफल रही है इस पर चर्चा के लिये)।

श्री चतरभुज : (टोडारायसिंह):

117. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि उत्पादक प्रयोजनों के साधनों के अभाव की चर्चा के लिये)।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी):

118. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किसानों को बीज समय पर नहीं मिलने से कृषि उन्नत दशा की ओर नहीं जा सकती इस विषय पर चर्चा के लिये)।

Page No.67

(श्री जयकिशन लाल)

119. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31—कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शंकर बाजरे में जहर पैदा होने से मानव समाज और पशुधन की मौत हो जाने पर चर्चा के लिये)।

120. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31—कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फागी और चाकसू तहसीलों में कृषि की दयनीय स्थिति की ओर कृषि विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

121. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31—कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किसानों को समय पर खाद नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

122. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33—पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशुओं की नस्ल सुधारने के तरीके वैज्ञानिक ढंग के होने चाहिएं इस विषय में चर्चा के लिये)।

123. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33—पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशुओं की दशा बड़ी दर्दनाक है इनकी दशा अतिशीघ्र सुधारी जाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

124 मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33—पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चाकसू एवं फागी तहसीलों में एक एक पशु चिकित्सालयों की अविलम्ब स्थापना करने हेतु चर्चा के लिये)।

125. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 95—कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दूदूं तहसील में खालक के बांध के डूब में आई जमीन में पाताल तोड़ कुएं बनवाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री मूलचंदलाल महावर (दौसा):

126. संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33—पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशुपालन के विकास के अभाव पर चर्चा के लिये)।

127. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31—कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि उत्पादन प्रयोजनों के साधनों को सस्ती दर पर दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

128. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31—कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि उपज में व्यापारिक फसलों को प्रोत्साहन देने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री विजयसिंह (माण्डल):

129. मांग संख्या 19, संख्या शीर्षक 31—कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कम पानी से उत्पन्न होने वाले खाद्यान बीज के अभाव पर चर्चा के लिये)।

130. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31—कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भीलवाड़ा जिले में रासायनिक खादों की कमी के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

(श्री विजय सिंह)

131. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मान्डल तहसील क्षेत्र में फसल को सिंचाई हेतु बिजली उपलब्ध कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

132. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशु चिकित्सकों को पशु रोग विज्ञान का पूरा ज्ञान न होने पर चर्चा के लिये।

133. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मान्डल तहसील क्षेत्र में पशुपालन का ह्रास होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री झाबरमल (फतेहपुर) :

134. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर जिले में सीकर कृषि उपज मण्डी के अभी तक क्षेत्र के निर्धारण में देरी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

135. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर जिले में भू-जल मण्डल की निष्क्रियता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

136. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा खाद, बीज समय पर न वितरित किये जाने पर चर्चा के लिये)।

137. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशुपालन की तरफ पर्याप्त ध्यान न देने से पशुओं की गिरती हुई स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री देवीलाल (सराड़ा) :

138. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा में काश्तकारों को उन्नत बनाने के लिये राज्य सरकार द्वारा कुओं के निर्माण हेतु भूमि का उचित सर्वेक्षण न कराये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

139. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा में पशुओं के सुधार सम्बन्धी योजना के प्रभाव पर चर्चा के लिये)।

श्री मनोहरलाल (कामां):

140. मांग संख्या 19-मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि उपज मंडी कमेटी, कामां व डीग द्वारा काश्तकारों की सुविधा के लिए भवन, मंडी तथा सड़क बनवाने हेतु चर्चा के लिये)।

141. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि उपज मंडी समिति, कामां व डीग यार्ड में पल्लेदारों को कम मजदूरी देने पर चर्चा के लिये)।

142. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम

(श्री मनोहरलाल)
कर दिया जाय (कृषि विभाग अधिकारी कृषकों को कृषि संबंधी वैज्ञानिक शिक्षा देने में असफल रहे इस पर चर्चा के लिये)।

143. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31—कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि विभाग द्वारा भरतपुर जिले में काश्तकारों को समय पर बिजली दिलाने में सहायता देने में असफल रहने पर चर्चा के लिये)।

144. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31—कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि विभाग द्वारा धौलपुर से खाद मध्य प्रदेश को बेचने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) :

145. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31—कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाजरे के संकर बीज की उत्पादन क्षमता दिन व दिन घटती जा रही है इसे रोकने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

146. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31—कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि उन्नति हेतु भूमिजल व मिट्टी परीक्षण के संबंध में चर्चा के लिये)।

147. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31—कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि बीमा व्यवस्था कराने के संबंध में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये)।

148. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31—कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि विभाग का संबंध बिजली विभाग से न होने से उत्पन्न कठिनाइयों के संबंध में चर्चा के लिये)।

149. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31—कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डेगाना, जिला नागौर में अलग से कृषि उपज मण्डी खोलने के संबंध में चर्चा के लिये)।

150. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31—कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डेगाना पंचायत समिति के कृषि फार्म की दुर्दशा को ठीक करने में विभाग की शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

151. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31—कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि औजारों के अभाव के संबंध में चर्चा के लिये)।

152. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33—पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागौर जिले के पशु मेलों के सुधार के संबंध में चर्चा के लिये)।

153. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33—पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागौरी नस्ल के पशुओं के प्रति विभाग की उदासीनता के संबंध में चर्चा के लिये)।

154. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33—पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागौर जिले में भेड़ों की नस्ल सुधारने हेतु ए. आई. केन्द्र खोलने हेतु चर्चा के लिये)।

155. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33—पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों के अंतर्गत आने वाले चिकित्सालयों में विभाग द्वारा समय पर दवाइयां नहीं दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

156. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डेगाना में पशु चिकित्सालय अपग्रेड कराने के संबंध में चर्चा के लिये)।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) :

157. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गेहूं, बाजरा, कपास कार्य की की कुछ उन्नत किस्मों के बीज की खरीद में हुए भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

158. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर कृषि की उपज मण्डी समितियों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

159. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर में कृषि विभाग द्वारा सी. सी. आई. को कपास और नर्मा की बिक्री में अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

160. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में प्रति एकड़ दालों की गिरती हुई पैदावार पर चर्चा के लिये)।

161. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में खाद्यान्नों की प्रति एकड़ गिरती हुई पैदावार पर चर्चा के लिये)।

162. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर के किसान कुलवन्तराय द्वारा निकाली गई गेहूं हाई ब्रीड वैरायटी को विभाग द्वारा अपनाये जाने पर चर्चा के लिये)।

163. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केमीकल फर्टिलाइजर (Chemical fertilizers) के वितरण में हुए भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

164. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर व गंगानगर जिलों में विभाग द्वारा नलकूपों द्वारा सिंचाई कर चारागाहें बनाकर पशुपालन केन्द्र स्थापित किये जाने पर चर्चा के लिये)।

165. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर व गंगानगर जिलों में क्लस्टर विलेजेज जैसी स्कीमों द्वारा राठी नस्ल की गायों के विकास योजनाओं पर चर्चा के लिये)।

166. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (Artificial Insemination) आर्टीफिशियल इनसेमीनेशन की असफलता के कारणों पर चर्चा के लिये)।

167. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

कम कर दिया जाय (पशुपालन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

168. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुपगढ़ में भेड़ पालन केन्द्र स्थापित कराने पर चर्चा के लिये)।

169. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रास कॉर्प नामक मछली जो नहरों और तालाबों में घास नष्ट करने के प्रयोग में आती है विभाग द्वारा उसका विकास किया जाये, इस पर चर्चा के लिये)।

170. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सूरतगढ़ में राठी नस्ल की गऊओं के विकास के लिये केन्द्र स्थापित करने पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती गौरी पूनियां (मकराना) :

171. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशु औषधालय खोलने में राज्य सरकार के पक्षपात पर चर्चा के लिये)।

श्री गोकुलचन्द (कठूमर):

172. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशु डिस्पेंसरी, कठूमर को पशु चिकित्सालय में परिवर्तित किये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री भोपालसिंह (जैसलमेर) :

173. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जैसलमेर में भेड़ों के विकास संबंधी योजना को तुरंत क्रियान्वित न करने से व्याप्त असंतोष संबंधी चर्चा के लिये)।

174. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चान्दन स्थित पशु प्रजनन केन्द्र के पशुओं के खाद्य व चारे की बुरी व्यवस्था से उत्पन्न असंतोष संबंधी चर्चा के लिये)।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) :

175. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 95-कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांभर तहसील के भूजल के सेमी-डिटेल्ड सर्वे कराने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) :

176. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 95-उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ में बोरिंग मशीन न होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 19, 20 व 39 पर विचार

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव।

आज कटमोशन्स काफी लोगों के हैं और कई भाईयों को अवसर नहीं मिलता है। मैं आपकी गुड सेन्स को अपील करना चाहता हूं, पाबन्दी कोई सख्ती के साथ नहीं लगाना चाहता, लेकिन आप खुद सख्ती

(श्री अध्यक्ष)
लगायेंगे और बहुत थोड़े समय में अपना भाषण दे देंगे तो आपके अनेक बन्धुओं को, भाईयों को भी मौका मिल जाय। पिछले वक्त में भाषण पूरे नहीं होते हैं इसलिये कमी के साथ में केवल मुद्दे की बातें कह दें। भूमिका में बहुत सारी बातें कह सकते हैं और छोटे में भी कह सकते हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : माननीय अध्यक्षजी, . . .

श्री केदारनाथ : यह इशारा गिरधारी-लालजी के लिए है।

श्री अध्यक्ष : सभी के लिए कहा है। उनकी तरफ विशेष हो सकता है।

श्री गिरधारी भार्गव : माननीय अध्यक्षजी, मेरा निवेदन यह है कि . . .

श्री अध्यक्ष : He is leading the debate.

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मुझे तो बहुत कम समय मिलता है। बाद में तो 10, 15 मिनिट मिल जाते हैं।

श्री फूलचन्द जैन : अब जो मिल गया है उसका उपयोग कीजिये।

श्री खेतसिंह : शुरू कीजिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जो कर्जे की व्यवस्था है किसानों के लिए वह हमें सरल और सुलभ बनाना चाहिए। जिस समय राज्य सरकार किसानों को लोन देती थी उस समय पूरा कर्जा लेने के अन्दर ढाई रुपया खर्च करना पड़ता था। लेकिन जब से यह राष्ट्रीयकरण हुआ है और बैंकों से लोगों को लोन मिलने लगा है उसमें 15 रुपये तो गारन्टी डाक्यूमेन्ट्स के, 12 रुपये रजिस्ट्री की फीस, तीन रुपये सेटिलमेंट की फीस, 15 रुपये एडवोकेट की फीस, और 2 रु. 50 पैसे जमाबन्दी की नकल के और तीन रुपये आवेदन-पत्र के और तहसील से प्रमाणपत्र प्राप्त करने के हैं। इसका अर्थ यह है कि एक हजार रुपया यदि किसी किसान को लोन लेना है तो, माननीय अध्यक्षजी, आज एक गरीब किसान को 100 रुपया खर्च करने पड़ते हैं। और 100 रुपयों में से एडवोकेट की फीस 15 रुपये को छोड़कर बाकी की सारी की सारी फीसें राज्य सरकार के खजाने में जाती हैं। इसमें सबसे पहले मेरा आपसे निवेदन यह है कि एडवोकेट की फीस तो बैंक वालों को देना चाहिए और बाकी को जो फीसें हैं जो राज्य के खजाने में जाती हैं तो किसानों की बहबूदी के लिए, किसानों की उन्नति के लिए यह बाकी की फीसें राज्य सरकार को माफ कर देना चाहिए उसी प्रकार से जिस प्रकार से ढाई रुपया खर्च करना पड़ता था पहले यह हो। आज यदि एक किसान को एक हजार रुपया लोन लेने में 100 रुपया खर्च करना पड़ता है तो यह अधिक है। इसलिए मेरी मांग है कि एडवोकेट की फीस बैंक वहन करे और बाकी की फीसें राज्य सरकार माफ कर दे।

दूसरा मैं यह निवेदन करूंगा कि आज जो बैंक व्याज लेती है वह 10 पर्सेन्ट के हिसाब से लेती है, और राज्य सरकार जिस समय किसानों को जो लोन दिया करती थी उस समय 6 प्रतिशत व्याज लिया जाता था। जो लोन एक बोहरा देता है तो बोहरा 10 पर्सेन्ट का व्याज लेता है। तो राजस्थान में बोहरे में और बैंक में किसी प्रकार का अन्तर नहीं है। इसलिए यह आपकी मारफत निवेदन करना चाहता हूं कि बैंक जो 10 पर्सेन्ट का

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
ब्याज लेती है उनको राज्य सरकार यह कहे कि 6 पर्सेन्ट ब्याज ले ।

मैं निवेदन करूंगा कि आज यह हालत लोगों को समय पर बीज नहीं मिलने के कारण इस प्रकार की हो गई है । लोगों को समय पर पैसा नहीं मिलने के कारण आज यह हालत है । सरकार जिस समय लोगों को लोन दिया करती थी तो वार्षिक आधार पर उनसे वसूली की जाती थी, और आज जून में फसलें खड़ी हो गई हैं तो बैंक वाले जो हैं किस्त वसूल करने के लिए पहुंच जाते हैं और वसूल करने की चेष्टा करेंगे । इसके साथ - साथ में यदि अकाल पड़ गया और किसान ने किश्त जमा नहीं करवाई तो बैंक वाले वहां पर जाकर उसकी फसल को बर्वाद करने की चेष्टा करेंगे और उसको मजबूर करेंगे । जिस प्रकार से पहले वार्षिक आधार पर किसानों से किश्तें लेती थी सरकार, उसी प्रकार से जो बैंक्स हैं उनको किश्तें लेना चाहिए । इस प्रकार की सरकार व्यवस्था करेगी । आज हालत यह है कि बैंक जिस समय लोन देती हैं उस समय किसान अपनी जमीन गिरवी रख देता है, लेकिन गिरवी रख देने के बाद बैंकें उस किसान से कहती हैं कि ऐसे अच्छे जमानती लाओ जिनके पास में बड़े बड़े भवन हों । एक गरीब किसान, जिसका लोन लेना है वह कहां से ऐसे दो व्यक्ति लायेगा । एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति का व्यक्ति है वह बैंक को जमानती या गारन्टर नहीं दे सकता और गारन्टर के लिए कहते हैं कि जाति विशेष का आदमी लाओ । अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के व्यक्ति की गारन्टी नहीं चलेगी । सवर्णों में से दो ऐसे व्यक्ति जमानत के लिए लाओ । अपनी जमीन गिरवी रख देने के बाद में दो सवर्ण व्यक्तियों को जमानत लेना चाहते हैं । इससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों को काफी दुख है । दूसरे किसानों को भी गारन्टर के अभाव में लोन बैंकों से लेने में काफी दिक्कत होती है ।

फिर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज हालत यह है कि कुए के लिए, कुओं में पंपिंग सेट लगाने के लिए, किसी प्रकार का यदि कोई किसान काम करना चाहता है और वह उसके लिए बैंक से लोन लेता है तो बैंक सीधा फर्म को पेमेन्ट करती है । उसका अर्थ यह होगा कि बैंक के बड़े बड़े अधिकारी जो हैं वे अपने पुत्रों के नाम से, अपनी पत्नियों के नाम से फर्म चलाते हैं, और वह फर्म जिस प्रकार का भी सामान देगी उसी प्रकार का सामान मजबूरी से उस गरीब किसान को लेना पड़ता है चाहे वह मशीन खराब हालत में हो, चाहे अच्छी हालत में हो । यदि वह नहीं लेता है तो बैंक वाले अधिकारी अपने प्रभाव को डालकर उसको लोन नहीं लेने देते हैं । जब आप लोन दे रहे हैं और जमीन के ऊपर दे रहे हैं वह अपनी जमीन के एवजाने के रूप में ले रहा है तो उस पर इस प्रकार की पाबन्दी लगायेंगे तो ठीक नहीं होगा ।

तो जो जमीन है, उसकी आपने किश्त रखी है । तो यह कहना कि तुम सामान खरीदोगे और अमुक दुकान से खरीदोगे तो ही तुम को लोन दिया जायेगा । वह अपनी ही फर्म से खरीदने के लिये पैसा देंगे तो यह किसी भी प्रकार से उचित नहीं है । बांसवाड़ा, डूंगरपुर में लोगों को खाद नहीं मिल रहा है । यूरिया खाद वहां किसानों को उपलब्ध नहीं है । ऐसी स्थिति में खाद नहीं मिलने के कारण, बीज नहीं मिलने के कारण वहां के किसान, जो वहां पर वोहरे लोग हैं, उनको अपने खेत बेच देते हैं । बीज के कारण खाद के कारण

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

बेच देते हैं। इसके कारण किसान को खेती में रुचि नहीं रहती है। इसके कारण प्रोडक्शन नहीं होता है। आज बैंकों के कई चक्कर लगाने के बाद भी किसानों को लोन नहीं मिलता है। इसलिये राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि बैंकों से लोन मिलने में जो असुविधा है, उनके निवारण के लिये राजस्थान में एक कमेटी नियुक्त की जानी चाहिये। मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि आज भूमिहीन की क्या परिभाषा है। 68-69 में आपने भूमिहीन की परिभाषा की है। उसके अनुसार बड़े बड़े नेता, मन्त्री और सैक्रेटरीज के नाम पर बड़े बड़े फार्म हैं। या तो उनको नियम से भूमि मिल गई। अगर नियम से नहीं मिली तो भूमि का अतिक्रमण कर लिया है। बड़े बड़े अधिकारियों ने उसको नियमित करा लिया है। अगर किसी छोटे किसान ने जो कि भूमिहीन हैं, उसने अतिक्रमण कर लिया है तो अधिकारियों ने उसकी खड़ी फसल को बरबाद कर दिया है। मेरे पास यह सूची है, जिनका काम खेतीहर नहीं है, जो एम.एल.एज. हैं, विधायक हैं। उनके नामों की सूची पढ़कर मैं सदन का समय जाया नहीं करना चाहता हूं। उन्होंने जो जमीन ली है, उसकी भी सूची मेरे पास है। जयपुर जिले में और जयपुर में इस प्रकार के कई लोग हैं, जिन्होंने जमीन दबा ली है। उसकी सूची मेरे पास है। खेतीहर लोगों के पास जमीन नहीं है। सैनिकों के पास जमीन नहीं है। बड़े आदमियों को जमीन का आवण्टन हो। प्रभावशाली लोगों के पास जमीन हो। राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि जयपुर शहर की 12 मील की परिधि में नामांकन नहीं किया जायेगा। उनको रेग्युलेराइज नहीं किया जायेगा। लेकिन जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जिन्होंने नाजायज कब्जा कर रखा है। गरीबों के पास जमीन नहीं है, लेकिन बड़े बड़े अधिकारियों के पास जमीन है। कहते हैं कि 12 मील की परिधि में नामांकन नहीं किया जायेगा। वह भी बड़े बड़े अधिकारियों के लिए जमीन का नियमन किया गया है। वास्तव में जो भूमिहीन हैं, उसके पास में जमीन नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि जो बड़े बड़े नेता हैं, अधिकारी हैं, उनके पास जो जमीन है, वह उनसे वापिस लेकर भूमिहीन किसानों को दी जाय। भूमिहीन वह माना जाये जिसका सम्पूर्ण धन्धा खेती पर निर्भर हो।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

राज्य सरकार भूमि आवंटन नहीं कर पा रही है। इसलिये यह सरकार घोषणा करे कि तीन माह के भीतर भीतर, वह भूमि जो पड़ी हुई है, वह भूमिहीन किसानों को दे दी जायेगी। जो सरकारी पड़त भूमि है, जो अतिक्रमण की हुई भूमि है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जिन्होंने कब्जा किया है। उनको हटाना चाहिये। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति को जमीन देने में प्राथमिकता देनी चाहिये मैं निवेदन करूंगा कि गांवों में जिन लोगों ने बाड़ लगा रखी है। राज्य सरकार ने यह घोषणा की थी कि उनका नियमन कर दिया जायेगा। आज सरकारी घोषणा के बावजूद नियमन नहीं किये जाते हैं। अधिकारी लोग इन लोगों के पास जाते हैं, और उनको परेशान करते हैं। इसलिये राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि जिन लोगों ने गांवों में मकान के बाहर बाड़ लगा रखी है, उसका नियमन किया जाये। और जो लगान पर आप सरचार्ज

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

वसूल करते हैं, उसको माफ करना चाहिये। 13 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से किसानों को बिजली मिलती है। जबकि राजस्थान के बड़े बड़े पूंजीपतियों को 3 पैसा प्रति यूनिट के हिसाब से यह सरकार बिजली देती है। घाटे की पूर्ति गरीब जनता करती है। सिक्यूरिटी जमा कराइये। 625 रु० प्रति वर्ष देना पड़ेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

गरीब किसान पर जो सिक्यूरिटी मिनिमम चार्ज है, उसको समाप्त किया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आपको 15 मिनट दिये गये। अब कृपया समाप्त करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कृषि योग्य जमीन पड़ी हुई है। वन विभाग को चाहिये कि वह भूमि राजस्व विभाग को ट्रान्सफर कर दें। किसानों को पास-बुक की घोषणा की गई थी। जिससे कि वह पैसा उधार ले सकें। उसके पास रिकॉर्ड रहे। लगान दे तो उसकी पास बुक में एन्ट्री हो जाये कि उसने लगान जमा किया है। मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान में नामांकन करने के लिये लाखों मामले पड़े हुये हैं। उनको निश्चित अवधि में नामांकन हो जाना चाहिए। राज्य सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करे। जिन क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, वहां नलकूप की व्यवस्था की जाये। जिससे कि किसान खेती कर सकें। इसके अलावा किसानों से सरकार किस भाव में अनाज खरीदेगी, यह भी घोषणा करे। गंगानगर में किसानों ने आन्दोलन किया था। उनके लिए सरकार ने घोषणा की थी। लेकिन अभी तक उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया गया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

जयपुर में भूमि अवाप्ति के नोटिस दिये जा रहे हैं। लेकिन बड़े बड़े लोगों की भूमि को अवाप्त नहीं किया जायेगा। लालसोट में गरीब किसानों की भूमि अवाप्त कर ली गई है। बड़े बड़े लोगों को छोड़ दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : इसका डिमाण्ड से क्या ताल्लुक है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : किसी बड़े आदमी को नोटिस भी दिया जायेगा तो कैंसिल कर दिया जायेगा। दूसरे यू. आई. टी. सस्ते दर पर किसानों से जमीन खरीदती है और मंहगी दर पर बेचती है।

श्री अध्यक्ष : इसका कट मोशन से कोई संबंध नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं एक मिनट में निवेदन कर दूं।

आज जयपुर नगरपरिषद् की परिधि में गांव आये हैं, उन गांवों को किसी भी प्रकार की नागरिक सुविधाएं नहीं मिली हैं। गरीब किसान मकान बनाते हैं तो उनको परमीशन मिलती नहीं है। अगर बना लेते हैं तो तोड़ने की कार्यवाही की जाती है और इसके साथ साथ आज जो लोग हैं उनमें अनिश्चितता है, कृषि भूमि कितनी होगी, कितनी पर बो सकेंगे। अनिश्चितता के कारण राजस्थान के किसान अपने कुए का, अपने खेत का डेवलपमेंट कर नहीं सकते। आस पास में जो तालाब टूटे पड़े हैं, तलैया टूटी पड़ी है, नये तालाब बनाने की बात तो बाद की है लेकिन पहले राज्य सरकार को टूटे हुए तालाब और टूटी हुई तलैया की मरम्मत करनी चाहिए।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

अंत में, अध्यक्षजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पशुओं के लिए राजस्थान में चारा नहीं है, इस कारण पशु धन समाप्त होता जा रहा है, पशुधन बाहर जा रहा है। राजस्थान सरकार ने अनाज के राष्ट्रीयकरण की घोषणा की है, राज्य सरकार राष्ट्रीयकरण करेगी, अनाज के व्यापार को अपने हाथ में लेगी। मैं निवेदन करता हूं कि राज्य सरकार को खुले रूप में व्यापारी के रूप में आना चाहिए और राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहिए। इससे अनाज के सारे व्यापारी मारे जायेंगे, उन पर आश्रित लोग मारे जायेंगे। इसलिए इस पर सरकार पुनर्विचार करे और खुले रूप में, प्रतिस्पर्द्धा के रूप में आये, एक व्यापारी की दुकान हो और एक दुकान सरकार की हो, जो भी अनाज सस्ता देगा उससे ही लोग खरीदेंगे।

मैं निवेदन करूंगा कि पशुओं के लिए राज्य सरकार को चारे के डिपो बनाने चाहिए, जिससे कि राजस्थान का पशुधन समाप्त हो रहा है, चारे के अभाव में, वह समाप्त नहीं हो। पशुओं के लिए डिपो खोलने की राजस्थान सरकार व्यवस्था करने की और चारा देने की घोषणा करेगी - इतना कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरसिंह रावत।

श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की अस्सी प्रतिशत जनता गांवों में निवास करती है और उसमें से सत्तर प्रतिशत

(12.31 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

लोगों का मुख्य धन्धा खेती है। राज्य सरकार ने उन्नत बीज, औजार और खाद देकर कृषि की तरक्की करने का प्रयास किया है, वह सराहनीय है। फिर भी अकाल की स्थिति में किसानों की हालत चिन्ताजनक हो गई है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर किसान को किसान के स्तर पर रखना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि यह चिन्ता का विषय है। खास तौर से किसानों के सामने अपना जीवन और अपने परिवार का जीवन निर्वाह करने के दो साधन हैं-कृषि और पशु। किसान को आज खाद के लिए भी पशुधन को रखना पड़ता है। पशुधन के ऊपर किसान का जीवन-निर्भर है क्योंकि खाद की ज्यादा की उससे पूर्ति होती है। रासायनिक खाद के विषय में मैं खास तौर से मंत्री महोदय के सामने ज्यादा इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि वह खुद किसान हैं और इस सम्बन्ध में खुद जागरूक हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पशुओं के सम्बन्ध में जरूर कहूंगा कि अभी दस किलो चारा जो दिया जा रहा है वह बहुत कम है। क्योंकि पशुधन कृषि का सबसे बड़ा अंग है, कृषि के लिए इसका होना बहुत जरूरी है। इसलिए यह चिन्ता का विषय है। किसानों और पशुओं को जिन्दा रखने का सरकार का उत्तर-दायित्व है।

उपाध्यक्ष महोदय रासायनिक खाद के सम्बन्ध में निवेदन करूं कि सरकार ने मार्केटिंग सोसाइटी तथा अन्य एजेंसियों के द्वारा खाद का वितरण कराया है। इसमें अनियमिततायें हुई हैं। इतना जरूर हुआ है कि जिन्होंने लाइसेन्स ले रखा है, जिला कृषि अधिकारियों ने लेट वितरण किये जाने के कारण उनका लाइसेन्स जरूर जब्त किया है

Page No.77

(श्री शंकरसिंह रावत)

लेकिन इस सम्बन्ध में केवल उनका लाइसेन्स जब्त करना काफी नहीं है । किसानों को समय पर खाद मिलना चाहिए । खेती के लिए जरूरी चीजें हैं, जुताई हो, खाद हो, उन्नत बीज हो और कीटनाशक दवाइयां हों। मैं निवेदन करता हूं कि इनका समय पर वितरण नहीं करना और ब्लैक करने की भावना से यह कह देना कि अभी नहीं है, यह किसान के हित में नहीं है। यह किसानों के साथ ही नहीं देश के साथ अन्याय है ।

ऋण के सम्बन्ध में मैं निवेदन करूं । किसान धन के अभाव में, खेती के सारे साधन उपलब्ध नहीं होने की वजह से मजदूरों की श्रेणी में जा रहा है इससे गरीब गरीब होता चला जायगा । और पैसे वाले धनवान होते चले जायेंगे । किसान इस धन के अभाव में और सारे साधन उपलब्ध न होने की वजह से मजदूर की श्रेणी में जा रहा है । जिन लोगों ने बड़े बड़े फार्म बना रखे हैं, उनके सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा, यह फार्म बड़े बड़े पूंजीपतियों ने और जिन्होंने बनाये ह, वह सिर्फ इस दृष्टि से बनाये हैं कि कृषि के सहारे टैक्स से बचा जाय । गांव के किसान जो सदियों से खेती करते चले आ रहे हैं, उनकी तरफ पूरा ध्यान देने की आपको आवश्यकता है । पूंजीपति के लिए तो मैं अर्ज करूं कि किसी सेठ से यह कहा जाय कि स्वर्ग में जाओगे या नर्क में जाओगे । उस सेठ ने कहा, जहां दो पैसे का फायदा होग वहीं चला जाऊंगा । तो अगर इन पूंजीपतियों को फायदा नहीं होगा तो यह फार्म भी छोड़ कर जाने वाले हैं । सरकार छोटे और बड़ों में बीच बचाव करने वाली है, इसलिए वह किसानों की हालत की ओर ध्यान दे, खेतीहर लोग खेती पर ही अपना जीवन बसर करते हैं लेकिन पूरे साधन उपलब्ध नहीं होने की वजह से बेरोजगार हो रहे हैं । दूसरी तरफ बड़े बड़े फार्म को सारे साधन दे रहे हैं । इस कारण बड़े बड़े फार्मों के कारण किसान मजदूर की श्रेणी में आ रहे हैं । मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार तटस्थ होकर योजना बना कर इनकी ओर ध्यान देगी ।

यही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, ऋण की व्यवस्था जो अजमेर जिले के अन्दर है, मैं समझता हूं, किसानों के लिए काफी दुःख का विषय है । अभी यह तरमीम हुई कि किसान के पास भूमि गिरवी रखने के लिए डाक्युमेंट होने चाहिए । लेकिन इस तरमीम के होने के बाद से अभी तक किसानों को पासबुक नहीं दी है और पासबुक नहीं होने की वजह से वह ऋण से वंचित रह रहे हैं । ऋण लेकर वह अपने खेत का डवलपमेंट करना चाहते हैं और कृषि उत्पादन करके अपना जीवन निर्वाह करना चाहते हैं, वह देश के लिए अन्न उत्पादन करना चाहते हैं लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था के कारण वह ऋण से वंचित हो रहे हैं । अभी माननीय सदस्य ने कहा कि ढ़ाई रुपया खर्च होता है, उसकी जगह पर पन्द्रह रुपया खर्च होता है । भूमि विकास बैंक में जितने शेअर होते हैं, उस पर साढ़े सात पर्सेन्ट दिया जाता है, वह तो ऋण चुकाने के बाद दिया जाता है । यह जरूर है कि राष्ट्रीयकरण होने के बाद में पूंजीपतियों को पैसा मिलता है । इससे किसानों के साथ घोर अन्याय हुआ है । इसलिए इसकी उचित व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि किसान ऋण से वंचित नहीं रहें । मैं निवेदन कर रहा था कि किसानों की हालत सुधारने के लिए कम से कम किसानों के लिए ऋण की व्यवस्था करना बहुत आवश्यक है ।

(श्री शंकरसिंह रावत)

यही नहीं, कुएं गहरे करने के लिए और सिंचाई के साधनों के सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार से कि किसानों के पास सिंचाई के साधन नहीं हैं। बड़े सिंचाई के बांध तो जरूर हैं इस वक्त लेकिन कुए किसानों के पास हों, इसके लिए सरकार अलग अलग जगह व्यवस्था नहीं कर सकी है। अगर नहीं कर सकते तो दूसरी जो सड़क या और काम की योजना है उसको कम करके, मैं समझता हूं कि अगर किसी गांव में पचास कुएं हैं तो उनमें से आप चार कुए ठीक करा दें और उन चार कुओं पर बिजली पहुंचा दी जाय, गांवों की सर्वे करके भूमि की सिंचाई के लिए चार कुए उपलब्ध हों तो किसानों को सुविधा मिल सकती है सिंचाई की। इस ओर आपको ध्यान देना चाहिए। इससे अकाल की स्थिति और समस्या का हमेशा के लिए समाधान हो सकता है। भले ही एक सड़क बन्द हो जाय, लेकिन उस सड़क पर खर्च होने वाले एक लाख रुपये से दो चार कुए तो गांव में हो जायेंगे।

बूढ़े पुष्कर के पास नल कूप लगाये गये हैं और रेल्वे वर्क शाप के लिए वहां से पानी ले जाया जा रहा है। वहां पर हजारों बीघा जमीन, एग्रीकल्चर लैंड ऐसी की ऐसी पड़ी है। वहां पर कुओं की व्यवस्था हो जाय तो मैं समझता हूं कि हजारों मन अनाज की व्यवस्था हो सकती है। राज्य सरकार इस ओर ध्यान दे। पंचायत समिति के माध्यम से, ग्राम पंचायत के माध्यम से या जोइन्ट फार्मिंग सोसाइटी खोल कर इस ओर ध्यान देना चाहिए।

यह नहीं, बीज के सम्बन्ध में मैं निवेदन करूं, जहां तक बीज का सवाल है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले की बात में नहीं जाना चाहता। मैं खुद प्रधान रहा हूं, पंचायत समिति ने इसके लिए बहुत प्रयास किया है। इस वक्त परिस्थिति भिन्न है क्योंकि अकाल है, इसलिए पिछली बातों को लेकर चर्चा करने में बुद्धिमानी नहीं है। इस सम्बन्ध में हमें इमीजियेटली सोचना पड़ेगा : आगे आने वाली खरीफ की फसल के लिए किसानों को बीज समय पर उपलब्ध कराना है। कृषि विभाग, या किसी माध्यम से, सोसाइटी के माध्यम से, पंचायत समिति के माध्यम से लोन देकर आपको बीज उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। उन्नत बीज तो विभाग उपलब्ध करेगा, लेकिन कुछ लोन की भी व्यवस्था हो क्योंकि आज काश्तकारों की हालत खराब हो चुकी है। किसान जेवर बेच कर पैसे को खाने पीने में लगा चुके हैं। इसलिए बारिश होते ही समय पर बीज नहीं मिला तो खाली खेत पड़े रहने की सम्भावना है। मैं समझता हूं कि सरकार को ध्यान रखना चाहिए इस बात का कि जिस देश का किसान खुशहाल है, वहां के व्यापारी, वहां की सरकार, वहां की जनता, वहां के मजदूर—सब खुशहाल होते हैं। यही नहीं, हमारे स्वर्गीय लालबहादुर शास्त्री, प्रधान मंत्री ने साफ तौर से कहा था, जय जवान, जय किसान। मैं सोचता हूं, जब हमारे देश के प्रधान मंत्री ऐसा सोचते थे कि इस देश की खुशहाली किसान पर निर्भर है तो वह किसान को आधारभूत मान कर कहते थे। तो कृषि का आधार बीज को मान कर हमें खास तौर से सोचना है। मैं निवेदन करूं, सरदार वल्लभ भाई ने भी कहा था : किसान डर कर जुल्मी की लात खाये - इसमें मुझे शर्म आती है....

एक माननीय सदस्य : वह चले गये।

श्री शंकरसिंह रावत : मेरे जीवन का लक्ष्य तो है, किसान को दबा न रख कर खड़ा कर दूं, उसको स्वाभिमानी बना दूं। इतना करके यदि मैं मरा तो मेरा जीवन सफल मानूंगा,

मैं समझता हूं, यह बात सोचनीय है क्योंकि किसान देश का आधार है। जैसे राजस्थान नहर है, ऐसे ही सिंचाई के साधन इस जगह पर भी करने चाहिए। इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना और निवेदन करूं कि छोटे छोटे भूमिहीन किसान हैं, उन्हें भूमि का एलॉटमेंट न करके आप जोइन्ट फार्मिंग सोसाइटी बनाने पर ध्यान दें जिससे उन्हें सारे साधन उपलब्ध हो सकें और वह साधन सम्पन्न हो सकें। इस पर भी विचार करना चाहिए।

इतना ही नहीं, विद्युत् के सम्बन्ध में एक और निवेदन कर दूं। जहां तक विद्युत् का सवाल है, कई दफा तीन चार महीने तक पैसा जमा करा देने के बावजूद भी किसानों को कनेक्शन नहीं मिल सकते हैं। यह सोचने का सवाल है। इसलिए मेरा निवेदन है कि कृषि मंत्री और विद्युत् मंत्री में सम्पर्क होना चाहिए। अगर किसानों को बिजली के कनेक्शन नहीं मिलें और किसान बिजली के कनेक्शन से वंचित रहें तो यह उचित नहीं है।

औजार और ट्रेक्टर आदि के लिए मैं निवेदन करूंगा उपाध्यक्ष महोदय कि आज बहुत से लोग ट्रेक्टर्स को खरीदते हैं, और उन्हें बाद में ब्लेक में बेच देते हैं इस चीज को रोकने के लिये, और किसानों को समय पर चूंकि ट्रेक्टर्स नहीं मिलता है उसके लिये मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि किसानों की जो जोइन्ट फार्मस कोऑपरेटिव सोसाईटीज हों उनको ट्रेक्टर्स पहले दिया जाना चाहिये। या पांच सात काश्तकारों को जोइन्टली दिया जाना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय आज किसानों की हालत बहुत ही पतली है। आज किसान बहुत ही गम्भीर हालत से गुजर रहा है। इसलिये मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करूंगा कि वह ऐसे उपाय किसान के लिये करे जिससे कि उनको राहत पहुंचे। अभी राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि राज्य सरकार एक अप्रेल से अनाज का थोक व्यापार हाथ में ले रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय को एक बात जरूर कहूंगा कि जब पहले बाजार में गेहूं किसान लाया था तो उसको 70 रुपये क्विन्टल के हिसाब से अपनी प्रोड्यूस को बेचना पड़ा और आज स्थिति यह है कि बाजार में गेहूं की बिक्री 150 रुपये क्विन्टल से हो रही है। इसके लिये किसान के मन में बहुत ही असन्तोष है। आज यह हालत है कि किसान को उसकी प्रोड्यूस का पूरा फायदा नहीं मिलता है। इसलिये मेरा कृषि मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि काश्तकार को उसके अनाज का उचित मूल्य मिले ऐसी व्यवस्था राज्य सरकार को करनी चाहिये। इसके लिये मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि प्रत्येक जिला स्तर पर एक कमेटी का गठन किया जाय जिसमें उस एरिया का प्रधान और जन प्रतिनिधि तथा कुछ काश्तकार भी शामिल होने चाहियें और उसके साथ साथ इसमें कृषि विभाग के लोग भी शामिल होने चाहियें। यह कमेटी काश्तकार को उनकी उपज का किस प्रकार से उचित मूल्य मिल सके उसका ध्यान रखे।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरा स्थान

(श्री शंकरसिंह रावत)
ग्रहण यह कहते हुए करता हूं कि राज्य सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिससे कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मूलचन्द सामरिया।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज कृषि के बारे में डिमान्ड्स चल रही हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज हम राज्य सरकार की किसान के प्रति नीतियां देखें तो हमें ऐसा लगता है कि सरकार किसानों को सबल बनने नहीं देना चाहती है इसलिये सरकार किसानों के विरोध की कार्यवाही करती रहती है। सरकार किसानों के लिये ऐसी कार्यवाही कर रही है कि जिससे उनकी आर्थिक हालत कभी भी नहीं सुधर सकती है और सरकार उनके ऊपर आघात पहुंचा रही है। आज सरकार ऐसी स्थिति पैदा कर रही है कि जिससे किसान अपना काम इन्डीपेन्डेन्टली नहीं कर सकता। सरकार आज किसान को पन्गु बना रही है। मैं कृषि मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो किसान खुद अनाज पैदा करता है और जिस किसान ने खुद ने 74 रुपये में अनाज बेचा वही किसान आज बाजार से 150 रुपये प्रति क्विन्टल के भाव से गेहूं खरीद कर अपना पेट पाल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, आज काश्तकार की ऐसी हालत खराब है कि वह अपने खाने के लिये गेहूं, पैसे नहीं होने के कारण, उधार से या अपने बोहरे से पैसे ब्याज लेकर अनाज खरीद कर अपना काम चला रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, जब अबकी बार वह अपनी फसल तैयार होने पर बेचेगा तो उसे राज्य सरकार से वही 74 से लेकर 76 रुपये प्रति क्विन्टल के भाव से पैसा मिलेगा। तो राज्य सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि क्या यही आपका न्याय है कि उस किसान को जिसने 150 रुपये प्रति क्विन्टल गेहूं बाजार से परचेज किया है उसको एक क्विन्टल के 74 रुपये आप दें। इसलिये मैं राज्य सरकार को यह निवेदन करना चाहूंगा कि क्या राज्य सरकार उसको गारन्टी इस बात की देती है कि वह उसे समय पर ट्रेक्टर की फैसीलिटीज देगी, क्या राज्य सरकार उसे कैश या क्रेडिट में भूमि जोतने की सुविधा देगी ? क्या किसान जितनी भूमि जोतना चाहता है उतनी भूमि जोतने के लिये देने की गारन्टी देती है। क्या राज्य सरकार ऐसे अच्छी किस्म के बीज मुहैया करने की गारन्टी देती है ? कैश या क्रेडिट बेसिस पर। क्या राज्य सरकार उनको अच्छी प्रकार की खाद देने की गारन्टी देगी ? क्या राज्य सरकार किसानों के लिये अच्छी किस्म के बीज कृषि विशेषज्ञों की सिफारिशों के अनुसार दिलायेगी ? क्या सरकार किसानों को उनकी काश्त पर कोई बीमारी नहीं लगे इसके लिये क्या उन्हें कीटनाशक औषधियां वगैरह सप्लाई करेगी ? उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्रीजी ने अपने बजट भाषण में यह बात कही थी कि हमारी कृषि की उपज इन्द्र भगवान की मेहरबानी पर निर्भर करती है। क्योंकि हमारे यहां जो मानसून आता है वह खेती के लिये एक प्रकार से गैम्बल है। इसलिये मैं राज्य सरकार को यह निवेदन करना चाहूंगा कि क्या राज्य सरकार किसानों के लिये कोई इन्श्योरेंस की योजना लागू करना चाहेगी। जिससे किसान उत्पादन के अनुसार प्रति एकड़ इतना एमाउन्ट इन्श्योरेन्स दे कर अपने भविष्य के लिये आशान्वित होजावे। क्या इसके लिये कोई गारन्टी राज्य सरकार उसे देती है। उपाध्यक्ष महोदय, आज काश्तकार बाध्य होकर अपनी जमीन के लिये बाड़ी लेकर अनाज लेता है तो क्या

(श्री मूलचन्द सामरिया)

सरकार इसके लिये कोई व्यवस्था करने वाली है। क्या सरकार किसानों को रोजमर्रा का काम चलाने के लिये उधार अनाज कम कोस्ट पर दिलाने की व्यवस्था के लिये कोई व्यवस्था कर रही है? उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार इस बारे में मौन है। आज, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की राष्ट्रीयकरण की नीति का सभी दल स्वागत करते हैं लेकिन मैं और मेरा दल इस सरकार की अनाज के थोक व्यापार की राष्ट्रीयकरण नीति का घोरतम विरोध करता है। क्योंकि इस नीति से आप किसान को अपंग बनाना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के पास यह राष्ट्रीयकरण का ऐसा हथियार है कि जिससे किसान को बहुत ही नुकसान हो रहा है और होगा आज जिस किसी चीज से किसान को फायदा होता है उस पर यह सरकार ऐसी व्यवस्था पैदा करती है कि जिससे वह खुशहाल नहीं हो सके। उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो राज्य सरकार ने यह कहा है कि हम किसानों को ऋण दिलाते हैं पर मैं आपसे निवेदन कर देना चाहूंगा कि उसमें किसान को काफी खर्चा करना पड़ जाता है और वह खर्चा इतना बढ़ जाता है जितना कि उसको अपने वोहरे से उधार लेने में व्याज नहीं देना पड़ता। उपाध्यक्ष महोदय, आज काश्तकार को उन बैंकों से लोन लेने के लिये 20 प्रकार के सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं। और साथ में उसको गारन्टर भी रखना पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, उसकी जमीन को भी उसके लिये रहन रखना पड़ता है। इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे ऋण मिल जाय यह नैक्स्ट टू इम्पासीबल बात है। आज भूमि विकास बैंक और दूसरे जो बैंक्स हैं उनमें उन लोगों को ही लोन दिया जाता है जिनके टेलीफोन वगैरह आते हैं। जिनके टेलीफोन आते हैं उनके तो टेलीफोन्स पर ही लोन स्वीकृत कर दिये जाते हैं लेकिन बेचारे पूअर फार्मर जिनके कि कोई पोलीटिकल नेता का जोर नहीं होता उनको इन बैंकों से आज कोई लोन नहीं मिलता है। एक इन्डिपेन्डेन्ट फार्मर के लिये लोन मिलना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे सख्त नियम बनाये गये हैं कि किसान उनको पूरा नहीं कर सकता है। आज ऐसी व्यवस्था गरीब किसानों के साथ की जा रही है कि उन्हें जो लोन मिलता है उसकी अदायगी के लिये फसल के वक्त भी उनके ट्रैक्टर सीज कर दिये जाते हैं। तो मैं कृषि मंत्रीजी से यह बताना चाहूंगा कि इस प्रकार से राजनैतिक तरीकों से किसानों को आज विक्टेमाईज किया जा रहा है। आज पोलीटिकल परंजेज के लिये किसानों को परेशान किया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि आज जयपुर जिला राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है और राजस्व के लिहाज से भी राजस्थान में सबसे ज्यादा आय देने वाला यह जिला है लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान सरकार ने और खास तौर से राजस्थान के पश्चिमी इलाके के नेताओं ने राजनैतिक कारणों से इसकी उपेक्षा हमेशा से की है। उपाध्यक्ष महोदय, यह कटु बात है लेकिन अपने आप में सत्य है। आज राजस्थान के जयपुर जिले के लोग जो इतना बड़ा लगान देते हैं और लगान की दरें भी राजस्थान के दूसरे इलाकों से ज्यादा ली जाती हैं लेकिन मैं एक बात कृषि मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या आप इसके अनुपात में हमारे यहां के किसानों को सिंचाई के लिये आपने क्या साधन आज तक उपलब्ध कराये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि कितने बन्धे आपने बनाये

(श्री मूलचन्द सामरिया)

हैं। आपने जयपुर जिले के लिये सिचाई के लिये कितनी योजनायें चालू कीं। अगर उपाध्यक्ष महोदय, हम इन सभी बातों की ओर देखें तो हमें पता लगेगा कि जयपुर जिले का हमेशा से उपहास किया गया है। आपने जयपुर का उपकार नहीं किया। उपाध्यक्ष महोदय, राजा महाराजाओं के जमाने का एक बान्ध बना हुआ है जमुवा-रामगढ में वह ही आज तक चल रहा है। राजा महाराजा के जमाने को हम सामन्तशाही कहते हैं लेकिन उनके जमाने में इस जमुवा-रामगढ के बान्ध से काश्तकारों को सिचाई के लिये पानी दिया जाता था। लेकिन आज इस सरकार ने यह किया कि उस पानी को काश्तकारों की सिचाई के लिये पानी देना बन्द कर दिया। इससे उन किसानों को नुकसान होगया जिनकी हजारों एकड़ भूमि इस बन्धे के पानी से सिंचित की जाती थी। आज सरकार ने यह कह दिया कि चूंकि जयपुर में पेय जल की आवश्यकता है इसलिये उसको सिचाई के काम में नहीं लिया जा सकता। तो सरकार से यह मैं पूछना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने किसानों को वे बूंदी के लिये कितने नये बान्ध बनाये हैं। आज इस कल्याणकारी सरकार ने, इस समाजवादी कहलाने वाली सरकार ने जिन काश्तकारों को सिचाई के लिये पानी उस रामगढ बन्धे से मिलता था उस पानी को जयपुर शहर के लोगों को पीने के पानी के लिये उपलब्ध करा दिया। मैं यह निवेदन करूं कि जयपुर शहर को पानी पिलाया जाय इसमें किसी को कोई एतराज नहीं लेकिन क्या सरकार इतनी निकम्मी है, क्या सरकार के पास इतने साधन भी नहीं हैं कि जयपुर शहर के लिये पीने के और पानी की अन्य व्यवस्था नहीं कर सकती एक की रोटी को उसके सामने से उठा कर दूसरे के आगे रख दे और यह कहे कि यह मरने वाला था इसलिये वहां से उठा ली गई और तू दो दिन भूखा भी रह सकता है इसलिये तुझे भोजन नहीं मिलेगा। किसानों के बिखराव के कारण, ऐसे मामलों में जहां आन्दोलन करने की उत्सुकता और उनकी भावना रहती है, उसका नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं यह किसानों के साथ अन्याय है।

चान्द्राना बांध के लिए फरमाया आपने कि इससे 1,100 एकड़ भूमि सिंचाई होगी। यह नाकाफी है। आपने यह भी फरमाया कि दून नदी पर बांध बना कर इसकी पूर्ति करेंगे। यह सरकार वैसा ही न करे इसमें भी कि जयपुर शहर को बनास नदी पर बांध बना कर जयपुर शहर को भी पीने का पानी उपलब्ध कराने का था और जिस पर लाखों रुपये सर्वे पर खर्चा किया गया लेकिन उस योजना को कार्यरूप में परिणित नहीं किया गया। आज सरकार को करोड़ों रुपया राजस्व का, सेल्स टैक्स, इनकम-टैक्स आदि का मिल रहा है। लेकिन आप आज हठधर्मी अपना कर हमारे हकों को ही खा जाना चाहते हैं। दूसरे जिलों की प्रगति से हमें कोई गिला नहीं, कीजिये, खूब कीजिये, लेकिन राजस्थान सरकार का जयपुर जिला और राजस्थान के पूर्वी भाग के विषय में जो रवैया है उसके लिये यहां के लोगों को सोचना पड़ेगा। आप समाजवाद का मुखौटा पहिन कर अन्दर से पूंजीवादी बने बैठे हैं। आपको वह समय, दिन दूर नहीं जब लोग धिक्कारेंगे और आपको नीचे रख देंगे। मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी घटना हो उससे पूर्व ही सरकार को चाहिये कि जयपुर जिले को, जो राजस्थान का अभिन्न अंग है, उसको पानी के अभाव में रहना पड़ता है और यदि उसको पानी मिले तो वह

(श्री मूलचन्द सामरिया)
भी पानी की उपलब्धि से समृद्ध हो सकता है, समाजवाद की दिन रात आप रटन लगाये रहते हैं लेकिन आप हमारी न्यायप्रद मांगों को और समस्याओं की ओर ध्यान नहीं देना चाहते हैं और आप जयपुर जिले को तहस-नहस कर रहे हैं इसलिये इस ओर आपको सोचना पड़ेगा और आपको इसके लिये लोग बाध्य कर देंगे ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पशुपालन के संबंध में दो मिनिट निवेदन करना चाहता हूं । तीन साल के लिये आपने यह गारन्टी दी थी उन कर्मचारियों को असिस्टेन्ट पद पर लगा दिया जावेगा । लेकिन सात साल हो गये आपने उनको आज तक वह पद नहीं दिया । क्या इस ओर ध्यान देंगे ? सरकार वचनबद्ध थी लेकिन अब सरकार अपने वचनों पर टिक नहीं रही है । सरकार अपनी हठधर्मी के कारण छोटे छोटे कर्मचारियों को आन्दोलन करने के लिये मजबूर करती है । ऐसे लोगों के साथ समय पर ही न्याय किया जाय । शीप एन्ड वूल डिपार्टमेंट का यह नियम है कि दो बीघा जमीन हो तो भेड़ पालन कर सकता है । हरिजनों को खुश करने के लिये नाममात्र की उबड़-खाबड़ जमीन उनको दे देते हैं जिस पर जिन्दगी भर वे खेती नहीं कर सकते, किसी को एक बीघा, किसी को आधा बीघा जमीन दे देते हैं और रहने के लिये अनुसूचित जाति और जन-जाति के लोगों को और खास कर हरिजनों को हमने जमीन अलॉट कर दी । न तो उस जमीन में वे काश्त कर सकते हैं और न ही अपने बच्चों का पेट पालन कर सकते हैं । इस तरह से आप उन जंगलात और चारागाह को खत्म न करें । वरना पशुधन की जो स्थिति बनेगी उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लूणाराम ।

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, पश्चिमी राजस्थान सूखा राजस्थान जिसको हम हरा भरा बनाने का स्वप्न देखते हैं उसके संबंध में आपके माध्यम से कुछ निवेदन करना चाहूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, आज पश्चिमी सूखे राजस्थान में कृषि संबंधी हर प्रकार की कठिनाइयां हैं । वहां का किसान हर प्रकार की कठिनाइयों से झूझता है । कृषि को उन्नत बनाना चाहता है लेकिन साधनों के अभाव के कारण से वह नहीं बना पाता है । आज यदि आवश्यकता है तो बिजली और पानी की है । यदि पानी और बिजली उस सूखे क्षेत्र में उपलब्ध करवा दी जाय तो निश्चय ही यह कहा जा सकता है कि मरूस्थल अच्छा हरा भरा हो सकता है ।

आज नल कूप खोदने की बात आती है ट्यूब वेल लगाने की बात आती है तो सर्वे नहीं होने की बात कह कर और पानी न होने की बात कह कर टाल दिया जाता है । पानी का वहां पहले पता नहीं लगा लेंगे तब तक ये योजनायें कार्यान्वित करना चाहेंगे तो वे अपने आप में असफल हो जावेंगे ।

सबसे पहले मैं भू-जल मंडल के संबंध में निवेदन करूंगा । जो मेरे क्षेत्र से विशेष संबंधित हैं । आज भू-जल मंडल का कार्य व ट्यूब वैल खोदने के कार्य को बड़ी मुश्किल बात कही जा रही है । जहां सड़क नहीं लगती वहां उदाहरण के तौर पर हमारे क्षेत्र में मंत्री महोदय की कृपा के कारण यत्र तत्र सर्वे की जा रही है लेकिन भू-जल मंडल वाले वास्तविक रूप से काम नहीं करते हैं और उसका परिणाम किस प्रकार से हमको

(श्री लूणाराम)

भोगना पड़ता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सांडियासर ग्राम है वहां पर ट्यूब वैल खोदी गयी। पानी भी खूब आया। गांव वालों ने उनको बधाइयां बांटीं। खूब बधाइयां दीं गांव वालों ने। पर ज्यों ही उनके प्लान के अनुसार पुख्ता करने की व्यवस्था करने लगे तो उनकी गलती के कारण उस कुए का पानी सूख गया। सारी मेहनत बेकार हो गई। हजारों रुपया लगा वह भी बेकार हो गया। और उन्होंने यह रिपोर्ट दे दी कि पानी नहीं मिला। गांव वालों को तो यह कहते रहे कि हमारी गलती के कारण असफल हो गये। मंत्रीजी से आर्डर ले आओ तो वेल खोद दें, वैसे पानी की कोई कमी नहीं है या तो गांव वालों को इस तरह की बात कह कर उनके साथ धोखा किया जाता था या पानी नहीं, जैसी सरकार को रिपोर्ट की और गांव वालों को कहा कि पानी है पुनः ओर्डर लाओ तो खोद दें। इसलिये पानी तो है जब ही तो पानी आया लेकिन उनकी गलती से बंद हो गया। इसलिये इसको पुनः खदवाया जाय जिससे कि अन्य क्षेत्र से पानी न लाना पड़े। हमारी योजना कृषि कुओं के संबंध में भी है। मेरे क्षेत्र के लिये कह सकता हूं कि तीन ऐसे अधिक व मीठे पानी के वैल हैं जहां मीठा पानी उपलब्ध है। सूडसर शेरूना आदि गांवों में 20 हार्स पावर की मशीनें लगा रखी हैं। चौबीसों घंटे कुए चलाने पर भी पानी नहीं टूटता है तो निश्चय ही कहा जा सकता है कि पानी की कमी नहीं है। तो इस एरिया में इस तरह के ट्यूब वैल खुदवा कर किसानों को दिये जावें। दो साल पहले इसके लिये किसानों को बुलाकर प्रार्थना-पत्र भी पंचायत समितियों की मार्फत मांगे थे। मेरी पंचायत समिति ने सबसे अधिक इस तरह के प्रार्थना-पत्र दिये भी। आज तो किसान पूरी कीमत देकर ट्यूब वैल खुदवाना चाहता है।

आज अकाल का सामना करने के लिये खाद्यान्न की उपज की वृद्धि के हित में इस तरह के ट्यूब वैल दिये जावें और साथ ही बिजली उन तक पहुंचाई जावे। इस तरह से आप करेंगे तो गांवों में सिंचाई का पानी मिल सकेगा, पीने के पानी की तो कोई समस्या ही नहीं रहेगी।

गांव के आदमियों का अनुमान है कि पुराने कुओं का भी बोरिंग करवाया जावे ताकि उससे कृषि के लिये सिंचाई योग्य पानी मिल सके। भू-जल मण्डल द्वारा पुराने कुओं में बोरिंग करने की तरफ बहुत कम ध्यान दिया जाता है। आज इस अहम मसले को हल करने के लिये सरकार को चाहिये कि चाहे दस बीस लाख रुपया अधिक खर्च करना पड़े पर इस काम को हाथ में ले।

इसके साथ मेरे क्षेत्र में कम से कम मैं यह चाहूंगा कि जहां पानी की सम्भावना है उस क्षेत्र में पूरी सर्वे करवाई जावे। पानी का जहाँ निश्चय हो वहां ट्यूब वैल खुदाई जाने की व्यवस्था कराई जावे। फेमिन के नाम पर भी ट्यूब वैल खोदे जा रहे हैं। हमारे यहां 15-20 गांवों का आडीसर के आस पास एक क्षेत्र है। उसके लिये लिखा पढ़ी भी की है पर आज तक आंख उठाकर भी नहीं देखा गया है। उनका भी सर्वे कराकर बोरिंग वहां पर भी कराया जा सकता है। किसान उत्साही है पर साधनों के अभाव में दबा हुआ बैठा है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक ट्यूब वैल की व्यवस्था मेरे क्षेत्र में की जावे ताकि हमारी कृषि की और पीने के पानी की समस्या हल हो सके।

(श्री लूणाराम)

इसके साथ कणावन्दी के बारे में थोड़ा निवेदन करूंगा। अपनी जमीन को हवा से बचाने के लिये अपने ही सीमित साधनों से किसान आज थोड़ा बहुत प्रयत्न इस दिशा में कर रहा है। सरकार को बड़े पैमाने पर इस काम को अपने हाथ में लेना चाहिये और अकाल के समय में इस कणावन्दी और भूरक्षण के काम में काफी प्रगति की जा सकती है। पानी और बीज देने से पहले यह काम किया जाना जरूरी है। इससे खेतों की रक्षा हो सकेगी और काफी उत्पादन बढ़ सकेगा।

आज यह आशंका किसान के मन में है कि आज तो अकाल का समय है, पर बरसात आने से पहले खेतों में बोने के लिये समय पर सरकार बीज दे सकेगी या नहीं। आज पेट भरने के लिये दूसरे कामों के लिये मजदूरी अगर नजदीक नहीं मिलती है तो दूर जगह भी किसान जा सकता है पर वर्षा प्रतीक्षा नहीं करेगी। निश्चित समय पर होगी। बीज नहीं मिलेगा किसान को तो किसान खेती के बिना ही रह जावेगा। 15-20 जून तक तकावी बंटवा दी जावे बीज आदि की ताकि समय पर किसी प्रकार की दिक्कत खेती में किसान को न आने पावे।

तिलहन की मेरे क्षेत्र में बड़ी भारी खेती होती है। आज औसतन 100 बीघा खेती में 15 बीघा में तिल पैदा करते हैं। इसके लिये भी बीज या खरीद के लिये उपयुक्त मात्रा में धनराशि किसान को उपलब्ध कराई जावे।

इसके साथ दूसरी दिक्कत यह है कि सिंचाई के लिये कुए बनाने के लिये पंचायत समितियों द्वारा किसानों को ऋण दिया गया था। अब सरकार ने पंचायत समितियों से लेन देन ऋण का बन्द कर दिया। बैंक आसानी से देते नहीं तो अब किसान इन पंचायत समितियों से उलझ कर रह गया है। अब किसान बैंकों के पास जाता है तो कहते हैं कि पहला कर्जा चुकाने के बाद दूसरा कर्जा नहीं मिल सकता है। ऐसी स्थिति में किसानों ने जो खर्चा किया वह किसी काम में नहीं आया एक तरफ तो, और दूसरी तरफ कर्जे से जूझ रहा है, किश्तें चढ़ रही हैं, तो ऐसी दशा में कृषि विभाग इस ओर ध्यान दे। किसी तरह से ऋण देकर उनके अधूरे कामों को पूरा कराया जावे ताकि वह किसान सभी कर्जे को चुकाने की स्थिति में तो आवे। जिस उत्साह से उसने कुए खोदने की कोशिश की थी उसी उत्साह से वह पानी भी ले सके और अपनी खेती से उस सारे कर्जे को चुका सके एसी व्यवस्था की जानी चाहिये।

पंचायत समितियों का कृषि विभाग पशुपालन विभाग द्वारा क्षेत्रों का वर्गीकरण किया गया है कृषि को पशुपालन के इस रूप में कि कौन कृषि प्रधान है, कौन पशुपालन प्रधान क्षेत्र है और कौन मिश्रित है। मेरे क्षेत्र की बात मैं निवेदन कर दूं कि इस दृष्टि से मेरे क्षेत्र का सही सर्वे नहीं हुआ है। सभी को पशुपालन क्षेत्र घोषित कर दिया है, जब कि दोनों के लिये बराबर उपयोगी क्षेत्र है। इसको जांच करके दोनों के योग्य घोषित किया जाना चाहिये ताकि वहां का कृषक भी और पशुपालक भी समान रूप से तरक्की कर सके। समान साधन उसे प्राप्त हो सकें।

इसी प्रकार से उपाध्यक्ष महोदय, अफसोस की बात है, पिछली बार भी मैंने निवेदन किया था कि वहां का किसान खेती के लिये पूरा उत्साह रखता है। सारी पंचायत समितियों में कृषि प्रसार अधिकारी है पर मेरे यहां पंचायत समिति सरदारशहर जो सबसे बड़ी है वहां कृषि प्रसार अधिकारी की पोस्ट नहीं है। विभाग को भी मैं लिख चुका हूं

(श्री लूणाराम)

कि सभी पंचायत समितियों में कृषि प्रसार अधिकारी है, इसमें क्यों नहीं है। तो इसकी व्यवस्था यहां पर करवाई जावे।

उम्मीद है कि इसमें वित्त मंत्रीजी भी बजट का झगड़ा खड़ा नहीं करेंगे। सरदारशहर में पोस्ट शीघ्र स्थापित की जावे।

उपाध्यक्ष महोदय, भूमि विकास बैंक से किसान कर्ज लेता है तो सम्पन्न जमीदार पूरी हैसियत जमीन गिरवी रखकर बैंक को खाना-पूर्ति कर देता है। पर वास्तव में बैंक से लोन की आवश्यकता है उनको लोन नहीं मिलता। और कहीं से लेकर आता भी है तो अपने साधनों से चुकाना पड़ता है। हैसियत होने या न होने पर भी खेत गिरवी बैंक रख देते हैं बैंक में तो दुबारा लोन नहीं मिल पाता। फिर कोई भी दूसरा आदमी कर्जा देने को तैयार नहीं होता। इसकी भूमि बैंक के गिरवी है। इसलिये जिसकी हैसियत सही तौर से कर्जा देने की हो तो सरकार को बैंक से उनको कर्जा दिलाना चाहिये।

दालों के बारे में थोड़ा और निवेदन कर देना चाहता हूं। दालों में हमारे यहां मोठ की दाल कीमती समझी जाती है। दो साल पहले मोठ में भयंकर बीमारी आई। लेबोरेट्री में हमने भेजा पर प्रगति विवरण 72-73 में इसका कहीं उल्लेख नहीं किया गया। आने वाले समय में इस मोठ की बीमारी की रोकथाम के लिये सरकार को प्रयत्न करना चाहिये।

इसी प्रकार पंचायत समिति के फार्म बेकार पड़े हैं। मैं चाहूंगा कि कम से कम इसमें अच्छी फसल हो। सौ बीघा हमारी समिति का फार्म है। पानी भी मिल सकता है। इन्हें अच्छा बनाया जावे। उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार आज हमारे विद्यार्थियों के सामने समस्या है। आज कृषि विद्यालयों के लिये बहुत दूर जाना पड़ता है उसके लिये सबसे श्रेष्ठ जगह हमारे यहां मौजूद है जहां 30 हजार हेक्टर भूमि मौजूद है। सूरतगढ़ सरकारी कृषि फार्म व 20 हजार एकड़ सांगरिया के पास मौजूद है। किसी समय कृषि विद्यालय का प्रश्न आया तो वह सूरतगढ़ या सांगरिया में स्थापित किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, काश्तकारों को पास बुकें इस आधार पर तैयार करवाई गई थीं कि पास बुक के आधार पर लोन दिया जा सके मगर आज तक इसकी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी समाप्त करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय पांच मिनिट में समाप्त करता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बहुत जल्दी करता हूं। दूसरी बात कृषि उद्योग निगम के सम्बन्ध में अर्ज कर दूं। ट्रेक्टर पार्ट्स के बारे में जो समस्या है उसके बारे में कार्यवाही की जानी आवश्यक है। आज ट्रेक्टरों की बढ़ती हुई कीमतों का सवाल है। पहले तो काश्तकार को जमीन ही उपलब्ध नहीं होती है और होती है तो ट्रेक्टरों की बहुत बढ़ी हुई कीमत है जो काश्तकारों के बस की बात नहीं है। मैं यह भी चाहूंगा कि किसान की सुविधा को देखते हुये ट्रेक्टरों की कीमत कम की जाय। हजारों सूखा ग्रस्त, अभाव ग्रस्त क्षेत्र हैं। वे खरीदने की स्थिति में नहीं हैं हमारे चूरू जिले में तहसील हैड क्वार्टर पर

(श्री लूणाराम)

ट्रेक्टर भिजवाये जांय ताकि वर्षा के समय किसानों को खेती में सहूलियत हो सके अन्यथा हो सकता है काश्तकार खेती करने से भी वंचित रह सकते है और चार्ज भी रियायती किया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हम पशु पालन के बारे में विचार करते हैं तो आज उनके चारागाह के लिये कोई स्थान नहीं है । चारे का भी स्टोरेज होना चाहिये ताकि जब कभी अकाल पड़ता है तो हमें पशुओं के लिये अधिक से अधिक चारा उपलब्ध हो सके । चारे की पशुओं के लिये बहुत समस्या है । जब जमाना आय तो चारे की व्यवस्था कर लेनी चाहिये । जमाने में हमारे यहां काफी चारा उपलब्ध हो सकता है । जमाने के समय चारे की व्यवस्था नहीं कर पायेंगे तब तक हमारे पशु ही मरते रहेंगे ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, पशु चिकित्सा के सम्बन्ध में अर्ज कर दूं । गांवों में मनुष्य का सारा जीवन पशुओं पर निर्भर है । राजस्थान के दूसरे क्षेत्र से हमारे यहां पशु ज्यादा हैं और पशु ज्यादा होने की वजह से आज हमारे यहां पशुओं की चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिये मैं चाहूंगा कम से कम 10 हजार पशुओं पर एक चिकित्सालय होना चाहिये । जहां पांच हजार पशुओं की संख्या है वहां भी कोई न कोई व्यवस्था करनी चाहिये ताकि बहुमूल्य पशुओं का जीवन बच सके ।

इसी तरह जो हमारे हरिजन भाई मेहतर जो हैं उनकी इच्छा के अनुसार सरकार की ओर से सूअर पालने के लिये उनको कुछ अनुदान व ऋण मिलना चाहिए ताकि वे सूअर पाल कर अपना भला कर सके ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य...

श्री लूणाराम : उपाध्यक्ष महोदय भेड़ पालन का जहां तक सवाल है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इसका (घंटी का) अर्थ कुछ समझें नहीं । मैं काफी समय दे चुका हूं !

श्री लूणाराम : दो मिनिट.... भेड़ पालन के लिये जरा सा है ....।

श्री उपाध्यक्ष : श्री यशवन्त सिंह नाहर ।

श्री यशवन्त सिंह नाहर (बनेड़ा): समय फर्मा दिया जाय ताकि....

श्री उपाध्यक्ष : आप तो बोलना प्रारम्भ कीजिये ।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : नहीं, अगर समय नहीं है तो मैं नहीं बोलना चाहूंगा । I will not speak more than....

श्री उपाध्यक्ष : यह आवश्यक नहीं है कि आसन की ओर से समय बताया जाय ।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : ठीक है, मैं समय से 10 मिनिट पहले अर्ज कर दूंगा । उपाध्यक्ष महोदय आज कृषि का प्रश्न है । राजस्थान में अलग अलग, भिन्न भिन्न प्रश्न। 73 परसेन्ट -83 परसेन्ट पापुलेशन खेती पर आश्रित है -वह विषय है और सौभाग्य से आज वित्त मंत्री जी यहां विराजे हैं । मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं राज्य सरकार को

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

और वह प्रश्न यह है कि आखिर कोई न कोई कोर्डिनेशन विभिन्न विभागों में कभी होगा या नहीं। राजस्थान की कितनी जनता को इकोनोमिक होल्डिंग पर बसाना चाहते हैं और कितनों को हम दूसरे धन्धों पर लगाना चाहते हैं। राजस्थान में 2 करोड़ 56 लाख की पापुलेशन है और राजस्थान में इरिगेशन लैन्ड है केवल 60 लाख एकड़। इरिगेशन होल्डिंग अगर आप पांच एकड़ एक फेमिली के लिये मान लें तो 12 लाख फेमिलीज के अलावा आप अन्य को कृषि पर आश्रित नहीं कर सकते हैं लेकिन हो इससे दूसरा रहा है। आज चारों तरफ से मांग है, हमें खेती की जमीन दें। हमारे कृषि मंत्रीजी, अकाल के भी मंत्री है और खाद्य के भी वे ही मंत्री हैं। उन्हें बहुत अच्छी तरह से मालूम है राजस्थान में 10 वर्षों में 7 साल अकाल पड़ रहा है और अबकी बार ऐसा अकाल पड़ा कि अच्छे अच्छे कुटुम्ब थर्रा गये और इस साल जब भयंकर स्थिति में तो उसको देखते हुये ऐसा मालूम पड़ता है और हमें मजबूर होकर यह सोचना पड़ेगा आखिर राजस्थान की जनता का हित और लाभ किसमें है और उसके सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ करना होगा।

खेती पर आश्रित करते जायं तो 7 साल तक सूखा पड़ता रहा है और ऐसे समय में केवल भगवान के भरोसे पर ऊपर से वर्षा होगी तो ही काश्तकार जिन्दा रह सकेगा तो मैं समझता हूं 10 साल में कोई ऐसा साल नहीं आयेगा कि वह अपना जीवनयापन कर सके। चाहे हम यहां बैठकर 10 बातें करते हैं। परकेपिटा इनकम 400, 500, 1000 रुपये साल की है लेकिन यह सब होने के बाद, आज व्यवस्था यह है और मैं नहीं समझता हूं एक काश्तकार जिसके पास 10 बीघा जमीन है उसकी एन्युअल इन्कम कितनी होती है जिससे वह अपनी पेट पूर्ति कर सके और वह भी सिंचाई के साधनों के अभाव में- एक परसेन्ट लोग भी ऐसे नहीं मिलेंगे। कम से कम भील और चमार जिनके पास सिंचाई के साधन नहीं है, उनमें से बहुत कम संख्या ऐसी होती है इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा यह वक्त आ गया है। आप खेती के ही मंत्री नहीं है मंत्रीमण्डल में इस बात पर विचार करना है।

जनता का कितना भार आप खेती पर डालना चाहते हैं, कितना भार उद्योगों पर डालना चाहते हैं। अगर वह नहीं है मार्जिनल फारमर तो जो गवर्नमेंट आफ इंडिया की स्कीम आई है उसकी पूर्ति करने के लिये किसी का भू-संरक्षण करवा रहे हैं, किसी का क्या करवा रहे हैं लेकिन यह समस्या, मुझे नहीं लगता है राजस्थान की अकाल की समस्या सुलझ पायेगी। आपके सिंचाई के आंकड़े आज नहीं, आज से 20 वर्ष बाद जितनी खेती की जमीन की सिंचाई कर सकेंगे वह एक करोड़ 50 लाख के करीब होगी। राजस्थान के बाहर से नदियों का पानी खींचकर लायेंगे तब और पाताल तोड़ कुओं से पानी ले सकेंगे तब तक। वह सारी सिंचाई एक करोड़ 50 लाख होगी और पांच एकड़ भी प्रति फेमिली मान ली जाय तो उसमें 30 लाख फेमिलीज को आप कर सकेंगे।

जिनकी पर केपिटा इनकम मेरे अनुमान से जो आज परकेपिटा इनकम है उससे ज्यादा नहीं बढ़ पायेगी क्योंकि हमारे जितने साधन हैं वह पेरेनियल नहीं हैं, बहुत लिमिटेड साधन हैं। बरसात कभी हो गयी तो तालाब के सूखे नालों में पानी भर गया और वह जितना

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)
पानी दे सकेगा उससे कुछ नहीं होगा। उपाध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत अच्छा हो, राजस्थान का कोई नक्शा बनाया जाये, कोई प्लान तैयार किया जाये और उसके बाद राजस्थान की गरीबी को दूर करने के लिए एक ही रास्ता हो सकता है कि नियोजित रूप से और ब्लाण्ड तरीके से इतने लोगों को तो इतनी इकोनॉमिक होल्डिंग से बड़े जमा सकेंगे और इतनों को दूसरी जगह लगा सकेंगे। आज उद्योग विभाग की तरफ से हमारे पास रिपोर्ट आई है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि 10 हजार रुपये पर एक कुटम्ब पल सकता है क्योंकि पैसा नहीं है यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है और जब पैसा नहीं है तो हम ईश्वर के भरोसे पर रहते हैं कि वह पानी बरसायेगा और काश्तकार को खेती की जमीन हम दे देते हैं ताकि वह यह न कहे कि उसके पास जमीन नहीं है भगवान तो पानी दे देता है। लेकिन मैं बहुत साफ शब्दों में कहूंगा कि इस गरीबी को हम बहुत दूर तक खींचकर नहीं ले जा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं और निवेदन करने जा रहा हूं कि विद्युत विभाग की तरफ से बिजली लगाई जाती है। आज पांच आदमी घर के काम करके उतना कमाकर खाते हैं कि उनके केवल रोटी और कपड़ा मिल जाये। उनके यहां विद्युत लगाई जा रही है और बैल बेकार होते जा रहे हैं तो उसके जो श्रम का पैसा है वह विद्युत विभाग ले जायेगा। इस तरह से उसकी जो सालाना इनकम है उसमें भी कमी आ जायेगी। आप बिजली लगाना बन्द करदें मैं ऐसा नहीं कहूंगा लेकिन आपने नियम बना रखा है कि जिला कृषि अधिकारी सर्टीफिकेट इश्यू करता है कि इसके लिये बिजली भी दी जाये या नहीं। उसके पीछे एक ही आधार हो सकता है कि वह जमीन इकोनोमिकली बिजली का बर्डन बरदाश्त कर सकेगी या नहीं। लेकिन एक दो बीघा जमीन में बिजली लग गयी तो इसके लिए भी मैं अनुभव करता हूं कि आपटर ऑल अनइकोनोमिक है और डेमोक्रेसी का लाभ है उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि हम आगे बढ़े और निश्चित योजना के साथ काम करें।

एक बात कह कर माननीय उपाध्यक्ष महोदय अपना स्थान ग्रहण करूंगा। कृषि उपज मण्डियां हैं उनमें हम आज तक कोई परिवर्तन नहीं ला पाये हैं। वह जमाना ब्रिटिश सरकार का था, 1929 में वह कानून जितना प्रोग्रेसिव था मैं आज भी अनुभव कर रहा हूं कि आज भी वही की वही प्रोग्रेस है। बहुत अच्छा कानून है लेकिन उसमें बहुत बड़ी तरमीम की आवश्यकता है। मैं कृषि मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि उसमें इस तरह का संशोधन लायें कि राजस्थान में फलों का व्यापार जो रेगुलेट नहीं किया हुआ है कृषि उपज मण्डियों द्वारा इसके लिए भी कानून की आवश्यकता है। यह कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भगराज चौधरी।

श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, कृषि का वैसे तो हमारे देश के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है लेकिन राजस्थान जैसे कृषि प्रधान प्रान्त के लिए यह बहुत ही महत्व का कार्य है। पिछले वर्षों में जो जो कृषि की उन्नति के लिए कार्य किये गये वैसे देखा जाये तो विज्ञान के युग के अन्दर सराहनीय कार्य है मगर फिर भी हमें उस बात को इस सन्दर्भ में देखना पड़ेगा कि सब कार्यों को काम में लाने के बावजूद भी हम कृषि

Page No.90

(श्री भगराज चौधरी)

उत्पादन राजस्थान के अन्दर कितना बढ़ा पाये हैं इस दृष्टिकोण से आंकना पड़ेगा।

कृषि उत्पादन सन् 1958-59 से लेकर आज तक जो हम बढ़ा पाये हैं यदि आंकड़ों की दृष्टि से देखें तो थोड़ा बहुत घटा बढ़ा के बावजूद आज हमारे उत्पादन की क्षमता वही है जो आज के करीब 15-16 साल पहले याने 1958-59 में थी। इसका अर्थ यह हुआ कि हमने वैज्ञानिक युग में रसायनिक खाद का, सुधरे हुए बीजों का और अन्य जो वैज्ञानिक ज्ञान हैं उनका उपयोग तो किया मगर इसके बावजूद भी हमें कोई विशेष फलीभूत नतीजा प्राप्त नहीं हुआ। इसका क्या कारण है? मेरे ख्याल में इसका मुख्य कारण यह है कि हमारे पास जो कृषि क्षेत्र है वह अपनी कुछ विशेष समस्याओं में घिरा हुआ है और सबसे मोटी बात यह है कि कृषि का संबंध सिंचाई से है। सिंचाई के साधन हमारे राज्य में पर्याप्त नही होने के कारण से और हमारी सरकार द्वारा कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की बात को बारबार कहते हुए भी उसके स्थाई हल के लिए सिंचाई के साधनों को बढ़ाने की दृष्टि से विशेष व्यवहारिक दृष्टिकोण की ओर ध्यान नहीं दिया गया। हमने कुछ सिंचाई की बड़ी बड़ी योजनाओं को हाथ में लिया लेकिन दुर्भाग्य से वह इतनी खर्चीली और ऐसी बड़ी बड़ी योजनायें थीं कि आज करोड़ों रूपया खर्च करने के बावजूद भी हमारे प्रान्त का जो बहुतसा हिस्सा है वह उन योजनाओं से लाभान्वित नहीं हो रहा है। उदाहरण के तौर पर चम्बल की सिंचाई योजना, राजस्थान नहर की सिंचाई योजना–यह दो योजनायें और इसके अलावा कुछ और भी योजनायें हैं जिनको हमने काफी साल पहले हाथ में लिया था और यदि आज तक पूरा कर भी लिया होता फिर भी राजस्थान के बहुत बड़े हिस्से में हमें उनका लाभ मिलता। तब हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे सम्पूर्ण राजस्थान के अन्दर सिंचाई के साधन जो भी हो सकते हैं उन्हें डवलप करना चाहिए। हमारे प्रान्त के अन्दर सिंचाई के मुख्य साधन जो हमें आंकड़ों के द्वारा प्राप्त हुए हैं वह कुंए हैं। वास्तव में बात ठीक भी है। कुल जो बोआई के नीचे क्षेत्र आता है सिंचित किये जाने वाले क्षेत्र में से 58 परसेन्ट ऐसा क्षेत्र है जो कि कुओं से सिंचित होता है। इसके अलावा करीब 36 परसेन्ट ऐसा है कि जोकि नहरों से सिंचित होता है और करीब 9 परसेन्ट ऐसा क्षेत्र है जो कि तालाबों या दूसरे साधनों से सिंचित होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे प्रान्त के अन्दर मुख्य सिंचाई के साधनों से सबसे ज्यादा कुंए हैं और इस क्षेत्र के अन्दर हमें और वृद्धि हासिल हो सकती है बशर्ते कि जिन जिन जिलों में जमीन के नीचे जो भूजल प्राप्त होने का सर्वे कराया है उनका पूरा पता लगाकर पूरा उपयोग करें तो मेरा ख्याल है कि 25-30 परसेन्ट और वृद्धि हो सकती है। विशेष करके राजस्थान में पश्चिमी जिले हैं जहां कि बड़ी नदियां नहीं हैं, बारामासी नदियां नहीं हैं और उस दृष्टिकोण से सिंचाई के साधनों में ज्यादा बढ़ोतरी करने की गुंजाइश नहीं है ऐसे इलाकों के लिए जमीन के नीचे जो पानी है नये कुओं को खोदकर और पुराने कुओं को गहरा करा के और जिन कुओं में पत्थर आ गये हैं या कन्क्रीट आ गयी है उन्हें ब्लास्टिंग के जरिये, ड्रिलिंग के जरिये और अन्य मशीनीकरण के जरिये हमें गहरा करना चाहिए। जहां कहीं पर हम जाते हैं, हमारे क्षेत्र में अथवा जिले के अन्दर जाते हैं समस्याओं को जानने के लिए तो हमें यही मालूम होता है कि 4-5 वर्ष में हमारे यहां वर्षा कम

Page No.91

(श्री भगराज चौधरी)

हुई हैं और आम तौर पर कुओं का पानी नीचे चला गया है। जो मौजूदा कुए हैं उनका पानी नीचे चला गया है। इसके अलावा कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां पर किसानों की खद की होल्डिंग हैं, अपनी खुद की होल्डिंग हैं लेकिन उनका मीठा पानी बहुत नीचे चला गया है। इतना गहरा पानी है कि अपने साधनों से, अपने स्वयं के साधनों से कुओं को गहरा करके पानी नहीं ले सकते हैं। इसलिए ड्रिलिंग मशीन, बेरिंग मशीन और ब्लास्टिंग मशीन सरकार को उनको उपलब्ध करानी चाहिए। वैसे देखा जाय सरकार ने इसके लिए अलग से महकमा कायम कर रखा है लेकिन इस महकमे का कृषि के महकमे से कोई सम्बन्ध नहीं है। कृषि का महकमा अलग मंत्रीजी के सुपुर्द किया हुआ है जब कि भू-जल-मण्डल का महकमा अलग मंत्रीजी को दिया हुआ है। वैसे यदि दोनों को साथ में रखा जाय तो मैं समझता हूं कि कृषि का उत्पादन बढ़ाने में और जिन कुओं को गहरा कराने की आवश्यकता है और जिन खेतों में नये कुए बनाने की आवश्यकता हैं तो ऐसे कार्यों में मैं समझता हूं कि अधिक मात्रा में सहायता मिल पायेगी।

पिछले वर्षों के अन्दर हमने उत्तरोत्तर कृषि साधनों को बढ़ाने की कोशिश की है, उसके बावजूद मैंने देखा है कि कृषि उत्पादन हमारा एटेनमेंट रहा है। वर्ष 69-70 में हमारा कुल कृषि उत्पादन 46.98 लाख टन था तो उसके दूसरे साल 70-71 में करीब 88.12 लाख टन हुआ था। यहां कुछ बढोतरी हुई थी मगर उस वर्ष खरीफ के समय अच्छी पैदावार मिल गई थी जिसके कारण यह हुआ था। लेकिन उसके बाद वर्ष 1971-72 में 68.06 लाख टन ही उत्पादन हुआ था। यह वर्ष 72-73 के आंकड़े तो कृषि उत्पादन के हमारे सामने नहीं हैं लेकिन जैसा कि कृषि विभाग की ओर से जो प्रगति विवरण दिया गया है उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इस वर्ष कृषि उत्पादन अनुकूल नहीं रहेगा क्योंकि कुछ जिलों में बाढ़ आ गई और राजस्थान के पश्चिमी जिलों के अन्दर अनावृष्टि के कारण खरीफ की फसल खराब हो गई और रबी की पैदावार भी नीचे ही रहेगी और इससे भी हमें पैदावार कम ही मिलेगी। तो इन सब बातों से एक बात स्पष्ट नजर आती है कि खेती की पैदावार का कार्य हमारे खुद के हाथ में नहीं है। हम इण्डीपेंन्टली कुल कितनी पैदावार किस वर्ष में कितनी बढ़ा पायेंगे यह हमारी सरकार और हमारे हाथ में नहीं है। यह जैसा कि माननीय सदस्यों ने भी कहा है, यह भगवान के भरोसे है। फिर आज वैज्ञानिक युग के अन्दर भी अगर हम इस बारे में कुछ मुकम्मिल राय नहीं दे सकें तो मैं समझता हूं कि हमारा कृषि प्रधान प्रान्त होते हुए भी यह एक बहुत विचारणीय विषय बन जाता है। इसका क्या कारण है, यह हमें सोचना होगा। इसके लिये हमें मजबूती से कृषि उत्पादन के साधन बढ़ाने पड़ेंगे। आखिर पैदावार के बारे में इतनी व्यवस्था तो हमें करनी ही पड़ेगी कि वर्षा की अनिश्चितता होने के बावजूद, वर्षा लेट आने के बाद भी, कमी नहीं आने के बाद भी कम से कम हम इतना उत्पादन तो प्रति वर्ष कर सकें कि जितना उत्पादन हमने पिछले वर्ष में किया था। हमारा कृषि उत्पादन मुख्य रूप से सिंचाई पर आधारित है। सिंचाई में चार पांच चीजें हैं जैसे कुए तालाब नहरें आदि आदि, मगर उसमें भी, जैसा मैंने निवेदन किया कि नहरों की ज्यादा गुंजाइश नहीं है। तालाबों की कुछ गुंजाइश हो सकती है, मगर कुओं का ऐसा साधन है

(श्री भगराज चौधरी)

जो काफी दिनों के अन्दर नए 2 कुओं को खोद कर हम अपने सिंचित क्षेत्र में वृद्धि कर सकते हैं उदाहरण के तौर पर हमारे राजस्थान के पश्चिमी जिलों में जैसे जालोर है, बाडमेर, सिरोही, पाली, नागौर है, यहां तक कि पूर्वी क्षेत्र तक भी बढ़ते जावें तो मैं समझता हूं कि कई जिले ऐसे मिलेंगे कि जहां पर कुएं गहरे मिलते हैं लेकिन उनमें मीठा पानी अवश्य मिलेगा। इसलिये बार फूटिंग पर सिंचाई के क्षेत्र को बढ़ाने का एक ही तरीका है कि हम अधिक से अधिक इंटेंसिव तौर पर, होल्डिंग टू होल्डिंग जो बड़े 2 खेत हैं वहां पर युद्धस्तर पर चाहे और अधिक मशीनें मंगानी पडें, चाहे और किसी प्रकार के नए साधन खोजने पडें, हमें किसानों के कुए खुदवाना चाहिए, और जो किसानों के कुए हैं उनका बराबर सर्वे कराने के लिए अपनी कोई एजेन्सी हो; विकास अधिकारी या और कोई अधिकारी हों जो इस काम के प्रति सक्रिय हों और यह मालम करें कि कौन 2 से ऐसे कुए हैं जहां पर 5-7 साल में वर्षा नहीं होने के कारण पानी गहरा चला गया है, तो उन कुओं को ब्लास्टिंग करा कर, बोरिंग करा कर और ड्रिलिंग कराने की जरुरत हो तो ड्रिलिंग करवा कर उनको गहरा किया जावे ताकि उनसे पानी प्राप्त हो सके।

मुझे, उपाध्यक्ष महोदय, आप माफ करेंगे, यदि मैं आपके माध्यम से निवेदन करूं मंत्री महोदय को कि उनके महकमे के अधिकारी केवल नाम मात्र के लिये हैं। वे जिले में कुछ नहीं कर रहे हैं। पिछले वर्षों में, मैं आपसे निवेदन करूं कि कृषि अधिकारी के पास में जिले में कोई काम नहीं है सिवाय कुछ अच्छी उन्नत किस्म के बीज वह भी थोड़े बहुत बांट दे किसानों में। खरीफ की फसल तो खराब हो गई और रबी की फसल पर अच्छे बीज की जरुरत पड़ी तो कृषि अधिकारी वह भी समुचित मात्रा में उपलब्ध नहीं करा सके। उसके कारण किसानों को किसी तरह से अपने बीज की व्यवस्था करनी पड़ी। जब काश्तकारों ने फसल बो दी और उसके बाद जब बरसात पड़ी तो कृषि अधिकारी कीटनाशक दवाईयां उपलब्ध नहीं करा सके। इधर फर्टीलाईजर की क्या हालत है। फर्टीलाईजर्स की हमारे पास में समुचित व्यवस्था नहीं है। श्रीराम फर्टीलाईजर्स और दूसरी कुछ एजेंसियां इसके लिये मुकर्रर कर रखी है। वैसे तो फर्टीलाईजर्स की कमी थी लेकिन जो कुछ उपलब्ध था उसमें भी आर्टिफिशियल कमी को क्रियेट करके किसानों को बुरी तरह से लूटा गया। यूरिया की बोरी 38 रुपये तक बेची गई और किसानों को कितना मंहगा खाद खरीदना पड़ा। पानी का हमारे पास में मुकम्मिल इन्तजाम नहीं है। इधर मौसम की बेगरी होती रहती है। इन सब अनिश्चितता की स्थिति में किसान कितनी पैदावार बढ़ा सकता है और कैसे काश्त कर सकता है। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए सरकार को इस समस्या का हल निकालने में ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

वैसे कृषि मंत्रीजी खुद भी काश्तकार हैं। मगर इसके साथ-साथ मेरा निवेदन है कि काश्तकारों के पास समुचित साधन भी होने चाहियें, उनको किस चीज की जरुरत है वह उपलब्ध कराई जावे। समिति वाईज और जिलेवाईज इस बात का सर्वे करावें कि जिन 2 समितियों में मीठा पानी है, और जिन काश्तकारों के कुंए गहरे हो गए हैं तो उन कुओं को खुदवाने के लिये उनको सरकार से

(श्री भगराज चौधरी)

धनराशि मिलनी चाहिये और सब्सीडी भी मिलनी चाहिये। यदि वे बोरिंग करवाने की मांग करते हों तो बोरिंग करवावें, ब्लास्टिंग की जरूरत हो ब्लास्टिंग करावें और ड्रिलिंग की मांग करे तो ड्रिलिंग करवा कर और किसानों को उपकरण उपलब्ध करवा कर उनको समुचित सहायता मिल जानी चाहिये। ऐसे भी किसान हैं जो समितियों में इस बात की मांग करते हैं कि ड्रिलिंग के लिये, ब्लास्टिंग के लिये, बोरिंग के लिये मशीनें उपलब्ध कराने के लिये हमारे पास ऐसी एजेंसी होनी चाहिये जो समय पर जानकारी देती हों और जो प्रतिवर्ष सम्बन्धित महकमों से सम्पर्क स्थापित करके, उनसे जानकारी प्राप्त करके मशीनरी उपलब्ध करा दें। मुख्य तौर यह काम कृषि महकमे का है मगर कृषि महकमा अपना कार्य फिलहाल उन्नत किस्म के बीजों को बांटने के और नई नई किस्म की वेराइटी जो कभी इण्ट्रोड्यूज होती है उसको किसानों में बांटने के अतिरिक्त कोई कार्य नहीं है। पेस्टीसाईड का कोई मकम्मिल इलाज कृषि विभाग के पास नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि कृषि महकमे का कार्य क्षेत्र बढ़ाना चाहिये और काश्तकार जो व्यावहारिक दृष्टिकोण रखते हैं उनको हर प्रकार के साधन बढ़ाने की जरूरत है, उन साधनों को कृषि विभाग को उन्हें उपलब्ध कराना चाहिये। तभी जाकर हम अपनी कृषि की पैदावार को बढाने के अंदर कुछ कदम आगे बढ़ा पायेंगे।

कृषि पैदावार हमारे यहां तभी बढ़ पायेगी जब हमारे यहां पर सिंचाई के साधन बढ़ेंगे, सिंचित क्षेत्र बढ़ेगा। जब तक यह बढ़ नहीं पाएगा, इसका कोई इलाज नहीं है। अगर हम मानसून पर ही बैठे रहें तो मैं समझता हूं कि यह कोई दूरदर्शिता की बात नहीं होगी। इसलिये मैं सदन का समय ज्यादा न लेकर इतना ही ध्यान दिलाना चाहता हूं।

कृषि के बारे में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 46 प्रतिशत राजस्थान को आय प्राप्त हुई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमारी कृषि आय 52 प्रतिशत आई और चौथी पंचवर्षीय योजना के पहले दो सालों में हमारी कृषि आय 54 परसेंट मिल गई। और मैं समझता हूं कि यदि हम इस और ज्यादा ध्यान दें और सिंचाई के साधनों में बढ़ोतरी करें तो कोई मुश्किल नहीं है कि कुल जो हमारे प्रान्त की आय है उसका 75 प्रतिशत भाग काश्त से मिल जाय। आज हम बात तो तो करते हैं आम किसान की खुशहाली बढ़ाने की। मगर जैसा कि माननीय सदस्यों ने निवेदन किया है, हमारे देश के अंदर और विशेषकर राजस्थान के अंदर 85 प्रतिशत लोग खेती करते हैं। खेती तथा पशुपालन उनका धन्धा है। इतनी बड़ी मात्रा के अंदर लोग खेती तथा पशुपालन पर निर्भर रहते हैं और उनकी आय का कोई उचित साधन नहीं है। तो आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि उनकी हालत कैसी होगी? प्रति व्यक्ति आय चाहे राजस्थान में कितनी ही बढ़ी हो परन्तु काश्तकारों की हालत में किसी प्रकार का कोई चेन्ज नहीं हो पाया है। यह आय इसलिये बढ़ी है कि कुछ धनी लोगों ने बेतहासा पैसा कमाया है, जिनकी जनसंख्या बहुत ही कम है, उनकी पैदा बड़ी है और उनको पैदावार को कुल-प्रान्त की आय में जोड़ दिया गया और उससे निश्चित रूप से दो चार रुपयों की प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई है। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि आम किसान और आम मजदूर की

(श्री भगराज चौधरी)

माली हालत अच्छी हुई है। इन सब बातों पर विचार कर के राज्य सरकार से मेरा निवेदन है कि एक क्षेत्र जिसकी जमीन अच्छी है, समतल है, और वहां हर वर्ष अकाल पड़ता है, सिंचाई के साधनों की कमी है, वहां पर नहरों से सिंचाई की व्यवस्था नहीं कर सकें तो ऐसे क्षेत्र के अंदर नीचे के स्तर पर पानी बहुत है। नये नये तरीकों से उस पानी को ऊपर लाना चाहिये ताकि अकाल के पड़ने से जो विभिषिका उत्पन्न हो जाती है, वह कम पड़ सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्र नाथ हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आज कृषि और पशुपालन और अन्वेषण के ऊपर कुछ मुद्दों के ऊपर मेरे कटौती के प्रस्ताव हैं, जो कि विचारणीय है।

कृषि हमारे देश का मुख्य धंधा है। सारे भारतवर्ष की 50 प्रतिशत आमदनी कृषि से प्राप्त होती है और सारे देश के अंदर 80 परसेंट से भी अधिक लोग कृषि के धंधे में लगे हुए हैं। राजस्थान में भी कुछ स्थिति कृषि की इससे भिन्न नहीं है। राजस्थान में भी हमारी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा जो कि 60 प्रतिशत है वह हमें केवल कृषि से ही मिलता है। यह राजस्थान को ही सौभाग्य, प्राप्त है कि केवल भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि सारे विश्व की सब से बड़ी सिंचाई की योजनाएं राजस्थान के अंदर चल रही हैं और वैसे अगर राजस्थान में देखा जाए तो सारे भारतवर्ष में सब से ज्यादा लंबी गंग कैनाल है। हमारे राजस्थान के अंदर गंग कैनाल का ऐसा सिस्टम है जिसमें कि एक एक पानी की बूंद का डिस्ट्रीब्यूशन बाकायदा साइन्सटिफिक ढंग से है। ऐसा सिस्टम सारे भारत में नहीं है और अपने समय में दुनिया की सबसे बड़ी लाइन कैनाल है। 80 माइल की लाइन कैनाल कहीं पर नहीं थी। अब राजस्थान कैनाल आई है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां पर सारे साधन उपलब्ध हैं, आज सारे भारतवर्ष के अंदर 60 प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो कृषि के संबंध में दरिद्रता की रेखा से पीछे हैं जिनके पास पांच एकड़ से कम धरती है। राजस्थान के आंकड़े देखे जाएं तो राजस्थान के अंदर ऐसे लोग पचास प्रतिशत से अधिक हैं जिनके पास पांच एकड़ से कम धरती है। अगर मैं आपके सामने गंगानगर जिले के आंकडे इस संबंध में प्रस्तुत करूं, जो जिला सारे भारतवर्ष में भूमि की मिल्कियत के संबंध में एक अपना स्थान रखता है। सारे भारतवर्ष में सब से बड़े भू-स्वामी हैं फिरोजपुर जिले के। वे बड़े भू-खंडो के मालिक हैं। उसके बाद दूसरा नम्बर गंगानगर जिले का आता है। जिसमें कि दूसरे नम्बर पर भू-स्वामी, भूमिपति, जमीन के मालिक मौजूद हैं लेकिन अगर वहां की गरीब जनता की तादाद आप देखें तो एक से दो एकड़ जमीन वाले लोगों की तादाद 5869 है। दो से तीन एकड़ वाले लोगों की संख्या 4750 है और एक से पांच एकड़ वाले के लोगों की संख्या 25820 है। इन लोगों के पास अध्यक्ष महोदय, एक से लेकर पांच एकड़ तक की धरती है। यह ऐसे जिले की कहानी है जिस जिले के अंदर 200 एकड़ से लेकर 300 एकड़ तक के परिवार कुल 439 हैं और एक सौ एकड़ से लेकर 200 एकड़ तक के परिवार 2712 हैं।

आज मैं मुख्य बात यह रखना चाहूंगा कि हम कृषि के लिये हाईब्रीड वेराइटीज पैसाइट्स, मोर्टगेज बैंक, कृषि उपज मंडी और बैंक से किसानों को कर्जा दिलाने का

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

दौर चलाया, ट्रेक्टरों के लिये उनको लोन दिए, ट्यूबवेल्स के लिये लोन देने की बात कही है और इस तरह से राजस्थान के अंदर और भारतवर्ष के अंदर दरिद्रता की रेखा को मिटाने के लिये सीलिंग कानून को लागू करने का प्रश्न पैदा हुआ। जो छोटे छोटे किसान है, धरती के बेटे हैं आज वे इन सबसे खुशहाल नहीं हो पाए हैं। ये लोग खलिहानों में जन्मते हैं। आज इन लोगों को बेकार पड़ी हुई जमीन का वितरण किया गया है। आज हम हिन्दुस्तान में अमेरिकन सिस्टम लागू नहीं कर सकते हैं। एग्रीकल्चर को कैपिटिलाइज नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार की भी हमारे देश में स्थिति नहीं है कि हम हिन्दुस्तान में एग्रीकल्चर को कलेक्टलीवाइज कर सकें। तब इस धरती का वितरण दरिद्रता की रेखा के नीचे रहने वाले उन करोड़ों लोगों का किया जाए जिनका पेशा खेती है और जो असली किसान के बेटे हैं, धरती के बेटे हैं। आज सारी की सारी योजनाएं इन लोगों को फायदा देने वाली योजनाएं हैं। चाहे बीज का कार्य हो, चाहे कृषि उपज समितियां हों, चाहे मोर्टगेज बैंक हो, चाहे पैसाइट्स के जरिए, फरटीलाइजर के जरिए कर्जा देने का प्रश्न है, चाहे हाई ब्रीड वैराइटिज का सीड डिस्ट्रिब्यूशन हो, चाहे हेलीकोप्टर के जरिए स्प्रे कर के कीटाणुओं को मारने की बात हो, इससे छोटे किसानों का हित साधन नहीं हो पाया है। इन सबसे बड़े किसानों का ही हित साधन हुआ है। राजस्थान के अंदर जो कृषि की स्थिति है, जो कृषि के संबंध में विभिन्न योजनाएं अलॉट हुई हैं, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि छोटे किसानों के संबंध में कुछ योजनाओं की चर्चा है, कुछ शिक्षण संस्थाओं को चलाने की बात है, उनमें खुशहाली लाने की बात है, उसके लिये कोई दूसरी योजना सरकार के पास नहीं है। फिर आज जहां विश्व की सब से बड़ी योजना है। वह हमारे पास में है जहां 36 लाख एकड़ धरती सिंचित होने वाली है उसमें 40 प्रतिशत धरती सरकार की है और हमारे पास 28 लाख एकड़ से अधिक धरती भूमिहीनों को, किसानों को देने के लिये उपलब्ध है। आज गंगानगर में भूमिहीनों की परिभाषा दूसरी है। जिसके पास एक जीप और दो ट्रेक्टर हो वह भूमिहीन माना जाता है। अगर यह परिभाषा जारी रही तो भूमिहीन एकजूट होकर, धरती के बेटे एकजट होकर भू-स्वामियों से भूमि छीनेंगे। यह धरती भू स्वामियों और भूमिपतियों की नहीं है। आई० ए० एस० अधिकारियों ने जो इस पर कब्जा किया उससे यह उनकी नहीं रहने की पांच पांच हजार एकड़ जमीन बांगड़ और दूसरे सेठों को दी गई है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान कैनाल जहां इतनी बड़ी योजना है, उसकी चर्चा हम यहां पर करते हैं वहां पर हरिजनों और भूमिहीनों को 25।25 बीघा जमीन देकर हम यह चाहते हैं कि वे खुशहाल हो जाएं। परन्तु मैं पूछना चाहता हूं कि उनको कौनसे साधन आपने उपलब्ध कराएं हैं। आप क्या उसको देते हैं जिससे कि वह उस जमीन पर काश्त कर सकें, उस धरतीसे पैदा कर सकें। गरीब मेघवाल को आपने जमीन दी है जिसने कि सारी उम्र खेती की मजदूरी की है। कड़कड़ाती धूप और गहन सर्दी में उसने खेतों को पानी दिया है, उसके पास खेती करने के लिये, उसके साधन उपलब्ध करने के लिये पैसा कहां है? राजस्थान कैनाल पर 25 बीघा जमीन आपने उसको दी, वह कैसे काश्त

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

करेगा। इसका नतीजा यह होता है कि बाजार के अंदर वह उसको नीलाम करता है और बड़े बड़े भूमिपतियों को वह बेच देता है।

कौन से कृषि के साधन आपने उसको उपलब्ध कराये? क्या कृषि विभाग के पास कोई योजना है? क्या राज्य के उपनिवेशन विभाग के पास कोई विचार है कि कम से कम एक बैल की जोड़ी, एक पाटा काटने की मशीन या एक गड्ढा या वह साधन जिससे वह कृषि आरम्भ कर सके आप उसको प्रोवाइड करें।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं कुछ राजस्थान के प्लानिंग के संबंध में आपके सामने आंकड़े प्रस्तुत करूंगा।*राजस्थान की तीन योजनाओं के अंदर यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे विभागों का वितरण बड़ा अजीव है। आज जहां सिंचाई और कृषि यह दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं कि जो कि एक दूसरे से दूर नहीं किये जा सकते हैं, और कृषि और सिंचाई मंत्री लाजिमीतौर से एक ही होना चाहिये अगर हम देश के अंदर फूड प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो। मेरी समझ में नहीं आता है कि इन्जीनियर्स का एक काम हो सकता है और वह काम यह है कि नहरों का निर्माण, बान्धों का निर्माण, सड़कों का निर्माण लेकिन निर्माण हो जाने के बाद पानी का उपयोग और पानी को खेतों के अंदर लगाना और उसके द्वारा फसलों का पैदा करना यह इन्जीनियर्स का काम नहीं हो सकता है। यह राजस्थान ही एक ऐसा प्रान्त है जहां सिंचाई मंत्री कोई और है और कृषि मंत्री कोई और है। बागों के बारे में सिंचाई विभाग के अंदर कहते हैं उनको होर्टीकलचर का क्या पता है। वे कहते हैं कि नींबू के अंदर बरसीम के पेड़ न लगाये जायं और कोई बरसीम के बीज लगा दें और कल्टीवेशन कर लें तो उसके ऊपर तावान लगा देते हैं, चाहे मौठ की दालें लगा दें तो तावान लगा देते हैं। इरिगेशन आथोरिटीज को होर्टीकलचर के बारे में कोई पता नहीं है। 1958 के अन्दर होर्टीकलचर के अन्दर बड़े बड़े लोन दिये गये थे। भारतवर्ष में उनका अपना एक स्थान है। बड़े बड़े लोगों ने एक सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने अपना अपमान समझा कि होर्टीकलचर डिपार्ट-मेंट के द्वारा या कृषि डिपार्टमेन्ट के द्वारा दे दिया गया है उसमें वह पानी सेंक्शन करें। उन्होंने कहा कि पानी सेन्क्शन करने का हमारा अधिकार है। प्लान्ट मेच्योर हो गया या नहीं यह नहीं जानते। क्या लोभ है कि एक विभाग के ऊपर खेंच कर रखा जाता हैं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इरिगेशन का जो रनिंग सिस्टम है वह और एग्रीकलचर डिपार्टमेंट का एक कन्सोलिडेटेड डिपार्टमेंट होना चाहिये, एक मिनिस्टर के नीचे होना चाहिये, एक सेक्रेटरी के नीचे होना चाहिये तभी आप प्रोडक्शन की कोई बात कर सकते हैं और इसके साथ वह सेक्शन बिजली विभाग का जो कृषि विभाग से ताल्लुक रखता है उसका तालमेल कृषि विभाग के साथ होना चाहिये तभी आप प्रोडक्शन की बात कर सकते हैं।

अब मैं आपके सामने तीनों प्लान्स के आउटले प्रस्तुत करता हूं। उनमें कोई तालमेल नहीं है। कृषि और सिंचाई कार्यक्रमों के जो प्रोग्राम लिये गये हैं उनके बारे में जो फण्ड्स का एलोकेशन हुआ है अगर उस एलोकेशन पर गौर फर्मावें तो उसके अन्दर कोई तालमेल नहीं है। अगर एक तरफ सिंचन क्षेत्र इन्क्रीज हुआ है तो उसके साथ साथ कृषि विभाग का एलोकेशन उसके अनुसार बढ़ना चाहिये, उसी अनुपात के अन्दर बढ़ना चाहिये, उसी अनुपात में आगे आकर कृषि विभाग को कार्य

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

करना चाहिये, अपनी योजनाएं उसी अनुपात के अन्दर बढ़ाना चाहिये। यह तभी हो सकता है जबकि एग्रीकलचर डिपार्टमेंट और सिंचाई विभाग एक इन्टेग्रेटेड डिपार्टमेंट हो और तभी इस प्रकार के इन्टेग्रेटेड प्लान बन सकते हैं। कैबिनेट में 15-20 दिनों में मिल लिये और कोई समस्या पर विचार कर लिया और फिर 15-20 दिन बाद कैबिनेट में मिल लिये तो कुछ समस्याओं पर विचार कर लिया और आप कन्स्ट्रक्टिव हल नहीं कर पाये।

तीसरी योजना में 384 करोड़ का फण्ड एलाट हुआ, सारी 368 का एलॉट हुआ लेकिन सिंचन के अन्दर 39 करोड़ का फण्ड एलॉट हुआ उसमें 31 करोड़ का युटिलाइजेशन हुआ। इस प्रकार से दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर आप जरा गौर फरमावें तो काफी वेराइड पोजीशन के अन्दर है। वह बहुत सी ज्योग्राफीकल, टोप्रोग्राफीकल कन्डीशन और प्लान इन्टरफियरेन्स के कारण वह हो सकते हैं, लेकिन जिस अनुपात के अन्दर यह प्राप्त होना चाहिये वह नहीं हुआ। उसमें 11.69 करोड़ रुपया खर्च हुआ और सिंचन का जो प्रोग्राम था वह 38.34 करोड़ का था। ततीय योजना के अन्दर इसके प्रापोर्शन पर गौर फर्मावें तो 23.71 करोड़ के अन्दर खर्च हुआ, और सिंचन के अन्दर 115.51 करोड़ किया।

इसी प्रकार से, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा कि जिस हिसाब से हमारा इर्रिगेटेड एरिया बढ़ा है अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के इन्डेक्स नम्बर को देखें तो जो एरिया इर्रिगेशन का इन्क्रीज हुआ है उसका तालमेल उससे नहीं होता है। अब तक तो करीब करीब कुल कुछ फाइवर्स को आप छोड़ दें बाकी सारे के सारे जिनमें खाद्यान्न भी हैं, एक तिलहन को छोड़ दें या मूंगफली को छोड़ दें, 3-4 आइटम्स को छोड़ दें तो बड़ा स्टीप फाल उनकी प्रोडक्शन के अन्दर हुआ है, गेहूं के अन्दर बड़ा स्टीप फाल हुआ है। बाजरे के संबंध में एक बात समझ में आती है कि 51 लाख हैक्टर्स हमारा कुल कल्टिवेटेड एरिया, सोइंग एरिया रहा है, लेकिन बाजरे के प्रोडक्शन में फाल हुआ है हालांकि हमारा एरिया कान्स्टेंट रहा है, लेकिन प्रोडक्शन में फाल आता चला गया है। उसके बारे में यह बात समझ में आती है कि अकाल था और अकाल का सबसे बड़ा इम्पेक्ट बाजरे पर होता है। गेहूं बारानी में नहीं होता है और ज्यादातर इर्रिगेशन के इलाके में ही गेहूं की क्राप होती है। उसके अन्दर आज बड़ा स्टीप फाल आया है। गेहूं की क्राप जहां 70-71 में 17.74 लाख मैट्रिक टन हमारा गेहूं का प्रोडक्शन था वहां 71-72 में 5.90 लाख मैट्रिक टन हो गया, और जहां इर्रिगेशन का एरिया बढ़ा है उसके साथ साथ आप देखेंगे कि गेहूं का कल्टीवेटेड एरिया जो है वह कम हुआ है, हालांकि हाई ब्रीड वेराइटीज मैदान में आई हैं। काटन के अन्दर आप देखें तो काटन के अन्दर शार्ट फाल आया है जबकि काटन का कल्टीवेटेड एरिया बढ़ा है। आपका इर्रिगेटेड एरिया तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का जो इन्डेक्स नम्बर है उससे गाइड होना चाहिए अगर हम कोई साइन्टिफिक और प्लान्ड इकोनामी को लेकर आगे बढ़ते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, कन्टीन्यूअसली चाहे वह बहुद्देशीय योजनाएं हों, चाहे वह मीडियम सिंचाई योजनाएं हों, चाहे वह लघु सिंचाई योजनाएं हों, कहीं कम और कहीं ज्यादा हमारा इर्रिगेशन पोटेन्शियल बढ़ता ही चला

(श्री योगेन्द्रनाथ हाडा)

गया है। प्रथम योजना में जहां ईरिगेशन पोटेन्शियल 154.7 हजार हेक्टर्स था, वह आज तक कल्टीवेशन होता था सब ईरिगेशन सिस्टम से और आज हमारा कल्टीवेशन ईरिगेशन सिस्टम के अन्दर 872 हजार हेक्टर्स है जो कि पहले से एक्जेक्टली एट टाइम्स हो गया है, लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का इन्डेक्स नम्बर देखें तो 61-62 को बेस मानें 100 हेक्टर तो आप देखेंगे तो उसके अन्दर चाहे वह सीरियल्स हों, चाहे वह दालें हों, चाहे वह तिलहन हो, चाहे रेशे हों, अगर उनका यूनाइटेड इम्पेक्ट देखेंगे तो जहां हमारा ईरिगेशन एरिया कान्स्टेन्टली बढ़ता गया वहां पर वह क्राप जो कि नार्मली ईरिगेशन के ऊपर डिपेण्ड करती है उनके अन्दर काफी स्टीप फाल आया है, मिसाल के तौर पर आप सीरियल्स को ले लीजिये। इसके अन्दर 191.18, 1970-71 के अन्दर था वह फाल होकर 141.08 आया है। आप दालों को ले लीजिये तो 160 से 141 का स्टीप फाल आया है। 70-71 से लेकर 71-72 तक तिलहन के अन्दर 254 से 174 आया है। रेशे को ले लीजिये, काटन इसमें इन्क्रीज आया है जैसा कि मैंने कहा है कि कैश क्राप करने की टेन्डेन्सी में इन्क्रीज हुआ है। वैजिटेबल्स को ले लीजिये जो कि एन्टायरली ईरिगेशन पर डिपेण्ड करती हैं क्योंकि कभी किसी ने बारानी में सब्जी होते नहीं देखा है लेकिन उसमें भी फाल है। अदर क्राप्स को सारी को देख लें तो उसके अन्दर भी फाल है। कुल मिलाकर, उपाध्यक्ष महोदय, सारी क्राप्स को आप एनेलेसिस करें चाहे वह खरीफ की दालें हों, चाहे वह चना हो, चाहे वह तिलहन हो, चाहे मूंगफली हो—मूंगफली जरूर नई क्राप इन्ट्रोड्यूस हुई है जो कि काफी सक्सेसफुल हुई है और जिसके अन्दर इन्क्रीज हुआ है। बाकी खरीफ की दालें जो 70-71 में 5.55 लाख मैट्रिक टन्स थीं वह 71-72 में 3.45 मैट्रिक टन ही रह गईं। चने को आप ले लीजिये जो कि 11.95 मैट्रिक टन था वह 8.85 लाख मैट्रिक टन ही रह गया है। मूंगफली को ले लीजिये, शुगरकेन को ले लीजिये। शुगरकेन एन्टायरली ऐसी क्राप है जो ईरिगेशन पर डिपेण्ड करती है। और राजस्थान के अन्दर शुगरकेन ईरिगेशन के जरिये से पैदा होता है। पहले जो 0.80 था वह घटकर 0.28 हो गया है। चावल में इन्क्रीज आया है। यह एक अच्छा साइन है। चावल की वेराइटीज इन्क्रीज हुई है। कुल मिलाकर उपाध्यक्ष महोदय, ईरिगेशन कल्टीवेट के अन्दर हमारी हाई ब्रीड वेराइटी 66-67 में 70 हजार हेक्टर एरिया में और 72-73 में 8 लाख 69 हजार हैक्टर हो गया है। हाई ब्रीड वेराइटी जितनी इन्क्रीज करना चाहिए थी उतनी नहीं हुई हैं। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, हाई ब्रीड वेराइटीज अपने चरण बढ़ाती ही जा रही है। गंगानगर के एक साधारण किसान कुलवन्तसिंह ने एक एकड़ में 100 मन पैदा किया है। जिसका नमूना मैं सदन में लाया हूं। जो एक आठवीं पास कुम्हार है। जिस प्रकार से उसने 5 वेराइटीज के-वन, के-टू, के-थ्री, के-फोर, के-फाइव पैदा की हैं। अगर सारे भारत में 4 लाख टन सीड बेचा जायेगा। इस वेराइटी के अन्दर सारा का सारा डिटेल एक पेम्फलेट में दिया हुआ है। जो मैंने मंत्री महोदय को भेंट कर दिया है। लेकिन एक मामूली साधारण किसान का बेटा है। उसने इतने बड़ी वेराइटी निकाल दी। गंगानगर के कृषि फार्म में एक हैक्टर में 15 किलोग्राम सीड्स डालकर देखा। 452 फार्म का गेहूं हुआ। जिससे कि मैक्सिकन

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

में सारा का सारा लास होता है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं गंगानगर के उस किसान के बेटे की भेंट ले ग्राया हूं जो कि मैं हाउस की टेबिल पर रखता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : ग्राप रखिये, यहां रखने का कोई इन्तजाम नहीं है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ग्रन्त में सदन का ग्रधिक समय नहीं लेता हुग्रा, फर्टीलाइजर पर कुछ शब्द कहना चाहता हूं । फर्टीलाइजर की जो घोषणा की है, उसके बावजूद बहुत थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट की है । 71-72 में 3,153 ग्रौर 72-73 में 7 हजार इस प्रकार से 54% एक्सेस हो गया । लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, जो दूर्लक्ष्यपूर्ण स्थिति गंगानगर जिले की है । यूरिया की 60 लाख बोरियों की खपत होती है । वहां 30 लाख बोरियां प्राप्त हुई हैं । जहां तक कानपुर, चान्द छाप, गुजरात ग्रौर श्रीराम फर्टीलाइजर की ग्रनाप शनाप ब्लैक बाजार में होती रही हैं । ग्रापने जो टारगेट लिया है, जिसे ग्राप बहुत ग्लोरी मानते हैं । गंगानगर, ग्रनपगढ़ ग्रौर दूसरा हनुमानगढ़ है, इनमें जो 15 एकड़ से कम के मालिक हैं, उनको क्रेडिट बेसिस पर किये जाने की बात थी । ताकि वह काश्तकार भी खरीद सकता है । इसके बावजूद भी फर्टिलाइजर का ब्लैक होता रहा । ग्रापकी 155 कृषि उपज मण्डी हैं । 70 ग्रापकी ऐसे हो गई है । गंगानगर जिले में भाखरा मण्डी है । गंगानगर कृषि उपज मण्डी है। वहां पर कैटिल शैड बनाने के लिए प्लॉट नहीं मिलता है । ग्रापके कोलोनाइजेशन के ग्रन्दर उनको प्लॉट नहीं मिलता है वहां पर किसानों के पास लाखों रुपया है । वह भलाई के लिए खर्च करना चाहते हैं । 19 मण्डियों का प्लान हुग्रा था । एक ए क्लास, ग्रौर 6 बी क्लास ग्रभी तक उपाध्यक्ष महोदय, एक भी मण्डी का निर्माण नहीं हुग्रा है । हनुमानगढ़ मण्डी जहां से मंत्री महोदय ग्राते हैं । उनके पास इतने पोर्टफोलियों हैं कि उनकी फाइल ग्रगर रख दी जाये तो........

श्री केदारनाथ शर्मा : पिरामिड हो जाये

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पिरामिड हो जाये । वहां सारी की सारी जमीन घिर गई है । वहां किसान को ग्रपनी क्रॉप को सेल करने के लिए, वोटिंग सिस्टम से बेच सकता है वहां कृषि उपज मण्डी बनाने के लिए स्थान है । कैटिल शैड बनाने के लिए नहीं है । वहां एक एक प्लांट की कीमत 50-50 हजार रुपया है । एक मामूली पैट्रोल पम्प की कीमत 90-90 हजार हो सकती है । पीलीबंगा ले लिया जाये । शार्दुल शहर ले लिया जाये ।

ग्रन्त में मैं ग्रपने कट मोशन, एफ. सी. ग्राई. के द्वारा काटन की खरीद के बारे में कहूंगा । दिसम्बर, 71 में इसका जन्म हुग्रा । मुख्य मन्त्री द्वारा यह ग्राश्वासन दिया गया कि ग्राप का काटन, काटन कॉरपोरेशन ग्रॉफ इण्डिया की मार्फत खरीदेंगे । उपाध्यक्ष महोदय कोई काटन नहीं खरीदा । सारे के सारे बोर्डर क्षेत्र में लाखों टन कपास पैदा हुई । जब किसान बाजार में लाया तो उसका कोई खरीददार नहीं था । कौड़ियों में कोई खरीद करने वाला नहीं था । 70-80 रुपये में काटन गंगानगर में बिक गई है । लेकिन काटन कॉरपोरेशन बाजार में नहीं है । ग्राज सारी दुनिया के ग्रन्दर, जापान के ग्रन्दर इसका ग्रपना एक मार्केट है । जापान सबसे बड़ी तादाद में काटन खरीदता है । लेकिन काटन कॉरपोरेशन

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

ने खरीदा नहीं है । काटन कारपोरेशन ऑफ इण्डिया बाजार में नहीं आई । गंगानगर हिन्दुस्तान में अनाज की सबसे बड़ी मण्डी है । एफ. सी. आई. का सबसे बड़ा स्टाफ गंगानगर में था । उनका अपना बहुत बड़ा स्टाक था ।

(समय समाप्ति-सूचक घण्टी)

वहां के किसान ने 150 रु० क्विण्टल का गेहूं खरीदा है । गंगानगर में 50% इलेक्ट्रिक कट होने से प्रेस बन्द हो गये । गंगानगर की गलियों में कपास के ढेर लगे हुये हैं । कौड़ियों के मोल पड़े हुये हैं । प्रेस बन्द हो गये । 150 रुपये में वहां के किसान ने गेहूं मोल लेकर खाया है । उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जो स्टेट रिलेशन्स हैं, उनकी दिन दहाड़े अवहेलना होती है । आज से कुछ दिन पहले 85 रुपये क्विन्टल, 90 रुपये क्विन्टल चावल था, आज गंगानगर में चावल का रेट, गेहूं का रेट बढ़ गया है, गेहूं का रेट बढ़ कर 105 रुपया क्विन्टल हो गया है और चावल का रेट बढ़ कर 150 रुपये क्विन्टल हो गया है । कहां जा रहा है, गंगानगर का चावल । आप जरा विल्टी देखिये ट्रैक्टरों की, गंगानगर से हजारों मन चावल, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ से हजारों मन चावल जयपुर आता है और जयपुर से गुजरात जाता है सारा का सारा ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से गंगानगर के अन्दर कपास की रेट्स हाई थीं, और पहले गंगानगर का काटन सारे वर्ल्ड के अन्दर जा रहा था, वर्ल्ड मार्केट को वह फेच कर रहा था । लेकिन पंजाब ने और हरियाणा ने ला-ला कर काटन पटक दिया और गंगानगर के काटन की जो क्रेडिट थी, वह क्रेडिट पंजाब और हरियाणा की काटन से टोटली खत्म हो गई । जो ग्लोरी गंगानगर के काटन की थी, जो क्रेडिट गंगानगर के काटन का था, जो गंगानगर का काटन वर्ल्ड मार्केट को फेच करता था, वह सारी की सारी क्रेडिट पूरी तरह से समाप्त हो गई ।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करिये ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, जब हमारे यहां पर अनाज के भाव ऊंचे थे तब तो पंजाब ने हमारे यहां अनाज का एक दाना भी नहीं भेजा । पंजाब के बेरिअर्स, हरियाणा के बेरिअर्स पर स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन था और गंगानगर में अनाज का एक दाना भी पंजाब से और हरियाणा से प्रवेश नहीं कर सकता था लेकिन काटन का इन फ्लो लाखों मन के हिसाब से गंगानगर की मण्डी में हुआ है और गंगानगर की काटन की क्रेडिट को टोटली डेस्ट्रोय कर दिया है । हमारा चावल सारा का सारा गुजरात में जा रहा है, और दूसरे प्रदेशों में जा रहा है । हमारे यहां चावल प्रोड्यूस होता है उसके बाद में ही चावल की रेट्स राइज करती जा रही हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी ।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान कृषि और पशुपालन में मुख्य है । कृषि के अन्दर तीस लाख एकड़ नहरों से सिंचित है, सात हजार बिजली के पम्पिंग सैट लगे हैं, लगभग चालीस हजार ट्यूब वैल्स, डीजल से चलने वाले हैं, और भारी तादाद में राजस्थान के कैटल यह हमारे प्रदेश की मुख्य सम्पत्ति है, इन वर्षों के अन्दर, इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि कृषि क्षेत्र में जबरदस्त क्रांति हुई है और पर बीघा, पर एकड़ उपज के अन्दर

(श्री रामनारायण चौधरी)

अच्छे किस्म के बीज तैयार करके, कृषि के विशेअज्ञों ने एक कीर्तिमान स्थापित करने की चेष्टा की है। लेकिन इसके साथ यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे स्वर्गीय श्री लालबहादुर शास्त्री ने जय किसान, जय जवान का नारा देश के लोगों को दिया था, उसके बाद देश में हरित-क्रान्ति हुई थी और चारों तरफ इस बात का समा बंध गया था कि देश के अन्दर भारी उत्पादन कृषि का हुआ है और देश आत्म निर्भरता की ओर अग्रसर ही नहीं हुआ है बल्कि आत्म निर्भरता की स्थिति तक पहुंच गया है। लेकिन, मान्यवर, आप देखेंगे कि एक अकाल की चपेट से, जो भी भारत की तेईस करोड़ जनता प्रभावित है, और क्षेत्रफल के आधार पर, दो तिहाई भारत की भमि इससे प्रभावित हुई है। इतना ही नहीं, हमारे देश में, हमारे प्रान्त में अनाज की कमी का हाहाकार मच गया है और हम यह सोचने में असमर्थ हो गये हैं कि किस प्रकार से इस स्थिति पर काबू पाया जाय। तो यह तथ्य भी हमारे सामने है, एक अकाल से यह स्थिति हो गई है, जबकि यह अकाल सम्पूर्ण भारत में हो, या सम्पूर्ण राजस्थान में हो—सो बात नहीं है, उसके बावजूद भी हम इस चिन्ताजनक स्थिति के अंदर हैं तो यह कैसे मान लिया जाय कि हम आत्म निर्भर हो गये थे और हमने हमारी आवश्यकताओं से अधिक कृषि के अन्दर उत्पादन लक्ष्य प्राप्त कर लिया था। लेकिन यह ठीक है कि कृषि में कुछ फसलों का हमने प्रोडक्शन बढ़ाने में अच्छी सफलतायें प्राप्त की हैं, लेकिन दूसरी फसलें भी, जो हमारे देश और हमारे प्रदेश में मुख्य रूप से हैं और जिन पर लाखों और करोड़ों किसानों का भविष्य निर्भर करता उनकी तरफ हमारा ध्यान और हमारी सरकार का ध्यान नहीं गया है।

मुख्य रूप से राजस्थान में मूंग और मोठ के अन्दर भारतवर्ष के अन्दर सबसे अधिक पैदावार देने वाला प्रदेश है और राजस्थान का मूंग और मोठ भारतवर्ष के दक्षिणी हिस्से में जाकर काफी हिस्से में उनकी मांग की पूर्ति करता है। राजस्थान में सीकर, झुंझुनू, चूरू, नागौर और बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर-इन जिलों में खास तौर से मूंग, मोठ, ग्वार और चौला की फसल होती है। यह ग्वार जहां पशुओं का आहार है, वहां मूंग, मोठ और चौला—इसकी दाल भारतवर्ष के प्रत्येक हिस्से में चलती है। इस फसल को लगने वाली बीमारी का आज तक भी हमारे यहां के जो कृषि विशेषज्ञ हैं वे इसका इलाज नहीं कर सके हैं। कृषि मन्त्री मुझे क्षमा करेंगे आज जो हमारे इलाके में ही नहीं बल्कि राजस्थान में हमारे जो मूंग, मोठ, ग्वार और चौला में लगने वाली बीमारी जिसे हमारे उधर कातरा कहते हैं जो कि डेजर्ट और सेमी-डेजर्ट के इलाको में ज्यादा पायी जाती है। वह इन इलाकों में भयंकर उत्पात मचा रही है और काफी फसल नष्ट कर देती है। लेकिन बार-बार इसके बारे में कहने पर इसका इलाज आज तक नहीं हो पाया है। तो मन्त्री महोदय मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि वे अपने यहां जो कृषि विशेषज्ञ हैं उनको यह आदेश दें कि वे इन बीमारियों के बारे में अनुसंधान करें और पूरी ताकत इस मामले में लगावें। जिससे कि राजस्थान के अन्दर यह बीमारी लगने वाली है जो कि राजस्थान के लाखों किसानों को नुकसान करती है उन्हें बचाया जा सके। और उनको अपनी काश्त का लाभ हो सके। मान्यवर, मैं राजस्थान के अन्दर एक और फसल जो पैदा होती है उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, बाजरा एक ऐसी फसल है जो कि हमारे देश में जो

(श्री रामनारायण चौधरी)

फसलें होती हैं उनमें प्रमुख फसल है और उसमें राजस्थान हमारे देश में प्रमुख बाजरा की फसल पैदा करने वाला प्रदेश है। उपाध्यक्ष महोदय, बाजरा डेजर्ट और सेमी-डेजर्ट दोनों ही एरिया में पैदा होता है उसमें भी एक बीमारी लग जाती है उसको हमारे इधर की भाषा में रूखड़ी कहते हैं । मान्यवर, यह रूखड़ी नाम की बीमारी अभी इन वर्षों में ही चली है जो कि बाजरा की फसल को नष्ट कर देती है। यह बाजरा की फसल को बढ़ने से रोकती है और बाजरा का जो सिट्टा होता है उसमें लगती है। आज इस बीमारी से इतना नुकसान हुआ है कि इससे हर साल लाखों काश्तकारों की बाजरा की फसल नष्ट हो जाती है। लेकिन आज तक हमारे यहां के कृषि विशेषज्ञ इस बीमारी का इलाज नहीं कर सके हैं। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार के मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस फसल को जो कि राजस्थान के डेजर्ट और सेमी-डेजर्ट इलाके की प्रमुख फसल है उसको रोके जाने के लिये व्यवस्था की जावे। यह हमारे प्रदेश के कृषि विशेषज्ञों का और राज्य सरकार का प्रमुख उत्तरदायित्व हो जाता है कि वह इस बीमारी का इलाज निकाले। ताकि जो फसल इस रूखड़ी बीमारी से नष्ट हो जाती है उसको बचाया जा सके। ये आये दिन किसानों को तकलीफ देने वाली है। इसलिये मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार इस ओर अपना तुरन्त ध्यान आकर्षित करके इसका इलाज निकाले ।

इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। आज हम अनाज का थोक व्यापार हाथ में ले रहे हैं। किसान अपना जो भी सरप्लस प्रोड्यूस होगा उसको बाजार मे लाकर बेचेगा तो उसको जो पैसे मिलेंगे वे कम मिलेंगे। क्योंकि उसने जिस भाव से गेहूं खरीद के खेती की है उसका उसको वाजिब मुनाफा नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा राज्य सरकार के कृषि मन्त्रीजी से यह निवेदन है कि काश्तकारों को अच्छे बीजों के लिए अच्छी किस्म के फरटीलाइजर के लिए उचित मूल्यों पर मिलने की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जानी चाहिए। इसके साथ-साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि उन्हें बिजली भी पर्याप्त मात्रा में मिलती रहनी चाहिए। आज हमारे यहां झुन्झुनू जिले में काफी लोगों ने कुओं में बिजली लगाई है, लेकिन लोगों को अभी तक कनेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं और जहां पर कनेक्शन मिल गए हैं उन्हें समय पर बिजली नहीं मिल रही है जिससे हमारे यहां के इलाके की फसल नष्ट हो जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि इसकी जिम्मेदारी निर्धारित की जानी चाहिए। यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि किसानों को समय पर इन सभी बातों के लिए कोई तकलीफ नहीं हो ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। और जिन लोगों की गलती से फसलें इस प्रकार बिजली आदि सप्लाई नहीं करने से नष्ट हो जाती है उन्हें दण्ड दिया जाना चाहिए। यह राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है कि किसानों को हर प्रकार की पर्याप्त सुविधा दी जानी चाहिए। मैं कृषि मन्त्रीजी का ध्यान इन सभी चीजों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं वैसे वे स्वयं भी किसान के लड़के हैं, खुद किसान हैं उनके खुद के भी काश्त होती है खेती का धन्धा होता है। वो खुद काश्तकार की समस्याओं से अच्छी तरह से परिचित हैं। इसलिए मैं उन्हें यह निवेदन करना

(श्री रामनारायण चौधरी)

चाहूंगा कि हमारे यहां पर जो मूंग, मोठ, ग्वार, चौला और बाजरा की फसलों को जो बीमारी कातरा और रूखड़ी लगती है उनके बारे में अनुसंधान करावें और आपके यहां पर जो कृषि विशेषज्ञ हैं उन्हें आदेश दें कि इस ओर वे विशेष ध्यान दें। तथा साथ में किसानों को समय पर फर्टीलाइजर मिलने की व्यवस्था करावें। मैं कृषि मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि फर्टीलाइजर के लिए तो विशेष तौर से ध्यान दें ताकि किसान को निर्धारित मूल्यों पर खाद उपलब्ध हो सके। किसानों के हितों की सुरक्षा होना जरूरी है। आज राजस्थान के अन्दर खाद के लिए पब्लिक सेक्टर नहीं और प्राइवेट सेक्टर उसमें प्राइवेट सेक्टर्स के जो मालिक हैं, जो एजेन्ट हैं उनके रिश्तेदार लोग ही इसका धन्धा कर रहे हैं। ये लोग किसानों को काफी परेशान करते हैं और कभी किसानों को समय पर उचित मूल्य पर खाद हाथ नहीं आने देते हैं। मैं दूसरे जिलों से तो वाकिफ नहीं, लेकिन मैं मेरे जिले के बारे में जो कि झुन्झुनू जिला है उसके बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। वहां पर फर्टीलाइजर के लिए जो एजेन्ट्स हैं वे सभी प्राइवेट सेक्टर के मालिक हैं, उनके रिश्तेदार हैं, या उनके ही आदमी हैं जिन्होंने झुन्झनू जिले में जितना कोटा अलॉट है उस जिले के लिए उसका 10 पर्सेंट भी काश्तकारों को नहीं दिया है और उस इलाके का सारा का सारा कोटा गंगानगर और पंजाब के किसानों को सप्लाई किया गया है। जिससे किसानों को बहुत भारी परेशानी हो गयी है। उन लोगों ने फर्टीलाइजर का ब्लैक किया है जिससे दूसरे प्रान्तों में खाद चली गयी है और हमारे इलाके की फसल नष्ट होगयी है। इसलिए मैं कृषि मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि खाद के डिस्ट्रीब्यूशन के काम को राज्य सरकार अपने हाथ में ले। और ऐसी एजेन्सी कायम की जाय कि जिससे खाद किसानों को समय पर व उचित मूल्य पर मिल सके। मेरा निवेदन इसमें यह है कि यह खाद कलेक्टर के द्वारा जिला कृषि अधिकारी के थ्रू सप्लाई की जानी चाहिए। इसका डिस्ट्रिब्यूशन कलेक्टर और जिला कृषि अधिकारी के माध्यम से हो। मैं समझता हूं कि कृषि मन्त्री इस ओर मेरे सुझाव के ऊपर ध्यान देंगे। दूसरी कृषि के संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हर जिले के अन्दर कृषि विभाग की देख-रेख करने वाला एक जिला कृषि विकास अधिकारी होता है जो कि जिले में कृषि के मामलों को देखता है। लेकिन हमारे झुन्झुनू जिले में कोई जिला कृषि विकास अधिकारी नहीं है। वहां पर काफी तादाद में कुओं पर बिजली लगी हुई है और लोग कुओं में बिजली लगा रहे हैं। दूसरे जिलों के मुकाबले वहां पर कम काम नहीं हो रहा है फिर भी वहां जिला कृषि अधिकारी नहीं है इसलिए मैं राज्य के कृषि मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि झुन्झनू जिले में जिला कृषि अधिकारी की पोस्ट की स्वीकृति प्रदान करें। ताकि हमारे जिले के किसानों को जो भी तकलीफें आज पहुंच रही हैं विभिन्न तरीकों से उन सभी का हम जिला कृषि अधिकारी के मारफत राज्य सरकार से समाधान करा सकें। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा उपाध्यक्षजी, हमारे राजस्थान में अभी अकाल पड़ा हुआ है। हमारे काश्तकार खेती के साथ साथ पशु भी पालते हैं। लेकिन अभी अकाल के कारण हमारे राजस्थान का पशुधन नष्ट

Page No.104

(श्री रामनारायण चौधरी)

हो रहा है। आज उनका किसी भी प्रकार से मेन्टीनेन्स नहीं हो रहा है। मैं राज्य के कृषि मन्त्री से निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार पशुओं को प्रोटेक्ट करे। मैं इसके लिए कृषि मन्त्रीजी की जिम्मेदारी समझता हूं। मैं अकाल मन्त्रीजी जो कि कृषि मन्त्रीजी भी हैं, उनको निवेदन करना चाहता हूं कि मैं दूसरे जिलों के पशुधन के बारे में तो ज्यादा नहीं कह सकता हूं लेकिन यह कह सकता हूं कि हमारे झुन्झुनू जिले की गायें और बुल बहुत ही प्रसिद्ध हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां सात सौ गांवई बुल हैं जिनको मेन्टेन किया जा रहा है। आज वहां पर उनकी खुराक के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारे पशुधन के मेन्टीनेन्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाय।

(समय समाप्ति-सूचक घन्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, आज झुन्झनू जिले की बहुतसी गायें और भैंसे हरियाणा, पंजाब और यू० पी० में जा रही हैं। इससे हमारे जिले के पशुधन को काफी नुकसान हुआ है। और मैं समझता हूं कि हमारे यहां जो पशुपालक हैं उनकी मदद करके उन्हें जाने से रोका जाना चाहिए। आज जो हमारी पशुधन की क्रय शक्ति नष्ट हो गयी है उसे बढ़ाया जाय। इसके अलावा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान के अन्दर जो भेड़ पालने का व्यवसाय है उसके बारे में भी मैं निवेदन करना चाहूंगा। आज हमारे यहां इन भेड़ों से वूल इन्डस्ट्री बढ़नी चाहिए। क्योंकि वूल इन्डस्ट्री भी हमारे यहां के लोगों की आय का बड़ा साधन है।

माननीय मंत्री महोदय ने जो आंकड़े दिये हैं उनसे जाहिर होता है कि 1966 और 1971 इन पांच साल के अर्से में भेड़ों का बड़ा लोस हुआ है। उन्हीं के आंकड़ों के हिसाब से 66 में जहां भेड़ों की संख्या 88,06,174 भेड़ें थीं वहां 71 में उनकी संख्या घट कर 85,62,822 रह गयी यानि 3 लाख भेड़ों का नुकसान हुआ। मालूम होता है कि अकाल की वजह से दिल्ली, पंजाब स्लाटर हाउस में चली गयी हैं। इसलिये यह नेशनल लोस है और राजस्थान का विशेष लोस हुआ है। ऐसा मालूम होता है आंकड़ों के देखने से कि 14 जिलों में, अलवर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़, डूंगरपुर, जोधपुर, जैसलमेर, जालौर, सवाईमाधोपुर, चूरू आदि जिले तो अकाल से प्रभावित रहे हैं, इन्हीं जिलों में इनका सब से ज्यादा नुकसान हुआ है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जहां भेड़ों की पहले 88 लाख की संख्या थी वहां 85 लाख ही रह गयी है। जहां उनकी संख्या बढनी चाहिये थी वहां उनकी संख्या पांच साल में घटी। इसको मैं राजस्थान का सब से बड़ा नुकसान और राष्ट्रीय क्षति मानता हूं। मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीराम गोटेवाला।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्षजी, कृषि और पशुपालन के संबंध में मैंने कटौती प्रस्ताव दिये हैं इनके संबंध में मैं निवेदन करना चाहूंगा।

कृषि के संबंध में जहां तक राजस्थान का ताल्लुक है और माननीय मंत्रीजी का ताल्लुक है इस बात की उनकी प्रशंसा किये बगैर नहीं रह सकता कि उन्होंने व्यक्तिगत

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

रूप से दिलचस्पी लेकर इस ओर काफी काम किया है। कृषि निर्भर है, पानी, बिजली, खाद और भूमि के ऊपर। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में जहां पानी का बहुत अभाव है उसके लिये सबसे पहले राजस्थान के पश्चिमी जिले में जहां तीन कैनाल बनायी गयी हैं। एक गंग कैनाल है दूसरी भाखड़ा से नहरें आयी हैं और तीसरी राजस्थान कैनाल का निर्माण हुआ है। आज यह तथ्य है कि उत्पादन जिस तेज गति से बढना चाहिये वह नहीं बढा है। यू.एन.ओ. के एक्सपर्ट मानते हैं कि जिस प्रकार से इनसे उत्पादन मिलना चाहिये था नहीं मिल पा रहा है। बीज खाद जैसा मुहैय्या करना चाहिये था वह नहीं कर पाये हैं। जितना उत्पादन मिलना चाहिये था वह नहीं मिला। लेकिन जहां बड़े बड़े मरूस्थल के टीबे थे वहां आज कपास की फसल हो रही है और उस ओर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि गंगानगर मंडी में ढेर पड़ा है कोई उसको उठाने वाला नहीं है। पानी की समुचित व्यवस्था कर सकें तो निश्चय ही गंगानगर और साथ के और इलाके डेवलप होंगे।

मैं अपने जिले के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि स्वतन्त्रता से पूर्व हमारे यहां जितनी कृषि भूमि की सिंचाई होती थी, पानी यहां उपलब्ध होते हुए भी सिंचाई की व्यवस्था नहीं बढी है और न उत्पादन ही बढा है। जो भी बाद की योजनाएं हैं उनमें जो गतिशीलता होनी चाहिये थी वह नहीं आ पायी है और यहां के बांधों से जहां सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिये वहां पीने के लिये पानी दिया जा रहा है, जो कि बहुत जरूरी है लेकिन, इसके साथ साथ सिंचाई की व्यवस्था भी की जा सकती थी जो नहीं की गयी है। पानी उपलब्ध है लेकिन उसको रोकने की व्यवस्था होनी चाहिये थी वह नहीं हो पायी है। इसलिये मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस ओर व्यक्तिगत रुचि लेकर इस काम को करें।

बिजली के संबंध में मेरे जिले में काफी व्यवस्था हुई है। फिर भी यह मान कर चलना है कि योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाता तो जयपुर जिले में अकाल की चपेट में आने से बच जाता। सीकर जिले की जानकारी मिली है। जिलाधीश ने फेमिन एडवाइजरी कमेटी में सुझाव रखा है कि सुचारु रूप से काम किया जाय तो सीकर को अकाल का सामना नहीं करना पड़ेगा। सब ने मिल कर 2॥ करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार किया है। 1½ करोड़ रुपया कर्जा लेना चाहते हैं और 1½ करोड़ रुपया सहायता के रूप में देना चाहते हैं। राजस्थान सरकार के पास सिफारिश की है। इसमें कृषि मंत्रीजी दिलचस्पी लेकर व्यक्तिगत रूप से करें तो यह हो सकता है। कुएं बनाने के लिये कर्जा दें। हम गुजरात में गये। हमने देखा कि वहां की सरकार ने 60 प्रतिशत अनुदान और 60 प्रतिशत सहायता मुहैय्या की है, कुए खोदने के लिये। कब तक इन्द्र भगवान की कृपा पर रहेंगे। जो साधन उपलब्ध हैं उनको जुटा कर व्यवस्था करनी चाहिये एक तरफ केन्द्र कहता है कि यदि युटिलिटी स्कीम्स आयें तो हम धन देने के लिये तैयार हैं। लम्बी चौड़ी इसमें बात नहीं है 2॥ करोड़ की बात है। सीकर जिला सेमी-डेजर्ट जिला है। दो तहसीलों को सेमी-फर्टाइल जोन घोषित किया है बाकी सारा का सारा सेमी-डेजर्ट जोन है। यदि एक-एक जिले में इस प्रकार की व्यवस्था करें तो निश्चित रूप से अकाल की जो राजस्थान पर काली छाया पड़ती है जिसकी वजह से रोज परेशानी होती है उसका मुकाबला कर सकेंगे।

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

दूसरा मैं निवेदन कर रहा था खाद के संबंध में। राजस्थान का दुर्भाग्य समझिये या कुछ समझिये। सवाई माधोपुर में तेल शोधक कारखाना लगाने की बात थी इसी सदन में जोरों से कहा गया था लेकिन राजस्थान से बाहर उत्तर प्रदेश में लग गया। कोई बात नहीं वहां लग गया। लेकिन खाद कारखाने की बात हम 20 साल से सुनते आ रहे हैं। हमने पाईराइट का प्रोजेक्ट सेन्ट्रल गवर्नमेंट को दे दिया। यह कहा गया कि इसकी एवज में हमारे यहां खाद का कारखाना लगाया जायेगा। 80 करोड़ का प्रावधान रखा भी। अन्डरग्राउन्ड वाटर बोर्ड की मेहरबानी है, जिस जगह पाईराइट की खान है एक लाख एकड़ जमीन है, वह कहते हैं कि वहां पानी नहीं। भारत सरकार का जो प्रोजेक्ट है, उन्होंने इस बात की जियोलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया से जांच करायी और उसने यह रिपोर्ट दी कि जितना पानी चाहिये उससे तीस गुना पानी यहां उपलब्ध है। राजस्थान अन्डरग्राउन्ड वाटर बोर्ड ने एक जगह ड्रिल करवा कर रिपोर्ट दे दी कि पानी उपलब्ध नहीं है इसलिये कारखाना लग नहीं सकता। जियोलोजिकल सर्वे ऑफ इन्डिया कहता है कि पानी जितना चाहिये उससे तीस गुना अधिक उपलब्ध है। यदि हम खाद के कारखाने के लिये जोर नहीं देंगे तो कृषि को आगे बढाने की बात भी नहीं कर सकेंगे। जिस तरह से आइल रिफाइनरी के मामले में क्या हुआ वह सब सामने है। यदि खाद का कारखाना जो 240 का प्रोजेक्ट है राजस्थान में लग जाता है तो यह सारे राजस्थान की आर्थिक हालत को बदल देगा। लेकिन यदि इस प्रकार यही हालत रही तो निश्चित रूप से यह भी यहां से जाने वाला है। माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इसमें व्यक्तिगत रूप से दिलचस्पी लें कि राजस्थान का अन्डरग्राउण्ड वाटर बोर्ड सही कहता है या गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया का जियोलोजिकल सर्वे ऑफ इन्डिया। राजस्थान में खाद का कारखाना तो लगे। राजस्थान का हक है वह इसको मिलना चाहिये। एक बात और निवेदन करूंगा इस सिलसिले में एक मैंने मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन के लिये निवेदन किया था। 60 पर्सेन्ट एक्सप्लोरेशन का काम यहां चल रहा है। पर इसके कार्यालय के लिये हम यहां भूमि उपलब्ध नहीं करा सके और इसका आफिस भी यहां नहीं रह कर नागपुर चला गया।

ड्राई फार्म आफ एग्रीकल्चर इन्स्टीट्यूट यहां आ रही थी। 15 करोड़ की लागत की यह संस्था है। अमेरिका ने इसमें सहायता दी है। रेगिस्तान की दृष्टि से इस संस्था पर तो हमारा हक ही था। जितनी समस्याएं इस बारे में यहां हैं भारत के किसी प्रदेश में ऐसी समस्याएं नहीं हैं, पर यह संस्था भी हम यहां नहीं रख पाये। वह भी आन्ध्र में चली गई। इन सारे कामों के लिये ड्राई फार्मिंग के लिये नये-नये फार्मूले ईजाद हुए हैं, इसके लिये नई टैकनिक चाहिये, नये साधन चाहिये। तो कम से कम हम अपनी समस्याएं इस इन्स्टीट्यूट के सामने तो रखें। इनसे बात करें। राजस्थान देश का सबसे बड़ा सूखाग्रस्त क्षेत्र है, 64 पर्सेन्ट तो रेगिस्तानी इलाका है। इसमें मान लीजिये कि यह इन्स्टीट्यूशन हमारे यहां नहीं रहा, पर मेहरबानी करके यहां के विकास के कामों को तो आगे बढवाने का प्रयत्न करें।

इसके साथ ही चम्बल रेवीन्स की जमीन के बारे में मैंने बात कही, जहां पर जिस क्षेत्र में पानी उपलब्ध नहीं है, कैनाल के द्वारा

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
सिंचाई होना भी सम्भव नहीं है, और न ट्यूब वैल की ही कोई योजना है। उसके लिये पहले भी पुलिस विभाग की मांग के समय बात कही थी मैंने। उसे पुनः दोहराता हूं। चम्बल एरिया के लिये रेवीन्स को सुधार कर खेती करने वालों को सरकार एक सौ एकड़ जमीन देकर प्रोत्साहन देना चाहती थी। इसके लिये प्रार्थना-पत्र भी लोगों ने दिये थे कि हम उस जमीन को समतल करके वहां खेती करना चाहते हैं। उस बारे में भी अभी तक किसी प्रार्थना-पत्र पर सरकार ने विचार नहीं किया है। जहां तक मुझे जानकारी है शायद इसमें से एक भी एप्लीकेशन का निपटारा सरकार ने नहीं किया है। मैं निवेदन करूंगा कि इस के बारे में सरकार शीघ्रता से निर्णय करे। वहां भूमि बेकार पड़ी है, उपजाऊ है, पानी की भी सुविधा हो सकती है। समस्या समतल करके वहां पुरुषार्थ करने की है। इसके लिये लोग आगे आकर आफर दे रहे हैं तो सरकार शीघ्र निर्णय करे। सम्भव हो उसके लिये बिजली वहां और दे दें। इससे एक तरफ जहां सरकार को असामाजिक तत्वों से, डाकुओं के आंतक वगैरह से छुटकारा मिलेगा, वहां दूसरी तरफ योजनाबद्ध तरीके से उत्पादन में वृद्धि होगी और हजारों लोगों को इसमें काम मिलेगा। राजस्थान की आर्थिक स्थिति में भी इससे सुधार आवेगा और हम सब मिलकर सभी चीजें व्यवस्थित कर सकेंगे।

पशुपालन और मुर्गी पालन के बारे में भी मुझे कुछ कहना है। यहां पर अधिकारियों का जो रुख है ग्राम किसान को जिस तरह की राहत मिलनी चाहिये या सहायता मिलनी चाहिये उस ढंग का सहयोग और सहायता सरकारी अधिकारियों द्वारा नहीं मिलती। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है यह। यह स्पष्ट है कि राजस्थान में आगे चलकर यहां के लोगों का मुख्य आधार आजीविका का खेती और पशुपालन बनने वाला है उस में प्रगति करने की तो तड़पन मैं मन्त्रीजी में देखता हूं वे रात को दो दो बजे तक काम करते दिखते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हम में वह तड़पन नहीं, एक तरफ का पागलपन आ जावे हम सब लोगों में और यह तै कर लें कि राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिये अपने आपको समर्पित कर देना है। योजनाओं को सफल बनाने में लग जाना है, कृषि विकास पशुपालन और सिंचाई के साधनों को विकसित करने में लग जाना है। तो हमारी समस्याएं हल हो सकती हैं।

अपन क्षेत्र से संबंधित कुछ बातों के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। जहां तक मण्डियों का सवाल है गुजरात की ऊंझा मण्डी को मैं देख आया हूं। वहां सारी व्यवस्था बड़े ही सुगम ढंग से की गई है। हमारे यहां की हालत बड़ी खराब है। हम क्यों नहीं उतनी सुन्दर व्यवस्था कर पाते हैं? हमारे यहां एक मण्डी में 25 लाख की रकम इन्वॉल्व्ड हुई पड़ी है। वह किसको दी जावेगी, कब क्या होगा उसका, कुछ पता नहीं। पिछले तीन चार सालों से तो मैं लगातार देख रहा हूं। सड़कों पर मिट्टी आ रही है। जिस पर बराबर समतल करने में लाखों रुपया लग चुका वह सारी जगह बरबाद होने जा रही है आज। दूसरी अनाज मण्डी का हाल भी बुरा है। सैकड़ों लोग परेशान हैं, कोई किसी बात से परेशान है, तो कोई किसी बात से हैरान है। बैठकर सारी समस्याओं का निराकरण करने की और जल्दी से सारे मामले

Page No.108

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

निपटाने की मनोवृति किसी की नहीं है। गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य उनकी मण्डी की बात कह रहे थे। सब जगह समस्याएं हल होने की इन्तजार में खड़ी हैं। कौन करेगा इनको हल। हम थोड़े दिन पहले कमेटी के सिलसिले में गुजरात गये थे वहां ऊंझा मंडी हमने देखी। बड़ी अच्छी व्यवस्था है। नौ बैंकों की वहां शाखाएं हैं। उनसे सात करोड़ रुपया लेकर सारी मण्डी को अच्छे ढंग से बनाया है। किसानों के लिये बैठकर विश्राम करने का और खाने पीने का सुन्दर स्वच्छ स्थान बनाया गया है। मण्डी का कार्यालय भी वहीं है, अच्छा काम चलता है उसमें। हम भी उसकी कल्पना अपने मन में लेकर चलते हैं कि हमारे यहां भी ऐसी व्यवस्था हो जावे तो किसानों का भी भला हो सकता है और हमारा जो ध्येय है उसकी प्राप्ति भी हो सकती है।

मैं एक फिशरीज के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। जयसमन्द हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। उसमें फिशरीज के संबंध में जिस समय नहीं पकड़ने का था, उस समय शोभारामजी, जो उस समय कृषि मंत्री थे ने अचानक मौके पर जाकर ठेकेदार को और सरकारी अधिकारियों को भी मछलियां निकालते हुए और बाजर में बेचते हुए पकड़ लिया रंगे हाथों। उस बात को चार वर्ष का अर्सा हो गया। उस बारे में आगे क्या कार्यवाही की गई, आज तक किसी को कुछ जानकारी नहीं है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम जिस किसी भी भ्रष्टाचार को पकड़ें, बुराई को पकड़ें, मैंने आयुर्वेद की मांगों के समय भी कहा था और फिर कहना चाहता हूं कि आप अपराधी को पकड़ कर फिर किसी की सिफारिश से या किसी के दबाव में आकर उसे छोड़ने की बात न करें। जबतक आप कार्यवाही नहीं करेंगे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम सारी व्यवस्था को ठीक नहीं कर पावेंगे। मैं पुनः निवेदन करूंगा कि इस सारी बात की जांच करावें। स्वयं मंत्रीजी ने रंगे हाथों पकड़ा था मामला। फिर क्या परेशानी हो गई? किस वजह से सारा मामला दबा।

एक और निवेदन करूंगा भेड़ और ऊन विभाग के डाइरेक्टर थे एक सज्जन। उनको इस विषय की स्टडी करने के लिये आस्ट्रेलिया सरकार ने अपने खर्चे से भेजा। 25 हजार का खर्चा सरकार का हुआ। कल भी प्रश्न किया था ऊन विभाग के इन्जीनियरों के विषय में। तो जब वे स्टडी करके वापिस पधारे तो उनको इस विभाग से हटाकर दूसरे विभाग का डाइरेक्टर बना दिया। मैं पूछता हूं कि जनता के धन का इस तरह से अपव्यय करने में सारांश क्या है? किस कारण से तो उनको भेजा, किस कारण 25 हजार का खर्चा किया और अगर उनके ज्ञान का लाभ विभाग को देने के लिये भेजा तो फिर उसका लाभ विभाग को क्यों नहीं लेने दिया? यहां से उनको प्रिंटिंग और स्टेशनरी में भेज दिया। क्या इसका लाभ प्रिन्टिंग और स्टेशनरी को दिया जा रहा है।

राजस्थान का ऊन सारे देश में प्रसिद्ध है। इस विभाग को आर्थिक दृष्टि से हमें सबल और समर्थ बनाना चाहिये। तो जो योग्यता प्राप्त करके वे आये उसका लाभ इस विभाग का मिलना चाहिये था। कम से कम इस तरह की इतनी गलत बातें तो न करें। तै करके भेजा गया इनको वहां। फिर आने पर क्या बात हो गई। किस आदमी को किस कार्य

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

के लिये भेजना हैं। इसका निर्णय करने की क्षमता अगर इस सरकारी मशीनरी में नहीं है तो जनता का पैसा क्यों बरबाद किया जाता है।

मशीन और औजार खरीदने में भी घोटाले यहां होते हैं। इस भेड़ ऊन विभाग में किर्लोस्कर के तीन जनरेटर खरीदे गये 72 हजार में। इसमें भी भंयकर घोटाला है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिसको भी पर्चेज करना होता है वह मार्का फिक्स कर देता है कि यह खरीदना है और चाहे वह भारत सरकार से एप्रुव्ड हो उसका बिल ले लेंगे। अब उसका टेण्डर लिया जाता है या नहीं, यह भी नहीं देखा जाता। वहां पर 72 हजार के जनरेटर खरीदे गये और अगले साल ही उन पर बीस हजार रुपया रिपेयर के और लग गये। जब कहीं इस तरह के घोटाले होते हैं और उनमें जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा चन्द इस तरह के लोग भ्रष्टाचार करके खा जाते हैं तो मन में तकलीफ होती है।

दूसरी तरफ आज दुनियां में विज्ञान की तरफ लोग बढ रहे हैं। नये-नये आविष्कार करने में लगे हैं और हम इस तरह के भ्रष्टाचार में भी लिप्त हैं। हमारी इन्जीनियरिंग प्रतिभा आज इस तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त है इससे रंज होता है। इंगलैंड के एक प्रतिभाशाली इन्जीनियर ने नोंबल पुरस्कार प्राप्त किया है। प्रोटीन रहित पशुओं के आहार का आविष्कार करके।

राजस्थान में भी इस तरह की प्रतिभाएं विद्यमान हैं, हमें उनको आगे लाना चाहिये। उनकी प्रतिभा का लाभ उठाना चाहिये। जिसमें परीक्षण किये हैं ऐसे ही। डॉक्टर पी. एल. व्यास हमारे यहां हैं। परीक्षण करके उन्होंने भी इसी प्रकार का प्रोटीन रहित आहार बनाया है। आज हम चारे की समस्या से ग्रस्त हैं। परेशान हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम इन प्रतिभाओं का लाभ लें। इनके आविष्कारों को अपनावें और लाभ उठावें। अगर आवश्यकता हो तो और इस दिशा में आगे एक्सपेरीमेंट करें। आज हमारे सामने पशुओं को बचाने का सवाल है, उनके आहार का सवाल है। इसके द्वारा हम हल कर सकते हैं।

तो मैं माननीय कृषि मंत्रीजी से निवेदन करुंगा और इस कथन के साथ अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं कि हमारा बहुत बड़ा भू-भाग जो रेगिस्तान के रूप में पड़ा है उसे विकसित करें। उसे समतल करके यहां पर कृषि की नई-नई जो सारी दुनियां में एक्सपेरीमेंट हुआ है। हमारे यहां के किसान और उन जिलों के किसानों को जिनको आपने साधन दिये हैं और जिन्होंने हरित क्रान्ति को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है, हमारे यहां की समस्या को....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सुलझाये . . .इतना ही कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री झाबरमल।

श्री झाबरमल सूंडा (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, कृषि हमारे जीवन का ऐसा एक साधन है जिसके ऊपर हमको बहुत ही अहमियत और गंभीरता से विचार करना चाहिये उतनी गंभीरता से हमने इसको नहीं लिया जिसका नतीजा आज हमारे सामने मौजूद है। कभी अमेरिका से माइलो की बात करते हैं तो कभी दूसरे देशों से अनाज मंगाने की बात करते हैं।

(श्री झाबरमल सूंडा)

हम खेती में आत्मनिर्भर नहीं हुये हैं तो किसी भी मामले को आगे लेकर चलेंगे तो मैं समझता हूं असम्भव है। जो आदमी अपना पेट खुद मेहनत से नहीं भर सके वह आदमी कोई भी काम हाथ में ले सकेगा यह सोचने से परे है।

कृषि, पशुपालन, कोऑपरेटिव ये ऐसी बातें है जो एक दूसरे से अलग नहीं की जा सकती हैं, क्योंकि गांवों का आधार जैसा माना गया विकास का उसमें कोऑपरेटिव को सबसे ज्यादा स्थान दिया था। क्योंकि एक आदमी की हालत उतनी बेहतर नहीं है कि हम उसको लोन दिलवा सकें। काआॅपरेटिव तो अलग क्षेत्र है लेकिन इससे अलग कर नहीं सकते। इसके कारण क्या हैं गांव के हर आदमी की हालत और उसकी जो आर्थिक पोजीशन है उसका आप एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकते हैं। मान्यवर, इसलिये हमने बहुत पहले भी कहा था पंजाब में कर रहे हैं, काश्तकार पर जितना ऋण है उसको माफ कर दिया जाय और आगे से कार्यवाही शुरु की जाय। आज समृद्ध लोग काश्तकार की चर्चा बहुत कम करते हैं, क्योंकि समृद्ध लोगों से इसका पाला नहीं पड़ता है इसलिये सबसे कम ध्यान कृषि पर दिया जाता है। ज्यों-ज्यों वैज्ञानिक उपकरण, वैज्ञानिक तरीके फर्टीलाइजर के, प्रजनन के, सुधरे हुये बीज के तरीके और जो दूसरे तरीके हैं, उसका लाभ काश्तकार नहीं उठा सकता है। इसकी वजह क्या है। सारा सेट-अप जो काश्तकार के लाभ उठाने का है, वह सारे का सारा जैसा नला ऊपर से चलता है और बाद में मिट्टी में चला जाता है और मिट्टी में जाने पर मिट्टी उसको सोख लेती है उसी प्रकार काश्तकार के लिये जो योजना बनाते हैं वह सारी की सारी इस प्रशासन के ढांचे में ही रह जाती है।

यह हरित क्रान्ति, सफेद क्रान्ति जो फैल हुई है इसके पीछे एक बात है--काश्तकार के लिय जो तरीका सोचा, जो सुविधा देने की सोची वह कर नहीं सके। उदाहरण के रूप में मैं बताऊं--कृषि को ज्यादा उन्नत करने के लिये, ज्यादा प्रोड्यूस देने के लिये हमने दूसरे बीजों का प्रयोग किया। मेक्सिकन गेहूं और संकर बाजरा लेकिन मान्यवर, मेरा खुद का कटु अनुभव है संकर बाजरा जो आगे बोयेगा मैं उसको बोने भी नहीं दूंगा। मैंने शुरू-शुरू में संकर बाजरा बोया था लेकिन समय पर सारा का सारा बीज इस किस्म का हो गया कि किसान को उस फसल से तो हाथ धोना ही पड़ा लेकिन जितनी जमीन में उसको बोया उस जमीन में आगे आने वाले सालों में भी कुछ नहीं कर सका।

जैसा झुन्झुनू से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया एक प्रतिशत खाद उचित मूल्य पर मिलना चाहिये। खाद कृषि में सबसे मुख्य है लेकिन खाद के अलावा उसे अन्य बहुत सारी चीजें समय पर नहीं मिलती हैं। बीज समय पर नहीं मिलता है, न खाद समय पर मिलती है और न पानी ही किसान को समय पर मिलता है। पिछले दिनों मैंने निवेदन किया, किसानों के इस समय कनेक्शन काटे जा रहे हैं। इस वक्त जब आखिरी वक्त है फसल कटने का और जब किसान को बिजली की ज्यादा आवश्यकता है उस समय किसान का बिजली का कनेक्शन काटा जा रहा है। यह भी नहीं देखा जा रहा है कि हमारा प्रोड्यूज कम हो रहा है लेकिन आप तो सोचते हैं यह अच्छा वक्त है कनेक्शन काटने का। किसान पर दबाव पड़ेगा और अपने आप देगा। मान्यवर, मेरा निवेदन है, काश्तकारी में टाइम फेक्टर सबसे इम्पारटेन्ट चीज है। इस पर गौर इस तरीके से किया जाय कि हमारी जो

(श्री झाबरमल सूंडा)

फेसेलिटीज है उसको खेती का समय देखकर आगे पीछे किया जाय ताकि काश्तकार को अनावश्यक रूप से परेशान न होना पड़े ।

सीकर में बीजगुणा और पलसाने में दूसरे काश्तकार तक खेती करते थे । उसमें एक बार संकर बाजरे की खेती की और अब उसमें लाखों रुपये लगाने के बाद बेकार पड़ी है । पहले बहुत अच्छी जमीन थी और लाखों रुपयों की जमीन थी लेकिन अब उसको लोग नीलाम में भी नहीं लेते हैं । कम कीमत में भी नहीं ले रहे हैं । सरकार भी उसको नहीं चला सकती थी इसलिये, मान्यवर, समय की पाबन्दी नहीं होनी चाहिये । बीज समय पर बोना पड़ता है । कृषि की उपज है । मैं आपको बताऊं बहुत दिनों पहले चव्हाण साहब ने कहा था बम्फर क्रॉप होगी । मैं दावा करता हूं, जो अभी पिछले दिनों तीन दिन हवा चली उसमें सीकर की फसल 50 पर्सेन्ट रह गई ।

मैं भी काश्त करता हूं । मैं आपको बताऊं जो मेरे लागत आई है उसमें मुझे 6 महीने में डेढ़ हजार का नुकसान है । आप अन्दाज लगायें जो खेती के सारे टेक्निक हैं उसको भी काम में लेता हूं उसके बावजूद 1½ हजार का नुकसान । आप मान्यवर, अन्दाज लगाइये जिनको सुविधायें नहीं मिलती हैं उसका खर्चा कहां से आयेगा । वह नुकसान सारा का सारा नेशनल प्रोड्यूज पर जाकर पड़ेगा । आज हमारे काश्तकार जिन्होंने कर्जा लिया है वे सब के सब डिफॉल्टर हो गये । जितनी कोऑपरेटिव बैंक हैं, स्टेट बैंक है या रिजर्व बैंक से अब उनको कर्जा नहीं मिल रहा है । इसलिये किसान का अगर हित देखना है तो जो लोन देते हैं उस लोन में पहला इन्स्टालमेंट होगा वह कितने साल बाद आयेगा, यह सोचना होगा और फिर ऐसे समय में जब फसल डूबती होगी तो रिकवरी की तरफ ध्यान नहीं देना होगा ।

मैं कहता हूं जो अकाल पड़ा है उसमें लोगों को बीज देने के लिये स्टाक नहीं होगा और जब स्टाक में बीज नहीं होगा तो अगली फसल भी नहीं होगी । मूंग, मोठ, ज्वार ये शेखावाटी से समूल नष्ट हो गया है । गंवार का तो पूरा बीज भी हम उपलब्ध नहीं करा सकेंगे यह प्रश्न एक विचारणीय हो गया है । किसान को एज्यूकेट करने की बात है, जब तक हम काश्तकार को एज्यूकेट नहीं करेंगे तब तक काश्तकार कोई फायदा नहीं उठा सकता है ।

मान्यवर, आकाशवाणी से जो प्रसारण होता है उसमें दिन भर क्रिकेट की कमेन्टरी आती है । दिन भर से रात भर तक यह कमेन्टरी आती रहती है -- कौन गया, कितना क्या हो गया यह सब पूछते रहते हैं लेकिन किसान भाइयों के लिये कोई प्रोग्राम इस तरह का नहीं होता और कोई होता भी है तो भोपू के गाने होते हैं या कोई ठुमरी होती है और मुश्किल से 10 मिनिट भी नहीं आता है । तो मैं एक तो मान्यवर, यह कहना चाहता हूं कि काश्तकारों को जैसे ग्राम पंचायतों में रेडियो दिये गये थे वे बन्द हो गये हैं तो सबसीडी के बतौर हर काश्तकार को छोटा मीडियम वेव का रेडियो मिले और आकाशवाणी से प्रसारण का समय भी बढ़ाया जाये ।

दूसरे, मान्यवर, कृषि और पशु का बहुत गहरा संबंध है । पशुओं के बिना खेती नहीं हो सकती । आज हमने ट्रेक्टर का सहारा लिया है खेत को जोतने के लिए लेकिन आज जो जमीन जोतनी है ट्रेक्टर वाला अपनी जमीन को बहुत ज्यादा जोत देता है लेकिन यह दस दिन बाद पहुंचेगा तो दस दिन का

(श्री झाबरमल सूंडा)

गैप कितना हो गया । इस समय हमने फसल बोयी, उसको दोपहर को बोयी और फिर शाम को बोयी तो इसका मैंने अनुभव किया है कि तीनों वक्त में तीन तरह की फसल होती है । अगर उत्तर हवा आ गयी तो फसल पैदा ही नहीं होगी । बीज जमीन में चला गया और जब उसके ऊपर भी हमारी हवा का असर है तो आप सोचिये कि जब फसल खड़ी है तो हम इन हवाओं के ऊपर कन्ट्रोल नहीं कर सकते लेकिन फिर भी हम वैज्ञानिक तरीकों से ऐसा कर सकते हैं कि उन हवाओं का कम से कम असर हो। तो हमारा जो विज्ञान कृषि के क्षेत्र में आगे आया है वह बहुत कम है । मैं यह चाहता हूं कि वैज्ञानिक तरीकों को हम ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें । जैसा अभी झुंझुनू से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया था कि मामूली कीड़ा है जो चने में लगता है और हमने पोलीटार वगैरह का सब का प्रयोग करके देख लिया लेकिन उस कीड़े को हम किसी तरह से भी नहीं मार सकते । तो जब हम मामूली से कीड़े को मारने में असमर्थ हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे पहुंचा सकें खेती को बचाने के लिए इसके ऊपर मुझे विश्वास तो नहीं होता लेकिन गवर्नमेंट ध्यान देगी और वैज्ञानिक ध्यान देंगे तो मैं सोचता हूं कि हमें लाभ मिलेगा ।

मान्यवर, पशुओं वाली बात यह है कि जितने एम. एल. ए. हैं वह जिले में प्रॉडक्शन कमेटी के सदस्य हैं । मैं भी प्रॉडक्शन कमेटी में शामिल हुआ तो मैं आपको सीकर जिले की बात बताऊं कि वहां पर तीन कमेटियों में पशुपालन की कोई चर्चा ही नहीं है । हमने यह कहा कि प्रॉडक्शन की तो आप बात करते हो और पशुपालन की बात नहीं करते तो प्रॉडक्शन कैसे बढ़ेगा । अगर हम मैन्योरिंग नहीं करेंगे और फर्टीलाइजर से काम लेंगे तो हम पूरी फसल नहीं ले सकते । जमीन की जो उर्वरा शक्ति है उसको फर्टीलाइजर से कायम नहीं रख सकते, उसको कायम रखने के लिए मन्योर जरूरी है चाहे वह पशुओं की खाद का हो या किसी भी तरह का हो वह बहुत आवश्यक है । तो मैन्योरिंग के लिए पशुओं को पालने का न तो सरकार ने प्रावधान रखा है और न नेशनेलाइज्ड बैंक्स ने ही रखा है । सरकार ने कहा है कि हमने 5 डेरी खोली हैं तो 5 डेरीज खोलने से कोई पशुधन विकसित नहीं हो सकता । पशुधन में भी जो ऊन भेड़ें देती हैं उनके भी विकास का कोई प्रावधान नहीं है । मैंने आंकड़े देखे जिससे पता लगा कि पिछले एक साल में 3 लाख भेड़ों की कमी हुई । जब राजस्थान में दो, दो और तीन, तीन लाख भेड़ें कम हो और सारे देश का 40 पर्सेन्ट ऊन हमारे राजस्थान में पैदा हो तो हमें उनके लिए कोशिश करनी चाहिए लेकिन हम उनको कम होने से रोक नहीं सकते तो नस्ल सुधारने की बात कैसे कर सकते हैं जब कि हम उनको जिन्दा ही नहीं रख सकते । बीकानेर में एक स्थान का नाम बताया कि पानी के अभाव में भेड़ों के एक प्रजनन केन्द्र को बन्द करना पड़ा । जब पानी के अभाव में भेड़ प्रजनन केन्द्र को बन्द करने की बात करें और फिर प्रॉडक्शन को बढ़ाने की बात करें तो यह ऐसी बात है कि जो योजना से मेल खाने वाली नहीं है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मान्यवर, मैं यह चाहता हूं कि पशुपालन के लिए हमको अटमोस्ट प्रायोरिटी देनी पड़ेगी चाहे भेड़ हो, गाय हो, बैल हो, ऊंट हो या बकरी हो, जो भी हमारे पशु हैं हमको सबके अलग-अलग लाभ हैं । अगर ऊंट नहीं होगा

(श्री झाबरमल सूंडा)

तो हम रेगिस्तान में प्रोडक्शन की दृष्टि से जो हमारा रिसाला है उनको भी नहीं बचा सकेंगे। पश्चिमी सीमा पर अभी जब युद्ध हुआ तो उस समय ऊंट बहुत जरूरी हो गये थे। ऊंट का मुकाबला हिन्दुस्तान में कोई दूसरा पशु नहीं कर सकता इसलिए पशुओं को बचाने के लिए नस्ल सुधारने की बात हम करते हैं यह भी बहुत जरूरी है लेकिन हमारे पास मूल में जो है उसको भी खो रहे हैं। बढ़िया नस्ल की गायें नहीं बचा सकते, भेड़ें भी जरूरी हैं। पिछली बार बजट भाषण में था और गवर्नर महोदय के भाषण में भी था कि फतेहपुर में एक प्रजनन केन्द्र खोल रहे हैं जो कि 60 हजार एकड़ में होगा और जिसके ऊपर 90 लाख रुपये खर्च होंगे, उसकी अभी तक ए, बी, सी, डी, भी नहीं है। इस वित्तीय वर्ष में उसको ले रहे हैं ऐसा कहा जा रहा है, जो पशुधन को बचाने की योजना बनाई है वह जिस ढंग से फेल होगी मैं मानता हूं कि इस बार भी सरकार का करने का कोई इरादा नहीं है। चाहे केन्द्र की स्कीम हो या यहां की हो उसमें आखिर इनीशियेटिव तो हम ही लेंगे।

मान्यवर, हम पशुओं को नहीं बचा सकते खेती की तो बात ही दूर रही। इसलिए सबसे पहले हम पशुधन की तरफ कैसे बढ़ें, काश्तकारों को कैसे ज्यादा से ज्यादा इसके लिए सुविधा मुहैय्या करें। काश्तकार जब गाय भैंस का दूध लेता है तो रोजाना बेचने के लिए वह नहीं जा सकता क्योंकि सारा दूध बेच देगा तो 24 घंटे खेत में काम करने वाला आदमी कैसे जिन्दा रह सकता है। उसको दूध की जरूरत है, उसको छाछ की जरूरत है, उसको घी की जरूरत है। इसलिए मेरा सुझाव है कि काश्तकार जो कि सिर्फ छाछ, दूध और दही पर जिन्दा है शुद्ध घी कलेक्ट हो और किस ढंग से उसका वितरण हो उसके प्रोडक्शन के लिए आप उसको सबसीडी दें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और जब उसको सबसीडी दी जायेगी तो जो घी का एकमात्र जरिया है वह आगे बढ़ सकेगा।

पशुधन और कृषि के साथ मैंने आपसे जिक्र किया उसमें लोनिंग और टाइम फेक्टर है। पशुधन को जिन्दा रखा जाये उसके लिए जितने बैंक्स हैं उनको सहूलियतें देनी चाहिये। जब तक काश्तकार को सहूलियते नहीं दी जायेंगी, काश्तकार को जब तक एज्युकेट नहीं किया जायेगा, काश्तकार कैसे लाभ उनसे उठा सके इसके लिए काश्तकार को यदि हम आगे आकर के सारी योजनायें नहीं समझा सकेंगे तब तक मान्यवर, मैं ऐसा मानता हूं कि एक अकाल नहीं, जिस अकाल से हम आज घबराये हुए हैं यह अकाल जैसा कि वित्त मंत्री महोदय ने कहा था कि इन्द्र भगवान पर हमें सदा निर्भर रहना पड़ेगा। तो इससे तो किसी को इन्कारी नहीं है लेकिन वाटर के जितने अण्डर ग्राउन्ड रिसोर्सेज हैं उनको भी हम एक्सप्लोइट नहीं कर सके। मान्यवर, अभी सीकर में सारी जगह ऐसे सर्वेक्षण हो गये हैं कि कहीं 70 हजार प्रति गैलन, कहीं 80 हजार प्रति गैलन और कहीं 90 हजार प्रति गैलन पानी मिल सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, अभी कृषि में एक संगठन बना है एग्रीकल्चरल री-फाइनेन्स कॉरपोरेशन। वह किसानों के जिन्दा रहने का एकमात्र जरिया सरकार ने दिया है। अगर री-फाइनेन्स हम काश्तकार को नहीं करते होते तो जो इलाका थोड़ा सा समृद्ध हुआ है जैसे कि हम सीकर जाते हैं तो बीच में चौमू के

(श्री झाबरमल सूंडा)

पास गोविन्दगढ़ है । गोविन्दगढ़ चौमू से लगता हुआ है वहां पर काश्तकार जितना फायदा उठा पाये

(3.9 म. प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पदासीन)

हैं उसका कारण यह है कि हम उसको लोनिंग का लाभ दे पाये हैं । काश्तकार को जिस बात की जरूरत है वह यह है कि उनके लिए कुए बनने चाहिए उसके बाद पम्प सैट लगना चाहिए और फिर बीज मिलना चाहिए । जो खुद काश्त करते हैं, मुझे ऐसा कटु अनुभव है कि काश्तकार के पास प्रत्येक एकड़ के लिए करीब 200 रुपया एडवान्स में रहना चाहिए अगर दो सौ रुपया प्रति एकड़ उसके पास में एडवान्स नहीं रहेगा तो जो उसकी मामूली सी आवश्यकतायें पैदा होती हैं उनसे भी वह नहीं निपट सकता है । खेती के ऊपर, सभापति महोदय, जो खर्चे होते हैं उनसे निपटने के लिये उसके पास एक आवश्यक फोर्स रहना जरूरी है और वह आवश्यक फोर्स कोऑपरेटिव है । लेकिन कोऑपरेटिव को जिस ढंग से, जिस तरीके से फेल किया गया है, उस ढंग से, उस तरीके से और उस कारण से आज जो हमारी खेती दशा हो रही है वह नहीं होती ।

(समय-समाप्ति–सूचक घंटी)

मान्यवर, एक बात और कह देना चाहता हूं कि सरकार को अगर कृषि की आय बढाना है, अगर पशुधन को जिन्दा रखना है तो हमको पशुओं को जिन्दा रखने के लिये अलग से लीविंग सिस्टम रखना पड़ेगा, री-फाइनेन्स करना पड़ेगा । री-फाईनेंस किए बिना हम उन्हें जिन्दा नहीं रख सकेंगे ।

श्री सभापति : श्री मोहनलाल छंगाणी ।

(अनुपस्थित)

श्री मोहनराज ।

(अनुपस्थित)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली ।

(अनुपस्थित)

श्री मोहरसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री नारायणसिंह चौधरी ।

श्री नारायणसिंह चौधरी (दांतारामगढ़) : आदरणीय सभापति महोदय, मैंने कृषि और पशुपालन के संबंध में मंत्री महोदय का कुछ शेष मुद्दों की ओर ध्यान दिलाने के लिये कटमोशन दिए हैं । अपना यह देश, यह स्टेट, कृषि प्रधान देश है और उसी तरह से यह राज्य भी कृषि प्रधान प्रान्त है और 85 प्रतिशत से ज्यादा अधिक परिवार कृषि पर निर्भर रहते हैं । आज राजस्थान की जो स्थिति है अकाल के कारण से वह उसको देखते हुए इस कृषि का, खेती का और भी महत्व बढ जाता है । मैं सीकर जिले के कुछ विशेष मद्दो की ओर आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं । अभी जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने हमारे सीकर जिले की एक, जो विशेष योजना कुछ ही दिन पहले जिला अकाल राहत कमेटी की मीटिंग में हम सब ने मिल कर जिलाधीश जी के माध्यम से राज्य सरकार के पास इसलिये भेजी कि सीकर में दो तीन तहसीलें तो ऐसी हैं जिसमें एक दो साल के बाद अकाल पड़ता रहता है । सीकर का जो सर्वे हुआ है उसके हिसाब से पानी की वहां बहुत

(श्री नारायण सिंह)
अच्छी स्थिति है। पानी बहुत अच्छी मात्रा में है। हम सबने यह उचित समझा कि इस अकाल के टाइम पर जो जोड़, सड़कें और ऐसे कार्य जिन पर से उत्पादन नहीं बढ़ सके उनको न लेकर के ठोस ऐसे काम हाथ में लिए जायं जिसके कारण से हमेशा हमेशा के लिए इस जिले से तो कम से कम अकाल को समाप्त किया जा सके। दूसरे जिलों में भी जहां पर अकाल है वहां पर भी इस तरह की स्कीमें ली जा सकती है लेकिन उनकी स्थिति और सीकर जिले की स्थिति में फर्क हो सकता है।

सभापति महोदय, आप जिस जिले से पधारते हैं उस जिले की स्थिति में और हमारे सीकर जिले की स्थिति में फर्क है। सीकर के अन्दर काफी प्रचुर मात्रा में पानी है जब कि चूरू के अन्दर पानी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब पानी है तो हम क्यों नहीं ऐसे कोई ठोस काम हाथ में लें जिनसे हमेशा के लिये अकाल से छुटकारा मिल सके। यह सुझाव हमने राज्य सरकार को भेजा है और मुझे उम्मीद है राज्य सरकार ने भी जिस गम्भीरता से हमने उसको लिया उससे भी कहीं अधिक गम्भीरता से राज्य सरकार ने लिया है और मैं मंत्री महोदय का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होने बड़ी गम्भीरता से इन सारी बातों को सुना और मुझे जैसी जानकारी मिली है कि उसको शीघ्र ही कार्यान्वित करने जा रहे हैं। आज इसी आशा पर, इसी उम्मीद पर, हमारे जिले के अन्दर हमने कोई अकाल राहत कार्य नहीं खोले हैं और बहुत कम अकाल राहत कार्य वहां पर जो छोटे छोटे बांध हैं, एनीकट हैं उनका काम शुरू किया है। कुछ ऐसी सड़कें जो पहले की अधूरी हैं उनको भी लिया है। बाकी जो छोटी छोटी तलाइयां और दूसरे छोटे काम हैं जिनसे उत्पादन बढ़ने की पूरी सम्भावनाएं नहीं थी उन कामों को नहीं लिया और यह इस उम्मीद में हम बैठे हैं कि शीघ्र ही राजस्थान सरकार और भारत सरकार हमारी जो मांग है वह वास्तव में उचित है उसकी और ध्यान देंगी और सीकर जिले को हमेशा हमेशा के लिए अकाल से छुटकारा मिलेगा ऐसा समझ कर हम चल रहे हैं।

इसके अलावा मैं खास तौर से सीकर जिले और दूसरी जगह भी ऐसी स्थिति है खाद और बीज के संबंध में जिसकी ओर मैं आप के माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। खाद और बीज जो किसानों के लिए बहुत जरूरी है और उसी पर उत्पादन का बढ़ना और घटना निर्भर करता है। यदि समय पर बीज अच्छा नहीं मिले, यदि खराब बीज मिले तो उसका बारह महीनों का सारा परिश्रम बड़ा बेकार हो जाता है। ऐसी स्थिति हुई है सभापति महोदय। सन् 1959 के अन्दर एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट के माध्यम से हमारे यहां शंकर बाजरे का बीज गया। वह बीज खराब था और भीजा हुआ था और उसमें से 90 प्रतिशत बीज तो वहां बिल्कुल नहीं उगा। उस समय जो कृषि मंत्रीजी थे वह भी पधारे तो उन्होंने अपनी आंखों से सारी स्थिति को देखा। उसके बाद उस बीज को खरीदने और खरीद कर खराब बीज जो किसानों को दिया और उससे काफी लोगों को नुकसान हुआ। काश्तकारों को तो आजतक उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने वह खराब बीज खरीदा और काश्तकारों को बड़े नुकसान में रखा उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं समझता हूं कि बीज जैसी चीज को खराब खरीद कर दे दें और उस पर भी अधिकारियों के खिलाफ

(श्री नारायण सिंह)

कार्यवाही नहीं हो तो इसके अलावा किसानों के साथ और बड़ा धोखा क्या हो सकता है। इसी तरह से इस साल के अन्दर भी कई जगह खराब बीज दिया गया है और वह भी काफी मात्रा में दिया गया है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से खरीदा हुआ बीज जो कि सड़ा हुआ था, खराब था वह हमारी पंचायत समिति, श्री माधोपुर को दिया गया और श्री माधोपुर के अन्दर आज भी दस बोरी बीज पंचायत समिति के अन्दर जिसकी कि कीमत करीब दस हजार रुपये की होगी, वह दस बोरी खराब बीज उनको दिया गया। पंचायत समिति ने यह कह कर कि यह खराब बीज है और हम इसको नहीं रखना चाहते हैं। पंचायत समिति के यह माथे नहीं पड़े इसलिये उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफिसर के दफ्तर में लाकर डाल दिया। 23 दिन तक वह उस दफ्तर के बार पड़ा रहा और पंचायत समिति का बाबू और चपरासी पहरा लगाते रहे लेकिन जिला कृषि अधिकारी उस बीज को वापिस लेने को तैयार नहीं हुए। वह उनका खुद का दिया हुआ बीज था लेकिन उसको भी वापिस लेने को तैयार नहीं हुए। आज पंचायत समिति को उसके कारण दस हजार का नुकसान हुआ है। पंचायत समिति ने यह अच्छा काम किया कि वह खराब बीज काश्तकारों को नहीं दिया। इस तरह का खराब बीज देना कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। इसके लिये मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में कारगर कदम उठा कर अच्छे बीज की व्यवस्था समय पर की जानी चाहिये। बीज कई दफा तो ऐसे टाइम पर आता है जब कि काश्तकार फसल बो लेते हैं, उसके बाद पंचायत समिति के ऊपर वह बीज थोपा जाता है। जिससे काफी लाखों रुपयों का नुकसान सरकार को उठाना पड़ता है। यदि इस बात का ध्यान रखा जाय कि पहले ही टाइम पर बीज आ जाय और एक महीने पहिले व्यवस्थित ढंग से वितरण हो जाय तो वह खेती में भी कारगर साबित होगा और काश्तकारों को भी बड़ा लाभ मिलेगा। इस साल के अन्दर जो खाद की स्थिति सीकर जिले में रही वह बड़ी भयंकर स्थिति रही है। यूरिया जो श्रीराम फर्टीलाईजर्स का है उसके जगह जगह डीलर थे और कोऑपरेटिव के माध्यम से भी काफी तादाद में पहले दिया जाता था। तो उस समय तो कुछ मात्रा में मिलता था परन्तु जब से इसको प्राईवेट सेक्टर में दिया है इस खाद को तब से उसका सारा का सारा ब्लैक होता है। वही श्रीराम फर्टीलाईजर जिसका अपना खाद बिक नहीं रहा था तो सीकर जिले की सारी पंचायत समितियों के अन्दर जा जाकर उसका प्रचार कर रहे थे, जगह जगह पर डीलर नियुक्त कर रहे थे। लेकिन जब उसको यह मालुम हुआ कि इसकी गुजरात में मांग है तो उसने सारे सीकर जिले के खाद को गुजरात में ब्लैक में बेचा। वहां के काश्तकार उससे महरूम रहे और गुजरात के अन्दर सीकर का खाद बिका। आज मैं आपको बताता हूं कि बीस तीस रुपये बोरी का ब्लेक खाद में हुआ है और जिस मात्रा में खाद मिलनी चाहिये थी वह नहीं मिली। आज खाद की बहुत बड़ी समस्या है और दिन प्रतिदिन खाद की समस्या बढ़ती जायेगी अभी एक माननीय सदस्य ने इस खाद की समस्या को हल करने के लिए राजस्थान के अन्दर खाद का कारखाना शीघ्र ही स्थापित हो, इसकी चर्चा की है .... (समय समाप्ति सूचक घंटी) ...... खाद के कारखाने क

(श्री नारायण सिंह)

लिए जो दूसरा रॉ मेटेरियल चाहिए वह सीकर जिले के सलादीपुरा में प्रचुर मात्रा में है और वहां, इस जगह पर कारखाना लगाने के लिए जो टैक्नीकल एक्सपर्ट थे, उन्होंने एक रिपोर्ट दी है कि यह खाद का कारखाना सीकर जिले के सलादीपुरा में लगना चाहिए। इसके पीछे यह बात नहीं है कि चूंकि वहां पाइराइट्स है इसलिए खाद का कारखाना लगना चाहिए। जरूरत इस बात की है कि जयपुर, चूरू, झुंझनू, गंगानगर यहां बहुत बड़ी मात्रा में खाद की जरूरत पड़ती है। अभी गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह शिकायत की थी कि उनके जिले को 30 लाख टन खाद चाहिए। आज राजस्थान के बाहर किसी दूसरी जगह पर हिन्दुस्तान की सरकार यह खाद का कारखाना स्थापित करे तो सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार को यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस खाद के कारखाने के लिए राजस्थान सरकार को भारत सरकार पर दबाव डालना चाहिए और राजस्थान के अन्दर ही यह खाद का कारखाना लगाना चाहिए और राजस्थान के अन्दर सलादीपुरा में यह खाद का कारखाना लगे। दूसरी जगह बनाया जाएगा तो आज कई जगह स्थिति यह है कि पाइराइट्स उस जगह ले जाकर और जो दूसरा मेटेरियल है रॉक फॉस्फेट उसको मिलाकर खाद बनता है, इन दोनों को ट्रान्सपोर्ट करने में यह महंगा हो जाएगा और इसकी जो मात्रा है वह भी लाने ले जाने में घटती है और बड़ा समय भी लग जाएगा। आज काफी समय निकल जाने के बाद भी, टैक्नीकल एक्सपर्ट की रिपोर्ट के बाद भी, इस कारखाने को स्थापित करने में देर हो रही है। इसलिए शंका इस बात की भी हो रही है कि यह कारखाना राजस्थान में भी लगेगा या नहीं .... (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, ज्यादा समय न लेकर कुछ और मुद्दे भी रखना चाहता हूं। वह यह है कि आज हमारी सीकर जिले के अन्दर जो कृषि उपज मंडियां हैं, ये चार जगह पर हैं। इन चार जगहों में से श्री माधोपुर की जो कृषि उपज मंडी है वह सीकर जिले की अच्छी कृषि मंडी है। एक साल मुझे हो गया है इस बात को दर्याप्त करते करते कि इसके लिए जो जमीन चाहिए वह सरकार जल्दी अलॉट कर दे। यह जमीन वहीं पर है। किसी से लेनी नहीं पड़ेगी। गवर्नमेंट की ही लेन्ड है। परन्तु इसका कागज जिलाधीश कभी तो सेक्रेटेरियट को भेजते हैं और कभी सेक्रेटेरियट वापिस कलेक्टर को भेजता है। इस प्रकार से इस कागज को धक्का लगाते हैं। डेढ़ साल हो गया है। यह जरूरी चीज है फिर भी इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो काम जरूरी हो और जिससे खेती पर अच्छा प्रभाव पड़े, काश्तकारों को जिससे फायदा हो, उस बात को शीघ्र करना चाहिए। इसमें किसी प्रकार से देरी करना किसान के हित में नहीं है वरना उसको नुकसान पहुंचाना है। इस तरह की जो दिक्कत है, मैं सोचता हूं, मंत्री महोदय इस दिक्कत को शीघ्र ही दूर करने की कृपा करेंगे।

इसी तरह से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। पंचायत समितियों में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो टैक्नीकल आदमी हैं उनको टैक्नीकल गाइडेन्स के लिए वहां पर रखा है। आप मानें या न मानें लेकिन सही

(श्री नारायण सिंह)

अर्ज कर रहा हूं कि टैक्नीकल एडवाइज नाम की कोई चीज नहीं रही है। न उनमें कोई समन्वय है और न जिलास्तर पर कोई को-ऑर्डिनेशन कमेटी है। जिलास्तर पर जो कमेटी का गठन किया गया है उसमें जिला कृषि अधिकारी आंकड़े पेश कर देता है, यह प्रोग्रेस है। हम कोई लक्ष्य तय करते हैं तो उन लक्ष्यों की पूर्ति हुई है या नहीं हुई है यह जिला उत्पादन कमेटी को बताया जाना चाहिए और लक्ष्य पूरे नहीं हुए हैं तो इसका क्या कारण रहा है, यह भी बताया जाना चाहिए और जो कर्मचारी, अधिकारी है, जो इसकी पूर्ति कराने के लिए जिम्मेवार है उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। सिवाय प्रस्ताव पारित करने के और कोई कार्य इस कमेटी का नहीं है। इसके अलावा इस कमेटी को और कोई अधिकार नहीं है। पंचायत समितियों के अन्दर ग्राम सेवक बिल्कुल ही निष्क्रिय हो गए हैं। उनके पास कोई काम नहीं रहा है। न टैक्नीकल एडवाइज देते हैं और न कोई उनको संभालने वाला है। पंचायत समितियों के अन्दर जो एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन ऑफिसर हैं उनको विकास अधिकारी बना दिया गया है। इससे जो काम होता था वह बिल्कुल ही समाप्त हो गया है... (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)......उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। खाली एडमिनिस्ट्रेटिव कन्ट्रोल की उनकी जिम्मेवारी है। वे पंचायत समिति के दफ्तर में बैठे रहते हैं और अध्यापकों के तनख्वाह के बिलों पर दस्तखत कर दें, टी० ए०, डी० ए० उठा लें, इसके सिवाय कोई काम नहीं है। टैक्नीकल एडवाइज, गाइडेन्स देने या काश्तकारों की समस्या की ओर ध्यान देने का उनको बिल्कुल समय नहीं है। तो इस सारी स्थिति को संभालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, इसमें को-ऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। कहीं ग्राम सेवक काम नहीं करता है, कहीं दूसरी जगह जो एक्सटेन्शन ऑफिसर है उनसे हम काम नहीं ले रहे हैं। तब मैं सोचता हूं यह इस सरकार पर भार है इसको थोड़ा कम कर दिया जाए। इन्ही शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री महोदय का इस ओर ध्यान आकर्षित करता हूं....

सदन में दो दर्शकों द्वारा सदन की अवमानना

(अध्यक्ष दीर्घा से दो व्यक्तियों का सदन में प्रवेश)

इन्कलाब जिन्दा बाद,

हाई कोर्ट की बैन्च जयपुर में स्थापित की जावे,

117 एम० एल० ए० खामोश क्यों हो ?

नारे लगाए।

(आसन के आदेशानुसार वाच एण्ड वार्ड द्वारा उनको हिरासत में लिया गया)

मांग सं० 19, 20 व 39 पर अग्रेतर विचार

श्री सभापति : श्री अजीतसिंह।

श्री अजीतसिंह (टोंक) : सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि आज तक सरकार ने जितने भी मेहमान जमीन पर भेजे हैं उससे स्थिति बिगड़ी ही है। खेती का धंधा बिगड़ा है और इसलिए ही सरकार को जमीन के लिए सीलिंग

(श्री अजीत सिंह)

लाने के लिए वाध्य होना पड़ा है। इसी सरकार ने राजाओं से राज्य लेकर उनको जमीन ऐलॉट की और उससे एक समस्या पैदा कर दी। इसके बाद जागीरें जप्त की गईं और जागीरदारों को भी अलॉटमेन्ट जमीनों का किया गया। इसके वाद सुनार आए और ये भी सरकार के मेहमान हो गए। इनको बसने के लिए, रोजगार के लिए जमीन अलॉट की गई। इसी तरह से शरणार्थी आए और उनको भी इस जमीन के धंधे में लगा दिया गया। इसके बाद अनुसूचित जाति और जन-जाति के लोगों को इस धंधे में लगा दिया गया। इनको भी खेती के धंधे में ही एडजेस्ट किया गया। नतीजा यह हुआ कि सरकार को सीलिंग कानून बनाना पड़ा और जो खेती थी वह अनार्थिक जोत के रूप में हो गई। इससे यह सारी स्थिति बनी। इसलिए मैं सरकार से और मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह अब और ज्यादा लोगों को खेती के धंधे पर नहीं लगावें। अभी यहां पर व्यापारियों का प्रदर्शन हुआ है। उनका धंधा भी बंद हो रहा है। कहीं यह सरकार इनको भी खेती के धंधे में न लगा दे। अगर ऐसा हुआ तो सरकार को दूसरा सीलिंग कानून बनाना पड़ेगा। इन लोगों को और धंधे में लगाना चाहिए। आज सारे लोगों को खेती में लगाया जा रहा है तो निश्चित रूप से जो इसकी आमदनी है, जो पैदावार है वह गिरती चली जावेगी और उसका नुक्सान सारे देश को और हम को उठाना पड़ सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इस सीलिंग को और कम न करें और इस खेती के धंधे को अनुपयोगी न बनावें। और इसके साथ अब आपने सीलिंग लगा दी, खैर, ठीक है जो कुछ हुआ, लेकिन अब जितनी जमीन आपने छोड़ी है उसके ऊपर, मैं, सभापति महोदय, यह निवेदन करूंगा कि जो आपने 54 एकड़ रखी है, 27 एकड़ रखी है....

श्री मोहनलाल छंगाणी : सीलिंग लागू कहां हुई है ? कहां पर लगाई गई है ?

श्री अजीतसिंह : 54 एकड़ जमीन जब तक न हो तब तक ट्रेक्टर के लिए लोन नहीं मिल सकता है क्योंकि उसकी कीमत इतनी नहीं होती है जितना कि ट्रेक्टर के लिए बैंक वाले उसके अगेन्स्ट में चाहते हैं। आज की जो व्यवस्था है उस पर कायम रहें, छोटी जमीन रह गई है, छोटी जोत रह गई है तो बैंक से जो ऋण मिलता है उसके ऊपर गम्भीरता से विचार करें। जब तक पैसा नहीं मिलेगा छोटे काश्तकार को, अब तो छोटा काश्तकार ही कहेंगे तो उनकी हालत सुधरने वाली नहीं है। तो कुंए और दूसरे ट्रेक्टर वगैरह के लिए जो ऋण चाहिए वह बैंकों से ठीक ढंग से प्राप्त हो, इसके लिए आप व्यवस्था करें।

इसके साथ ही अब के खाद के अन्दर वड़ी भारी अनियमितताएं पैदा हुई हैं। मैं तो यह कहूंगा कि कृत्रिम अभाव पैदा कर दिया गया है। फैक्ट्री कहती है कि इतना स्टांक नहीं है, स्ट्राइक हो गई जब कि ब्लैक में खाद एवेलेवल हो रहा था। तो यह कृत्रिम अभाव ही कहा जा सकता है और इसकी वजह से मेरे डिस्ट्रिक्ट टौंक में वड़ा भारी संकट पैदा हो गया, क्योंकि हमारे यहां इस खाद के आधार पर बनास के अन्दर फलों की खेती होती है। जो छोटे काश्तकार हैं उनके लिए वड़ी समस्या खाद के बारे में पैदा

(श्री अजीतसिंह)

हो गई और बड़ी भारी ऊंची कीमत देकर ख़ाद को बाहर से खरीदना पड़ा। वितरण-व्यवस्था जो खाद की थी उसने बड़ा गम्भीर रूप धारण कर लिया। इसलिए इस पर ऐसा अंकुश रखें कि ठीक ढंग से उसका वितरण हो।

इसके साथ ही जो बोरिंग कुओं में हो रहा है जब कि सीलिंग हो गया तो कुओं के लिए मांग बहुत बढ़ गई है, क्योंकि हर आदमी चाहता है, छोटा आदमी ज्यादा से ज्यादा पैदावार करने की कोशिश करेगा। जो बोरिंग मशीन हमारे डिस्ट्रिक्ट में थी उनको हटा दिया गया है। मैं चाहता हूं कि हमारे यहां नीचे पत्थर है इसलिए बोरिंग करने के लिए और ब्लास्टिंग करने के लिए जो मशीनें हैं वह ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध कराई जायें। अकाल की समस्या को दूर करने के लिए कुए ज्यादा खोदे गये हैं, और इसका आफिस भी टौंक में लगाया जाय, क्योंकि यहां पर नीचे जमीन में पत्थर है इसलिए ब्लास्टिंग मशीन वहां पर बहुत आवश्यक है, जरूरी है। पहले वहां पर लग रही थी उसको हटाकर न जाने कहां भेज दिया। उसका आफिस भी सवाई माधोपुर में लगा दिया। तो उससे काश्तकारों को बहुत बड़ी तकलीफ हो गई क्योंकि जो कोई भी ब्लास्ट करवाना चाहता है वह जल्दी अन्डरग्राउण्ड बोर्ड से बात करना चाहते हैं, लेकिन ऑफिस नहीं होने की वजह से बड़ी तकलीफ होती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि अन्डरग्राउण्ड बोर्ड की जो बोरिंग की मशीनें हैं, ब्लास्टिंग मशीने हैं उनके लिए दरख्वास्तें उनके ऑफिस में जाकर लगा सकें।

इसके साथ ही बिजली व्यवस्था की बड़ी भारी दिक्कत हो रही है। मोटरें जल जाती हैं, टाइम पर कनेक्शन नहीं मिलता है और वोल्टेज कम होती है तो वोल्टेज की कमी के कारण जमीनों की पैदावार थी वह सूख गई। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसके लिए भी कोई ऐसी व्यवस्था हो ताकि नियमित रूप से और ठीक ढंग से बिजली प्राप्त हो सके।

सभापति महोदय, पंचायत समितियों के अन्दर बैठे हुए जो कृषि विस्तार अधिकारी हैं और जिनको वहां पर लगाया गया है तो उनका वहां पर बिल्कुल उपयोग नहीं है। मैं चाहता हूं कि यह पोस्ट्स खत्म कर दी जाय या उनको डिपार्टमेंट के हाथ में लेकर इनसे काम करायें तो लाभ होगा। बाकी इनसे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए यह पोस्ट एबालिश कर दी जाय।

बनास के अन्दर हमारे वहां पर खरबूजे और ककड़ी और दूसरी सब्जियां बड़ी मात्रा में पैदा होती है, लेकिन कोल्ड स्टोरेज के अभाव में बड़ा भारी नुकसान होता है। काश्तकार उनको तोड़ लेता है तो फिर उसको उसी दिन मार्केट में बेचना पड़ता है। अगर एक-दो दिन भी मार्केट में नहीं भेजता है तो नुकसान हो जाता है। तो फ्रूट्स वगैरह की जो राष्ट्रीय संपत्ति है उसका बड़ा भारी नुक्सान होता है। उसके लिए मंडी कायम की जाय और कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की जाय। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके साथ ही पशुपालन के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं। हमारे यहां पर आहार की पहले सरकार द्वारा व्यवस्था थी। मुर्गियों का जो आहार मिलता था उसका रेट बढ़ गया है और एवेलेबल नहीं हो रहा है। तो मुर्गी फार्म करने वालों के लिए टौंक इलाके में बड़ा भारी प्रश्न पैदा हो गया है। यह उनकी बड़ी भारी तकलीफ है। इसलिए मंत्री महोदय को ध्यान देकर मुर्गी आहार का प्रबन्ध करवायें।

(श्री अजीतसिंह)

इसके साथ-साथ मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि कृत्रिम गर्भाधान की बात चलाई जाती है तो कृत्रिम गर्भाधान में जो ऊंची किस्म की नस्ल होती है उसके लिए कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है। मंत्री महोदय आप काश्तकार हैं आप समझते हैं कि जानवर के यदि कन्धा नहीं होता है तो वह वह हमारे यहां पर कैसे खेती का काम देगा। तो ऐसी नस्ल का वहां पर गर्भाधान करवाया जाता है कि जिससे जो बच्चे पैदा होते हैं उनके कन्धे नहीं होते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी नस्ल का गर्भाधान करवाया जाय जिसके कन्धे हों ताकि वे खेती के काम आ सकें। बगैर कन्धे वाले बच्चे हमारे यहां पर काम नहीं देगें।

दूसरे जो भेड़ों में गर्भाधान किया गया है तो पहले भेड़ों की नस्ल में पहले से तो सुधार हुआ है। उनकी साइज तो अच्छी है, उनकी ऊन भी अच्छी है लेकिन उनकी साइज बड़ी होने के कारण चारे की समस्या पैदा हो जाती है। जो छोटी जाति की भेड़ें हमारे यहां पर थीं तो वह तो चलते फिरते ही अपना चारा प्राप्त कर लेती थीं। तो यह बड़ी भेड़ें उपयोगी सिद्ध नहीं हो पा रही है और चारे के अभाव में मर जाती हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि ऐसी नस्ल तैयार करें जो उस क्लाइमेट में सूट करें। अमेरिका में बड़े बड़े फार्म हैं तो न तो आप उन जैसी व्यवस्था कर रहे हैं, जिस किस्म की आप नस्ल बनाना चाहते हैं तो उसी किस्म की व्यवस्था तो करें तब जाकर उसको इन्ट्रोड्यूस करने में लाभ होगा और बिना उसके केवल नस्ल करते जायेंगें तो नस्ल बेकार होती चली जायगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि ऐसी नस्ल तैयार हो जो हमारे इलाके के लिए सूटेबल हो।

दो दर्शकों द्वारा सदन की अवमानना सम्बन्धी प्रश्न

श्री शंकरसिंह रावत : सभापति महोदय, अभी जो दो व्यक्तियों ने हाउस में प्रदर्शन किया है और इसी तरह का पहले भी हुआ और हमने माफ कर दिया है तो इस तरह से तो यह हाउस धर्मशाला हम कर देंगे। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि सरकार को चाहिए कि इस बारे में सख्त कदम उठाये। सख्ती का कदम नहीं उठाने से यह हाउस मिट्टी हो जायगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य जिन लड़कों ने सदन के अन्दर प्रवेश किया है उन्होंने गैर कानूनी काम किया है। अध्यक्ष महोदय जो भी मुनासिब होगा उसके ऊपर कार्यवाही करेंगे।

मांग संख्या 19, 20 व 39 पर अग्रेत्तर विचार

श्रीमती निर्मला कुमारी :

श्रीमती निर्मला कुमारी (चित्तौड़गढ़) : माननीय, सभापति महोदय, मैं कृषि तथा पशुपालन के कटौती प्रस्तावों पर बोलते हुए राज्य सरकार का ध्यान इन विभागों में जो कमियां है उनकी ओर आकर्षित करना चाहती हूं। भारत विश्व के प्राचीनतम कृषि-प्रधान देशों में से एक है। इसलिए सदियों से हमारी व्यवस्था कृषि-प्रधान ही रही है, और अभी भी है, तथा बहुत लम्बे समय तक रहेगी। राजस्थान की यह स्थिति है कि राजस्थान की राजस्व की आधे से अधिक आय जो है वह कृषि के माध्यम से होती है। अतएव कृषि में तरक्की करना या उसमें विकास की प्रक्रियाएं आरम्भ करना बहुत अधिक आव-

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

श्यक है। निःसन्देह इन 25 वर्षों में बहुत कुछ हुआ है विकास के क्षेत्र में परन्तु कृषि की अविराम विकास की प्रवृतियां जारी रहना चाहिए। कई बार यह देखने में आया है कि विकास के कार्यों के लिए हम काफी अधिक धन व्यय करते हैं परन्तु जरा उसके बारे में हम गहन अवलोकन करें तो वास्तविक स्थिति का पता चलेगा। कृषि विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थी हैं वह अपने अनुसंधान या विकास का क्षेत्र केवल विश्वविद्यालय की चहार-दीवारी तक या सड़क के किनारे किनारे के जो गांव हैं वहां तक ही सीमिति रखते हैं। यही नहीं कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं आपके उनको भी देखा है और पंचायत समितियों के जो कृषि अधिकारी हैं वह भी केवल उन्हीं गांवों में जाते हैं जो कि सड़क के किनारे हैं। अतएव माननीय मंत्री महोदय से मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि कृषि का विस्तार करना है तो सभी स्थानों का करना है, सभी गांवों का करना है। सभी किसानों तक विकास की प्रक्रिया को पहुंचाना है जिससे कृषि विज्ञान की रोशनी दूर स्थित गांवों तक पहुंचे। कृषि ऐसा तकनीकी विषय है जिसमें बहुत सूक्ष्म जानकारी होना आवश्यक है। यदि इस प्रकार की सूक्ष्म जानकारी नहीं हुई तो हम विकास के स्थान पर अवनति की ओर जा सकते हैं। यदि कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग अनावश्यक रूप में या रसायनिक खाद का अनावश्यक रूप से प्रयोग करें, और पानी को भी अनावश्यक रूप से देंगे तो हम कृषि का वर्तमान ही नहीं भविष्य भी बिगाड़ देंगे।

इस प्रकार की परिस्थितियां हैं, उनकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। भूमि के विकास की दिशा होनी चाहिए। यहां दुर्गापुरा में कृषि अनुसन्धान केन्द्र है। वह उसे चहार-दीवारी तक सीमित रखना चाहते हैं। उसमें कीट नाशक दवाई आदि के झूठे आंकड़े ही भरे जाते हैं। विकास विस्तार सभी के बिल्कुल काल्पनिक आंकड़े होते हैं। सभापति महोदय, भूमि की किस्म की जांच द्वारा कृषि का विकास कर सकते हैं, उनकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। ताकि वस्तुस्थिति सामने आ सके। माननीय सभापति महोदय कृषि की दो प्रणालियां हैं। एक्सटेंसिव और इन्टेंसिव। जैसे उत्तरी अमेरिका में है, जहां बहुत अधिक मात्रा में जमीन पर कम से कम लोग निर्भर हैं। हमारे यहां बहुत थोड़ी जमीन पर बहुत अधिक व्यक्ति निर्भर हैं। अतः कृषि का गठन विकास करना है, अतः अधिक से अधिक विकास करना, वैज्ञानिक ज्ञान, रसायनिक ज्ञान, और कुशल प्रशासन, इन चार स्तम्भों पर कृषि का ढांचा खड़ा करना है। इन्हीं पर हम को आगे बढ़ना है। कृषि के सम्बन्ध में अनेक समस्यायें हैं। जो अनसुलझी हैं जो समाधान की प्रतीक्षा कर रही हैं। जिसे भूमि में उर्वरा शक्ति कायम होना, कीट नाशक दवाइयों का अपर्याप्त मात्रा में उपयोग है, कृषि उपज मण्डी की समस्या का समाधान करना है। इनको हम नहीं करते तो जो गरीबी हम हटाने की बात कर रहे हैं, वह वास्तविकता में नहीं आ सकेगा। सभापति महोदय, कृषि क्षेत्र में जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, वहां से वह लोग जैसा कि मैंने बताया था कि वह कृषकों के पास जाते हैं तो वह उन्हीं गांवों में जाते हैं, जो गांव सड़कों के किनारे किनारे हैं। उनको तकनीकी शिक्षा के साथ-साथ यह भी बताना है कि सहकारिता की भावना क्या है आज कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक यन्त्रों का जो सामूहिक रूप से व्यक्तिगत उपभोग नहीं हो सकता, जैसे कीट नाशक यन्त्र हैं,

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

सिंचाई सुविधायें, कृषि उपकरणों का, उनका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो जैसी कलेक्टिव फार्मिंग का विकास करना है, जिससे कि व्यक्ति के स्वामित्व पर आंच नहीं आये, इस बात को किसानों को बताना होगा। इसके अतिरिक्त में यह कहना चाहती हूं, केन्द्र तथा राज्य सरकार के प्रयत्नों के बावजूद आज भी निरक्षरता कम नहीं हुई है। गांव में ऐसे व्यक्ति निवास कर रहे हैं, जो पीढ़ियों से परम्परागत कृषि करते आ रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में जो वैज्ञानिक उपयोग नहीं हुये हैं, नये बीज निकले हैं उनका कुछ भी उनको ज्ञान नहीं है। इस सम्बन्ध में जब उनकी छुट्टी होती है, या यह कार्य नहीं है, ग्यारस, अमावस है, या जुमेरात है। उस समय में पंचायत समिति में भाषणमाला प्रारम्भ की जानी चाहिए। जिससे कि वह लाभ उठा सकें। कोटा और जयपुर में ग्राम्य-कालीन प्रशिक्षण कार्य आरम्भ किये किये गये हैं। लेकिन यह दो ही जगह क्यों किये गये हैं। ऐसे कार्यों को प्रत्येक जिला हैडक्वार्टर पर जिलास्तर पर किया जाना चाहिए। मैंने जैसा कि पहले भी निवेदन किया था, कृषि विषय को स्कूल और कालेजों के लिए अनिवार्य बना दिया जाना चाहिए। तो बहुत सी समस्याओं का हल हो सकता है। मेरे एक निर्वाचन क्षेत्र के एक गांव में मैं गई तो वहां के स्कूल में बच्चों की कम संख्या दिखाई दी तो वहां के मुखिया से बात की तो उसने यही उत्तर दिया कि कृषि के लिए शिक्षा की क्या जरूरत है। पढ़ाने के बाद भी नौकरी और व्यवसाय मिलता नहीं है तो पढ़ कर आवारा बनाने से क्या फायदा। तो मुझे इस बात के ऊपर बड़ा ही दुःख हुआ। वास्तव में आज शिक्षा प्रणाली ऐसी है, जिसकी वजह से बच्चे किसी एक व्यवसाय में नहीं लग पाते। इसलिए कृषि विज्ञान का विषय यदि ग्रामीण क्षेत्र में हो तो इससे कई प्रकार के लाभ होंगे। एक लाभ यह होगा कि जो कृषि स्नातक हैं उनको रोजगार मिलेगा और आने वाली पीढ़ी है, उसको कृषि विज्ञान के बारे में तकनीकी ज्ञान दे सकेंगे। साथ ही साथ तीसरा लाभ यह होगा, जो वहां के कृषक हैं, जो प्रौढ़ हैं, वह भी, क्योंकि कृषि विशेषज्ञ उस स्थान पर होंगे, बहुत जानकारी कृषि के सम्बन्ध में कर पायेंगे। (समय-समाप्ति- सूचक घंटी) मैं एक मिनिट और लूंगी। इसके अतिरिक्त यह कहूंगी कि यह व्यवस्था होगी इससे जो बुद्धि और श्रम के बीच की जो खाई है, वह भी पूरी हो जायगी।

इसके अतिरिक्त, सभापति महोदय, पशु पालन के सम्बन्ध में भी मेरा कटौती प्रस्ताव है। उसके सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहूंगी। भारतवर्ष में सारे विश्व के पशुधन का 15 प्रतिशत पशुधन है, तथा उसका एक बड़ा भाग राजस्थान में है लेकिन पशुओं की जो स्थिति है वह बहुत दयनीय है। यद्यपि हमारे प्रान्त के आधे से अधिक लोग हैं उनकी पूर्णतया जीविका पशुओं पर निर्भर है और शेष व्यक्ति हैं वह किसी न किसी रूप में पशुओं से सम्बन्धित हैं परन्तु पशुओं की स्थिति खराब होती जा रही है। इसलिये हरित क्रांति के साथ श्वेत क्रांति को नहीं भूलना है। सरकार इस इस क्षेत्र में प्रयत्न अवश्य कर रही है परन्तु प्रयत्न की गति मन्द है। अब इस गति में तीव्रता आना बहुत जरूरी है।

आज सरकार डेयरी, भेड़-ऊन तथा मत्स्यपालन, तथा कुक्कुट व्यवसाय के सम्बन्ध में काफी प्रयत्नशील है फिर भी

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

इनमें किये गये कार्य हैं उनको हम अल्प कार्य ही कहेंगे । डेअरी के लिए ऋण की व्यवस्था करना बहुत आवश्यक है तथा राज्य के स्तर पर हमें कई ऐसे फार्म चलाने हैं क्रास ब्रीडिंग जैसी तथा प्रजनन नस्ल के फार्म्स, जिससे हम स्थायी तरीके से व्यवस्था बैठा सकें। हिमाचल प्रदेश जर्मन स्वडेट नस्ल तथा बंगलोर में टैंडलैंड नस्ल के जो फार्म्स हैं, उनको कृषकों को देखने की व्यवस्था होनी चाहिए, समय समय पर वह जाकर देखें कि किस प्रकार से फार्म कार्य कर रहे हैं । मैं तो एक सुझाव इस क्षेत्र में यह देना चाहूंगी कि जो किसान सबसे अधिक पैदावार करते हैं उनको राज्य स्तर पर सरकार इनाम देती है, वह इनाम धनराशि में नहीं देकर यदि अच्छो नस्ल के पशुओं के रूप में दिया जाय तो अधिक उपयुक्त होगा। (समय-समाप्ति सूचक घंटी) एक मिनिट और लेना चाहूंगी बिल्कुल संक्षेप में खत्म कर दूंगी । इस तरीके से इनाम देने चाहिए ताकि इस क्षेत्र में वे आगे बढ सकें ।

शिक्षित जो बेरोजगार हैं, उनको भी इस क्षेत्र में लगाया जा सकता है यदि उनको ऋण की व्यवस्था सुलभ हो जाय । आज ऋण का बड़ा कम्प्लीकेटेड प्रासेस होने की वजह से व्यक्ति इस क्षेत्र में नहीं आ पाते हैं ।

भेड़ पालन केन्द्र वैज्ञानिक आधार पर चलाना आवश्यक है । यद्यपि बारह भेड़ प्रजनन केन्द्र राज्य में स्थापित किये गये हैं परन्तु वहां पर भी जो बहुत अच्छी हालत भेड़ों की होनी चाहिए, वह नहीं है । इस क्षेत्र में यद्यपि हम यह मानते हैं कि देश की चालीस प्रतिशत ऊन है वह राजस्थान में होती है फिर भी हमें इस क्षेत्र में विकास की गति और तेज करनी है । हम इस क्षेत्र में यदि तरक्की करें तो सम्भव है कि आगे हम विकास के द्वार खोल सकते हैं ।

कुक्कुट व्यवसाय के सम्बन्ध, पोल्टरी फार्म्स के सम्बन्ध में कहना चाहती हूं कि इस समय फीड बहुत अधिक महंगा हो गया है कई कारण इसमें हैं, अकाल की स्थिति भी हो सकती है । ऐसी स्थिति में कई पाल्टरी फार्म बन्द हो गये हैं, कई बन्द होने जा रहे हैं। राज्य सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, कम से कम लोन के रूप में या किसी रूप में आर्थिक सहायता इनको दी जानी चाहिए । अगर यह नहीं हुआ तो इस क्षेत्र में जो काम हुआ है वह समाप्त हो जायगा ।

मत्स्य पालन के क्षेत्र में राज्य स्तर पर काम हुआ है लेकिन कृषकों ने इस व्यवसाय को नहीं अपनाया है । ऐसी स्थिति में कृषकों को जानकारी दें और उनको विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दें तो कार्य सुचारू रूप से चल सकता है ।

अन्त में मैं यह कहूंगी, पशुपालन के विकास की ओर ध्यान देंगे तो आर्थिक विकास ही नहीं होगा बल्कि प्रान्त के जो निवासी हैं उनके स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा उठेगा, जो इस समय बहुत गिरा हुआ है ।

बस इतना कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूं

श्री मोहनलाल छंगाणी (फलौदी) : सभापति महोदय, मेरे भी इस मांग के बारे में कटौती प्रस्ताव हैं। पहले तो मैं थोड़ा अण्डर ग्राउन्ड वाटर के बारे में बोलूंगा क्योंकि मैं उस इलाके से आया हूं जहां न

(श्री मोहनलाल छंगाणी)
कृषि के बारे में पता लगता है कि आपका क्या प्रोग्राम है, न पशु पालन के बारे में, न भेड़। ऊन के बारे में। कुछ आफिस खोल रखे हैं छोटे-मोटे, उनका इम्पेक्ट क्या हुआ है इलाके में, उसकी जानकारी नहीं है और ऐसा दिखाई नहीं दिया है।

खास तौर से अण्डर ग्राउन्ड वाटर के बारे में दिल्ली से एक रिपोर्ट आई थी, बड़ी खतरनाक रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में यह बतलाया गया है कि छब्बीस जिलों के अन्दर पानी की जो अण्डर ग्राउण्ड पोटेंसियलिटी तीन जिलों को छोड़ कर, चूरू, झुंझुनू और टोंक को छोड़ कर, सारे जिलों की स्थिति खतरनाक और दयनीय हो गई है, और शायद कभी हमें पानी के लिए तरसना पड़े। री-चार्ज कैपेसिटी वैल की है, वह एडीक्वेट नहीं है। जिस तेजी से पानी के सोर्सेज का डिक्रीज हो रहा है, उस गति से री-चार्ज नहीं हो पाते हैं। पानी की अवस्था वास्तव में भयंकर हो जायेगी। इसलिये, सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, ऐसी कोई बात है, जिसके बारे में मुझे पता लगा है, अण्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड ने रिप्लाई तैयार किया है, जवाब तैयार किया है, उसमें यह दिखाने की कोशिश की है कि नहीं, जैसा आप सोचते हैं, वैसी दयनीय स्थिति नहीं है। फिर भी मैं चाहूंगा, मंत्री महोदय उसकी जानकारी दें ताकि जो सारे अलग अलग जिलों में ट्यूब वैल्स का स्लोगन देते हैं, नये नये नारे देते हैं, उसके बारे में पता लगे कि यह अमल में आये हैं या नहीं, उनकी क्या अवस्था होगी, दुर्गति होगी—इसके बारे में मैं जानकारी चाहूंगा।

सभापति महोदय, जितने अण्डर ग्राउन्ड वाटर के सर्वे हुए, उन अण्डर ग्राउन्ड वाटर सर्वे के बारे में मैं खास तौर से शेरगढ़ के बारे में बोलना चाहूंगा। लास्ट ईयर शेरगढ़ में सर्वे हुआ, उसके आधार पर वहां चालीस ट्यूब वैल लगाने वाले थे, किस प्रोग्राम के तहत लगाने वाले थे, मंत्री महोदय को उसकी जानकारी होगी, लेकिन वह लगे नहीं ट्यूब वैल। इसलिए मैं चाहूंगा, शेरगढ़ के लिए, वहां जो सर्वे किया गया और सर्वे के बाद में प्रोग्राम बना चालीस ट्यूब वैल्स का, इसलिए कम से कम शेरगढ़ में ट्यूब वैल्स बनाये जाने चाहिए।

सभापति महोदय, सबसे ज्यादा जो शिकायत है, वह फलौदी के बारे में है, वहां पर प्रिलिमिनरी ज्योलोजीकल सर्वे हुआ....

श्री चन्दनमल वैद : शेरगढ़ के बारे में छोटी शिकायत है और फलौदी के बारे में बड़ी शिकायत है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : वहां स्थिति ऐसी हो गई है, मेरे ख्याल में, मुझे भय है, फलौदी लगातार अकालग्रस्त रहेगा। इसका मूल कारण है, मैं यह मना नहीं कर रहा हूं कि शेरगढ़ में ट्यूब वैल मत खोदिये, लेकिन दूसरे कामों के लिए जिस राशि की रिक्वायरमेंट है, धन की रिक्वायरमेंट है, इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद में कुछ नहीं बचेगा जो फलौदी में आप लगा सकेंगे। इस स्थिति में से फलौदी को गुजरना पड़ेगा। मैं चाहूंगा, फलौदी के बारे में कि इसके लिए जिले में अलग से धन की रिक्वायरमेंट हो तो फलौदी का डवलपमेंट हो पायेगा नहीं तो नहीं हो पायेगा। प्लान के अन्दर हमें लिया नहीं जाता है, जबकि ज्योलोजीकल सर्वे, प्रिलिमिनरी सर्वे हो चुका है, हम यह

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

मान कर चलते थे कि कुछ काम होगा, लेकिन कई साल हो गये और यहां आने के बाद मैं मंत्री महोदय को लिखता रहता हूं, उनके पत्र बराबर आते हैं, अच्छे जवाब आते हैं लेकिन सवाल यह है कि सर्वे क्या हुआ, अण्डर ग्राउन्ड वाटर पोटेंसियल कितना है। आर.आर.सी.एस.को लिखा, सेन्ट्रल एरिड जोंन रिसर्च इन्स्टीट्युट को लिखा, उन्होंने प्रिलिमिनरी सर्वे किया, उसकी रिपोर्ट आने वाली है, एक ज्योलोजिकल सर्वे की रिपोर्ट है, मैं कहना चाहूंगा कि शेरगढ़ के बारे में उन्होंने गलत रिपोर्ट दी थी क्योंकि उसके बाद पन्द्रह हजार की कैंपेसिटी के ट्यूब वैल बने। फलौदी के बारे में भी ऐसा का ऐसा होने वाला है। मैं चाहूंगा, जो प्रोग्राम बनायें क्योंकि एक तरह जब आप प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर देते हैं जिले के तो वहां रिक्वायरमेंट पहले से बढ़ती जाती है, इसलिए अगर आप तहसील को छोड़ते जायेंगे तो वहां धन नहीं लगा पायेंगे। इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे—यह बताने की आप कोशिश करें। दस ट्यूब वैल हटा दिये, कूडो, पीलवा में, उसका पता नहीं है। मुझे कहा गया था, दिसम्बर में प्रिलिमिनरी सर्वे रिपोर्ट भेज दी गई है ग्राउन्ड वाटर बोर्ड को। लेकिन अभी तक नहीं मिली है, मैं इन्तजार कर रहा हूं, मार्च, अप्रेल, मई में मिल जायगी। मैं चाहूंगा, फलौदी को इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाय। यहां पर क्रेश का कोई प्रोग्राम नहीं किया गया है। अण्डर ग्राउन्ड वाटर के एक्स्प्लोइटेशन के मैंजर इन्वेस्टमेंट के या बाकी के काम आप कर रहे हैं उससे ईर्द-गिर्द के इलाके प्रोग्रेसिव हो गये, उनका डवलपमेंट हो गया और यह एन्कलेव रह गया छोटा सा तो उसको आप बचा नहीं पायेंगे, वह लगातार अकालग्रस्त रहेगा।

सभापति महोदय, कुओं का काम अण्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड से वहां अभी तक चालू नहीं हुआ है। मेरे ख्याल में इस बारे में मंत्री महोदय कुछ न कुछ पहल करेंगे, सत्य निष्ठा से करेंगे। मीठड़ी में अकाल में कुएं चालू हों। कोडू का कुआं है, मेरे ख्याल में चीफ मिनिस्टर के प्रभाव से बना है, उसकी कैपेसिटी दस हजार से पन्द्रह हजार के बीच है। यह जो सारी फलौदी की बैल्ट है उसमें पानी की बहुतायत है और उसका एक्स्प्लोइटेशन हो सकता है। पानी के लिए इसलिए इन्सिस्ट करता हूं कि बिना जमीन के वो खेती कर लें, वैज्ञानिकों के अनुसार क्योंकि वह ऐसा सोइल निकाल रहे हैं लेकिन बिना पानी के खेती नहीं हो सकती है। इसलिए थोड़ा पानी आप दे देंगे तो मेरा इलाका सरसब्ज हो जायगा। सभापति महोदय, जो अण्डर ग्राउण्ड वाटर का बहुत बड़ा प्रोग्राम लिया जा रहा है उसमें मंत्री महोदय फलौदी का ख्याल रखेंगे।

एक सबसे बड़ी बात है, वह यह है रेगिस्तान के बारे में काफी हमें जानकारी मिल चुकी है। मैं आपके द्वारा, सभापति महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे पास कोई ज्ञान की कमी नहीं है। काफी अनुसंधान कर चुके हैं और मेरे ख्याल में जो बहस और जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं उनकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन उस ज्ञान को हम अमल में कितना ला सकते हैं—सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है। उस बारे में हमें सोचना चाहिए और हमें परफोर्मेन्स भी देखना है। सेन्ट्रल एरिड जोंन का और दूसरी जगह का, अमेरिका आदि का सारा ज्ञान का, एनेलेसिस का, अनुसंधान का भण्डार भरा पड़ा है। थ्योरिटिकली वह एडुकेट हो सकता है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

नहीं हो सकता । क्योंकि डेजर्ट का प्रभाव हमारे राजस्थान की अर्थ-व्यवस्था पर पड़ा हुआ है इसलिए हम पास्चर डवलपमेंट की बात करते हैं । लेकिन हम क्या कर रहे हैं । कोई मजाक है। उसके लिए संगठन कहां है, इन्वेस्टमेंट कहां है, बोर्ड कहां है । यह सब नहीं हुआ तो रेगिस्तान का इलाका कभी भी उन्नति नहीं कर पायेगा और रेगिस्तान उन्नति नहीं कर पायेगा तो राजस्थान उन्नति कभी नहीं कर पायेगा । यह स्थिति है । सेन्टर एरिड जॉन का ऑफिस जोधपुर में बना हुआ है, उस पर 52 हजार से 60 हजार के बीच खर्चा करते हैं । उसमें यह स्थिति है कि जिनको रेगिस्तान का ज्ञान नहीं है, वह सारी की सारी पॉलिसी बनाई जाती है और जो भी प्रोग्राम होते हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं । मेरा निवेदन है कि सही ढंग से हमें इन्ट्रेस्ट लेना चाहिए, इस मामले में बहुत गहरा इन्ट्रेस्ट लेना चाहिए, सरकार को इन्ट्रेस्ट लेना चाहिए । मैं बताऊं, उसमें एक सेक्शन है फोटो इन्टरप्रिटेशन का । इस सेक्शन के जरिये फोटो इन्टरप्रिटेशन का कार्य होता है । उस पर सारा का सारा इन्वस्टमेंट होता है । मेरा निवेदन है कि सारे एरिया के हाइड्रोलाजिस्ट इकट्ठे होकर कॉर्डिनेट होकर चलें तो सारे डेजर्ड का छः महीन में मैपिंग हो सकता है और सारे एरिया के बारे में बता सकते हैं कि इतने सैण्डी ड्यून्स हैं, इतने पास्चर डवलपमेंट हो सकते सारी बातें वह सकते हैं और उस सारी जानकारी का उपयोग हो सकता है। लेकिन उस बारे में ध्यान नहीं दिया गया है । आज जिस गति से फोटो इन्टरप्रिटेशन हो रहा है, उस गति के लिहाज से सारे डजर्ट का फोटो इन्टरप्रिटेशन करने के लिए बीस साल चाहिए । उसके बाद जो नई किस्म की पौध है, जो सोइल के कन्डीशनर है, जो डेजर्ड को रोकती है, अगर पांच साल से ज्यादा लेंगे तो उसके बाद वह उपलब्ध नहीं होगी"'

सभापति महोदय रिसर्च के बाद में मेरा ख्याल है कि हमारे भारतवर्ष में काफी रिसर्च कृषि के बारे में की जा चुकी है । जिससे हमने काफी उपलब्धियां की है । फिर भी इनका फायदा हमारा किसान उठा सकता है यह उसके इन्टरेस्ट के ऊपर निर्भर करता है । हमारे यहां पिछले 5 सालों में काफी अनुसंधान के कार्य हुए हैं । इसके अलावा हमारे यहां पर सेन्ट्रल ऐरिड जोन का आफिस भी है जिससे हम राजस्थान जो कि एक रेगिस्तानी इलाका है उसकी हालत में सुधार करने के लिये हमारे ये अनुसंधान भी चल रहे हैं । इसके अलावा हमारे देश में आज काफी आरगेनाइजेशन इस बार में एस्टेब्लिश हो रहे है तथा देश में एक वातावरण इसके लिये बन रहा है लेकिन जब तक हम उसके अनुसार पूरी उपलब्धियां नहीं करलें तब तक यह भी रेगिस्तान हटाओ का वातावरण ही बन कर रह जावेगा लेकिन होगा नहीं। जैसे हमारे देश में एक गरीबी हटाओ का नारा दिया एक वातावरण बनाया लेकिन गरीबी हटी नहीं । इसलिये मेरा निवेदन है कि इसमें हमे अब जितने भी हमारे यहां रिसर्च हो चुके हैं उनको पूरी तरह से एक्स्प्लार्डर करने की जरूरत है, हमें ऐसे प्रोग्राम बनाने की जरूरत है जिससे कि हम उन्हें एक्स्प्लार्डर करके उनसे मेग्जिमम फायदा उठा सके । इसके लिये मैं कृषि मन्त्री से निवेदन करूंगा कि हमारे यहां पर इन सब का रिआर्गेनाइजेशन करने की जरूरत है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

सभापति महोदय, मैं थोड़ा और निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय तो मैं निवेदन कर रहा था कि आज हमारी खेती बाड़ी

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

में वह उससे सम्बन्ध रखने वाले जितने भी कार्यक्रम है उनको रिग्रार्गेनाईज करने की जरूरत है - मन्त्री महोदय खुद किसान हैं और खुद भी काफी अच्छा अनुभव रखते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि आज इनका रिग्रार्गेनाईजेशन करने की जरूरत है। इसके साथ साथ हमें कृषि विभाग का रिग्रार्गेनाईजेशन करने की भी जरूरत है। उसमें हमें देखना पड़ेगा क्या क्या चेन्ज आज की परिस्थितियों में करने की आवश्यकता है। आज हमारे यहां बार सीड में अन्वेषण करने की बात बार बार कही जा रही है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसके बारे में हमारे यहां पर एनटोमोलोजी काम कर रहा है। अब इस बारे में दूसरे और आर्गेनाईजेशन की जरूरत नहीं है। हमारे भारतवर्ष में कई युनिवर्सिटीज को इस बारे में चुना गया है जिसमें हमारी उदयपुर युनिवर्सिटी जो कि एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी भी है उसका नाम भी एक है। इसलिये मेरा निवेदन है यह काम सारा का सारा उदयपुर में ही उदयपुर युनिवर्सिटी में ही रख दिया जाय और आज जो भी हमारे यहां हाई ब्रीड सीड है के मोडल को लेकर उस पर कार्यवाही की जाय, आज हमारे दुर्गापुरा में भी राजकीय अनुसंधान है वहां सरसों चोराडी के बीजों पर अनुसंधान हो रहा है। आज हमें सेन्ड मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस बारे में यह निवेदन है कि उदयपुर युनिवर्सिटी को फिर से रिआर्गेनाईज करें ताकि वह भी सारे हिन्दुस्तान में जिस तरह से यू० पी० में पंतनगर है और पंजाब में जो लुधियाना एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी है उस तरह वन आफ दी बेस्ट युनिवर्सिटी ऑफ इन्डिया हो सकती है।

आज हमारे यहां पर हर बार इम्पयूट टेक्नोलोजी की बात की जाती है और हाईब्रीड सीड की बात की जाती है। सभापति महोदय उसका बहुत अच्छा अनुभव है मैं इसका भुगत भोगी हूं। अब हमे इम्प्रूव्ड टेक्नोलोजी पर और ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं क्योंकि इसकी भी एक लिमिट होती है। आज एसेन्शिल जरूरत है लेण्ड रिफोर्म करने की। बगैर लेण्ड रिफोर्म किये एक समय आ जायेगा जब वह भी फैल हो जायेगी - क्योंकि हमारी लेण्ड की कन्डीशन ठीक नहीं है वह भी जब तक हम इसे रिफार्म नहीं करेंगे तो इसका ओपटीमम पाईन्ट आ चुका है। अब इसमें सिर्फ हमें लेण्ड के अन्दर रिफोर्म करके ऐसी स्थिति पैदा करना है जिससे हम इस सारे को रिग्रार्गेनाइज करें ताकि जो आप्टीमम पर हम पहुंच सके उससे आगे बढ़े वरना एक स्टेज के बाद उसमें डिमनिशिंग शुरू हो जायेगा आज जो सुनारा और यू० पी० 30 से 30 क्विन्टल प्रतिएकड़ प्रोडक्शन का जो आईडियल है वही रह जायेगा क्योंकि हमारे यहां की प्रोडक्शन जो है वह एग्रीकल्चर प्रोडेक्टिविटी हमारे यहां की प्रजेन्ट रेलेवेन्ट कन्डीशन्स पर निर्भर करती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें। श्री सुरेशचन्द्र।

श्री सुरेशचन्द्र (कोटपुतली) : सभापति महोदय, आज कृषि की मांगों के ऊपर सदन में बहस चल रही है। सभापति महोदय हमारा प्रदेश राजस्थान कृषि में दूसरे प्रान्तों से काफी बेकवर्ड है आज हमारे देश को आजाद हुए 24 साल हो गये है अगर हम उसको दूसरे प्रान्तों

(श्री सुरेशचन्द्र)

से नापें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं हमे कृषि ऊपज में जिस अनुपात से वृद्धि करनी चाहिये थी वह नहीं की और न ही उस अनुपात मे हमने सिंचाई में वृद्धि की है। आज हमारे प्रान्त में 85 प्रतिशत लोगों की हालत सुधार देते हैं, अगर हम इन 85 प्रतिशत लोगों को खुशहाल कर देते हैं तो मैं समझता हूं कि हमने हमारे प्रान्त की जनता को खुशहाल बना दिया क्योंकि हमारे यहां 85 प्रतिशत लोग खेती करते हैं। आज स्थिति ऐसी है सभापति महोदय कि किसान की हालत बहुत खराब है। क्योंकि किसान की हालत सुधारने के लिये कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है आज किसान को समय पर उन्नत किस्म के बीज नहीं मिलते हैं न ही उन्हें समय पर फर्टीलाइजर अच्छी किस्म की खाद ही उपलब्ध हो रही है। सभापति महोदय, न ही उन्हें बिजली ही पर्याप्त मात्रा में दी जा रही है, जिससे कि ज्यादा प्रोडक्शन हो सके और किसानों की हालत सुधारी जा सके। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि किसानों के काम आने वाली चीजें किसानों को उपलब्ध नहीं हो रही हैं। सभापति महोदय, अभी पिछले साल से अकाल पड़ा है इस अकाल में जो भी काश्त किसान कर रहा था उसमें खाद का ब्लेक हुआ है, सभापति महोदय इसके लिये मेरा निवेदन है कि काश्तकार को खाद कृषि विभाग से ही दी जानी चाहिये और किसान को बिजली के कनेक्शन्स दिये जाने चाहिये और जहां पर बिजली है उन्हें समय पर बिजली मिलनी चाहिये लेकिन ये सभी चीजें समय पर नहीं होने से कृषकों की हालत खराब हो रही है। अभी एक स्कीम शुरू की गई है एग्रो-इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन द्वारा उसके अन्तर्गत, जिसमें कृषि के इम्प्लीमेन्ट्स, ट्रेक्टर्स वगैरह की रिपेअर करने के लिये जिला हेडक्वाटर्स पर व्यवस्था की जायेगी लेकिन सभापति महोदय यह भी कोई विशेष फायदेमन्द जब तक नहीं हो सकेगी तब तक कि आप उसे तहसील हेडक्वाटर्स पर नहीं कायम करेंगे। अगर किसान अपने ट्रेक्टर अथवा अपनी मोटर रिपेअर करने जिला स्तर की शाप पर आयेगा तो उसे काफी एक्सपेंडीचर करना पड़ जायेगा इसलिये मेरा निवेदन है कि इसकी व्यवस्था तहसील हेड क्वाटर्स पर होनी चाहिये जिससे किसानों को ज्यादा से ज्यादा राहत मिल सके। इसके अलावा दूसरी बात मैं सिंचाई विभाग के बारे में कहना चाहूंगा। सिंचाई विभाग, कृषि विभाग और बिजली विभाग इन तीनों का तालमेल होना चाहिये। तीनों मिल कर कोई योजना बनायें, गम्भीरतापूर्वक कोई योजना बनायें तो उस योजना पर ठोस कार्य हो सकता है। सिंचाई मंत्रीजी ने कहा था कि जयपुर जिले में हम खर्चा कर रहे हैं। मैं मेरे क्षेत्र के लिये निवेदन करूंगा कि मैंने उनसे मेरे क्षेत्र के लिये दो बान्धों के लिये निवेदन किया था। योजना तो सरकार ने बना दी लेकिन उसको हाथ में नहीं लिया। 12 लाख का प्रोजेक्ट है। जाखम बांध है। एक तीसरा और बांध है। पुराना बांध बना हुआ था जिससे ह ारों बीघा की सिंचाई होती थी लेकिन वह बांध मिट्टी से भर गया और टैक्निकली यह पाया गया कि इस की सफाई नहीं की जा सकती है। इसको ऊंचा किया जा सकता है। मुझे खेद है कि इतने अर्से के बाद भी, तीन सिंचाई मंत्री बदल गये, लेकिन वह बांध ऊंचा नहीं हो सका। आज भी क्या वर्तमान सिंचाई मंत्रीजी इसको कर पायेंगे या नये मंत्रीजी का इन्तजार करना पड़ेगा तब कहीं यह ऊंचा हो सकेगा।

किसानों को खेती के उन्नत तरीके अब तक भी उपलब्ध नहीं करा पाये हैं। वही हल

(श्री सुरेशचन्द्र)

और बैल किसान काम में लेता आ रहा है। हम राजधानी और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर कृषि सम्बन्धी सेमीनार लगाते होंगे अभी लेकिन तक भी गांव गांव में कृषि के सम्बन्ध में हम प्रसार नहीं कर पाये हैं। शायद गांव गांव में तो हम सेमीनार नहीं कर पायेंगे लेकिन यदि तहसील हेडक्वार्टर पर ही प्रदर्शनी लगायेंगे और उनको यह बतायेंगे कि किस प्रकार उन्नत बीज, खाद और औजारों को काम में लाया जा सकता है और इससे कृषि को उन्नत किया जा सकता है और उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। इसलिये इस प्रकार के प्रचार और प्रसार की आज नितान्त आवश्यकता है।

आज बिजली के कनेक्शन किस प्रकार से मिल पाते हैं यह तो जब बिजली की मांग आयेगी तब ही अर्ज करूंगा। बिजली विभाग मिनिमम पैसा लेता है चाहे गांव वाले काम में लें या न लें। यह आश्वासन दे दिये जाते हैं कि किसानों को बराबर बिजली मिलेगी और इसी उम्मीद में किसान अपनी फसल बो देता है कि बिजली मिलने पर पिलाई की जा सकेगी लेकिन फिर बिजली विभाग उनको बिजली नहीं देता है। इसलिये बिजली विभाग की ओर से किसानों को इस बात की गारन्टी दी जानी चाहिये कि जहां भी बिजली के कनेक्शन लगा दिये गये हैं उनको बिजली सप्लाई अवश्य की जायगी। आज किसान फसल बो देता है और फिर बिजली उसको मिलती नहीं और उसकी वह फसल बरबाद हो जाती है।

एक मेरा यह भी निवेदन है कि किसान की फसल का बीमा होना चाहिये, फसल इश्योरेन्स होनी चाहिये जिससे उसको भी पता लग सके कि किस प्रकार की जमीन है, उसकी कितनी फरटीलिटी है और उस सूरत में उसकी फसल में नुकसान होगा तो उसको इंश्योरेन्स से पैसा मिल सकेगा।

एक बहुत बड़ी स्कीम है एग्रीकल्चर स्कीम। इससे किसानों को काफी राहत मिली है। इसको अधिक से अधिक क्षेत्रों में लागू करना चाहिये। दूसरी बिजली की स्कीम है। जहां वाटर पोटेन्शियलिटी है, पानी की इफरात ज्यादा है वहां पर इस स्कीम को लागू करना चाहिये जिससे कृषि में उन्नति हो सके और प्रोडक्शन भी काफी मात्रा में बढ़ सके। एग्रीकल्चर रिफाइनेन्स स्कीम और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम्स के द्वारा हम काफी उन्नति कर सकते हैं।

कृषि प्रसार के लिये यह जरूरी है कि कृषि के सम्बन्ध में सुविधा हो। हाई स्कूलों के पास में जमीनें उपलब्ध हैं, कृषि संबंधी उनको ज्ञान दिया जा सकता है लेकिन इसके लिये व्यवस्था नहीं की गयी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में दो तीन जगह ऐसी हैं। पावटा, मावटा हाई स्कूल हैं, फार्म है, कुआ है, इन्जिन भी लगा हुआ है लेकिन एग्रीकल्चर सब्जेक्ट वहां पर नहीं खोला गया है। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी सुविधा देंगे तो वहां के लोगों को कृषि में उन्नति करने का मौका मिलेगा।

एग्रीकल्चर कालेज भी अधिक से अधिक खोले जाने चाहिये। जहां पोटेन्शियलिटी है, जिन एरियाज में किसान लोग रहते हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं, उन बातों को मद्देनजर रखते हुए एग्रीकल्चर कालेज का प्रसार करना चाहिये।

इसी प्रकार जो एग्रीकल्चर विभाग के अधिकारी हैं, पंचायत समितियां बनीं तो एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन आफिसर्स ने काम

(श्री सुरेशचन्द)

किया । इतने गड्ढे खुदवायेंगे, इतना बीज बाटेंगे लेकिन ज्योंहि पंचायतें निर्जीव हो गयीं । कृषि प्रसार अधिकारी भी निर्जीव हो गये । केवल एक्सटेन्शन ओफिसर्स टूर करते हैं और डायरी मेन्टेन करते हैं। उनका किसानों से संपर्क नहीं रहा। कृषि की बातें जो किसानों को बताना चाहिये उससे उनका संपर्क नहीं रहा । डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ओफिसर्स गांवों में जाते नहीं । केवल आंकड़ों के आधार पर ही वे अपने रिपोर्ट दे देते हैं। खाद और बीज के आंकड़े सही नहीं होते हैं । काफी ब्लैक होता है खाद का खुले आम ।

किसान को क्या दिया ? न खाद, न बीज और उन्नत इम्प्लीमेन्ट्स । बिजली नहीं दी । ट्रैक्टर रिपेयर की आपने उनको सुविधा नहीं दी । ये सारी सुविधायें आप किसान को नहीं दे पाये । यदि आज सारे विभागों का पैसा कम कर दिया जाय और केवल एक कृषि पर ही कन्सन्ट्रेशन कर दिया और सेन्ट्रे-लाइज कर दिया जाय तो हम अधिक उन्नति कर सकेंगे । हमारे राजस्थान की 85 प्रति-शत आबादी आज इसी व्यवसाय पर निर्भर करती है । जहां इसके सम्बन्ध में इतनी ला-परवाही हुई, हम इस ओर सुविधा न दे सके और इसी का परिणाम है कि आज हमारे प्रान्त की आर्थिक स्थिति छिन्न भिन्न हो गयी । यदि इन्द्र भगवान की कृपा हो जाय तो हमने तेजी से काम किया और हमारी योजना की सफलता होगई और जब इन्द्र भगवान ने कृपा नहीं की और बारिश नहीं हुई हमारी असफलताओं को इन्द्र भगवान के पल्ले डाल दिया जाता है और भगवान की असफलता में अपना हिस्सा नहीं बंटाना चाहते और उसकी सफलता में आप अपनी सफलता मानते हैं । उसका श्रेय आप लेना चाहते हैं और वारिश नहीं होने पर भगवान के जिम्मे अश्रेय रखना चाहते हैं ।

कृषि मंत्रीजी स्वयं एक किसान हैं । वे भी इन बातों पर अवश्य ही चिन्तन करते होंगे। वे भी सोचते होंगे कि किस प्रकार से हालत सुधारी जाय । संयोग की बात है कृषि मंत्री स्वयं एक किसान हैं और इस सम्बन्ध में अधिक कहने के बजाय वे किसान के कष्टों से वाकिफ होंगे ।

श्री सभापति : श्री वृद्धिचन्द जैन ।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, मैंने कृषि और पशुपालन विभागों पर अपने कटौती प्रस्ताव रखे हैं । पहले मैं कृषि पर अपने विचार रखूंगा और फिर पशु-पालन पर ।

राजस्थान प्रान्त की फाइनेन्शियल, पोजिशन, वित्तीय स्थिति कृषि पर और पशुपालन पर निर्भर है । कृषि के बारे में मुझे इस अवसर पर यह कहना है कि कृषि की सुविधायें पूंजीपति किसानों ने उठायीं, मध्यम श्रेणी के किसानों ने उठायीं, परन्तु जो छोटे किसान हैं वे अभी तक कृषि की सुवि-धाओं को नहीं उठा पाये हैं । उनको लोन प्राप्त नहीं होता, उनको फर्टीलाइजर उप-लब्ध नहीं होता है, अच्छा बीज उनको उप-लब्ध नहीं होता है। यदि हम कृषि की उन्नति करना चाहते हैं तो 62.65 पर्सेन्ट जो छोटे किसान हैं उनकी आर्थिक स्थिति को हम अगर सुधारने का प्रयास नहीं करेंगे तव तक हम किसी भी सूरत में प्रगति नहीं कर सकते । राजस्थान प्रान्त की कृषि के संबंध में प्रगति हो इसलिये पांचवी पंचवर्षीय योजना में विशेष तोर पर इस बात का जोर दिया गया है कि जो छोटे वर्ग के लोग हैं जिनकी हालत

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

बहुत ही खराब है, जिनकी स्थिति बहुत ही खराब है उनकी ओर अधिक ध्यान देना चाहिये इसलिये मैं कृषि मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि जो छोटे किसान हैं उनको कतई लोन नहीं मिलता है, मेरे जिले में मुझे पूर्णरूप से यह तजुर्बा है उनको राष्ट्रीयकृत जो बैंक हैं उनसे लोन प्राप्त नहीं हुआ है। उनको लोन की उपलब्धि कराने में सरकार को पूरा सक्रिय योग देना चाहिये। मेरा तो यह भी कहना है कि पहले सरकार ने यह निर्णय लिया था कि सरकार खुद सिक्योरिटी देगी तो उन किसानों के लिये सरकार स्वयं सिक्योरिटी देकर बैंकों से ऋण दिलाने का प्रबन्ध करे। पांच करोड़, छः करोड़, या सात करोड़ की व्यवस्था करे। करनी चाहिये उसे क्योंकि इन छोटे किसानों को किसी भी तरीके से बैंकों से ऋण प्राप्त नहीं होता है। वे जमानत के लिये जोर देते हैं। जमानत उनको देने वाला मिलता नहीं है। इसलिये इसके लिये राज सरकार को सोचना चाहिये और स्टेप लेना चाहिये और छोटे काश्तकारों की स्थिति को सुधारने का प्रयास करना चाहिये।

इस बारे में मेरे और कटौती प्रस्ताव हैं। बाड़मेर जिला 28 हजार किलो मीटर क्षेत्रफल में फैला है। इतना बड़ा जिला होते हुए भी वहां कृषि प्रसार अधिकारी का कार्यालय नहीं है। बाड़मेर जिले में सिवाना भी आता है, जहां कि दो फसलें होती हैं, बालोतरा भी ऐसा क्षेत्र है, जहां दो फसलें होती हैं और गुढा भी ऐसा ही क्षेत्र है जहां दो फसलें होती हैं इस तरह से वहां काफी हिस्से में कृषि की दृष्टि से काफी विकास हुआ है।

दूसरी तरफ जो ट्यूब वैल बन रहे हैं और बने हैं उनको इरिगेशन परपज के लिये भी काम में लेना है। तो इन सब को देखते हुए बाड़मेर जिले का कृषि की दृष्टि से विकास करने के लिये अगर आप बाड़मेर जिले के अकेले के लिये ही कृषि प्रसार अधिकारी कार्यालय खोलें तो अच्छा, नहीं तो बाड़मेर और जैसलमेर दोनों जिलों के बीच में एक अधिकारी रखें तब भी अच्छा। आज दोनों जिलों की एक सी समस्याएं हैं। दोनों को मिलाकर आप बाड़मेर नगर को हैड-क्वार्टर बना दें। यह कदम अवश्य ही उठाना चाहिये और इसकी घोषणा कृषि मन्त्रीजी को करनी चाहिये।

दूसरी बात, जो ड्राई फार्मिग की स्कीम है वह जोधपुर और पाली जिले की कुछ तहसीलों में चल रही है और चित्तौड़गढ में भी इस योजना को चालू किया गया है। मैं समझता हूं यह योजना श्रोसियां में सफल रही है। इसके अन्तर्गत बाड़मेर और जैसलमेर जिलों को भी लिया जा सकता है और ड्राई फार्मिंग की स्कीम को इन जिलों में भी सफल करने का प्रयास करना चाहिये। 73-74 में बाड़मेर को भी इसके अन्तर्गत लेकर इसकी तरक्की करनी चाहिये।

बाड़मेर और जैसलमेर जिलों के लिये ड्राट प्रोजेक्ट स्कीम तैयार हो चुकी है। मेरा निवेदन है कि जो योजना तैयार हो चुकी है, जो बड़े प्रयत्न से तैयार हुई है उनकी पांचवीं योजना में व्यवस्था की जावे। नहीं की जा सकती तो केन्द्र से कोशिश करके इस योजना को स्वीकार कराना चाहिये। अगर यह योजना स्वीकार हो जाती है तो इससे बाड़मेर और जैसलमेर जिलों का बड़ा विकास होगा। चारागाहों का, कृषि का और डेयरी का भी विकास होगा और ट्यूब वैल इरिगेशन परपज के लिये भी काम आ सकेंगे। हार्टीकल्चर का भी प्रसार हो सकेगा। फिर ये दोनों बोर्डर.

(श्री वृद्धिचन्द)

जिले हैं। इनका विकास करना भी आवश्यक है ताकि लोगों का मनोबल बना रहे, भारत पाक संघर्ष की यहां सम्भावना सदैव बनी रहती है तो वहां के लोगों का मोरल को ऊंचा बनाये रखने के लिये भी आवश्यक है कि दोनों जिलों की काफी तरक्की की जावे। उनकी उन्नति और विकास किया जावे।

अब पशुपालन के विषय में दो शब्द कहना चाहूंगा। अभी मैं जिक्र कर रहा था कि कृषि करने वालों को ऋण नहीं मिलता है इसी तरह से पशुपालकों को तो लोन नहीं मिल रहा है। इनको तो बिल्कुल मिलता ही नहीं। किसानों के लिये तो फिर भी जमीन गिरवी रखकर दे देते हैं, पर पशु पालकों के पास तो जमीन भी नहीं है। राजस्थान सरकार ने भीलवाड़ा, अजमेर में भेड़ पालकों को सहायता दी है और लोन में वृद्धि भी की है उसी तरह यहां के भेड़ पशु पालकों के लिये भी ऋण की योजना बनाई जानी चाहिये। बैंकों से इनको भी ऋण मिलना चाहिये। अगर उनको ऋण नहीं मिलता है तो इनका विकास नहीं हो सकता। इसलिये उनको के लिये भी ऋण की व्यवस्था की जानी चाहिये।

एक मैंने कटौती प्रस्ताव रखा है तिलवाड़ा पशुमेला के बारे में। यह राजस्थान का विख्यात पशु मेला है लूणी नदी जब आती थी तब वहां पानी की उपलब्धि भी थोड़ी आसानी से हो जाती थी। अब तो चार पांच साल से बरसात नहीं होने से लूणी नदी भी नहीं आई। इस कारण जहां चार पांच फुट खोदने पर ही नदी में पानी आ जाता था, वहां अब अधिक गहरा खोदने पर मिलता है। लूणी नदी पर अजमेर, पाली जिलों में बान्ध बन जाने से भी असर पड़ा है। वहां अब सरकार कुछ कुए बनाए ताकि मेले में लोगों को स्वच्छ पानी मिल सके। अधिक कुए खोद कर किसानों को भी मदद पहुंचानी चाहिये। पचास हजार के करीब आदमी और लाखों की तादाद में पशु वहां इकट्ठे होते हैं तो वहां बिजली का भी प्रबन्ध किया जाना चाहिये। डिजल जैनरेटिंग सैट लगाकर इसका प्रबन्ध किया जा सकता है। नहीं तो अन्धेरे में चोरियां होने का डर बराबर रहता है। उजाला होने से इसमें कमी आवेगी और लोगों को अत्यधिक सहूलियत होगी।

अब मैं भूतल जल बोर्ड के बारे में विचार रखना चाहूंगा। जो ट्यूब वैल बन रहे हैं और हमें आश्वासन भी दिया था. आयोजना मन्त्री ने धर साहब से आश्वासन मिला था कि बाड़मेर, जैसलमेर जिलों में ट्यूब वैल काफी लगाये जावेंगे। राजस्थान सरकार से भी हम इसका आश्वासन चाहते हैं कि ये कब खोदे जावेंगे और इनका किस तरह से विकास किया जावेगा और जो ट्यूब वैल खोदे गये हैं जैसलमेर क्षेत्र में भी जैसे बाड़मेर जिले के भीमड़ा वगैरह क्षेत्र में खोदे गये हैं उनका पानी कितने अरसे तक रह सकेगा। क्या उसका उपयोग इर्रिगेशन परपज के लिये भी हो सकेगा। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वे ट्यूब वैल दस पन्द्रह सालों में सूख जावें। इस दृष्टि से भी एग्जामिन करना आवश्यक है। अगर इर्रिगेशन परपज के लिये पानी काम में लिये जाने पर 15-20 साल ही ये चलने वाले हों तो हमें यह खतरा मोल नहीं लेना चाहिये। इसलिये काफी गहरी विस्तृत सर्वे कराकर सरकार इस दिशा में आगे बढ़े।

अभी जो मशीनें हैं वे अधिक गहराई से नहीं खोद पातीं या नीचे पत्थर या चट्टानें आ जाते हैं तो नहीं खोद सकती। तो ऐसी

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

मशीनों की भी व्यवस्था की जानी चाहिये कि चट्टानों और पत्थरों के आ जाने पर भी पानी जब तक नहीं निकल सके तब तक गहराई से खोद सके। राज्य सरकार के पास ऐसी मशीनें आई भी हैं। इससे भी व्यवस्था चल सकती है। इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री भीमसेन।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : सभापति महोदय, कृषि व पशु पालन सम्बन्धी मांगों पर मेरे कतिपय कटौती प्रस्ताव हैं। सभापति महोदय, राजस्थान राज्य में पिछले बीस पच्चीस वर्षों में कृषि व पशु पालन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। लेकिन फिर भी हमारा राजस्थान राज्य जितना बड़ा है, जितना विशाल है, सारे हिन्दुस्तान के एरिया के लिहाज से दूसरे नम्बर पर आता है। इतने बड़े भू-भाग में पिछले वर्षों की प्रगति के कारण कुछ सिंचाई के साधन बढ़े हैं। इसके अलावा हमारे पशु और कृषि के सम्बन्ध में उस विभाग की ओर से अनुसंधान के कारण कुछ बीज और अन्य क्षेत्रों में प्रगति हुई है। लेकिन फिर भी आज इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हमें प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ता है। आज जो पोटेन्शियलिटी है सीजनल वह 88 के करीब है लेकिन जहां वर्षा नहीं होती है उस समय उत्पादन गिर जाता है और राज्य को बहुत हानि होती है।

हमारे यहां जयपुर में जो मौसम विशेषज्ञ एकत्रित हुये थे, वे विशेषज्ञ इतनी क्षमता रखते थे और यह बता सकते थे कि एक साल पहले वर्षा होगी या नहीं होगी। यह क्षमता उनमें है लेकिन उसका उपयोग हमारे हिन्दुस्तान में अभी तक नहीं हो पाया है। जैसा उन्होंने कहा 1980 तक की वे क्षमता कर पायेंगे। इस दिशा में कुछ प्रयास किया जा सके तो हमारा देश जो वर्षा पर निर्भर करता है बहुत सी समस्याओं का समधान हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो कृत्रिम वर्षा की बात बताई गई मैं समझता हूं जिस वर्षा पर सारा देश निर्भर है उससे काफी लाभ पहुंच सकता है।

सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में अभी लिफ्ट केनाल का काम चल रहा है। मैं काफी अर्से से इस बात का प्रयास कर रहा हूं कृषि विभाग को डिमोन्सट्रेशन करना चाहिये क्योंकि जो पानी होगा वह कैसा होना चाहिये, यह काश्तकारों को बताने की आवश्यकता है। इसी प्रकार हमारे राजस्थान केनाल का पोंग डेम 74 तक कम्पलीट बन जायगा और 74 के बाद 12 महीने पानी उपलब्ध हो सकेगा। टियवाल का जो बायां हिस्सा है वह रेगिस्तानी हिस्सा है। हम उसमें पशुपालकों की कालोनी को आबाद कर सकते हैं और इस प्रकार की विभाग के योजनायें बनाकर क्रियान्वित करनी चाहिये, क्योंकि अभी एक साल का वक्त है। जब पानी पूरा उपलब्ध हो सकेगा तो खेती में भी उसका पूरा उपयोग नहीं कर पायेंगे और जो सरप्लस वाटर रहेगा उसको अगले दो-तीन सालों में प्रयोग में कर लें। अगर पशु पालकों की कालोनी बनाई और 74-75 तक उसको क्रियान्वित कर सके तो मैं समझता हूं राजस्थान केनाल का जो सरप्लस वाटर है उसका फारेस्ट के विकास के लिये, शेल्टर बेल्ट्स के लिये, यह पानी मिल सकता है। इसलिये जो सरप्लस वाटर है उसको रेगिस्तान के विकास के लिये काम में लिया जाना चाहिये। इसमें सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। मैं विभाग का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

(श्री भीमसेन)

इसके साथ बीकानेर में कुछ ऐसे अन्डर ग्राऊन्ड वाटर हैं, वहां नीचे के पानी की जो कन्डीशन है उस पानी का इस्तेमाल बीकानेर, नोखा, लूनकरणसर के जो हिस्से हैं वहां पर 20 हजार गैलन प्रति घंटे का डिसचार्ज है। 20 हजार प्रति गैलन का डिसचार्ज अन्डर ग्राउन्ड पानी में उपलब्ध है। वहां पर ट्यूब वैल बना कर उसका उपयोग किया जाना चाहिये। इसी तरह हमारे पशु पालन के क्षेत्र में जो सघन पशु विकास योजना क्रियान्वित की जा रही है और सरकार ने जो डेयरी का प्लान बनाया है, उसकी शुरूआत हो रही है। मैं समझता हूं हमारे पशु पालन विभाग को क्रास ब्रीडिंग का प्रोग्राम करना चाहिये ताकि गांवों की इकोनोमी में सुधार लाया जा सके।

अभी हमारे गवर्नमेंट आफ इंडिया की ओर से एग्रीकल्चर सम्बन्धी आंकड़ें प्रस्तुत किये गये हैं उसमें जो आंकड़ें दिये हैं हमारे पाली जिले में सघन इन्टेसिव खेती का प्रोग्राम चल रहा है। उसमें यह कहा गया है पाली जिले में खेती का धन्धा घाटे का है। 31 रु० प्रति हजार नुकसान खेती करने से आता है तो मैं समझता हूं शुष्क इलाके वालों की यह हालत है तो वहां खेती की इन्कम को सप्लीमेंट करने के लिये पशु विकास योजनायें लागू करनी चाहिये और वहां पशु पालन को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। शीप ब्रिडिंग के लिये कुछ प्रयास किये गये हैं लेकिन इसके लिये और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। राजस्थान नहर ऐसा इलाका है जहां सेन्ड ड्यूज है वहां पानी का उपयोग कैटिल ब्रिडिंग और शीप ब्रिडिंग के लिये किया जाना चाहिये।

मैं समझता हूं इस प्रकार सरकार सचेत रहकर कार्यवाही करेगी तो मैं समझता हूं राजस्थान में जो रिसोर्सेज उपलब्ध हैं उसका मेक्सिमम युटिलाईज कर पायेंगे और राजस्थान की जो इकोनोमी है, वर्षा पर निर्भर करती है उसको साउन्ड फुटिंग दे सकेंगे, यही मैं निवेदन करता हूं।

श्री सभापति : श्री गोपाल जोशी।

श्री गोपाल जोशी (बीकानेर) : सभापति महोदय, आज कृषि, पशुपालन के संबंध में मेरे कटौती प्रस्ताव हैं।

सभापति महोदय, ऐसा लगता है कि हमारी सरकार का दृष्टिकोण एन्टी-साइन्टिफिक नहीं है तो अन-साइन्टिफिक जरूर है। मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान सरकार अपनी समस्याओं के प्रति बड़ी उदासीन है और एग्रो-इकोनोमिक रिसर्च सेन्टर जो कि गुजरात के आनन्द में स्थित है वह केवल गुजरात और राजस्थान की समस्याओं को निपटाने के लिये ही स्थापित किया गया है लेकिन मैं यह कह सकता हूं अपनी सरकार ने किसी प्रकार की एग्रीकल्चर सम्बन्धी समस्या का समाधान उनसे नहीं कराया जबकि गुजरात ने उसका लाभ लिया है। मैं समझता हूं जो संस्था एग्रीकल्चर पर शोधकार्य करती है उससे सलाह अवश्य लेना चाहिए और उसी प्रकार का कार्य करना चाहिए।

सभापति महोदय, दूसरी बात इन्टरनेशनल ड्राई फार्मिंग रिसर्च इन्स्टीटयूट को अपने यहां लाने में असमर्थ हैं। वह हैदराबाद चला गया। लेकिन मैं कह सकता हूं उससे भी अपनी समस्याओं के प्रति कोई लाभ नहीं लिया। उसे कोई समस्या पेश नहीं की। हमारे राजस्थान जैसे इलाके में जहां बरसात

(श्री गोपाल जोशी)

बहुत ही कम होती है अधिकतर भाग रेगिस्तान है। वहां ड्राई फार्मिंग का महत्व क्या होता है, यह जानते हुये भी हमने इस रिसर्च इन्स्टीट्यूट से कोई लाभ नहीं लिया, यह दुर्भाग्य की बात है।

इन्द्र भगवान पर निर्भर रहकर हम ग्रीन रिवोल्यूशन की उपलब्धियों के बारे में बड़ी बड़ी बाते करते हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन के जन्मदाता जब इंडिया में आये थे तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि कोर्स ग्रेन की वेरायटी उत्पन्न करने के लिये जब राजस्थान सरकार से कहा गया और राजस्थान सरकार से फन्ड्स मागे गये तो सरकार ने फण्ड देने से इन्कार कर दिया। इसी तरह हम देखते हैं हमारी जो साइन्टिफिक अप्रोच है वह सही नहीं है और हम उसके प्रति उदासीन हैं।

हमारे यहां के दो लीडिंग एग्रो इकानामिस्ट श्री व्यास और श्री जोधा जिन्होंने एरिड एग्रीकल्चर के नाम से शोध किया था उन्होंने कुछ रिकमन्डेशन्स की थी कि कृषि के बजाय यदि एरिड जोन में पशुपालन की ओर विशेष ध्यान दें तो उससे ज्यादा लाभ मिल सकता है लेकिन मैं समझता हूं कि उसका भी कोई लाभ नहीं उठाया गया। इसी तरह से अधिक दूध देने वाली किस्मों की गायों की नसल भी तेजी से तैयार करनी चाहिए क्योंकि अकाल में हमारा पशुधन बराबर नष्ट होता जा रहा है। इसके बारे में नोवल पुरस्कार विजेता फिनलैण्ड के डॉ० विरटानेन ने एक प्रोटीन फ्री सिन्थेटिक कैटल फीड तैयार किया है जिसे फाडर लैस केटल फीड कहते हैं। सरकार ने इस ओर भी ध्यान नहीं दिया है। मेरा निवेदन है कि यह पब्लिक सेक्टर में तैयार किया जा रहा सकता है। अभी मेरे एक साथी ने कहा कि जयपुर में डाक्टर पी० एल० व्यास ने प्रोटीन फ्री कैटल फीड तैयार किया है और मैंने उसको देखा है। मामूली मूंगफली के छिलकों से वह तैयार किया हुआ 20 रुपये क्विन्टल के हिसाब से बेचा जाता है। तो मेरा निवेदन है कि फाडर लैस फीड को प्रोत्साहन देना चाहिए।

इसी तरह से वाटर टेक्नोलाजी है वह भी हमारी थोड़ी सी दोषपूर्ण है क्योंकि हम मैदानों को पानी देते हैं और प्लान्ट्स को नहीं देते हैं। हमारी एफीशियेन्सी इस मामले में 20 परसेन्ट है जब कि वह 80 परसेन्ट होनी चाहिए और उसको यदि बढाया जाये तो मैं समझता हूं कि बहुत कुछ हो सकता है। वैसे हमारे यहां गंगानगर में सबसे ज्यादा यील्ड कहा जाता है जो कि 2 टन पर हेक्टर है लेकिन वर्ल्ड बैंक मिशन के एक इजराईली एक्सपर्ट आये थे जिनका नाम डॉ० गोलन था उन्होंने कहा कि राजस्थान की पर हेक्टर 2 टन यील्ड जो गंगानगर जिले की और राजस्थान की सबसे अधिक बताई गयी है मिजरेबली जो यील्ड है। इससे सम्भवतः हमें इस आधार पर वर्ल्ड बैंक से जो लोन मिलने वाला था वह नहीं मिले।

सभापति महोदय, मैं कुछ बातें बीकानेर के संबंध मे करना चाहूंगा। बीकानेर केवल दो वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। एक तो दूध और दूसरे ऊन।

श्री परसराम मदेरणा : भुजिये और रसगुल्ले।

श्री गोपाल जोशी : वह हम दूध से बनाते हैं इसलिए दूध पहले की चीज है और रसगुल्लों के लिए रा-मेटेरियल है।

श्री केदारनाथ : और खटे की गोलियां।

श्री सभापति : यह बाई-प्राडक्ट है और यह असल प्राडक्ट की बात कर रहे हैं।

श्री गोपाल जोशी : दूध के बारे में बता सकता हूं कि बीकानेर जिले में करीब 10 लाख से अधिक गायों का होना बताया जाता है और पशुपालन विभाग की तरफ से जो एक पशुपालन परिचय है उसमें बताया गया है कि राजस्थान में 2500 मिलियन लीटर दूध होता है। मेरा निवेदन है कि बीकानेर में प्रति दिन 8 लाख लीटर दूध रोज होता है। उस हिसाब से करीब 300 मिलियन लीटर दूध साल में होता है और इस दूध का यदि सही उपयोग नहीं किया गया तो जो गऊपालक या जिनको गोपाल कहते हैं वह वास्तव में मिजरेबल स्थिति में रहते हैं। उनकी स्थिति को ठीक करने के लिए हमें इसका कोई सुनियोजित कार्यक्रम लाना चाहिए। यह सही है कि वहां पर एक कोआपरेटिव डेयरी फार्म जल्दी ही बनाने जा रहे हैं लेकिन मैं समझता हूं कि उसको इम्पलीमेन्ट करने के लिए जिस तेजी से काम हमें करना चाहिए उस तेजी से अभी तक काम नहीं हो रहा है।

आई० सी० डी० (इन्टेन्सिव कैटल डवलपमेंट) का जो कार्य राजस्थान में केवल मात्र बीकानेर में हो रहा है वह भी सन्तोषजनक नहीं है और इसको शहरों में लागू भी नहीं किया गया है। शहरों में लागू नहीं करने से शहर के जो गऊपालक हैं उनको इसका लाभ पूरा नहीं मिला है।

इसके अतिरिक्त 25 हजार दुधारू गायें सीमान्त कृषकों व श्रमिकों को उपलब्ध कराने के लक्ष्य में बीकानेर जिले को वंचित किया गया है। इसमें अलवर, भरतपुर, अजमेर, झालावाड़ को तो दुधारू गायें सीमान्त कृषकों व श्रमिकों को दी जायेंगी लेकिन बीकानेर को क्यों छोड़ा गया है पता नहीं। इसी तरह से ए० आर० पी० योजना में कोटा व जोधपुर को लिया गया है और बीकानेर को क्यों नहीं दिया जा रहा है यह भी पता नहीं है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो लाभ दूसरों को दिया जाता है वह बीकानेर को भी मिलना चाहिए क्योंकि बीकानेर दूध उत्पादन में किसी भी जिले से कम नहीं होगा, मेरी ऐसी मान्यता है।

इसी तरह से सभापति महोदय, उष्ट्र प्रजनन केन्द्र के लिए जैसा रिपोर्ट में बताया गया है वह प्रजनन केन्द्र बीकानेर में है लेकिन उसकी उपलब्धि के लिए कुछ नहीं बताया गया है और न आई० सी० डी० के बारे में बताया गया है कि उसकी क्या उपलब्धि है।

इसी तरह से बीकानेर में सभापति महोदय, भेड़ और भेड़ से उत्पन्न ऊन इन्डिया की 45 परसेन्ट बीकानेर में बिक्री होती है और 55 परसेन्ट ऊन बाकी बच जाती है उसकी कीमत से इस 45 परसेन्ट की कीमत ज्यादा है। तो इतनी बिक्री जहां ऊन की होती है तो ऊन से संबंधित दूसरे लघु उद्योग हैं, घरेलू उद्योग हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए सरकार को कोई न कोई कार्यक्रम बनाना चाहिए। वहां एक स्टेट वुलन मिल जरूर है लेकिन स्टेट वुलन मिल की भी क्षमता कुछ कारपेट यार्न बनाती है और उसका पूरी तरह से नियंत्रण नहीं होने से, मेनेजमेंट अच्छा नहीं होने से वह भी घाटे में चल रही है। मेरा निवेदन है कि उसमें कुछ स्पिन्डल्स बढ़ा दिये जायें और बीकानेर में एक कार्मिंग प्लान्ट भी लगाया जाये। मेरा निवेदन यह है कि कार्मिंग के लिए बीकानेर से करीब जितनी ऊन बाहर जाती है उसका 20 लाख रुपया कार्म्बिग का देना पड़ता है। इसके अतिरिक्त ट्रान्स-

(श्री गोपाल जोशी)

पोर्टेशन देना पड़ता है और एक्साइज अलग से देनी पड़ती है। यदि वहां पर एक कम्बिंग प्लान्ट खोल दिया जाये, वह चाहे किसी भी सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, पब्लिक सेक्टर में हो या फिर चाहे ज्वाइन्ट वेन्चर में हो सरकार जैसा भी निर्णय ले खोल दिया जाये तो जनता को राहत मिलेगी।

अन्त में जो वेटरनरी के डाक्टर हैं उनके वेतनमान के बारे में अर्ज करूंगा। इनका वेतन मान मेडिकल के डाक्टरों से कम है। हो सकता है राणावत कमिशन ने किसी ओमिशन के कारण से या किसी भूल के कारण से समझ लिया हो कि इनकी मिनिमम क्वालीफिकेशन्स मेडिकल एन्ट्रेन्स की जो क्वालिफिकेशन है उससे कम है लेकिन मेरा निवेदन यह है कि जहां तक वेटरनरी कालेज में दाखिला लेने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है वह वही है जो कि मेडिकल कालेज में दाखिले के लिए आवश्यक है। इसके अलावा मिनिमम क्वालिफिकेशन एक है, पढ़ने की अवधि भी प्रायः एक ही है और वहां इन्सानों से काम करना पड़ता है और यहां जानवरों से करना पड़ता है, वहां इन्सान फीस देते हैं और यहां जानवर लातें मारते हैं। अपनी बीमारी मुंह से बयान नहीं कर सकते और वहां मनुष्य अपनी बात कह सकते हैं। इसलिए बी० ए० एस०, के वेतनमान को जरूर ठीक करना चाहिए। इतना ही कह कर समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री उम्मेदीलाल।

(अनुपस्थित)

श्री भंवरसिंह।

श्री भंवरसिंह (नवलगढ़) : सभापति महोदय, आज कृषि की मांग पर विचार चल रहा है। हमारे प्रदेश की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है कि जिसमें कृषि का बहुत महत्व है। हमारे प्रान्त में लोग दूर दूर पिछड़े हुए रेगिस्तानी इलाकों में रहते हैं जो कि कृषि और पशुपालन से अपना जीवन-यापन करते हैं। इसलिए कृषि में पशुओं का बड़ा महत्व है। पशुधन जो कि किसान का एक धन है उसके लिए सरकार की तरफ से कोई सुरक्षा नहीं है। किसान पशुओं के आधार पर अपनी कृषि करता है और उसकी आय से अपनी आजीविका कमाता है। इसलिए मैं सभापति महोदय आपके द्वारा मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि पशुधन जिनमें बैल, ऊंट आदि के लिए एक योजना बनाई थी ताकि किसानों को कुछ लाभ मिल सके।

इसी सम्बन्ध में कृषि के लिए उर्वरक खाद जो दी जाती है वह इस साल ऐसी समस्या आई किसानों के लिए कि उनको उचित मूल्य पर उपलब्ध नहीं हो सका और उसका ब्लैक किया गया और जो पैसे वाले थे, जो अधिक भूमि लिए बैठे हैं उन्हीं तक वह पहुंचा और उन्होंने ही वह ब्लैक में ले लिया और वह काश्तकारों को उपलब्ध नहीं हुआ। इसलिए इसके सम्बन्ध में मैं प्रार्थना करूंगा कि आगे भविष्य में ऐसी व्यवस्था करें कि यह उर्वरक सहकारी समिति से, सहकारी भंडारों से और सरकारी मशीनरी के द्वारा वितरित किया जावे ताकि किसानों को सुविधा से मिल सके।

किसानों को जो ऋण सुविधा दी गई है वह बड़ी अव्यवस्थित है। बैंकों से, कोआपरेटिव बैंकों से और भूमि बन्धन बैंकों से वह ऋण प्राप्त करने में किसानों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। एक पटवारी से

(श्री भंवरसिंह)

लेकर, सरपंच से, तहसीलदार से, एस०डी० ओ० से ऐसे ऐसे प्रमाण-पत्र लेने पड़ते हैं और अपनी भूमि को गिरवी रखना पड़ता है कि उसमें एक बड़ा लम्बा अर्सा लग जाता है और किसान परेशान हो जाते हैं।

(4.51 म० प०)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

उस ऋण का आधा उसको प्राप्त होता है और आधा इधर उधर लग जाता है। उसके लिए न मालूम किन किन की आजीजी करनी पड़ती है, गरज करनी पड़ती है और खुशामद करनी पड़ती है। कईयों को बेगार भी करनी पड़ती है तब उसका काम नीचे के लेवल पर पूरा होता है। इसलिए मैं सरकार से उपाध्यक्ष महोदय के द्वारा अनुरोध करूंगा कि इसमें भी कोई ऐसा सुधार, ऐसी व्यवस्था करें कि किसानों को ऋण आसानी से मिल सके।

किसानों की जो फसल होती है उसमें भी बड़ी अनिश्चितता है। किसान अपनी मेहनत से रात दिन पूरा परिवार लग कर, बूढ़े, बच्चे, औरतें लग कर खेत को जोत कर फसल तैयार करते हैं फिर भी उसकी निश्चितता नहीं होती है। तो इस फसल के बीमे का प्रोग्राम भी अगर सरकार कर सके तो किसान इस अनिश्चितता से बच सकते हैं, जब कि दूसरे और बड़े 2 लोग जो मोटरें रखते हैं, ट्रेक्टर रखते हैं तो उन सारी चीजों का बीमा करते हैं लेकिन इस किसान की जो सम्पत्ति है उसकी कोई सुरक्षा सरकार नहीं कर सकती तो इसमें भी, इसकी तरफ भी सरकार कुछ ध्यान दे तो किसानों को राहत मिलेगी।

इसके साथ ही इस वर्ष जो देश में काफी प्रान्तों में भयंकर अकाल पड़ा है और अपने प्रान्त में तो और भी इसकी भयंकरता है। तो इस साल और पिछले तीन, चार, पांच सालों में अकाल पड़ता रहा है तो किसानों के पास खाने के लिए अन्न नहीं है तो बीज के लिए तो अन्न बिल्कुल भी नहीं बचा है। जो खरीफ की फसल को बुवाई का समय आने वाला है उसके बीज की व्यवस्था सरकार अभी से करें, बारिश होने के पहले उनको बीज सुविधा से मिल सके ताकि वह बारिश होते ही अपनी फसल बो सके इसलिए बीज उनको आसानी से मिलना चाहिए। अगर बीज ही नहीं मिला तो फिर खरीफ की फसल भी अनिश्चित हो जाएगी और किसान तबाह हो जाएगा। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस तरफ, बीज के वितरण की व्यवस्था की तरफ भी सरकार ध्यान देकर व्यवस्था करे।

दूसरी तरफ जो ट्रैक्टर्स जो किसानों के लिए जरूरी हैं लेकिन अपने यहां पर खेत इतने छोटे 2 टुकड़ो में विभक्त हो रहा है कि जिसमें किसान ट्रेक्टर्स और जो दूसरे आधुनिक साधन हैं उनका उपयोग नहीं कर सकते। तो किसानों के लिए ऐसी व्यवस्था गवर्नमेंट करे कि जो छोटे किसान हैं, जो छोटे काश्तकार हैं, जो गरीब काश्तकार हैं वे, ट्रेक्टर और आधुनिक साधनों का उपयोग कर सकें। इसके लिए जैसे कुछ जिलों में सरकार ने व्यवस्था की है, ट्रेक्टर के डिपो आदि खोले हैं लेकिन बाकी ऐसे जिलें हैं जहां पर यह व्यवस्था नहीं है। हमारे झुंझुनू जिले में सरकार यह व्यवस्था करे और ट्रेक्टर के डिपो पांच चार स्थापित कर सकें तो छोटे काश्तकार भी इससे लाभ ले सकते हैं।

इसके साथ, जो सरकार ने कृषि के भाव निर्धारित कर रखे हैं उसमें भी अगर राजस्थान सरकार केन्द्र सरकार के पास सुझाव भेजे कि

(श्री भंवरसिंह)

76) रु० रेट रखी है, 74) 75) रुपये के क्विन्टल के जो भाव निश्चित किए हैं वे बहुत कम हैं। किसान जो प्रोडक्शन करता है, पैदावार करता है, उस पर मेहनत करता है, उस पर पूंजी लगाता है, श्रम लगाता है वह बहुत अधिक लगता है और वह उसके करीब 80-90 रुपया क्विन्टल पड़ जाता है जब कि सरकार 76) रु०, 75) रुपये के भाव में लेगी तो यह किसानों के लिए बड़े दुख की बात है और हम लोगों के लिए भी बड़ी अशोभनीय बात है। इसमें किसानों का ध्यान नहीं रखा गया है।····

श्रीमती नगेन्द्रबाला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि सदन का समय कार्यवाही समाप्त होने तक बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय यह डिमाण्ड पास होने तक बढ़ा दिया जाय।

(स्वीकृत)

सदन का समया बढ़ाया गया।

श्री भंवरसिंह : इसके अलावा जो किसानों के धोरों आदि में जो व्यवस्था है वह धोरों में पानी शुष्क हो जाता है, पानी का दुरुपयोग हो जाता है जिसके लिए ऐसी व्यवस्था हो कि उनको ऋण की सुविधा हो और आसानी से उनको ऋण मिल सके अपने धोरों आदि को पक्का करवाने के लिए। इसके लिए भी अगर सरकार व्यवस्था करे ताकि पानी का दुरुपयोग न हो। और कृषि विश्वविद्यालय को ऐसे स्थान पर खोले जैसे गंगानगर जिले में, सूरतगढ फार्म पर जहां काफी सरकार के पास जमीन है वहां कृषि विद्यालय की स्थापना होती है तो वहां प्रेक्टिकली भी कृषि के स्नातक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : प्रोफेसर श्री केदार।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : मान्यवर, एग्रीकल्चर की डिमाण्ड पर मुझे ज्यादा विशेष बात नहीं कहनी है। एक बात आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान में जितने एग्रीकल्चर कालेजेज हैं जो उदयपुर विश्वविद्यालय से एफिलियेटेड हैं उनको राज्य सरकार ने अभी तक रिसर्च का काम, एक्सटेंशन सर्विसेज का काम नहीं सौंपा है जोकि कम्पलीटली सौंप देना चाहिए था।

मान्यवर, उदयपुर यूनिवर्सिटी जो पहले सिंगल फैकल्टी यूनिवर्सिटी थी, खेतीबाड़ी की युनिवर्सिटी के नाम से यहां बिल लाया गया था उसके बाद एक साल के बाद ही उसके कोम्पलेक्शन को, उसके ओब्जेक्टिव को बिल्कुल बदल दिया गया। जिस ओब्जेक्टिव से यह यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, जो उसको कोम्प्लेक्शन दिया गया था उसको टोटली चैंज कर दिया गया। आज जिस इलाके में वह ज्यादा फायदेमन्द हो सकती है, यूनिवर्सिटी का काम, कालेजेज का काम हो सके वह इससे अलग रखी गई है। वह पोलिटिकल डिसिजन था, यह मैं मानता हूं। हमारे माननीय मंत्री महोदय इस बात को मानते हैं कि दरअसल वह काम और तरीके से किया गया है। अब आज हम जिस डिमाण्ड पर बहस कर रहे हैं मान्यवर, पांच छः महीने में फिफ्त फाईव ईयर प्लान कम्पलीट डेलीवरेशन हो जाएगा। राज्य सरकार हमारी स्टेट में एक दो यूनिवर्सिटी के प्रपोजल लेकर केन्द्र के पास गई है। मैं मानता हूं, मान्यवर, कि राजस्थान की इकानोमी में, रूरल इकानोमी में एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा पार्ट प्ले है। 40 परसेंट से कम इसका कण्ट्रीब्यूशन स्टेट की इकोनौमी में है। एम्पलायमेंट का बहुत बड़ा सोर्स है।

(श्री केदारनाथ)

इन्स्ट्रूमेंट ग्राफ एक्टीविटी है । एग्रीकल्चर कैसे फैले, कैसे एग्रीकल्चर इण्डस्ट्रियल बेस्ड हो, हमारे एग्रीकल्चर का रिसर्च वर्क इसके साथ जुड़ जाय और कालेजेज का काम काश्तकारों के लिए कैसे फायदेमन्द हो सके, उनका रिलेशन, उनका सम्बन्ध काश्तकारों से कैसे जुड़ सके, खेती के तरीकों को बदल कर काश्तकारी खेतीबाड़ी के काम में रिसर्च के साथ कैसे जुड़ सके, शिक्षा के साथ कैसे जुड़ सके, यह बहुत बड़ा कंसेप्ट है । मैं समझता हूं मान्यवर, कि राजस्थान कैनाल के कम्पलीट होने के बाद बीकानेर डिविजन में कोई प्लेस आप ढूंढ लीजिए जहां पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से कायम होनी चाहिए । इसकी इम्पोरटेंस और इसका महत्व इसलिए बढ़ रहा है मान्यवर कि मैं यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर वैसा नहीं चाहता जैसा कि आज की मौजूदा यूनिवर्सिटिज का है । एक बहुत बड़ी बिल्डिंग हो, पेराफैरनेलिया हो, बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडीचर हों, मैं वैसा नहीं चाहता । कालेजेज की ओटोनोमी के बेसिस पर, कालेजेज की ओटोनोमस बोडी के बेसिस पर वह हो जाए । उनके अन्दर रूल्स रेगुलेशन की पूरी पावर दे दें नया कांस्टीट्यूशन बना कर और एग्रीकल्चर कालेजेज आप जहां जहां राजस्थान केनाल जाय उस एरिया में कहीं पर भी बना दें । चाहे आप जैसलमेर में बना दें, बीकानेर में बना दें, गंगानगर में कहीं बना दें । तो यह खेतीबाड़ी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे । मान्यवर, हमारे यहां जो लुधियाना यूनिवर्सिटी है उसने पिछले दस सालों में हजारों कृषकों को ट्रैनिंग दी है और उनका एक मेन्टल एटीट्यूड पैदा किया है । उनके अन्दर एक नया इन्टेन्सिव पैदा किया है और उससे बड़ा फायदा हुआ है । हमारा एक डिपार्टमेन्टल रुटिन है, उसमें रिसर्च का काम, खेतीबाड़ी का जो एक्सपेरिमेन्ट फार्म है, उनकी क्वालिटी को और उनकी क्वान्टीटी को आप देखेंगे तो वह साधारण किसान से भी कम है प्रोडक्शन के लिहाज से । यह काम ब्यूरोक्रेटिक जो रुटिन है उसके साथ न जोड़कर प्यूरली कालेज को ट्रान्सफर कर देना चाहिए तो फायदा है । मैं सोचता हूं कि फिफ्थ फाइव इयर प्लान में यूनिवर्सिटी का प्लान आवे, उसमें कोटा का जो बेक ग्राउन्ड है, वहां के टेलेन्टस् को टेक्नीकल ट्रेनिंग दें, उनको इन्डस्ट्रीयल नालेज दें, और इन्डस्ट्रीयल नालेज देंगे तो उस इलाके को फायदा हो और राजस्थान केनाल का जहां पानी बहता है, नहरें जाती हैं वहां पर कोई एग्रीकल्चर नॉलेज नहीं है, अजमेर कोटा से हमारा मुकाबला नहीं है । अजमेर की कोई बात करते हैं, यूनिवर्सिटी कन्सेप्ट की बात हो सकती है, मगर राजस्थान सरकार अपने दिमाग में क्लीअर नहीं है कि यूनिवर्सिटी का क्या कन्सेप्ट है । राजस्थान कैनाल, गंग कैनाल, भाखरा कैनाल, इनके एरिया में यह एक इरिगेशन का सेन्टर है, उसमें रिसर्च की एक्सटेन्शन की एक यूनिवर्सिटी कायम हो जावे तो कितना बड़ा फायदा होगा ? सूरतगढ़ में एक बहुत बड़ा फार्म है, जैसलमेर में फार्म बनाने जा रहे हैं, तो उसकी सर्विसेज भी आप उठा सकते हैं इसलिए मैं · · · · ·

(5.01 सायं)

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष पदासीन)

यह निवेदन करना चाहता हूं कि फिफ्थ फाइव इयर के डेलीब्रेशन होने जा रहे हैं, तो उस समय मैं राजस्थान कैनाल के पानी के साथ, रिसर्च एक्सटेन्शन स्कीम के नाम से एक युनिवर्सिटी कायम करने की मांग करता हूं ।

दो दर्शकों द्वारा सदन की अवमानना के प्रश्न पर प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा एवं उसका पारण

श्री अध्यक्ष : मुझे सदन को सूचना देनी है कि आज सदन की कार्यवाही के मध्य में अपरान्ह लगभग 3 बज कर 26 मिनिट पर विधान सभा की अध्यक्षीय दर्शक दीर्घा से दो दर्शक, सर्व श्री रोशनलाल तिवाड़ी पुत्र श्री गौरीशंकर तिवाड़ी उम्र 25 साल एवं श्री बसन्तीलाल अग्रवाल पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद अग्रवाल उम्र 28 साल ने दीर्घा से सदन में कूद कर नारे लगाए, जो सारजेन्ट की रिपोर्ट के अनुसार इस प्रकार थे—"इनकलाब जिन्दावाद, सदन में गप्प लड़ाना बंदकरो हाई कोर्ट की बैंच जयपुर लाओ, राजधानी हाई कोर्ट से वंचित क्यों, 117 विधायक खामोश क्यों" ।

उन दोनों को तुरन्त ही प्रहरियों द्वार अपनी सुरक्षा में ले लिया गया और उनसे पूछताछ की गई, जिससे पता चला कि ये दोनों व्यक्ति अपने आपको एडवोकेट बताते हैं और हाई कोर्ट की बैंन्च जयपुर में लाने की अपनी मांग की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने ऐसी कार्यवाही की थी ।

मैंने भी इन दोनों को अपने कक्ष में बुलाकर उनका कथन अभिलिखित किया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने जो हरकत की वह जानबूझकर की और इसके लिए उनको किसी प्रकार का पश्चाताप नहीं है । वे यह भी नहीं मानते कि उनकी ऐसी कार्यवाही से सदन का अपमान हुआ हो, हालांकि वे इसमें बाधा डाली जाना स्वीकार करते हैं, परन्तु इसके लिए वे किसी प्रकार की क्षमा प्रार्थना करने को प्रस्तुत नहीं हैं ।

उपरोक्त कथन से स्पष्ट है कि सर्व श्री वसन्तीलाल अग्रवाल एवं रोशनलाल तिवाड़ी ने जानबूझकर सदन की कार्यवाही में बाधा डाली और उसका अपमान किया जिसके लिए उनको न तो कोई पश्चाताप है और न वे इसके लिए क्षमा प्रार्थना करते हैं । इन दोनों व्यक्तियों द्वारा की गई कार्यवाही स्पष्ट ही सदन के कार्य में बाधा डालने वाली एवं अपमानजनक है, जिसको गंभीरता के साथ लिया जाना चाहिए । मैं चाहता हूं कि सदन इस विषय में उचित निर्णय दे ।

श्री खेतसिंह (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, यह सदन संकल्प करता है कि जो दो व्यक्ति अपने आपको श्री वसन्तीलाल अग्रवाल और श्री रोशनलाल तिवाड़ी कहते हैं, जिन्होंने आज दिन के 3 बजकर 26 मिनिट पर अध्यक्षीय दीर्घा से सभा भवन में प्रवेश किया और नारे लगाए और जिनको वाच एण्ड वार्ड के अधिकारियों ने तत्काल हिरासत में ले लिया, उन्होंने घोर अपराध किया है । वे इस सदन के अपमान के दोषी हैं ।

यह सदन आगे संकल्प करता है कि इन दोनों व्यक्तियों को सात, सात दिन के लिए साधारण कैद की सजा दी जावे और जेल भेज दिया जावे ।

श्री गुमानमल लोढा (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस सदन का, इस सत्र के अन्दर यह दूसरा अवसर है जब हमें सदन का अपमान और सदन की मर्यादा भंग करने के लिए विचार करना पड़ रहा है । इसमें किसी प्रकार की दो राय नहीं हो सकती है कि जिन व्यक्तियों ने इस पावन, पवित्र सदन के अन्दर कूद कर के नारे लगाए और उसके पश्चात् उन्होंने माननीय अध्यक्ष के सम्मुख क्षमा याचना या प्रायश्चित करने

Page No.143

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

से इन्कार कर दिया, यह घोर अपराध है । और माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सब इसमें एकमत हैं कि सदन की मर्यादा और सदन की पवित्रता को अक्षुण रखने के लिए किन्हीं क्षणों में कुछ कठिन और कठोर कदम उठाना पड़ता है। सबसे अधिक दुख का प्रसंग यह है कि एडवोकेट होने के नाते, कानून का ज्ञाता होने के पश्चात् भी उन्होंने इस प्रकार की कार्यवाही की, जिसकी अपेक्षा उनसे नहीं थी । माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ भी एक माननीय पक्ष भी है जिसकी ओर भी हमें विचार करना होगा । हम अपने कर्तव्य को निभाने के लिए निश्चित् रूप से उनकी ताड़ना करें, भर्त्सना करें, अपराध के लिए सब प्रकार से उनको लांछित करें, परन्तु इस सदन के अन्दर कई बार ऐसे प्रसंग आए हैं जहां पर किन्हीं विशिष्ट भावनाओं को लेकर, वे भावनाएं सही हों या गलत हों, आन्दोलित होकर के कुछ व्यक्तियों ने इस प्रकार के अपराध किए हैं और यह सदन की परम्परा, गरिमा और महिमा रही है कि इस अपराध के लिए ताड़ना देते हुए, उसकी भर्त्सना करते हुए, हमने कुछ इस सम्बन्ध में कीर्तिमान स्तम्भ भी अपनी परम्परा में कायम किए हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस समय एक उदाहरण देना चाहूंगा । लोक सभा के अन्दर, जब लोक सभा का और हमारे देश की सबसे बड़ी संसद का अपमान किया गया था एक पत्र के द्वारा--ब्लिट्ज के द्वारा, तो उसके संपादक को सदन में बुलाकर के अपराध को मानते हुए भी भर्त्सना करके, ताड़ना देकर, रीप्रिमेन्ड करके, इस रीप्रिमेन्ड के साथ में इस अपराध के लिए उपयुक्त समझा था । अध्यक्ष महोदय, ये दोनों व्यक्ति जिन्होंने यह अपराध किया, क्षमा के प्रार्थी तो नहीं है परन्तु उनकी उम्र को देखते हुए और उसके साथ में एक प्रश्न को लेकर · · ·

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : रहम की अपील क्या हाई कोर्ट में हो रही है ।

श्री गुमानमल लोढा : जिस प्रश्न को लेकर उन्होंने अधीर होकर एक गलत कदम उठाया है, एक गलत तरीका अपनाया है, गलत फोर्म को चुना है, उस सब को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आसन की गरिमा और सदन की गरिमा गौरवान्वित उससे होगी कि हम इनको ताड़ना करें, भर्त्सना करें और इसके साथ में जो सात दिन के लिए उनको सजा देने का सुझाव या संकल्प प्रस्तुत किया गया है, मैं प्रार्थना करूंगा कि उसमें यह कमी की जावे कि आज जब तक सदन की कार्यवाही चले तब तक के लिए इनको हिरासत में रखा जाय । उनको रेप्रीमेंड किया जाय और सदन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद में उनको रिहा कर दिया जाय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि यहां पर जिस प्रकार का प्रस्ताव आया है सदन का सदस्य होने के नाते मैं अपने कर्त्तव्य की ओर भी भली प्रकार से जागरूक हूं कि यहां की गरिमा और महिमा रखना हमारा कर्त्तव्य है, लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, मानवीय दृष्टिकोण को हम भूलने का प्रयास न करें। युग जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, उसके जो डाइमेन्शन्स हैं, जो बदलते युग के डाइनेमिक इमोशन्स हैं उनको अधिक सेन्सिटिवनेस से लेकर यदि यथा स्थिति है, वास्तविक स्थिति है उसको पहचानकर उसके अनुसार दण्ड दें और उसके अनुसार ही सदन की अपनी महिमा और गरिमा को पुनः स्थापित करने

(श्री गुमानमल लोढा)

का प्रयास करें, तो मैं आपसे एक बार पुनः प्रार्थना क ंगा, और आपके माध्यम से जो संक ्प प्र तुत कर दिया गया है, और सदन के उप नेत महोदय हैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि मानवीय पहलुओं की अ र ध्यान देकर जिस प्रकार की भावना ैंने व्यक्त की है उसका समावेश करके भर्त्सना और ताड़ना के साथ में सदन जिस समय तक च े उस समय तक उनको हिरासत में रखें अ र उसके पश्चात् उनक रिहा करें। यदि यह सजा दें तो मैं समझता हूं कि आज के सभी कम्प्लेक्स प्रो ्म को देखते हुए अधिक युक्तिसंगत और मानवीय होगी।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, जो भी प्रस्तव अभी मुख्य सचेतक महोदय की तरफ से आया है कि उनको 7 दिन का कन्विक्शन किया जाय। मैं यहां पर उन े एक्शन को जस्टिफाई करने के लिये नहीं खड़ा हूं। मैं यह मानता हूं कि जिस मांग को लेकर वह यहां पर आये उस मांग को मैं यहां पर लिक नहीं करना चाहता, हालांकि वह मांग वाजिब मांग है, वह मांग ठीक है। सरकार को भी उस मांग के लिये एडेमेंट नहीं होना चाहिये। आज के डाइनेमिक युग, में आज के डेमोक्रेटिक सेट अप में पब्लिक ओपीनियन को फ्लाउट करना, जस्टिस के फण्डामेंटल को अनमाइण्ड करना यह सरकार के लिये भी शोभा की चीज नहीं है। और रास्ते भी निकल सकते हैं, गुप्त मतदान भी हो सकता है, प्लेबिसाइट हो सकता है। मगर किसी चीज को लास्ट वर्ड मानकर, एटरनल डिसीजन यह है ऐसा मानकर अगर सरकार चलती है तो सरकार जो है वह डेमोक्रेटिक स्प्रिट की बात पर नहीं चलती है। मान्यवर, इस विचार के तहत बहुत अच्छे नोटेबल ट्रेडिशन्स और कमेन्डेशन्स इस हाउस ने कायम किये हैं। कन्विक्शन्स के पावर्स हैं। सीट ऑफ जजमेंट पर बैठ कर दूसरे केसेज में इस हाउस ने मेग्नेनिमिटी शो की है। तो मैं आपकी मारफत रूलिंग बेंचेज से यह निवेदन करना चाहता हूं, क्लिमेन्सी की मांग करता हूं कन्विक्शन के नाते नहीं इसलिये कि कन्विक्शन चाहे एक घन्टे का हो, चाहे कन्विक्शन 15 घन्टे का हो, वह परपज सर्व हो जाता है। तो उन लोगों ने अगर माफी नहीं मांगी है तो मैं सोचता हूं कि एजीटेशन की धारणा नहीं है। एजीटेशन के अलग रास्ते हुआ करते हैं, एजीटेशन कैसे चलता है, लेकिन फिर भी वह मांग को लेकर आये हैं। वह पर्सनल काम नहीं था, पर्सनल ऑब्जेक्टिव नहीं था, चाहे यह दायरा नहीं था। वह एडवोकेट हैं जानते हैं, लेकिन कॉज करेक्ट है इसको मानते हुए यहां आये हैं। मैं समझता हूं कि उसको ले लें। मैं आपकी मारफत क्लीमेन्सी की मांग करता हूं कि आज हाउस की सिटिंग के एण्ड तक उनको कन्विक्ट कर दिया जाय।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : अध्यक्ष महोदय, जो अशोभनीय और अप्रिय घटना यहां घटित हुई है। दो एडवोकेट जो कानून के जानकार हैं और इस सदन की गरिमा और गौरव और नियमों से पूर्ण रूप से परिचित हैं वह अध्यक्ष की दीर्घा से सदन के अन्दर कूद पड़े जिससे कि सारा सदन यह महसूस करता है कि सदन की गरिमा को चोट पहुंची है, लेकिन फिर भी दोनों एडवोकेट मिस्टर अग्रवाल और मिस्टर तिवाड़ी इस मुकम्मिल इरादे के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ और सारी बातों की जानकारी के साथ इस स न के अन्दर कूदे हैं और उन्होंने जान बूझकर कर सदन का अपमान किया है। आपके समक्ष भी जब वह दोनों प्रस्तुत हुए तो उन्होंने किसी प्रकार की माफी मांगने

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

से स्पष्ट इन्कार कर दिया, और इस बात से इन्कार कर दिया कि उन्होंने कोई गलती की है। इससे स्पष्ट है कि वह बड़ा फर्म कन्विक्शन लेकर आये हैं और उन्होंने इस सदन की गरिमा को अपमानित किया है। बड़े फर्म कन्विक्शन के साथ यह महसूस करते हैं कि इसमें वह एक कॉज है जिसको वह एक महान कॉज मानते हैं और जिस कॉज के संबंध में इस सदन के अंदर एक नहीं अनेकों बार चर्चाएं हुई हैं, और जिस कॉज के संबंध में इस सदन के एक नहीं 117 विधायक बाकायदा लिखित रूप से उसके अंदर कमिटेड हैं। उस कॉज को अपने दिमाग में रखकर वह एक फर्म कन्विक्शन के साथ इस सदन में आये हैं। मेरा इरादा, अध्यक्ष महोदय, उस तरफ नहीं है कि जिन परम्पराओं को, जिस गरिमा को, जिस सदन के गौरव को, और जिस सदन के ट्रेडिशन्स को बड़ी कुरबानी देकर, बड़े त्याग के बाद, बड़े आन्दोलन के बाद प्राप्त किया है उसका किसी प्रकार से अपमान हो। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, यह सदन तभी गौरवपूर्ण है, तभी महान है, जब कि यह पक्ष के सारे पहलुओं को देखे। अगर हमारे प्रजातन्त्र का यह मन्दिर है यही सारे पक्षों को न देखता है, अगर अपराधी के अन्दर होने वाली क्रियाओं और प्रक्रियाओं के बारे में यह सदन सचेष्ट न हो तो हमारा गौरव धूमिल होता है, अध्यक्ष महोदय, हमारा गौरव इतना महान् नहीं रहता है। इसलिए इस सदन को यह भी देखना पड़ेगा कि इसके साथ-साथ कि इसके क्या कारण हैं? इसी सदन के दौरान और पिछले सदन के दौरान ऐसी घटनाएं हुई हैं। यह पहली घटना नहीं है इससे पहले भी इस प्रकार की अप्रिय और अशोभनीय घटनाएं हो चुकी हैं। कुछ इश्तिहार सदन के अन्दर फेंक दिये गये, लेकिन अपराधियों ने क्षमा मांग ली। उनका फर्म कन्विक्शन नहीं था। वह पढ़े लिखे एडवोकेट थे...

एक माननीय सदस्य : टीचर्स थे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वह जानकारी रखते थे। वे काफी सीनियर टीचर्स थे और सारी जानकारी बखूबी उनके पास थी। सदन की गरिमा और सदन के नियमों को वे जानते थे, और शिक्षक होने के नाते उनका प्रोफेशन भी बड़ा नोबल था। हमें इस सदन की गरिमा के लिए कदम उठाना पड़ेगा। यह तो निश्चित रूप से एक बात तहकीक है। लेकिन साथ-साथ इस प्रकार की अप्रिय घटनाएं क्यों हो रही हैं? एक के बाद दूसरी होती चली जा रही हैं। क्या प्रक्रियाएं हैं, क्या बातें हैं जो यह प्रक्रियाएं पैदा कर रही हैं? सदन को इसके साथ में यह विचार करना पड़ेगा। केवल आंख मींचकर सजा कर देने से सदन के गौरव और गरिमा की रक्षा नहीं कर पायेगें।

श्री अध्यक्ष : थोड़े-थोड़े में करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसलिए ज्यादा न कह कर मैं अपराधियों को डिफेन्ड करने नहीं आया। इस पवित्र सदन का मैं भी एक अंग हूं, उसका एक कण मैं भी हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि 7 रोज की पेनल पनिशमेंट हमारा कोई परपज सर्व नहीं करती है, और नहीं यह प्रक्रियाएं जो विभिन्न तरीकों से पैदा हो रही हैं, शिक्षकों के किसी प्रश्न को लेकर हो रही हैं, श्रमिकों के किसी प्रश्न को लेकर हो रही हैं, कर्मचारियों के किसी प्रश्न को लेकर हो रही हैं, एडवोकेट में किसी प्रश्न को लेकर हो रही हैं, चाहे वह हाई कोर्ट की

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

बच का प्रश्न हो, जिसका जस्टीफिकेशन फर्म कन्विक्शन के रूप में उनका हो रहा था। उसको धारण करने के लिए सदन में हुई चर्चा से उनके अन्दर ऐसी भावना आई हो। मैं नहीं चाहूंगा कि उनको सेन्सर नहीं किया जाय, उसको सजा नहीं देना चाहिए। यह बड़ा कदम है और सही कदम है, और यह सदन हमेशा इस कदम को उठाता आया है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा टेक्निकल पनिशमेंट इस सदन के अन्दर मैं काफी समझता हूं कि इस सदन को सिटिंग के एण्ड तक हिरासत के अन्दर ले लिया जाय और कन्विक्ट कर दिया जाय।

श्री पी० के० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में इससे पहले भी ऐसा सवाल आया है, और मैं समझता हूं कि इसमें सदन की गरिमा भंग जिन्होंने की है उनको डिफेन्ड नहीं करता हूं कि उन्होंने अच्छा काम किया है। जैसा कि माननीय हाण्डाजी ने कहा है कि आखिर उसकी वजह क्या है? क्यों ऐसा किया है। इसी सदन में जो सीनियर टीचर्स ने किया था उस समय सदन में सबकी राय यह थी कि वे झूठ बोल रहे हैं। सदन की गरिमा इससे भंग होती है यह उनको नहीं मालूम था इस प्रकार से उन्होंने झूठ बोला था। जो झूठ बोलते हैं उनको सजा नहीं देते हैं। उस वक्त सभी चेयर से यह कहा गया था कि वे झूठ कह रहे हैं कि सदन की गरिमा भंग होती है इसका उन्हें ज्ञान नहीं था। तो जो झूठ बोलते हैं उनको तो माफ किया गया, जो सच बोलते हैं, सच बात कहते हैं, जो यह कहते हैं कि हमने यह किया है लेकिन सदन की गरिमा भंग करने का उनका इरादा नहीं था, उनका लक्ष्य यही था कि जिस सदन के 117 सदस्यों ने हाई कोर्ट की जयपुर में बैंच के लिए मांग की थी, उनके कान्सेस को जगाने के लिए आये थे। वह आये थे, 117 सदस्यों का मॉरल कान्सेस जगाने के लिए। चाहे उनको एक घण्टा, दो घण्टा, महीना, छः महीने की सजा हो, आप जितनी अधिक कठोर सजा करेंगे, उसकी प्रतिक्रिया उतनी ही अधिक होगी। मैं एक बार फिर कहूंगा कि जो झूठ बोलता है, उसको आप माफी देते हैं। जो सच बात कहता है उनको आप सजा देने की बात कहते हैं। मैं उनका समर्थन नहीं करता हूं। उन्होंने बुरा काम किया है। लेकिन मैं इस बात की तारीफ करूंगा कि उन्होंने सच्ची बात कही है। उन्होंने यह नहीं कहा है कि मुझे यह मालूम नहीं था कि इससे सदन की गरिमा भंग होती है। 184 सदस्य यहां पर बैठे हुए हैं। उनकी आत्मा के जगाने के लिए आये हैं। उनको जो सजा देना चाहें वह सजा दे दें लेकिन उसकी कोई अच्छी प्रतिक्रिया नहीं होगी। जैसा कि और माननीय सदस्य ने कहा है, उनके बारे में लीनिएन्ट व्यू लेना चाहिए। इस सदन के सस्पेण्ड होने तक की उनको सजा दिये जाने के लिए निवेदन करता हूं।

श्री फुलचन्द जैन (सुजानगढ़) : अध्यक्ष महोदय, अभी जो कुछ घटना या दुर्घटना इस सदन में हुई, वह बहुत ही अशोभनीय है। मैं समझता हूं कि हाई कोर्ट बेंच का जो इश्यू है, उससे अलग रह कर गम्भीरता से इस प्रश्न पर विचार करना चाहिये। आखिर बार बार इस सदन के अंदर इस प्रकार की घटनायें होती हैं। इसके बारे में हम अगर जैसा कि माननीय सदस्यों ने स्वीकार किया है, सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा को, इन सब को पालन नहीं करवाते हैं तो यह भी अपने आप में एक गम्भीर बात होगी। जैसा कि यहां पर कहा गया है, जिन व्यक्तियों ने ऐसा किया है,

(श्री फूलचन्द जैन)

दोनों ही वकील हैं। दोनों ही कानून को जानते हैं। मैं नहीं मानता कि वह इस बात को नहीं जानते हैं कि इससे सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा को धक्का लगता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो हाई कोर्ट की बेंच का इश्यू है, वह अपने आपस में सबोटेज करने वाला पहलू है। मैं समझता हूं कि उन्होंने ऐसा करके कोई हितकारी कार्य नहीं किया है, अहितकर कार्य किया है। जब आदमी में आत्मबल की कमजोरी आती है तो वह ऐसे कार्य करता है। जहां तक हाई कोर्ट का प्रश्न है, राज्य सरकार और सदन के दोनों पक्ष इस पर गम्भीरता से विचार करें। इस पर क्या कैसे होना चाहिये। परन्तु सदन में इस प्रकार की घटनाएं बराबर घटे, और अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि वह वकील होकर क्षमा याचना करने के लिये भी तैयार नहीं हैं, यह भी हमारे लिये एक सोचने की बात है। जहां पर मानवीय दृष्टि से सोचने की आवश्यकता है तो सदन की गरिमा की दृष्टि से भी मैं यह मानता हूं कि इसको रोका जाना चाहिये। तो हमें यह भी सोचना है कि किस प्रकार से हम रोक सकते हैं। वह क्षमा याचना करने के लिये तैयार नहीं हैं। उन्होंने ऐसा इरादतन किया है। शिक्षित हैं, वकील हैं। हाई कोर्ट की बेंच को लेकर यह किया है। मैं समझता हूं कि इस दृष्टि को हम ध्यान में रखकर चलें और सदन की गरिमा को ध्यान में नहीं रखेंगे तो उचित नहीं होगा। परन्तु मैं यह जरूर निवेदन करना चाहता हूं, उपनेता महोदय को आपके माध्यम से, पनिशमेंट ज्यादा हो या कम हो, इसका इतना असर नहीं पड़ता है। परन्तु मेरी अपनी राय यह है कि अगर वह क्षमा याचना नहीं करते हैं तो सदन की गरिमा को ध्यान में रखते हुये, जैसा कि एक माननीय सदस्य ने स्वीकार किया है, सदन की कार्यवाही समाप्त होने तक उनको रखा जाये। मैं यह निवेदन करता हूं कि अगर वह क्षमा याचना करते हैं तो सदन की कार्यवाही समाप्त होने तक का निर्णय लिया जाये। अन्यथा 7 दिन की अवधि को 3 दिन में कर दिया जाये। यही मेरा, मेरा निवेदन है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं तो तर्क और वैधारिकता में अधिक नहीं जाकर यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमें यह सोचना चाहिये कि क्या काज है यह नहीं, मूल वस्तु क्या है, वह सदन की गरिमा है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि हम अपने और भावों को भुला दें। मूल वस्तु हैं, सदन की गरिमा। मैं माननीय उपनेता महोदय से निवेदन करूंगा कि एक हफ्ते की जगह 3 दिन की सजा कर दी जाये तो यह अधिक उचित होगा।

श्री मोहनलाल छंगानी (फलोदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बड़ी बेशर्मी के साथ सदन की गरिमा का उल्लंघन किया गया है। हाई कोर्ट की बेंच का इश्यू इस मामले के साथ नहीं जोड़ना चाहिये। वैसे जब राजस्थान को एकीकृत किया गया था, राजस्थान के इन्टेग्रेटेड होने के फलस्वरूप ही, जोधपुर में हाई कोर्ट राजस्थान के एकीकरण का परिणाम था। यह आपने या हमने नहीं बनाया है। मेरी यह निश्चित भावना है कि राजस्थान के हाई कोर्ट के बेंच के प्रश्न को लेकर राजस्थान के विघटन का यह प्रच्छन्न प्रयास हो रहा है। जो एतिहासिक प्रोसेस राजस्थान को एक करने का चला उसी का परिणाम था कि इन्टेग्रेटेड हाई कोर्ट जोधपुर को दिया गया था। इसको रोकना या बचकाना तरीके दिखाना,

(श्री मोहनलाल छंगानी)

मैं समझता हूं कि हमारी परम्परा और गरिमा के विरुद्ध है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा, जैसा कि माननीय श्री फूलचन्द जैन ने कहा है, सदन की गरिमा और परम्परा की रक्षा के लिये, क्योंकि उन्होंने माफी नहीं मांगी है तो 7 दिन की सजा के स्थान पर सजा कम करके 3 दिन की सजा दे दी जाये।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कुछ इस सदन में हुआ है, वह अत्यन्त दुख कारक घटना है। मैं यह भी मानता हूं कि जिन्होंने यह किया है, वह एडवोकेट हैं इससे सदन की गरिमा भंग होती है। लेकिन उन्होंने जानबूझकर अपनी मांगों को आप के सामने रखा है। मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ समय पूर्व एक स्कूल के हैड मास्टर और एक सीनियर टीचर थे, उनको इस सदन ने ताड़ना देकर मुक्त कर दिया था। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं लम्बे इश्यूज में नहीं जाना चाहता। मैं राजस्थान के एकीकरण की भी अभी बात नहीं करना चाहता। मैं इसका बहुत बड़ा समर्थक हूं कि राजस्थान एक रहे और राजस्थान के जो विभाजक तत्व हैं उनको हमारे उदार एक्शन से मदद मिलती है। लेकिन हम इस जनतांत्रिक व्यवस्था में रहते हुए भी जनतांत्रिक आधारों की जनता के मूल सिद्धान्तों की उपेक्षा करके चलते हैं। जहां 117 विधायक, इस सदन के 184 विधायकों में से 117 विधायक इस बात की मांग करें और आप उस मांग को ठुकरायें। मैं यह नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आपको जनतांत्रिक वे में इस पर सोचना चाहिए और यह मान कर चलना चाहिए कि आज जो यहां पर व्यवस्था है, वह तानाशाही व्यवस्था नहीं है। आज जनतांत्रिक व्यवस्था है, इस व्यवस्था के अंदर जनता की इच्छा सर्वोपरि है। इसके बारे में सोच कर चलना होगा...

श्री अध्यक्ष : थोड़े में।

श्री श्रीराम गोटेवाला : जनता की यह इच्छा है, जनता इस बात को चाहती है, इसलिये जब जनता इस बात को चाहती है तो उस बात को हमें मानना पड़ेगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उदारता से इस बात को आप सोचें और इस बात पर सोच कर चलें। और जिस प्रकार की अभी बात की गई है, मैं निवेदन करता हूं कि इस प्रकार की बात नहीं करें। मैं यह मानता हूं कि यह अलग से प्रश्न है। यदि इस प्रश्न के साथ माननीय सदस्य उस प्रश्न को छेड़ देते हैं तो मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह एक बहुत ही गलत बात है और इस तरह की बात नहीं कही जानी चाहिये। मैं यह मान कर चलता हूं कि सदन में जो कुछ हुआ है, वह ठीक नहीं हुआ है। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जो सात दिन की सजा दी जा रही है वह अधिक है और जैसा गुमानमलजी ने कहा है और जैसा चौधरी जी ने कहा है और जिसका फूलचन्दजी ने समर्थन किया है, मैं भी अपने दल के मुख्य सचेतक से निवेदन करना चाहता हूं कि इनको सदन के उठने तक की सजा दे दी जाय।

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) उपनेता को बोलने दीजिये।

श्री मुन्शीलाल : अध्यक्ष महोदय, आज जो अप्रिय घटना घटी है....

श्री अध्यक्ष : आपकी पार्टी की तरफ से बोल लिये हैं। अब आपको क्या बोलना है। उपनेता महोदय।

श्री दिनेशराय डांगी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक दो बात कहना चाहूंगा....

श्री अध्यक्ष : मैंने पार्टी का व्यू ले लिया है।

श्री दिनेशराय डांगी : मैं यह कहना चाहता हूं कि सिगनेचर कम्पेन में....

श्री अध्यक्ष : हो चुका आपकी पार्टी का व्यू।

श्री दिनेशराय डांगी : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर देना चाहूंगा, जो सिगनेचर कम्पेन वाला हवाला दिया जाता है कि इतने एम० एल० ए० ने सिगनेचर किये हैं तो सिगनेचर मैंने भी किये हैं, और वह इसलिए किये हैं कि राजस्थान एक रहे और जितनी हमारी शक्ति है या जितने साधन हमारे हैं उनका राजस्थान की प्रगति में उपयोग हो। कोई सदन की परम्पराओं के खिलाफ जायें उनको यह सोचना चाहिए। कई एम० एल०-एज० ने इस फेवर में कहा है और हम लोगों ने सिगनेचर किये हैं ऐसी बात होते हुए भी मैं निवेदन करूंगा कि वकील होते हुए भी उन्होंने यह समझा नहीं और उन्होंने शान्ति नहीं रखी और यह नहीं कहा कि जो कुछ मैंने किया है वह अशोभनीय है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो सात दिन की सजा का प्रस्ताव रखा है उसमें सात दिन के बजाय तीन दिन कर दिया जाय। मैं यह मानता हूं कि उनको यह ख्याल रखना चाहिए था। साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सदन में बार बार सिगनेचर कम्पेन की बात को रिपीट नहीं करना चाहिए, अगर वह बार बार कहते हैं तो हम सिगनेचर वापिस ले लेंगे।

श्री लूणाराम : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में....

श्री मुन्शीलाल : अध्यक्ष महोदय, जो अप्रिय घटना हुई है....

श्री अध्यक्ष : उपनेता महोदय। आप बैठिये। हर एक मेम्बर का हर एक चीज पर बोलना जरूरी नहीं होता है। उपनेता महोदय!

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह दरअसल में खेद का विषय है कि इस सत्र में दूसरी बार सदन की कार्यवाही को डिस्टर्ब किया गया है और इसकी गरिमा को भंग करने की कोशिश की गई है। अध्यक्ष महोदय, इस सदन की प्रतिष्ठा को रखने के लिए या तो हमें दूसरे लोगों के मुंह की ओर ताकना होगा कि वे मेहरबानी करके हमारे इस सदन की गरिमा को भंग न करें, अथवा इस सदन को स्वयं तय करना होगा कि वह यह कहना छोड़ दें कि हमारी कोई गरिमा हैं और वह कभी भंग होती नहीं है। मैंने पिछली बार जब दो अध्यापकों ने यहां पर पर्चे फेंके थे, यह निवेदन किया था, और आज फिर निवेदन करता हूं कि जनसंघ दल के नेता एक प्रस्ताव ले आये कि इस प्रकार की पर्चेबाजी से अथवा सदन में कूद कर आने से, नारे लगाने से आयन्दा सदन की मर्यादा भंग नहीं होगी—हम उसको स्वीकार कर लेंगे। आखिर सदन के सदस्य अपने आपको प्रिविलेज्ड क्यों मानते हैं? आखिर यह सदन क्यों चाहता है कि उसकी कार्यवाही को डिस्टर्ब न किया जाय? कहा जाता है कि डेमोक्रेटिक प्रासेस के अन्दर हमको इतना सेन्सिटिव नहीं होना चाहिए। तब फिर बहुत साफ साफ कह देना चाहिए हमको कि डेमोक्रेसी में जो सड़कों के ऊपर डिमान्स्ट्रेशन होते हैं वह विधान सभा के अन्दर भी हो सकेंगे। हम दोहरी बात नहीं कर सकते। या तो हमें

(श्री हरिदेव जोशी)

यह कहना चाहिए, डिमान्स्ट्रेशन हों उनकी छूट है, मगर उसका एक दायरा है, अमुक सीमायें हैं। अपने भावों को प्रगट करने का स्थान है डेमोक्रेसी में, मगर वह पब्लिक प्लेट फार्म है। राजस्थान विधान सभा केवल इसके सदस्यों के लिए है। मैं किसी केस के मैरिट-डीमैरिट में नहीं जाता, लेकिन एक चीज निश्चित रूप से कह सकता हूं, वह यह है कि यदि यह सदन चीजों को लाइटली लेगा तो बहुत मुमकिन है कि इस प्रकार के उद्वेलित दिमाग शायद कभी भी सदन को ठीक से काम करने का अवसर नहीं देंगे। उस दिन दो अध्यापक आये थे, आज दो एडवोकेट आये हैं, कल कोई और काम करने वाले आयेंगे, परसों विद्यार्थी आयेंगे, तरसों मजदूर आयेंगे। डेमोक्रेसी में जहां लोगों को कहने का, अपनी बात को रखने का अवसर है, वहां अपने ऊपर नियंत्रण करने की भी आवश्यकता हो जाती है। डेमोक्रेसी कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकती है यदि अनियंत्रित लोगों के विचारों को उद्वेलित रूप से चलने दिया जाय। इसलिए आवश्यक है कि हम सीमा को ध्यान में रख कर चलें। मैं निश्चित रूप से उन लोगों में और इन लोगों में भेद करके चलता हूं, चाहे उन लोगों ने झूठ भी कहा हो, टीचर्स ने कि हमें पता नहीं था कि सदन की मर्यादा भंग होती है, एडवोकेट भी कह सकते थे कि इससे आपकी मर्यादा भंग होती है। जब सोच समझ कर, डिटरमिन वे में सदन की मर्यादा भंग करने के लिए आना चाहते हैं, उसके बदले में आप कहना चाहते हैं, हम हाथ जोड़ते हैं सदन की मर्यादा भंग की फिर भी हम आपको माफ करते हैं—ऐसी आपकी अपेक्षा है तो मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रस्ताव पास कर दीजिये, कह दीजिये कि सदन की मर्यादा भंग नहीं होती है चाहे कोई जूता मार दे आकर। दूसरी चीज नहीं चल सकती। पब्लिक लाइफ में एक प्रकार से उचित चीज को लेकर चलना होगा और वह चीज यह है कि इस सदन के सदस्यों को, अध्यक्ष महोदय के सामने, अनइन्टरप्टेडली अपनी बात कहने का और कार्यवाही करने का अधिकार होना चाहिए। यदि बाहर का व्यक्ति आकर यहां विक्षेप पैदा करता है तो सदन की मर्यादा को भंग करता है। माननीय सदस्यों ने, जिन्होंने भी यहां पर राय व्यक्त की, उनमें से किसी ने यह नहीं कहा है कि उन्होंने अच्छा काम किया है, इसलिए मैं उनकी इस बात को तो सही रूप में लेकर चलता हूं कि सदन की मर्यादा भंग हुई है उसमें हम सब लोग एकमत हैं किन्तु मैं इस राय से सहमत नहीं हूं कि सदन उठने तक की सजा उन्हें दी जाय। एक दो माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिया है कि तीन दिन तक के लिए उन्हें सजा दी जाय, मैं अपनी ओर से संशोधन रखता हूं, चीफ व्हिप महोदय ने जो प्रस्ताव रखा है, उसमें और यह निवेदन करता हूं कि इस संशोधित प्रस्ताव को सर्वानुमति से स्वीकार किया जाय क्योंकि सदन की मर्यादा की रक्षा बाहर की ताकत नहीं कर सकेगी। आपको लोगों के अन्दर विवेक जाग्रत करना होगा और उन्हें यह समझाना होगा कि इस प्रकार की कार्यवाही अनुचित कार्यवाही है, इस प्रकार का कदम अनुचित कदम है, इस प्रकार करना ठीक नहीं है। कभी कभी मनुष्य को अपने भावों, उद्वेगों को भी दबाना सीखना चाहिए। यदि वह नहीं सीखता है तो हमारी डेमोक्रेसी कभी भी फंक्शन नहीं कर सकेगी।

इसलिये अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि हमें इसे विवेकपूर्ण ढंग से समझना चाहिये। और अगर हम इसे विवेकपूर्ण ढंग से नहीं

(श्री हरिदेव जोशी)

समझेंगे तो इस सदन में कोई भी आकर बाहरी व्यक्ति कुछ भी करके चला जायेगा। और अगर हमने उसके लिये कार्यवाही नहीं की तो इससे हमारी जो डेमोक्रेसी है, हमारा जो प्रजातन्त्र है उसको चोट पहुंच सकती है। इसलिये इसके लिये हमें सोच विचार कर काम करने की जरूरत है। अगर हम स्थिति के अनुसार कार्यवाही नहीं करेंगे तो आने वाले जमाने के लोग ये कहेंगे कि इसके लिये राजस्थान का यह सदन दोषी है प्रजातन्त्र को राजस्थान में वीक करने के लिये। लोग कहेंगे कि राजस्थान में ऐसे लोग थे जिन्होंने राजस्थान में डेमोक्रेसी को इस प्रकार से कमजोर किया। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं यह सुझाव देता हूं कि जो सजा प्रोपोज की गयी है सात दिन, उसके बजाय तीन दिन की सजा रखी जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संकल्प श्री खेतसिंहजी चीफ व्हिप ने रखा कि इन दोनों अभियुक्तों को सात दिन की सजा दी जाय उसमें जो संशोधन श्री फूलचन्दजी जैन ने रखा और सदन के उपनेता महोदय ने भी उसे स्वीकार किया कि इन अभियुक्तों को सात दिन के बजाय तीन दिन की सजा दी जाय उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संकल्प यथा संशोधित स्वीकार किया गया।

श्री केदारनाथ : Under protest.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : We object to this.

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मांग संख्या 19 20 व 39 पर अग्रेतर विचार एवं उनका पारण

Now Shri Kedar Nath will continue.

श्री केदारनाथ : तो मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमारी रूरल इकोनोमी को एग्रीकल्चर के द्वारा किस तरह हम बिल्ड कर सकते हैं। आज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उदयपुर में है। हमारे भारत सरकार ने एग्रीकल्चर के लिये इम्प्रूव्ड टैकनक के लिये स्कीम्स दी हैं, वे सिर्फ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अन्दर ही हो सकती हैं। लेकिन अभी तक हमारे उदयपुर में यूनिवर्सिटी ने उन स्टैंडीज को कन्डक्ट करना शुरू नहीं किया है तो मैं देखता हूं कि हमारी गवर्नमेंट उसको कितने हद तक जस्टिफाई कर सकती है।

(5.43 सायं)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मैं आपसे निवेदन करूंगा, मान्यवर, कि आज जो जो स्टैंडीज हमारे यहां की जा रही उदयपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वह अप टू दी मार्क नहीं है—एटमोस्फिट स्टैंडीज के फार फोर नहीं है—लक्चरार्स और स्टूडेन्ट्स में जो अन्डरस्टेन्डिंग होना चाहिये वह नहीं है। कुल अटमोस्फियर नहीं होने से जो हम बात पैदा करना चाहते हैं वह नहीं हो रहा है। इसके अलावा मान्यवर, मेरी मान्यता यह है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वहां होगी जहां पर कि स्टूडेन्ट्स को उसकी स्टडीज के प्रोसपेक्ट्स हो। प्राइयोरिटी इन्स्टीट्यूशन के खोलने की वहां दी जाय जहां पर एग्रीकल्चर ज्यादा होती हो। इसलिये मैंने मांग पेश की है कि अब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खुले वह

(श्री केदारनाथ)

गंगानगर में एस्टेब्लिश की जाय । अभी फोर्थ फाइव इयर प्लान के अन्त तक इम्प्रूव्ड टेक्नोलोजी के अन्तर्गत खेती के विकास के लिये कुछ प्रोजेक्ट्स हाथ में लिये जायेंगे । वैसे मान्यवर, अभी दो साला कार्य एक्सपेरीमेन्ट्स गवर्नमेंट कर रही है कुछ प्रोजेक्ट्स भी कायम किये, लेकिन ये अगर आंकड़े हैं तो आपको पता लगेगा कि इसकी हालत डिटेरियोरेट हुई है । पहले जो हालत पावरटी की 23 प्रतिशत थी वह 32 प्रतिशत हुई फिर अब उसका नम्बर 43 पर्सेन्ट हो गया है । इसका मतलब हम पोवरटी में डिमनिशिंग पोइन्ट नहीं जा रहे। इसलिये मेरा मान्यवर, यह सुझाव है कि गवर्नमेंट को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये ज्यादा से ज्यादा ऐरिया इर्रीगेट हो सके और प्रोडक्शन बढ़ सके तो हम इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं । हमारा जो पर एकड़ प्रोडेक्शन है उसे बढ़ाना होगा । मैं मानता हूं कि गवर्नमेंट काम कर रही है लेकिन फिर भी जिस प्रकार यह सब आर्गेनाइजेशन काम कर रहा है वह प्रोपरली काम नहीं करते, फैल्योर हो रहा है । आज हमें एग्रीकल्चर के साथ इन्डस्ट्रियलाइजेशन के एक्सपान्शन की जरूरत है आज हमारे यहां एक इन्डस्ट्री शुगर फैक्ट्री की है वह भी ठीक तरह से काम नहीं कर रही है । हम उसे भी गन्ना पूरा सप्लाई नहीं कर सकते और चुकन्दर की फसल से उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं । इसी प्रकार हमें कॉटन के प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत है । हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि हम अपनी एग्रीकल्चर को सेचूरेटेशन पोईन्ट पर पहुंचा सकें । लेकिन आज तक हम ऐसा नहीं कर पाये हैं । कॉटन और व्हीट की प्रोडक्शन भी पर एकड़ कम है । आज समय पर काश्तकार को पानी इर्रीगेशन के लिये नहीं मिलता । ट्रेक्टर्स उपलब्ध नहीं होते, सीड्स अच्छी किस्म की नहीं मिलती और न ही फर्टीलाइजर ही फार्मर्स को टाइमली मिल रहा है जिससे यह सभी हमारे प्लान्स सक्सेसफूल नहीं हो रहे हैं । वैसे हमने कृषि के बारे में एक बिल पास किया फिर उसमें एमेन्डमेन्ट्स किये वह बिल सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया लेकिन अभी तक रिपोर्ट ऑडिट नहीं हुई है । मैं चाहता था, मान्यवर, कि जो एमेन्डमेन्ट्स किये, उस बिल में उन्हें इनकोरपोरेट किया जावे ।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

अभी आप होलसेल ट्रेड को हाथ में ले रहे हैं लेकिन आपने उसके बारे में भी प्रोपर काम नहीं किये । इसके अलावा फोडर प्रोडक्शन सैन्टर के लिये भी आपको व्यवस्था करनी चाहिये । फोडर बैंक्स बनाने की जरूरत है ताकि वो काश्तकारों के काम आ सके । आज राजस्थान केनाल ऐरिया में और चम्बल के ऐरिया में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है आज हम फेल हो रहे हैं उसका कारण एक प्रोपर मार्केटिंग फैसीलिटीज की भी व्यवस्था होनी चाहिये । मान्यवर, मेरा निवेदन है कि हमें डबल क्रोपिंग के साथ मल्टीपरपज इन्टेन्सिव कल्टीवेशन की ओर ज्यादा ध्यान देने की है।

अन्त में यह कहते हुए कि इस डिमान्ड को केवल यहीं तक सीमित न करें कि डिस्कशन हो जाय, बहस हो जाय और यह पास हो जाय । हरियाणा और पंजाब में जिस प्रकार से किया जा रहा है, उसी प्रकार के यहां भी किया जाय कि नये तरीके और टेकनिक को किसानों ने वहां अपनी लाइफ का पार्ट बना लिया उसी प्रकार यहां भी हो और इस ओर राज्य सरकार ध्यान देगी इन्ही शब्दों के साथ में अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमृतलाल गहलोत ।

श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा, जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पांच कटौती प्रस्ताव हैं। हमारा कृषि उत्पादन का साईकिल पिछले तीन वर्षों में और इस वर्ष में फिर रिपीट कर रहा है। सन् 1969-70 में कृषि का उत्पादन भयानक अकाल के कारण, सूखे के कारण एक दम गिर गया था। '70-71 एक बहुत ही अच्छा वर्ष गुजरा। शायद राजस्थान की एक शताब्दी में ऐसे वर्ष कम ही हुए होंगे। एक दम उत्पादन बढ़ गया। 88 लाख टन का उत्पादन हुआ। 71-72 में फिर उत्पादन गिरा और 64 लाख टन पहुंच गया और इस वर्ष तो 54 लाख टन पहुंच गया। तीन वर्ष पहिले और इस वर्ष में उत्पादन लगभग 40 प्रतिशत गिर गया। पिछले वर्ष आत्म संतोष हुआ था कि स्वतन्त्रता के पश्चात् हमारा खाद्यान्न का उत्पादन उम्मीद से ज्यादा बढ़ गया है लेकिन फिर वह धुमिल हो गया है। क्या हरित क्रान्ति ने यह चमत्कार किया, उसका मूल्यांकन आप कर सकते हैं। चार साल पहले हमारे यहां जितने कुएं विद्युत् किये गये इन पिछले चार वर्षों में नये 40 हजार कुओं पर विद्युत् पहुंचायी गयी है। जहां तक खाद का प्रश्न है, उर्वरक का प्रश्न है, जो आंकड़े कृषि विभाग ने दिये हैं अनुमान लगा रहे हैं कि इस वर्ष 60 हजार टन के लगभग नाइट्रोजन, 23 हजार टन के लगभग फास्फेट और 7 हजार [टन लगभग पोटेशियम ओक्साइड काम में लिये जावेंगे। चार साल पहले यह मात्रा थी। अर्थात् 45 हजार टन उर्वरक इन टर्म्स ओफ न्यूटीएट। एक आंकड़ा और दिया है विभाग की रिपोर्ट में। उन्नत बीज, शंकर बीज और विदेशी बीज का उपयोग। ये बीज भी पांच वर्ष पहले 17 हजार हेक्टर में थे अब बढ़कर 9 लाख हेक्टर में पहुंच गये हैं। इतना इम्प्रूवमेन्ट करने के बाद भी, इस वर्ष इतना सूखा नहीं है जितना कि 69-70 में था, फिर भी उत्पादन कितना हुआ? लगभग 15 परसेन्ट अधिक पहुंचा है। इसका मूल्यांकन किया जा सकता है कि हम हरित क्रान्ति की उम्मीद करते थे कि उत्पादन बढ़ेगा वह बढ नहीं पाया और आज भी हमारा भाग्य इन्द्र भगवान् के भरोसे पर है। हमें इसके लिये कुछ गहरा चिन्तन करना पड़ेगा। मैं इसके लिये सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने स्पेशल शीड योजनायें बनायी हैं उपयोग में लाने के लिये और आपने प्रयास किये हैं वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त किया किया जा रहा है उसके लिये विभाग के अधिकारी और सरकार धन्यवाद के पात्र हैं।

यह पर्याप्त नहीं है। किसी चीज का रिसर्च और एक्सटेंशन भिन्न 2 हैं। एक अनपढ़ तक पहुंचाना उस चीज को मुश्किल मामला होता है। इन नये 2 बीजों ने नयी बीमारियां और समस्यायें पैदा कर दी हैं उनका निराकरण करना भी जरूरी है। पानी की हमारे प्रदेश में कमी है। हम इन्द्र भगवान पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। वैज्ञानिक प्रगति केवल एक्स्पेरीमेंट्स हैं। पानी कहां से लायें? एक बड़े ताज्जुब की बात है कि तीन पंचवर्षीय योजना और तीन वार्षिक योजना और यह चौथी पंचवर्षीय योजना, 23 वर्ष हो जावेंगे। राजस्थान केनाल के अलावा सिंचाई योजनाओं पर हमने 300 करोड़ रुपया व्यय किया है और उसका नतीजा क्या निकला है? राज्य सरकार को सिंचाई की आमदनी होती है वह तीन करोड़ की होती है। 30 लाख रुपया बेटरमेन्ट लेवी से मिलता है। 3 करोड़ की आमदनी और 3 करोड़ रुपया तो इन बांधों की मरम्मत

(श्री अमृतलाल गहलोत)

में लग जाता है तो बताओ कि इन योजनाओं का ब्याज किस प्रकार से उपलब्ध होगा। उन विदेशों की ओर गौर कीजिये जहां सम्पन्नता नजर आती है। वहां पर एक एक प्रोजेक्ट की अच्छी प्रकार से स्टडी करते हैं और आंख मींच कर डम्प नहीं करते हैं पैसा। हम पाते हैं कि हमारे यहां हमारी सिंचाई योजनायें ठीक ढंग की नहीं हैं। 1 करोड़ रुपया लगा कर एक सिंचाई के लिये बांध बनाते हैं जो 5 हजार एकड़ भूमि को सिंचित करता है। उस अप-स्ट्रीम की पांच हजार एकड़ भूमि की सिंचाई के बदले हम डाउन-स्ट्रीम की जो दस हजार एकड़ की सिंचित भूमि है उसको बंजर कर देते हैं। बताओ यह कैसी योजना है? गांव के गांव इन सिंचाई योजनाओं से आप नष्ट करते जा रहे हैं। इनके बारे में आपको सोचना होगा। जो कुछ हमारा भविष्य इस वक्त नजर आ रहा है वह नजर आ रहा है राजस्थान केनाल पर। भाखरा पर। भाखरा में पानी बढ़ेगा। सतलज व्यास, और रावी व्यास को जोड़ा जा रहा है जिससे राजस्थान केनाल में और भाखरा में पानी बढ़ेगा। गंगानगर में रेगिस्तान था 300 फीट गहरे कुए थे। वहां पर नहर आने से वहां के कुओं का भूजल स्तर 80 90 फीट के करीब हो गया। ज्यों ज्यों नहर का पानी लाया जावेगा वहां का भू जल भी बढ़ता जावेगा।

एक चीज की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कांग्रेस के मेनिफेस्टो में है कि गंगा को कावेरी से जोड़ा जावेगा। मैंने इसकी रूपरेखा को देखा है। पटना के पास से यह नहर निकलेगी। कुछ किलोमिटर आगे जाने के पश्चात् 2 हजार फीट तक इसको लिफ्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में वह ढलाई के आधार पर दक्षिण की ओर बढ़ेगी और वह नर्मदा में गिरेगी और कृष्णा तक पहुंचेगी। उसके बाद में 300 फीट का लिफ्ट दिया जावेगा और वह कावेरी तक पहुंचेगी। 2800 करोड़ रुपया इस पर चाहिये। मैं नहीं समझ पाता कि इतनी जो कोस्टली योजना है वह राजस्थान में क्यों न लायी जाय। यहां राजस्थान में उसको 2 हजार फीट लिफ्ट की जरूरत नहीं है। यहां तो 500 या 600 फीट लिफ्ट की जरूरत होगी और तीन हजार किलोमीटर की भी आवश्यकता नहीं होगी। हो सकता है 800 या 700 किलोमीटर में आ सकेगी। यदि राजस्थान की इस प्यासी भूमि को पानी उपलब्ध हो जाय तो यह सोना उगलेगी।

जो भूतल में पानी है उसका भी उपयोग किया जाना चाहिये। नये 2 अन्वेषण और आविष्कार हो रहे हैं। रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक इस ओर प्रयास कर सकते हैं। ईरिगेशन कमीशन ने इजराइल में स्प्रिन्किलिंग ईरिगेशन और ड्रिप ईरिगेशन होता है, उसके लिये कहा है। यह ड्रिप ईरिगेशन तो मेरी समझ में आया नहीं। परन्तु स्प्रिंकिलिंग ईरिगेशन जैसलमेर जिलें में मैंने देखा है। इसके द्वारा इजराइल ने जरूर बहुत उत्पादन में वृद्धि की है और इतना कीमती पानी लाते हुए भी इतना फल पैदा करते हैं वे कि दुनियां के व्यापार में महत्वपूर्ण हिस्सा लेते हैं।

हमें ड्रिप ईरिगेशन की तरफ ध्यान देना चाहिये।

गंगा कावेरी का मसला खड़ा किया है। इसे कांग्रेस के मेनीफेस्टो में रखा है। इसमें से अपना सही भाग लेने के लिये हमें पहले से योजना बना लेनी चाहिये।

(श्री अमृतलाल गहलोत)

दूसरा मेरा प्रस्ताव था चांदन के फार्म के बारे में। अक्टूबर में एस्टीमेट कमेटी के टूर के सिलसिले में मैं जैसलमेर गया। रास्ते में सघन स्प्रिकलर इर्रिगेशन के तरीके को देखा और कृषि फार्म को भी देखा। उत्पादन के बारे में भी पूछा। पर पूरी निराशा ही हुई। 103 के करीब जानवर हैं। प्रति जानवर तीन चार किलो प्रति दिन दूध देते हैं। जो स्प्रिकलर इर्रिगेशन से ग्रास होती है। वह पर्याप्त नहीं होती। इसलिये उन जानवरों के लिये भी घास बाहर से लानी पड़ती थी। एक लाख का फिर भी घाटा उसमें साल का रहता है। यदि यह सही है तो यह मोडल फार्म कैसा मोडल है, और किसानों को क्या यह आकर्षित करेगा, किसानों को क्या इन्सेन्टिव देगा ? कितना अच्छा ये सांड पैदा करते होंगे ? और जिस स्प्रिकलर इर्रिगेशन के जरिये यह सारी चांदन योजना बनी है उसका क्या उपयोग होगा। हम नया चारागाह तैयार करना चाहते हैं, उसके लिये कौनसा नया कदम होगा। इस बारे में मुझे आशा है मन्त्रीजी यहां प्रकाश डालेंगे।

फरटीलाइजर वितरण की जो योजना है जो प्रणाली है, वह दोषपूर्ण है। इसका नतीजा क्या हुआ ? वह यह हुआ कि पचास रुपये की यूरिया की बोरी 80 रुपये में बिकी। आप देख लीजिये कि मैं जोधपुर कोआपरेटिव मारकेटिंग सोसायटी की बात करता हूं। नवम्बर में बीस टन फरटीलाइजर देने के लिये क्रय विक्रय संघ के पास रुपया जमा कराया। पर अभी तक यूरिया पहुंचा नहीं। और प्राइवेट विक्रेताओं को वह लगातार मिलता गया। किसान परेशान होकर उनसे ऊंचे भावों पर खरीद कर फसल के समय ले गये। सीजन समाप्त हो गया तब तक वह यूरिया उनको नहीं मिला। सरकार को चाहिये कि भविष्य में वह अपनी वितरण प्रणाली को ठीक सजग और ईमानदार बनावे। ऐसा लगता है इसमें भी कहीं भ्रष्टाचार का घुन लग गया है। नहीं तो क्या कारण है कि प्राइवेट वाले बराबर देते गये और मार्केटिंग सोसायटी वाले मुंह ताकते ही रहे। उनको नहीं मिला, प्राइवेट वालों को मिल गया। आप इस तरह की खामियों को भविष्य में नहीं दोहरावें। वितरण की सही सजग और ईमानदार प्रणाली लागू करें। ब्लेक मार्केट से खरीदने की परेशानी से किसान को राहत दें। समय पर वितरण करावें।

विपणन के सम्बन्ध में भी थोड़ा मैं निवेदन करूंगा। गत वर्ष इस डिमाण्ड के रोज मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि जो इस वक्त एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वितरण विपणन विधेयक में खामी है या किन्हीं नई चीजों का उसमें समावेश करना है तो उसके लिये शीघ्र ही आर्डिनेन्स लाकर सुधार कर देंगे। आज उस बात को 11 महीने गुजर गये उस आश्वासन को परिणत करने की सूरत नजर नहीं आई। सारा सवाल कैबिनेट में गया, ला डिपार्टमेंट में गया और उसके न होने से यह हाफ हार्टेड एप्रोच सा लगता है। यह हाफ हार्ट एप्रोच मार्केटिंग कमेटियों के काम को नुकसान पहुंचावेगा। यदि आप चाहते हैं कि किसान की उपज का उचित मूल्य उसे मिले और अधिकतम मूल्य उसको मिले तो शीघ्रातिशीघ्र इस दिशा में कारगर कदम उठाना चाहिये। आप बता दीजिये कि फलां दिन तक यह जरूर कर देंगे। पिछले साल का वादा है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिसिंह।

श्री हरिसिंह (वेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि के विषय में मेरे दो कटौती

(श्री हरिसिंह)

प्रस्ताव हैं और एक पशु पालन विभाग के सम्बन्ध में है। मुख्यतः एक कृषि उन्नति के परिप्रेक्ष्य में गति लाने के सम्बन्ध में हैं। दूसरा है कृषि अन्वेषण के सम्बन्ध में।

कृषि का जहां तक सम्बन्ध है इस देश में अनादि काल से कृषि कार्य एवं उससे सम्बद्ध कार्य किये जा रहे हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से हम देखें तो सिन्धु घाटी सभ्यता, करीब पांच हजार वर्ष पूर्व ईसा मसीह के पूर्व, वहां कुछ चावल के अवशेष मिले, उसके पहले भी हमारे बहुत प्राचीन धार्मिक ग्रन्थों में खास तौर से ऋग्वेद में कई ऐसे उसमें उल्लेख आते हैं। अतः यहां पर कृषि के कितने प्राचीन समय से कार्य किये जा रहे हैं, इससे प्रतीत होता है। कृषि में यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एशिया के अन्दर भारतवर्ष बहुत ही प्राचीन देश रहा है जो कि कृषि अनादि काल से करता आ रहा है और इस वजह से हमारे यहां की जो समस्याएें हैं वे दूसरे योरोपियन देशों के विकसित देशों से भिन्न है एवं जो एक निराशा हम कई बार देखते हैं जब तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं कि आज अमेरिका में जो कुछ उपलब्धि उन्हें हो रही है, वह हमारे यहां की कण्डीशन्स में वे वही के इनपुट देने के बाद में भी हम उस लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंच सकते हैं। इससे कई बार निराशा हो जाती है।

पर इस संबंध में उपाध्यक्ष महोदय, हम हमारे प्राचीन को नहीं भुला सकते। हमारी परिस्थितियों को जब देखें तो हमें मालूम होगा कि हमारी बिल्कुल ही भिन्न परिस्थितियां हैं तौर इस देश में हजारों वर्षों से कृषि की जा रही है इसलिये वहां की भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वह निश्चित रूप से घट गई है और जो योरोपियन देश हैं दूसरें, उनमें चूंकि कृषि हमारे देश से बहुत समय बाद प्रारम्भ हुई है, और हजारों क्या सेकड़ों वर्ष भी जहां कृषि के प्रारम्भ को नहीं हुए हैं तो इसलिये वहां की उर्वरा शक्ति भी हमारे जितनी नहीं घटी है। इसलिये वहां से यहां की तुलना करना कदापि ठीक नहीं होगा।

अतः उत्पादन के आंकड़ों को हम केवल इस तरह से सोचें कि बीज या खाद की कमी की वजह से या अमुक वजह से उत्पादन में लाखों टन की कमी हो गई तो मैं समझता हूं कि इस तरह से सोचना, इस विषय के साथ न्याय करना नहीं होगा। हमें इस विषय को गहराई से समझना होगा कि आज जो हमारे उत्पादन में अस्वाभाविक गिरावट का मुख्य कारण क्या है और उसको हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। अगर इसमें नीति हमारी दोषपूर्ण है तो कहां पर है और उसको हम किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। इसको इस परिप्रेक्ष्य में लिया जावे तो ज्यादा उचित यह होगा।

हमारे राज्य को ही लें, जहां कि 80 प्रतिशत जन संख्या गांवों में रहती है और 62 प्रतिशत जनसंख्या का जीविकोपार्जन सीधा कृषि से है। हमारी आर्थिक स्थिति के अंदर हमारी दोनों प्रथम और द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं के सन्दर्भ में हम देखें तो करीब कृषि एवं इससे सम्बद्ध कार्यों द्वारा 46 प्रतिशत राज्य आय के अंदर योगदान रहा है।

अब रहा सवाल कि हमारे यहां पर उत्पादन में सन् 52 में करीब 28 लाख टन जहां हुआ, इसके बाद में लगातार एक वर्ष अच्छा रहा, फिर तीन वर्ष खराब रहे और 28 से 32 लाख टन रहा और उसके बाद हमारा एग्रीकल्चर जो सबसे बढ़िया रहा वह 70-71

(श्री हरिसिंह)

का है जिसके अंदर 89 लाख टन का खाद्यान्न उत्पादन हुआ। 71-72 के अन्दर वापिस रेन-फाल की अनिश्चितता से 68.70 लाख टन ही रह पाया। इस तरह करीब 19 लाख टन के करीब शार्ट फाल रहा और जो 72-73 वर्ष है उसमें 54.00 लाख टन की उपलब्धि हुई और इसको अगर हमारे वीक उत्पादन से देखा जाय तो करीब 34 लाख टन का शार्ट फाल रहा तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं 73-74 का जो अनुमान लगाया जा रहा है 77 लाख टन का अच्छा हो किसी प्रकार यही रहे बल्कि इससे ज्यादा बढ़े। परन्तु जो शार्टफाल रहा है उससे निश्चित रूप से मालूम होता है उत्पादन के अंदर निश्चित रूप से बहुत बड़ा असन्तुलन रहा है, इसकी गहराई में जाना आवश्यक है।

मैं समझता हूं कृषि उत्पादन में असंतुलन के कारणों के लिये दो विभाजन कर दियें जांय सबसे पहले जो प्राकृतिक है और दूसरा है इनफ्रास्ट्रक्चर। प्रकृति में रेनफाल की जो नेचर है मैं उसमें विशेष निवेदन नहीं करूंगा परन्तु जो नेचर मानसून का ट्रेन्ड है हमारे यहां पर और उसके अन्दर जो प्रेसर के अंदर डेवियेशन हो जाते हैं और उसके अंदर जो मानसून में परिवर्तन महसूस होता है खास तौर से हाई प्रेसर एवं लो प्रेसर बन जाते है और जब मानसून ऐसे इलाके में गुजरते हैं और जहां कि 55. प्रतिशत हिस्सा शुष्क और अर्द्ध शुष्क है तो उस 55 प्रतिशत से जब गुजरते है तो वर्षा होने के बजाय तीव्र गर्मी के कारण वह मानसून और ऊंचा चला जाता है। यह आवश्यक है कि हम किसी तरह वन सम्पदा की रक्षा करें और वह भी वार फुटिंग पर। बीज, खाद को लेकर शार्ट फाल का प्रोडक्शन जोड़ दें तो यह न्याय संगत नहीं होगा। इस प्रकार की जो केलेमिटीज है उसमें बहुत बड़ा रेन फाल का फेक्टर आता है। भौगोलिक स्थिति से भी इसका सीधा सम्बन्ध है। दूसरा है इनफ्रास्ट्रक्चर, इनफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मैं निवेदन करूंगा जो हमारी फर्टीलाइजर की स्थिति है वह यह है कि वह समय पर मिल रहा है या नहीं। प्रायः सभी जिलों के अंदर मैं समझता हूं जो वितरण की व्यवस्था रही है वह दोष पूर्ण रही है। जो फर्टीलाइजर आसानी से समय पर उपलब्ध होना चाहिये था वह समय पर नहीं जाने से प्रतिकूल असर पड़ता है, निश्चित तौर से। हांलाकि हमारे टार्गेट 73-74 के करीब फर्टीलाईजर के चार लाख टन के करीब है और हाई यील्डिंग वैराइटी प्रोग्राम भी जहां 12 लाख हेक्टर के अंदर है जिसमें करीब दो लाख क्विन्टल बीज का इन्वोलमेंट है। मैं समझता हूं काफी एम्बीशस प्लान है परन्तु जो रसायनिक खाद के वितरण की व्यवस्था है वह दोष पूर्ण रहे तो यह लक्ष प्राप्त करना मैं समझता हूं बड़ा मुश्किल होगा। इस विषय में मैं एक निवेदन करू, मेरा एक सुझाव है अभी कुछ समय पहले उदयपुर में देवारी प्लान्ट को मैंने देखा और उसमें मैंने वहां की आथोरिटीज को सुझाव दिया कि जो वहां पर बाईप्रोडक्ट फोस्फेट के रूप में मिलते हैं तो जिन्क स्मेल्टर प्लान्ट के अलावा यदि अमोनिया प्लान्ट भी वहां स्थापित कर दिया जाय तो फासफोरस में अमोनिया गेस पास करने से अमो-फोस के रूप में कई लाख टन प्रति वर्ष उत्पन्न हो सकता है और सिंगल सुपरफास्फेट फर्टीलाइजर आज आधुनिकतम कृषि में कोई स्थान नहीं है और काम में नहीं लिया जाता है तो मार्केट के अंदर उसकी कोई डिमान्ड नहीं है। उसके बजाय मेरा सुझाव है कि अमोनिया प्लान्ट शीघ्र लगा दिया जाय। हांलाकि यह एक

(श्री हरिसिंह)

करोड़ से ऊपर इन्वोलमेंट होगा परन्तु जो कम्पलेक्स फर्टीलाइजर की डिमान्ड है, उसकी बहुत कुछ पूर्ति की जा सकती है और जो वह प्रोडक्ट निकलेगा वह मार्केट के अंदर आज की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेगा।

एक फर्टीलाइजर प्लान्ट के लिये वैसे चित्तौड़गढ़ में सर्वे किया जा चुका है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पांच मिनिट। उसके संबंध में मैं थोड़ा निवेदन करूं। चित्तौडगढ़ जिले की सम्भावना को देखते हुये, वहां के स्कोप को देखते हुये यह आवश्यक होगा कि वहां फर्टीलाइजर प्लान्ट की स्थापना शीघ्रातिशीघ्र हो। कोई और दूसरे फेक्टर न आयें। पानी की जो अवेलेबिलिटी है वहां पर, फर्टीलाइजर का उत्पादन हो और बड़े पैमाने पर हो, यह अत्यावश्यक है।

एक मैं एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में निवेदन करूंगा जो मैंने पिछले सत्रों में भी निवेदन किया है। मैं समझता हूं उसको सही तरीके से नहीं लिया गया है या फिर सरकार ही इसे क्रियान्वित करने का विचार नहीं रखती है। जो मेरा पहले सुझाव था कृषि विभाग के अंदर और सिद्धान्त: उस पर निर्णय भी लिया जा चुका है। पहले एग्रीकल्चर में अप्लाइड रिसर्च और फण्डामेन्टल रिसर्च को अलग अलग रखकर फण्डामेन्टल रिसर्च तो युनिवर्सिटी को दे रखा था। और अप्लाइड रिसर्च को डिपार्टमेण्ट रख रखा था। मेरा सुझाव था कृषि का संपूर्ण रिसर्च युनिवर्सिटी को दे दिया जाय ताकि रिसर्च विषय को और आगे बढ़ाया जा सके और एक योजनाबद्ध तरीके से काम को किया सके। महाराष्ट्र और नजदीक के प्रान्त के लुधियाना में बहुत ही अच्छा काम किया गया है। राज्य ने फेज्ड मेनर में रिसर्च युनिवर्सिटी को दिया गया है, वह अनुचित है अतः इस पर अविलम्ब विचार होकर मैं माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा, जो कि स्वयं इस विषय में बहुत ही दिलचस्पी रखकर कार्य करते हैं हम रिसर्च जैसे सबजेक्ट में किंगडम जैसा न माने और यह न माने कि दुर्गापुर फार्म विश्वविद्यालय को चली जायगी तो हमारी हुकूमत कम हो जायगी। यह हास्यास्पद है कि बांसवाडा एवं डूंगरपुर का फार्म पहले युनिवर्सिटी को दिया है। मैं समझता हूं यह वैसे ही हुआ जैसे कि बीमार आदमी को मरने भी नहीं देना और दवा भी बराबर देते रहना कहां तक न्याय संगत है। रिसर्च का जो मतलब निकलना चाहिये वह इस तरह हरगिज नहीं निकलेगा।

श्री सभापति : श्री चतुरभुज।

श्री चतुरभुज (टोडारायसिंह) :उपाध्यक्ष महोदय, मेरे भी कटौती प्रस्ताव कृषि के बारे में हैं और मैं आपके माध्यम से कृषि के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि यह विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं आपके द्वारा राज्य सरकार से कहना चाहता हूं कि आजादी आई और जब राजस्थान की जिम्मेदारी हमने अपने हाथ में ली तो वह नक्शा हमारे सामने आया है कि करोड़ों रुपया हम कृषि पर खर्च करने जा रहे हैं और मैं यह कहना चाहता हूं कि कृषि में हमारा जितना पैसा लग रहा है वह पूरे उपयोग में नहीं आ रहा है। हरित क्रांति के अंदर किसी ने भी नहीं बताया कि कृषि किस स्थान से पैदा होती है, अनाज का उत्पादन किस स्थान से से होता है। वैराइटी हर किस्म की होती है। हमारे पास हजारों किस्म की जमीन है और वह अलग अलग वैराइटी अलग अलग पानी

(श्री चतुरभुज)

मांगती है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार इस विषय पर बहुत जिम्मेदारी से सोचे नहीं तो मैं सुझाव देना चाहता हूं कि दस, पांच वर्षों में गोलिया बांटनी पड़ेंगी, यह दशा हो जायेगी। यह मानकर चलें कि हम क्या करेंगे और राजस्थान की जनता को किस तरह से जिन्दा रखेंगे। अन्न के बिना क्या दशा होगी हमारी? इसलिये मैं सुझाव देना चाहता हूं कि वर्तमान में हमारे करोड़ों रुपये लग रहे हैं और मैं कृषि मंत्री जी से कहूंगा कि हर स्थान पर आज फेमिन चल रहा है और संकट काल है तो जितने भी काम है मोरियां वगैरह के वह हाथ की हाथ बनाये जाये तो लाखों मन अनाज ज्यादा पैदा हो सकता है। रिलीफ के अंदर बहुत से काम हुए लेकिन करोड़ों रुपया लगाकर भी वहां न तो मोरियां हैं और न चद्दर हैं, यह बड़े दुख की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमको देखना होगा और जिम्मेदारी भी राज्य सरकार को लेनी होगी कि राजस्थान की जनता को हम अनाज कैसे देंगे। अनाज, पशुधन और उद्योग के ऊपर भी राज्य चलता है और अगर इस बात पर बहुत गम्भीरता से नहीं सोचा, तो हो सकता है कि आगे क्या होगा इस देश का और राजस्थान का, पता नहीं। इसलिये मैं इस विषय पर सरकार से कहना चाहता हूं कि आज हमारा पशुधन कम होता जा रहा है। भरतपुर और दूसरी जगह या तो बरसात होती ही नहीं, और होती है तो बहुत हो जाती है और कहीं एक छींटा भी नहीं होता है। यह आये साल अकाल क्यों है? इसके ऊपर गम्भीरता से सोचना चाहिये। हम तो राज्य सरकार से कहना चाहते हैं कि मंत्री जी क्यों इन्द्र भगवान की बात करते हैं। हमारी प्रगति कम होती जा रही है और आये दिन हम अकाल देखते हैं, यह भी हमारे सामने दुर्भाग्य की बात है।

दूसरे, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि के बारे में आज कई माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये। कृषि, सिंचाई और वैराइटी वगैरह की जितनी भी योजनायें हैं यह एक ही स्थान पर हों और राज्य सरकार इसके ऊपर बहुत ही जिम्मेदारी से ध्यान दे। आये दिन हमारे सामने अकाल का सा नक्शा रहता है। हमारे राज्य के भागीदार आफिसर्स भी हैं और कर्मचारी भी है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिला लेवल पर कलेक्टर और कृषि अधिकारी को इसका दायित्व दें कि वह पूरी व्यवस्था करें मोरियां और चद्दर की जिससे कि अकाल नहीं हो।

इसके साथ ही मेरे जिले की एक योजना है डैम की। अजमेर, बूंदी, सवाई माधोपुर आदि पांच छः जगहों के लिये एक कल्याणकारी स्थान है। बनास नदी का पानी समुद्र में जा रहा है और उसको कोई रोकने वाला नहीं है। लोग कहते हैं कि हम भूख से मर रहे हैं और कहते हैं कि हमारे पास अनाज नहीं है लेकिन अगर यह डैम बन जाये तो उससे काफी फायदा हो सकता है। आप परिवार नियोजन पर काफी पैसा खर्च करते हैं वह बेकार जा रहा है और उस पैसे को इस तरफ लगा दें तो उससे काफी पैदावार अनाज की हो सकती है। नदी नालों को रोकना जरूरी है क्योंकि आबादी बढ़ रही है, यह आपके परिवार नियोजन से रुकती नहीं है और न रुकेगी। हम इस बात को जानते हैं लेकिन अज्ञान जनता इस बात को नहीं जानती है। आफिसर्स मालदार हैं उनको पता नहीं कि अनाज कहां से आता है और खर्चा किस तरह से होता है। गरीब जनता को

(श्री चतुरभुज)

अक्ल नहीं है, ज्ञान नहीं है और वही गरीब जनता गेहूं पैदा करती हैं लेकिन गेहूं नहीं खा सकती, घी नहीं खा सकती जब कि वह घी पैदा करती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो चीज उसके पास है वह उसी चीज को नहीं खा सकती। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में बीसल डैम की योजना जल्दी से जल्दी लागू की जाये। टोडा रायसिंह में डाई नदी है। राज्य सरकार को इसको बांधना चाहिये। इससे अनाज की पैदावार होगी। वह पानी अभी बेकार जा रहा है। उसकी तरफ ध्यान देना चाहिये वहां की जनता आपको आशीर्वाद देगी। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी योजना की तरफ जरूर ध्यान दिया जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जहां तक अनाज के राष्ट्रीकरण का सवाल है इसके बारे में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। ऐसा सुनाई देता है कि 45 क्विन्टल एक व्यापारी अनाज रख सकता है, इससे ज्यादा नहीं। हर गांव के अंदर चाहे जितना जमाना हो या चाहे अकाल हो वहां इतना तो सभी के पास होता है। अगर यह 45 क्विन्टल रख दिया तो हर मोहल्ले में दुकानें आप नहीं खोल सकेंगे और न व्यवस्था कर पायेंगे और हर गांव में घूसखोरी पैदा हो जायेगी जिसको आप कन्ट्रोल नहीं कर पायेंगे। आप यह अन्याय कर रहे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम जिसे परिवार को मानते हैं तो उनके पास नीति के अनुसार 100 क्विन्टल तक रहना चाहिए। लेकिन मैं यह साफ कहना चाहता हूं कि किसानों की मंशा के माफिक उनके पास अनाज रहना चाहिये। मैं सरकार को सुझाव देना चाहता कि राजस्थान में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कहीं पर तो अनाज में गेहूं पैदा होता है तो कहीं पर मोटा अनाज पैदा होता है। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां के लोगों को गेहूं के बारे में मालूम नहीं है। तो कई क्षेत्र ऐसे हैं जिनको मोटे अनाज के बारे में मालूम नहीं है। इसलिये मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जो किसानों की मंशा है उसके अनुसार सौ क्विन्टल उनके पास रहना चाहिये जिससे कम से कम वह गांव के अंदर जो अपने पास पड़ौस वाले हैं उनको अनाज दे सकें। गांवों में दस पन्द्रह घर तो ऐसे ही होते हैं कि जिनके यहां अनाज नहीं होता, लोग भूखे रह जाय उनको अनाज नहीं मिले तो कम से कम वे अपने अनाज से उनकी मदद तो कर सकें।

(समय–समाप्ति–सूचक अनवरत घंटी)

इसलिये मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि जो आपने अनाज रखने की सीमा रखी है उस सीमा को बढ़ा कर सौ क्विन्टल की सीमा रखी जाय।

श्री उपाध्यक्ष :श्री मुंशीलाल।

श्री मुंशीलाल महावर (बस्सी) : माननीय उपाध्यक्षजी एग्रीकल्चर की डिमाण्ड पर जो मैंने कुछ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं उन पर मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूं। यह कृषि और पशुपालन ऐसे महत्वपूर्ण विभाग हैं कि जिनके जरिए जिस देश की तरक्की निर्भर करती है। यदि आज देश में कोई तरक्की के साधन हैं तो वे हैं माईन्स, जंगल, खेती से ऊपज और पशुधन। ये चार हैं। इनमें से कृषि और पशुपालन ऐसे हैं जिनसे देश प्रगति के मार्ग

Page No.161

(श्री मुंशीलाल महावर)

पर चल सकता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में पशुधन और कृषि उपज के मामले में आज हम यहां बात कर रहे हैं। हमारे राजस्थान में इस साल में हमने देखा है कि बरसात नहीं बरसने से सूखा पड़ा और सूखा पड़ने से कृषि उपज का उत्पादन कम हुआ है। कृषि उत्पादन में कमी आने से जो महंगाई और नाना प्रकार की डिफिकल्टीज जो हमारी सरकार के सामने आई और जनता के सामने आई हैं वह किसी से छुपी हुई नहीं है। मैं इस मामले में इतना निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान भूमि के दृष्टिकोण से चार जोनों में बांटा गया है– डेजर्ट एरिया, सेमी डेजर्ट एरिया, फरटाइल एरिया और सेमी फरटाइल और कुछ पहाड़ी इलाका। मैं इसमें कुछ ठोस सुझाव देना चाहता हूं। जहां रेगिस्तानी और सेमी डेजर्ट एरिया है वहां पर बाहर की नदियों से पानी लाकर उसको नहरों के जरिये राजस्थान के उस रेगिस्तान को सर सब्ज किया जाय। दूसरी तरफ जहां पर पूर्वी राजस्थान है वहां पर जो माईनर इर्रिगेशन स्कीम्स हैं उसके जरिए ज्यादा से ज्यादा भू-जल मण्डल द्वारा सर्वे कराया जाकर माईनर इर्रिगेशन स्कीम्स लागू की जाय। तो इससे जो हमारी कृषि की सबसे बड़ी समस्या सिंचाई की है वह सिंचाई की समस्या हल हो सकती है। अगर वह समस्या हल नहीं होती है तो कृषि का उत्पादन अधिक नहीं बढ़ सकता है। हमारे यहां सखा पड़ जाने से, अतिवृष्टि हो जाने से लो प्रोडक्टिविटी होती है। प्रति एकड़ उपज में कमी होती है। जब हम अन्य देशों का मुकबला हमारे यहां की कृषि की उपज से करते हैं, यहां की खेती के बारे में तुलना करते हैं तो मालूम होता है कि राजस्थान में हमारे यहां प्रति एकड़ लो प्रोडक्टिविटी है। तो इस संबध में मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि फर्टीलाईजर्स में राजस्थान में यूरिया पैदा होता है लेकिन यहां राजस्थान में उसका अलाटमेंट कम हुआ है और जिन डीलर्स के जरिये, जिन एजेंसियों के जरिये वह खाद का डिस्ट्रिब्यूशन किया गया है उसमें हमने देखा है कि कितनी अनियमितताएं हुई हैं। काश्तकारों को ब्लेक से खाद खरीदना पड़ा है। उसी तरह से जो शीड्स का मामला है, दूसरे और कृषि उत्पादन के प्रयोजन के मामले हैं, जो कृषि इम्पेट्स हैं, जो खेती में साधन काम में आते हैं उनकी क्या स्थिति है। आज ट्रेक्टर्स के भाव देख लीजिए, पम्पिंग सेटस के भाव देख लीजिए, दूसरे शीडस के भाव देख लीजिए और इतने मंहगे साधनों को काम में लेकर जब काश्तकार खेती करता है, अन्न का उत्पादन करता है तो उसके बाद में उसको क्या रिटर्न मिलता है यह भी देख लीजिए। गवर्नमेंट ने जो भाव 74 रु० और 76 रु० निर्धारित किए हैं तो आखिर में यह कौन सी सोशल जस्टिस है। जब कि इन्हीं भावों की दर पर जब फसल आती है तो व्यापारी उनसे अनाज खरीद लेता है और खरीदने के बाद में उसको 140 रु० और डेढ सौ रुपये क्विन्टल तक बेचता है। तो मेरा यह कहना है कि वास्तव में जो सरकार ने डिस्ट्रिब्यूशन में, खाद्यान्नों के डिस्ट्रिब्यूशन के मामले में जो थोक व्यापार के राष्ट्रीयकरण का कदम उठाया है वह तो सराहनीय कदम है, लेकिन साथ ही साथ मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो किसानों की पसीने की कमाई है। काश्तकार जो खेत में दोपहरी में, जेठ के महीने में कड़कड़ाती धूप में हल चलाता है, जो सर्दी मौसम में खेत में पानी देता है उसकी कमाई के लिये सरकार कम से कम यह देखे कि कोस्ट आफ प्रोडक्शन कितनी आती है और उसका रिटर्न कितना मिलता है। या तो सरकार इस बात की गारण्टी दे कि चाहे वह इर्रिगेशन

(श्री मुंशीलाल महावर)

का मामला हो, चाहे पम्पिंग सेट्स के साधनों का प्रश्न हो, चाहे पावर का मामला हो किसी भी तरह के साधनों का प्रश्न हो उनको सस्ती रेट पर सरकार उपलब्ध करावे और हर कांस्टीट्यूएंसी में इस तरह के यूनिट्स कायम कर दे, ट्रेक्टर्स के यूनिट कायम कर दे, इसके अलावा फर्टीलाईजर्स के यूनिट कायम कर दे, ताकि सरकार उनके लिये और कुछ नहीं कर सके तो कम से कम इनकी व्यवस्था तो हो जावे जहां से किसान आसानी से अपनी जरूरत की चीजें सस्ती दर पर खरीद सकें। यह भी जरूरी है कि जो प्रोड्यूज के भाव हैं उनको प्राईज इन्सेंटिव के बेसिस पर अनाज के भावों को स्टेबलाईज करें, डिटरमाईन करें। ऐसा नहीं होगा तो मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे यहां के काश्तकारों के लिये जो सरकार कहती है कि हम उनको प्रोत्साहन देते हैं और कृषि की उपज बढ़ाने में मदद देते हैं लेकिन जब तक उनकी आर्थिक स्थिति को ठीक नहीं करेंगे, उनको प्राईज इन्सेंटिव नहीं मिलेगा, तब तक काश्तकार पनपेगा नहीं और वह आपके नए साधनों का उपयोग नहीं कर सकेगा।

इसके साथ ही माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एग्रीकल्चर में जो फाईनेंस की कमी है, एग्रीकल्चर फाईनेंस की कमी है, रूरल फाइनेंस की कमी है, उसके बारे में भी आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। हम यह देखते हैं कि वित्तीय संस्थायें जो कि हमारे कॉमर्शियल बैंक्स हैं, आपके भूमि विकास बैंक हैं, सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक या दूसरी फाइनेंसिंग इंस्टीटयूशन्स हैं उनसे जो काश्तकारों को लोन मिलता है उसमें बहुत डिफिकल्टीज आती हैं। हमने देखा है कि काश्तकारों को चक्कर लगाने पड़ते हैं और व्यापारी लोग उनका एक्सप्लायटेशन करते हैं। इसी तरह की प्रोसीजरल डिफिकल्टीज आती हैं। भूमि विकास बैंक में एप्लीकेशन देने के बाद छः छः महीने बाद लोन मिलता है। इसमें आपने एक पब्लिक इंक्वायरी और लगा रखी है। उसमें तहसीलदार और रेवेन्यू एजेंसी सर्टीफिकेट देती है कि यह ओनरशिप काश्तकार की है उसके बाद पब्लिक इन्क्वायरी होने से उसमें और डिले होती है जब कि होना यह चाहिये कि काश्तकार को उसकी डिमाण्ड के मुताबिक फाईनेंस मिलना चाहिये। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि उनके पास जो पास बुकें हैं उसमें वेल्यूएशन होकर काश्तकार की हैसियत उसमें दर्ज रहनी चाहिये और उस हैसियत के आधार पर बैंक में जब काश्तकार जावे तो काश्तकार को कृषि प्रयोजनों के लिये जो भी ऋण चाहिये वह उसको तुरन्त मिल जाना चाहिये। तब तो मैं मान सकता हूं कि वास्तव में हम कृषि के प्रयोजनों को उपलब्ध कराने में सरकार कुछ कामयाबी हासिल कर सकती है।

इसके साथ ही मैं यह कहूंगा कि मेरे इलाके में जो कि बस्सी कांस्टीट्यूएंसी है उसमें पशुपालन का पशु प्रजनन केन्द्र है। वहां कृषि फार्म भी है। लेकिन मैं यह देखता हूं कि वहां के काश्तकार वहां की सारी एक्टीविटीज से अनभिज्ञ हैं। इस मामले में हमारे वहां के विभाग को जो नोलेज हैं, पशुओं के बारे में नोलेज हैं, कृषि फार्म के बारे में जो नई नई फसलें काम में आती हैं, नए नए पशुधन की नस्लें लाई जाती हैं उनकी जानकारी वहां के लोगों को देनी चाहिए। पशुधन में जर्सी गायें दूध के मामलें में बहुत अच्छी गायें होती हैं। उन जर्सी गायों से राजस्थान के काश्तकारों को पशुधन के मामलें में बहुत फायदा हो सकता है तो उनको इसकी जानकारी कराई जानी

Page No.163

(श्री मुंशीलाल महावर)
चाहिये। मैं आपसे निवेदन करूं कि जर्सी गायें जो करीब बीस किलो दूध देती हैं जिसकी ऊंचाई तो ज्यादा है लेकिन लम्बाई कम है, आगे का हिस्सा नीचा है और पीछे का ऊंचा है तो इसके जो बछड़े तैयार होंगे तो क्या उनके लिये कोई नया हल बनाना पड़ेगा, वे किस काम में आयेंगे इस बारे में भी किसानों को समझाना होगा। क्योंकि इस तरह की नई नई नस्लें आती हैं तो काश्तकारों के मन में कई तरह की शंकाएं पैदा होने लगती हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जिस तरह से हरियाणा किस्म की गायों को हटा दिया गया है तो यह हमारे यहां के काश्तकारों के साथ अनजस्टिस है। यहां पर हरियाणा नस्ल की गायों का भी विकास होना चाहिये और जर्सी गायों का भी विकास होना चाहिये। गायों का तो विकास करते हैं लेकिन बस्सी क्षेत्र में डेयरी फार्म ज्यादा नहीं है। सिंचाई के साधनों के बारे में, इर्रिगेशन के बारे में मेरा निवेदन है कि वित्त मंत्रीजी ने मुझे आश्वासन दिया था....

श्री उपाध्यक्ष: इर्रिगेशन डिपार्टमेंट की तो डिमाण्ड पास हो चुकी है।

श्री मुंशीलाल महावर: सिंचाई के संबंध में....

श्री उपाध्यक्ष: जो डिमाण्ड पास हो चुकी है उसके संबंध में नहीं कह कर आप कृषि के संबंध में कहें।

श्री मुंशीलाल महावर : तो कृषि के लिए रिसर्च इन्स्टीट्यूशन होनी चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अन्य स्टेट की इन्कम बढ़ी है जबकि राजस्थान में इस तरह की किस्में जहां कि उसमें कुछ न कुछ स्पेशीलाइजेशन होना चाहिये ताकि यहां के काश्तकारों की इनकम बढ़ सके। व्यापारिक फसलों की तरफ भी हमारे कृषि विभाग ने ध्यान नहीं दिया है। कपास का उत्पादन बढ़ा है परन्तु उसका वाजिब भाव किसानों को नहीं मिल पाया है। मार्केटिंग की प्राब्लम उसके सामने आ जाती है। तो राज्य सरकार को इन सब बातों को देखना चाहिए और व्यापारिक फसलों का प्रोडक्शन भी बढ़ाया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजय सिंह :

श्री विजय सिंह (मांडल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा देश कृषि प्रदान देश है। हम सभी जानते है और मालूम है कि कृषि प्रधान देश में किस तरह से तरक्की की जा सकती है इसके लिये मेरे से पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्यों ने कई तरह के सुझाव दिए हैं लेकिन उपाध्यक्ष महोदय मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि आज तक हमने और हमारी राज्य सरकार ने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि यह जो हमने व्यवसाय अपनाया है, हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा लगभग 80 प्रतिशत आबादी ने यह व्यवसाय क्यों अपनाया है। माननीय उपाध्यक्ष जी महोदय मैं समझता हूं कि पुराने जमाने के अन्दर जिस वक्त लोगों के दिमाग के अन्दर देश के उत्थान को अथवा अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की, या विकास की कोई बात नहीं थी उस जमाने में वे केवल अपना जीवन यापन करने की बात जानते थे और इसलिये इस धन्धे को अपनाया है। और आज भी इस धन्धे को अपनाये हुए है। मैं तो इसमें भिन्न राय रखता हूं। मैं तो निवेदन करना चाहता हूं कि आज जिस ढंग से हम छोटे

(श्री विजय सिंह)

छोटे टुकड़े काश्तकारों को देकर के और बिना किसी और साधन के हम उनको खेती के उपर इस्टेब्लिश कर के उनके जीवन का उत्थान करना चाहते हैं, वह सम्भव नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज हम ने जमीन देना शुरू कर दिया है लेकिन एक ड्राई फार्मिंग के आधार पर, भगवान के भरोसे छोड़कर, मानसून की तरफ उनकी आंख लगी रहे और यह चाहें कि हमारे देश की तरक्की हो जाए, देश की गरीबी मिट जाए, यह समझ में आने वाली बात नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार इस बात का सर्वे करावे कि उनके पास सिंचाई की क्या सुविधा है, क्या साधन है ? बरसात का पानी कहां पर कैद किया जा सकता है ? भूतल में जो पानी है उसको कैसे ऊपर लाया जा सकता है ? वहां पर खेती हो सकती है और कौन से ऐसे पहाड़ी इलाके हैं जहां पर कि खेती नहीं हो सकती है ? कहां पर खेती की जा सकती है और कहां पर राज्य सरकार सिंचाई के पूरे साधन देकर के और इकोनोमी होल्डिंग एक आदमी को देकर, उसको पूरे साधन देकर, जैसे बिजली पानी वगैरह का साधन देकर के इस्टेब्लिश करे तो उस आदमी की तरक्की हो सकती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार के पास यह सर्वे होना चाहिए कि कहां पर खेती हो सकती है, कहां की आबादी को खेती के उपर इस्टेब्लिश करे। इन्डस्ट्रिलाइजेशन करे और जहां खेती करने की गुंजाइश नहीं है, वहां सारी की सारी हमारी जो शक्ति है वह हम केवल खेती पर लगावें, यह मेरे दिमाग में नहीं आता है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रामीणों को हमें इन्डस्ट्री की तरफ भी मुखालिफ करना चाहिए और एग्रीकल्चर को इन्डस्ट्री के रूप में लेकर आगे बढ़ेंगे तो फायदा हो सकता है वरना यह मुमकिन नहीं है कि छोटे छोटे टुकड़े अलाट करते जाएं और भूमिहीनों को भूमिपति बनाते जाएं यह अच्छी बात नहीं है परन्तु इसके साथ एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि इस बढ़ती हुई आबादी का जितना प्रेसर है, आज सारा प्रेसर हम इस खेती पर ही पटकते जा रहे हैं। अगर कृषि पर पटकते हैं तो इससे मुझे तरक्की होने की गुंज़ाइश नजर नहीं आती है। उपाध्यक्ष महोदय, यह सारा होते हुए भी इन्डस्ट्रिलाइजेशन की तरफ ज्यादा जोर देते हुए भी, मैं इस आस्पेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकता। देश को अनाज के मामले में आत्म निर्भर होने के लिए, खेती की उपज को, खेती की पैदावार को बढ़ाने के लिए हम को हमारे काश्तकारों को लेटेस्ट टेक्नोलोजिकल डवलपमेंट्स उपलब्ध कराने चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज हमारे पास कितने सिंचाई के साधन है, उनकी सर्वेक्षण रिपोर्ट हमें प्राप्त नहीं होती है। इससे यह मालूम पड़े कि हम कितने आदमियों को साधन सम्पन्न बना देंगे और सिंचाई के साधन हम उनको दे पाएंगे या नहीं, यह भी हमको पता नहीं है। आज कई स्थानों पर पानी की इफरात है, पानी की इफरात होने के बावजद भी वहां पर बिजली नहीं है। पानी तो है लेकिन उस पानी से जमीन को सिंचित करने के लिए साधन नहीं है। तो इस तरह के जो स्थान हैं, जहां पर पानी की इफरात है वहां पर बिजली पहुंचाने का कार्य पहले किया जाना चाहिए। यह नहीं हो कि जहां पर शहर हों वहां हो इसलिए बिजली पहले वहां पर पहुंचा दी जाए। लेकिन अगर इकोनोमिक होल्डिंग्स के ऊपर एक तरह से खेती करवाते हैं, जहां पर पानी है तो वहां पर बिजली पहुं-

(श्री विजयसिंह)

चाना है । इसके लिए कृषि विभाग और कृषि मंत्री महोदय को विशेष रूप से निवेदन करना चाहूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, खाद और बीज के सम्बन्ध में इस सदन के अन्दर काफी चर्चा हो चुकी है । खाद की जो कमी है वह कृत्रिम कमी है । यह मेरा फरटीलाइजर से मतलब है। दूसरा खाद जो मेन्योर खाद है वह हमारे पशुधन के ह्रास के कारण हो गया है । जो फरटीलाइजर है उसकी कमी हमारे यहां थोड़े से अर्से में आई है और मैं समझता हूं कि इस कृत्रिम कमी को राज्य सरकार चाहती तो दूर कर सकती थी । किसानों को जिस वक्त खेत के अन्दर खाद देना था, उस वक्त यह मुहैय्या करवा सकती थी । मैं यह निवेदन करूंगा कि बीज की यह हालत है कि कृषि विभाग को पता नहीं है कि वे कहां से बीज लेकर ग्रामीणों को देते हैं । कई स्थानों के ऐसे उदाहरण मेरे पास में है जहां पर कि बीज उगा ही नहीं है । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सन् 71 के अन्दर अमरावती से ज्वार का बीज लेकर मेरी पंचायत समिति माण्डल में तकसीम किया गया था । वह बीज उगा ही नहीं है और बेचारे काश्तकारों की जमीन फैलो पड़ी रही, किसान उस पर दूसरी काश्त भी नहीं कर सके । इस तरह से यह बीज की बाधा है जिसको हम न्यकलस सीड कहते हैं, कई स्थानों पर उगता ही नहीं है । जरूरत इस चीज की है कि हम बराबर ड्रोट इयर्स को देखते चले आ रहे हैं इसलिए कम पानी से पैदा होनेवाला बीज करना चाहिए इसलिए ऐसा बीज लें जिससे कि खाद्यान्न का उत्पादन ज्यादा हो सके, इसका पूरा आविष्कार किया जाना चाहिए और वह किसानों को मुहैय्या कराया जाना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज पंचायत समितियों और पंचायतों के अन्दर जो एक आम तौर पर शिथिलता व्याप्त है उसका असर प्रसार अधिकारियों पर पड़ा है, जो ग्राम सेवक हैं उन पर ही पड़ा है और उनमें भयंकर अकर्मण्यता आ गई है । इस अकर्मण्यता के कारण काश्तकारों को जो लाभ मिलना चाहिए और इन प्रसार अधिकारियों से और इन टेक्नीकल आदमियों द्वारा जो उनकी उचित राय और लेटेस्ट जो आजकल के डवलपमेंट्स है, आधुनिक तरीके है, उनका लाभ इनके माध्यम से आज नहीं मिल पा रहा है ।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज सरकार ने सीमान्त कृषकों के लिए एक योजना बनाई है और इस योजना के अन्तर्गत बैंक से ऋण मिलता है - सीमान्त कृषकों के लिए और दूसरे कृषकों के लिए भी बैंकों से ऋण दिया जाता है - लेकिन क्या आप यह समझते हैं, या राज्य सरकार यह समझती है कि उनको ऋण आसानी से मिल जाता है ? जो वाजिब आदमी है, उसको ऋण प्राप्त करने का अधिकार है परन्तु उसको भी ठीक ढंग से ऋण प्राप्त नहीं हो रहा है । मैं समझता हूं कि किसान को जो दिक्कत आ रही है जिसे आप जानते होंगे । ऋण उसको सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है । लोगों को पटवारियों के घरों पर, कोआपरेटिव सोसाइटीज के यहां पर, बैंकों के यहां पर, पंचायत समितियों के अन्दर काश्तकार भटकते फिरते हैं और इस तरह से कई महीने निकल जाते है, उसकी फसल का टाइम निकल जाता है, कुआ खोदने के लिए वह ऋण चाहता है तो उसका मौसम निकल जाता है और उसको ऋण नहीं मिल पाता है । इसके अन्दर जब तक सरलीकरण नहीं किया जाएगा या विभाग के अधि-

(श्री विजयसिंह)
कारी चाहे उसमें आप पंचायत समिति को काम सौंपें, और चाहे एग्रीकल्चर विभाग को जब तक यह काम नहीं सौंपेंगे तब तक यह काम इन काश्तकारों के बस का नहीं है। काश्तकार को कोई पूछता नहीं है। अगर ग्रामसेवक की ड्यूटी लगा दी जाय या कृषि विभाग के किसी आफिसर की ड्यूटी लगादी जाय कि शुरू से लेकर आखिर तक उसके साथ ही रह कर खानापूरी वह करवाये तो मैं समझता हूं कि किसान को लोन मिल सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष, मैं थोड़ा सा पशुपालन के विषय में भी निवेदन करना चाहता हूं। पशुधन का बड़ा ह्रास हुआ है इस अकाल के कारण 8-10 साल में। राजस्थान में अकाल होने के कारण पशुधन का बहुत बड़ा ह्रास हुआ है। जो दुधक दुधारू गायें और भैंसें हमारे यहां पर थी, जिस तरह के बैल और दूसरे जानवर हमारे यहां पर थे जो खेती के लिए बड़े उपयोगी थे और जीवन-यापन के लिए बड़े उपयोगी थे, गांवों के रहने वालों की इकोनोमी को मैन्टेन करने के लिए बड़े उपयोगी थे, आज उनका नामोनिशान नहीं है। ज्यादा दुर्भाग्य की तो यह बात है कि घास की कमी है। मैं पशुपालन विभाग की कमी पर निवेदन नहीं करना चाहता हूं, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि घास की कमी के कारण आज उनकी टांगें हिल रही है और आज उनकी चलने की भी हालत नहीं है इसलिए दूध देने की और किसी उद्योग में आने की बात तो दूर है।

जो अकाल पड़ते हैं, जो नेचुरल केलेमिटी है उसके लिए किस को दोष दिया जाय, लेकिन मैं पशुपालन विभाग के संबंध में कहना चाहता हूं कि पशुपालन विभाग नस्ल सुधारने का काम बड़े पैमाने पर करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा बजाय इसके कि डिस्पेन्सरीज खोलकर और उनके अन्दर उन मवेशियों का इलाज करे और इलाज करने तक ही अपने कार्यक्षेत्र को सीमिति कर दे। मैं चाहता हूं कि आर्टिफिशियल इन्सेमिनेशन सेन्टर्स ज्यादा खोलने चाहिऐ, और नस्ल सुधारने के लिए जितना बजट है इस विभाग में उसमें से 95 पर्सेन्ट बजट है वह उस पर खर्च करे और 5 पर्सेन्ट इलाज पर खर्च करे तो ज्यादा कारगर आपकी योजना साबित होगी, और इससे काश्तकारों और पशुपालकों को ज्यादा लाभ होने वाला है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

थोड़ीसी बात निवेदन करना है।

माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह निवेदन कर रहा था कि भेड़-पालन के लिए हमारा जो इलाका है भीलवाड़ा जिला उस तरफ आपको कोई ऐसी योजना देना चाहिए जैसी कि पहले पंचायत समितियों के पास थी। जब पंचायत समितियों के पास में भेड़-पालन की योजना थी तो वह बहुत अच्छा कार्यक्रम था। आपकी घन्टी के कारण मैं ज्यादा उटपटांग हो गया हूं, लेकिन फिर भी मैं निवेदन करूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि जो पशुपालन वाले डाक्टर्स है उनके लिए खास तौर से माननीय उपाध्यक्ष, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि डाक्टर्स जो जानवर बोल नहीं सकता है उसका इलाज करते हैं। दर्द कहां पर है और दवा दूसरी जगह लगा देते हैं। पाड़े की पूंछ पकड़कर उसकी नब्ज देखने वाले ये डाक्टर उनका

(श्री विजय सिंह)

इलाज नहीं कर पाते हैं। इसलिए मेरा सबसे पहला निवेदन यह है इसके अन्दर खासतौर से कि जो नस्ल सुधारने का काम है, दुधारू नस्ल के मवेशी हमारे यहां ज्यादा हों, भेड़ों पर अच्छी ऊन पैदा हो, अच्छी नस्ल के जानवर हों, अच्छे पावरफुल बैल और पाड़े वगैरह हों, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान होना चाहिए। डाक्टर्स इलाज भी ठीक तरह से नहीं कर पाते हैं। इससे तो जो हमारे यहां पुराने काश्तकार हैं वह ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं। माननीय उपाध्यक्ष, मैं यही कहकर आपके हाथ का ध्यान रखकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवीलाल।

(अनुपस्थित)

श्री मनोहर लाल।

श्री मनोहरलाल (कामां) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले एक बात निवेदन कर देना चाहता हूं कि खेती के लिए अगर आप वैज्ञानिक तरीके अख्तियार करना चाहते हैं, और खेती को वैज्ञानिक तरीके से आप भारत में और राजस्थान में लाना चाहते हैं तो एक विधान की बात है कि मानव अपनी आवश्यकताओं के मुताबिक खोज करता है और आविष्कार करता है। जिन देशों में सघन आबादी है, घनी आबादी है और हमारे देश में भी घनी आबादी है तो सघन आबादी वाले देश सघन खेती करते हैं। यूरोप में घनी आबादी है इसलिए यूरोप के लोग सघन खेती के तरीके अख्तियार करते हैं, सघन खेती के बारे में आविष्कार करते हैं और सघन खेती में कामयाब हुए हैं। हमें अगर उनका ज्ञान लेना है, अगर हमें विदेशों से ज्ञान लेना है तो हमें यूरोप में अपने लोग भेजने चाहिए टेक्निकल शिक्षा के लिए, लेकिन इसका उलटा होता है, उपाध्यक्ष महोदय। जहां खेती विस्तृत होती है अमेरिका में, रशिया में, आस्ट्रेलिया में, कनाडा में, वहां सघन खेती नहीं होती है, यह बात दूसरी है कि वहां पर खेती के तरीके अच्छे हैं, अच्छी पैदावार होती है, लेकिन वहां पर सघन खेती नहीं होती है क्यों कि वहां पर आबादी छितरी हुई है, सघन आबादी नहीं है, विस्तृत आबादी है, इसलिए एक्स्टेन्सिव खेती करते हैं। वहां का ज्ञान भारत में फैलाया जाता है तो इस बात से हम नाकामयाब रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि अगर पशुपालन का ज्ञान लेना है, उधार ही लेना है, बौरो करना है तो आप पशुपालन के लिए ज्ञान केनाडा से, रशिया से, आस्ट्रेलिया से लें, लेकिन खेती का ज्ञान केवल यूरोप से लें। इसके संबंध में मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि यूरोप के लोगों ने चारे के लिए कई वैज्ञानिक आविष्कार किये हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी माननीय जोशी जी कह रहे थे कि हमारे एक वैज्ञानिक ने चारे का आविष्कार किया है, चारे के बजाय मूंगफली के छिलकों का तो मैं समझता हूं कि एक वैज्ञानिक ने चारा-चपाती का आविष्कार किया है। एक गाय के लिए चारा-चपाती दो रुपये या ढाई रुपये की काफी होती है और एक गाय का गुजारा इससे अच्छी तरह से हो सकता है, और 50 पर्सेन्ट दूध उससे मिलेगा। इससे लाभ होता है और अधिक होने वाला है तो चारा-चपाती के बारे में आप देखें और गवर्नमेंट को सोचना होगा उसके लिए।

(श्री मनोहर लाल)

गवार के बारे में भी आपको सोचना होगा। गवार जो आप अमेरिका भेजते हैं उस गवार को आप भारत में रखें। गवार के गूदे में अच्छा प्रोटीन होता है और अच्छे प्रोटीन के मारफत आप यहां के लोगों को अच्छा प्रोटीन देंगे। गवार के गूदे को मीठा करके। गवार के गूदे में 75 पर्सेन्ट के करीब प्रोटीन बताया जाता है और यह भी एक वैज्ञानिक तथ्य है कि जिस देश के लोगों को अच्छा प्रोटीन मिलेगा उस देश की आबादी कम होगी और आबादी को रोकने के लिए हमें नसबन्दी और लूपबन्दी वगैरह यह सारी की सारी जो करनी पड़ती है वह नही करनी पड़ेगी। जो गवार का अच्छा प्रोटीन लेकर मानव को देता है और मवेशियों के लिए चारा-चपाती देता है तो उस वैज्ञानिक को सम्मान देना चाहिए, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। इसके साथ-साथ आबादी की समस्या भी हल होगी और आबादी को रोकने के लिए नसबन्दी पर करीब 4-5 अरब रुपया लगाना पड़ता है वह पशु-पालन में लगायेंगे। हम पशु-पालन के पक्ष में इसलिए हैं कि खास तौर से रेगिस्तान के इलाके में पशुपालन का काम है, और जब कभी भी अकाल आता है, सूखा आता है तो जिला भरतपुर, जिला अलवर और जिला सवाई माधोपुर यह तीन चार जिले ही मिलेंगे। ये कहते हैं कि गाय और बछड़ा हमारा है और उससे वोट लेते हैं और गायें भूखे मरती हैं तो जनसंघ सम्हाले। वोट लेने तो आप दौड़ते हैं। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर और पूर्वी राजस्थान के ऊपर निगाह रखते हैं कि वहां पर चारा मिलेगा....

श्री लूणाराम : मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने कहा तो जनसंघ के सदस्यों ने कितना चारा बांटा है ?

श्री मनोहरलाल : हमारा ठेका नहीं है। आप डालो क्योंकि आप सत्ता में हैं, हालांकि हमारा फर्ज है कि हमको भी करना चाहिए लेकिन सत्ता में आप हैं इसलिए आपका फर्ज है कि आप खोलें। वोट लेने का ही काम नहीं है उनको चराने का भी काम है।

मैं निवेदन कर रहा था कि चारा-चपाती के आविष्कार को प्रोत्साहन देकर आप हमारे पर भार कम करेंगे।

मैं मंत्रीजी से एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि पशुपालन के लिए आपको कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि आप सड़कें न बनायें लेकिन पशुपालन में पैसा लगायें। पशु-पालन के संबंध में और पशुओं पर आपकी खोज हो। पशुओं से आपको 13 पर्सेन्ट की आमदनी होती है तो 13 पर्सेन्ट खर्च न करते कम से कम 6 या 7 पर्सेन्ट अगर मवेशियों के लिए खर्च करेंगे तो मवेशियों का प्रोडक्शन होगा। आपके पास वैज्ञानिक तरीके होते हैं तो मवेशी भूखे नहीं मरेंगे। आपके मवेशी दिल्ली में भी काफी बिकने वाली नहीं हैं। आपके मवेशियों के मांस का दाम कम हो चुका है। मवेशी भूखे मर रहे हैं और कोई खरीदने वाला नहीं है। आपके मवेशीयों के मांस का दाम गिर चुका है। इसका एक ही कारण है कि आपकी योजना और आपके तरीके पशु-पालन के लिए ठीक नहीं है। आप अकाल के नाम पर और सूखे के नाम पर जैसा कि प्रोफेसर मैनार ने प्रधानमंत्री को अपने पत्र में लिखा है कि जहां पर सूखा और अकाल पड़ता है तो वहां राजनैतिक लोग सूखे के नाम पर और अकाल के नाम पर केन्द्रीय सहायता लेते हैं और अपने अपने जिलों में उसको

(श्री मनोहरलाल)

बांटकर खा जाते हैं और खेती का काम या पशुपालन का काम नहीं करते हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय; आप को पशुपालन पर अपनी मद का बहुत बड़ा हिस्सा करना चाहिए। इसके अलावा मैं कृषि के बारे में निवेदन करूंगा। कृषि उपज मण्डी भरतपुर में कायम है। वहां गेहूं, सरसों ज्वार, सभी के दाम बढ़े हैं। आढ़तियों के दाम बढ़े हैं। आप का सेल्स टैक्स बड़ा है। लेकिन पल्लेदारों ने क्या पाप किया है। इस महंगाई के समय में भी आप उसको बोरी ले जाने के 27 पैसे देते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि कृषि उपज मण्डी के मजदूरों की मजदूरी तय करने का अधिकार कृषि उपज मण्डी को होना चाहिए। आप टैक्स बढ़ाते हैं। लेकिन साथ साथ में मजदूरों की मजदूरी भी बढ़े। कृषकों को उनकी उपज के उचित दाम मिलें। मुझे मालूम हुआ है। कल किसी बुद्धिजीवी ने पर्चा निकाला है। अलवर, अजमेर, भरतपुर के पक्ष में निकाला है। मैं माननीय मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह एण्टी होरडर के खिलाफ निकाला है। अलवर, भरतपुर क्षेत्र को यह नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। पश्चिमी क्षेत्र को लाभ देना चाहते हैं। मैं अधिक नहीं कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, बाड़मेर, जैसलमेर, अजमेर, अलवर, भरतपुर टोंक इन जिलों के साथ में अन्याय किया गया है। दूसरे जिलों में मुनाफाखोरों को लाभ देने के लिए 10, 15, 14 रुपये क्विन्टल से उनकी फसल ली जावेगी। आप बार बार कहते आ रहे हैं, भरतपुर उपजाऊ इलाका है। वित्त मंत्री जी ने कहा है, हम इन्द्र भगवान की कृपा पर निर्भर हैं। मेरा निवेदन है कि हम भी इन्द्र भगवान की कृपा पर निर्भर हैं। वर्षा होती है, तो कुछ हो जाता है। डीग सब-डिवीजन में और अलवर में जो फसल हुई है, वह भगवान की कृपा से हुई है। आपका क्या लेना देना है। आपने कृषि विश्व विद्यालय उदयपुर में खोला है। भरतपुर में कृषि होती है। प्रोफेसर केदार मांग कर रहे थे। मैं मांग नहीं कर रहा हूं आपने बड़ौदा में, भरतपुर में एक कृषि स्कूल रखा हुआ है। उस पर जो नाम लिखा हुआ है, वह दीमक चाट गई हैं। खाली कहने से काम नहीं चलता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, अभी मैं कुछ और निवेदन कर रहा हूं। आप चाहे सवाई माधोपुर, अलवर, सीकरी, गोविन्दगढ़ और चाहे बड़ौदा में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करें। इसके अलावा मैं यह निवेदन करूंगा, भरतपुर अलवर को मार्ग दर्शन की बात कहें, काम कुछ नहीं होता है। मार्गदर्शन में क्या होता है। बिजली मिलती नहीं है। आपके एक्स.ई.एन. और कृषि अधिकारी हैं। उनका यह भी काम है। पोंग बांध बना। आपने विस्थापितों को 10 हजार का मुआवजा दिया। उनको जमीन दी। भरतपुर को आपने 300 रुपया 400 रुपया बीघा का मुआवजा दिया है। यह कौन सा न्याय है। आपकी जमीन है, 10,000 रुपया एकड़ का मुआवजा लेते हैं। हम को 400 रुपये देते हैं। खाद के मामले में हमें कभी सहयोग नहीं किया जाता है। धोलपुर की खाद मध्य प्रदेश में बेची गई है। पता नहीं, कहां से यह बात शुरू हुई कि राजस्थान को इसकी आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश में भेज दी जाये। इसके अलावा मैं कुछ और निवेदन करना चाहता हूं। कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर में एक कोने में पड़ा हुआ है। कुछ लोगों की वह जेब में पड़ा हुआ है। वहां के

(श्री मनोहरलाल)

लोगों के साथ में भेदभाव होता है। मैं नाम लेकर कहना चाहूंगा, रमेश चन्द्र नाम के वहां लेक्चरार हैं। उनके साथ में जानबूझ कर अन्याय किया जा रहा है। उनके प्रमोशन में बराबर अन्याय किया जा रहा है। जब लिखापढ़ी की गई तो कहा गया कि गलती हो गई है। वह लखनऊ के हैं। लखनऊ के लोगों के साथ में पक्षपात करते हैं।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी जोशी जी कह रहे थे, वेटेनरी सर्जन के बारे में आपने राणावत फैसले को मान लिया है। आपने मानव डाक्टर और मवेशी डाक्टर को एक ही ग्रेड में माना है। पशुपालन के डाक्टर हैं, उनका ग्रेड आपने कम कर दिया है। यह कौन सा तरीका है।

यह मैं नहीं कहता। जो गलत नहीं किया है उनका नहीं बढ़ाया जाय - यह कौनसा तरीका है। एक तरफ राणावत साहब आगे बढ़ाने की बात करते हैं उसको मानते नहीं है और घटाने की बात है, गलत बात है तो भी उसको मान लेते हैं।

मैं इन शब्दों के साथ यह निवेदन करना चाहूंगा, छंगाणी साहब धमकी दे गये, हाई कोर्ट की बात पर कि इस मसले पर इस तरह आन्दोलन चला तो राजस्थान के विभाजन की बात हो सकती है। हाई कोर्ट बेंच की बात छोड़ कर मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं, आर्थिक मामलों में हमारा इसी प्रकार शोषण होता रहा और हमारे साथ भेदभाव होता रहा, खास कर कृषि के मामले में पूर्वी राजस्थान को सहायता नहीं मिली, वित्त मंत्री महोदय कहते हैं कि हमने इतनी तरक्की की है, तरक्की आप ने आकड़ों में की है, आज से पच्चीस साल पहले, राजाओं के जमाने में आमदनी दस करोड़ की थी, और आज राज्य सरकार के खजाने में ढाई अरब आते हैं, आपने बीस गुना आमदनी की है, लेकिन आपने खर्च में तरक्की नहीं की है।

इन शब्दों के साथ में छंगाणी की बात का जवाब दिये जा रहा हूं, वह करेंगे तो हम भी करेंगे, हमारा शोषण यदि होता है और हमारे साथ भेदभाव होता है तो हम पूर्वी राजस्थान के लोग विभाजन के लिए तैयार हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राम रघुनाथ।

श्री राम रघुनाथ (डेगाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कुछ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं, उनके बारे में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। पहले मैं राज्य सरकार के कृषि विभाग, पशु पालन विभाग की सराहना करना चाहूंगा। अगर हम पिछले बीस वर्ष के आकड़े देखें और आज के देखें तो हमें स्पष्ट मालूम होता है कि पशु पालन और कृषि में उन्नति की है और उन्नति की ओर अग्रसर हो रहे हैं।

मैं पहले पशु पालन के सम्बन्ध में कुछ बातें निवेदन करना चाहूंगा। नागौर जिला, कुछ एक इलाके को छोड़ कर मुख्यतया एक पशु पालन वाला इलाका है और वहां की नागौर नस्ल भारतवर्ष और दूसरे प्रदेशों में मशहूर है, नागौरी नस्ल के पशु प्रायः सभी जगह पाये जाते हैं। और मुख्यतः यहां जो मेले लगते हैं उनमें बाहर के खरीददार आते हैं, पशुओं को ले जाते हैं और वहां पर उनका उपयोग करते हैं। लेकिन सरकार का उसके प्रति काफी उदासीनता का रुख है और जो नागौरी नस्ल है उसके लिये किसी तरह का प्रावधान नहीं है कि किस तरह से इस नस्ल को और अच्छा किया जाय और किस

(श्री राम रघुनाथ)
तरह उसका उचित और ठीक तरह से इम्प्रूवमेंट हो। मैं इस सम्बन्ध में कृषि व पशु पालन के उच्च अधिकारी से मिला था। उन्होंने बताया, चूंकि कृषि में रिवोल्यूशन हो रहा है और ट्रैक्टर वगैरह आ जायेंगे, फार्म छोटे छोटे हो जायेंगे और ट्रैक्टर इतने हो जायेंगे कि अधिकतर लोग बैलों पर निर्भर नहीं होंगे। इसलिये नागौरी नस्ल के अच्छे बैल पैदा करते है उन पर ध्यान नहीं दिया जा सकता है। जहां तक सम्भव होगा, नागौर जिले के अन्दर दूध के लिए दूध देने वाले जानवरों के लिए प्रोत्साहन दिया जायेगा। मुझे इस बात की खुशी है, पर नागौरी नस्ल के ऊपर खर्च करके उसे उन्नति की तरफ बढ़ाना भी आवश्यक है नागौरी नस्ल के पशुओं के साथ दूध देने वाले पशुओं को प्रोत्साहन देना चाहते हैं – यह खुशी की बात है। लेकिन अभी तक जानकारी नहीं है कि कौनसी अच्छी नस्ल होगी जो अच्छा दूध दे सकती है। इसके लिए नागौर जिले में कोई ऐसा कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र रखा गया हैं – ऐसी बात नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं जानकारी चाहता हूं।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, नागौर जिले को दोनों तरफ से महरूम नहीं रखा जाय, हालांकि जोधपुर में एक बैलेंसिंग प्लान्ट खोला है। उसके अन्दर चिलिंग प्लान्ट नागौर जिले में है। हमारे यहां मवेशी इतना अधिक दूध नहीं देती कि वहां के किसानों को अधिक फायदा दे सकें। इसलिए आवश्यक है कि अगर नागौरी नस्ल के साण्ड उपलब्ध करके, बैल अच्छे नहीं पैदा करना चाहते हैं, तो वहां पर दूध वाली नस्ल पैदा तो अवश्य करें नागौरी गाय की अच्छी नस्ल पैदा करें जो अच्छा दूध दे। लेकिन इसके लिए कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र या खास ब्रीडिंग केन्द्र नहीं दे सके हैं जब कि पड़ौस वालों को दिया है। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि नागौर जिले को अलग न रख कर स्पष्ट योजना बनाई जाय ताकि नागौर जिला जो अच्छी नागौरी नस्ल के लिए मशहूर रहा है, उसमें उन्नत किस्म की गाय के ब्रीडिंग फार्म खोल करके खास ब्रीडिंग करके अच्छी गाय वहां उपलब्ध करायी जायं।

इसके साथ में भेड़ों के लिए निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान के आंकड़े उठा कर देखें, सबसे ज्यादा भेड़ पालक इस जिले में है। करीब कुल राजस्थान में अस्सी, पिच्चासी लाख भेड़ हैं, नागौर में आठ लाख भेड़ हैं। इस आंकड़े को मैं सही नहीं मानता हूं क्योंकि नागौर जिले में आठ लाख से ज्यादा भेड़ हैं, वे भेड़ें बाहर रहती हैं क्योंकि हमारे यहां पर चराने की जगह नहीं है, वह मध्य प्रदेश, यू० पी० चली जाती हैं, इसलिए आंकड़े में नहीं आ सकती हैं। लेकिन आठ लाख मानी जायं तो भी राजस्थान की एक बटा दस प्रतिशत भेड़ें सिर्फ नागौर जिले में है। उनके लिए कोई विशेष योजना बनाई गई हो – ऐसी बात नहीं है। हालांकि मण्डोर ब्रीडिंग फार्म से एक दो भेड़े लाये थे और प्रयत्न किया था कि अच्छी किस्म की भेड़ दें। वहां पर एक भेड़ से एक किलो ऊन होती थी और उससे सात, आठ, नौ रुपये से ज्यादा नहीं मिलते थे। जब से वह भेड़ें आयें, भेड़ों को सप्लाई करना शुरू किया है, वहां ऊन दो से चार किलो तक हो गई है और निश्चित रूप से आमदनी दुगुनी–तिगुनी हुई है और उससे लोगों को लाभ हुआ है। लेकिन जिस विस्तार से यह योजना लोगों को बतायी जा सकती थी, इस योजना का

(श्री राम रघुनाथ)

विस्तार किया जा सकता था, उस तरह से इसका विस्तार नहीं हुआ है। मेरा निवेदन है, नागौर जिले में एक ब्रीडिंग फार्म और एक ही कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र है। राजस्थान में जो केन्द्र खुले हुए हैं, वह छः ब्रीडिंग फार्म हैं और बारह कृत्रिम गर्भाधान फार्म हैं। इस तरह से नागौर जिले को एक तरह से नजर अंदाज किया गया है। होना यह चाहिए था कि नागौर जिले के अन्दर और जिलों की बनिस्पत ज्यादा केन्द्र होते, यह देखते हुए कि यहां भेड़ ज्यादा हैं और भेड़ अच्छी हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, इस तरफ थोड़ी सतर्कता बरत करके हमारे यहां के भेड़ पालकों को प्रोत्साहन दिया जाय ताकि उन्हें अधिकाधिक लाभ हो सके।

नागौर जिला पशु मेले के लिए बड़ा मशहूर है। हमारे यहां राष्ट्रीय स्तर के तीन मेले हैं। मेड़ता, नागौर और परबतसर में होते हैं। उनके लिए निवेदन है, व पहले भी मैंने इसके लिए निवेदन किया था वैसे माननीय मंत्री महोदय ने विशेषकर परबतसर मेले के लिए ध्यान दिया और यह मेला बरसात में लगता है, इसके विकास के लिए रुपया खर्च किया गया। लेकिन वहां पर मेले व्यवस्थापकों और पशु पालकों में विचारों में अन्तर आ जाने से जिस क्षेत्र में मेलों का विकास किया है जहां पर पशु पालक ठहरते नहीं हैं, और वहां स्थान खाली पड़ा रहता है और पशु पालक दूसरी जगह ठहरते हैं। न तो वहां पर पानी का पता है, न सड़कों का प्रावधान है, न रोशनी का प्रावधान है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह राष्ट्रीय स्तर का मेला है, लाखों रुपये की इससे सरकार को आमदनी होती है, इसलिए इस मेले की तरफ ध्यान दिया जाय और जितनी आय होती है उसमें से पच्चीस, तीस प्रतिशत या जितना हो सके, वहां पर हर साल खर्च किया जाय तो तीन, चार पांच साल में जाकर इस मेले का कुछ अच्छा स्तर बन सकता है और वहां के पशु पालकों को लाभ हो सकता है, नहीं तो पशु पालकों के अन्दर यह भावना फैलती जा रही है, हम यहां आते हैं, इससे सरकार को आमदनी होती है लेकिन हमारे लिए कोई विशेष रूप से व्यवस्था हो – ऐसी बात नहीं है।

खास करके परबतसर में पानी की कमी है। वहां पर खारिया तालाब है, उसको खुदवाने की जरूरत है। यह तालाब सिंचाई के काम में नहीं आता मेले से जो रेवेन्यू होती है उसमें से पीने के पानी को उपलब्ध करने की दृष्टि से इस पर चार पांच लाख रुपये लगा दिये जायं तो यह काम में आ सकता है। इसलिए मेले के हिसाब में से रुपयों का प्रावधान रख कर इसको खुदवाया जाय। एक वर्ष में एक लाख रुपये की स्वीकृति दी गई, जिससे पाल वाल को मजबूत किया गया। फिर भी मेले को देखते हुए, एक लाख, या दो लाख का खर्च कुछ नहीं होता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसके लिए काफी राशि एकदम लगाई जाय ताकि मेले का विकास किया जा सके।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा, कुछ डिस्पेन्सरी, व हास्पीटल हर पंचायत समिति में होती है लेकिन इन पशु डिस्पेंसरी और हास्पीटल में दवाई का प्रावधान पंचायत समिति नहीं कर पाती। राज्य सरकार से मिलता नहीं फिर भी देखा जाय तो बजट का जो प्रावधान होता है उससे दवाई का पैसा उपलब्ध होता नहीं है। वहां पर स्टाफ लगा है, लेकिन दवाई उप-

(श्री राम रघुनाथ)

लब्ध नहीं होने से उसका ठीक तरह से उपयोग नहीं हो पाता है। उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से शहरों में दवाई का पैसा मिलता है, उसी तरह से इन हास्पीटल और डिस्पेंसरी के लिए दवाई के लिए प्रावधान होना चाहिए ताकि जो वहां जो लोग हैं, पशु पालक हैं उनको पशुओं के लिए पूर्णतया दवाई मिल सके।

इसके साथ ही मैं पंचायत समिति क्षेत्र के लिए निवेदन करना चाहूंगा। हर पंचायत समिति में एक डिस्पेंसरी, एक हास्पीटल है। मेरे पूरे जिले में डेगाना पंचायत समिति ही ऐसी है जहां पर डिस्पेंसरी है। उसको भी अपग्रेड करके हास्पीटल नहीं किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, इस वार कम से कम इस पंचायत समिति को न भूलें और वहां डिस्पेंसरी को हास्पीटल बनाने की कृपा करेंगे। मैं चाहूंगा, यह आश्वासन आप अपने भाषण में दें (समय–समाप्ति–सूचक घंटी), उपाध्यक्ष महोदय, कभी कभी तो मौका मिलता है। मौका देने के लिए तो मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन साथ ही घण्टी आप बजा देते हैं।

मैं कृषि के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। कृषि के लिए विशेष कर पानी और मिट्टी का तालमेल होना बहुत जरूरी है। अण्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड का काफी कार्य चल रहा है, मेरा निवेदन है कि कृषि विभाग और उनका तालमेल हो। अण्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड की कई योजना चल रही है, कई ट्यूब वेल खुद रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा, ट्यूब वेल बनने के बाद सम्बन्धित काश्तकारों को जब हैण्डओवर करें तब हैण्डओवर करने से पहले विभाग की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि पानी को वह टेस्ट करे। पानी टेस्ट किया जाय और पानी की टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद यह देखा जाय कि जिस जमीन के लिए पानी उपलब्ध हुआ है, वह कैसी है। दोनों का तालमेल बिठाया जाय। पानी कितना सैलाइन है और उससे फसल हो सकेगी या नहीं। पानी सैलाइन होगा तो उससे फसल नहीं हो सकेगी क्योंकि जमीन में खार आ जायेगा और जमीन सख्त हो जायगी। इस पर आपको विचार करना है....

उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जब तक पानी के साथ मिट्टी का परीक्षण नहीं किया जाय व पानी और मिट्टी का क्या ताल मेल है आया इन ट्यूब वेल्स से जिनका पानी खारा है लाभप्रद हो सकेगा अथवा नहीं। नहीं तो ये सारे ट्यूब वेल जिनका पानी खारा है बजाय इसके कि उपज बढ़ावें जमीन को बंजर बना देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने अनुभव के आधार पर निवेदन कर रहा हूं कि अगर खारे पानी के साथ जिप्सम का इस्तेमाल किये जावे तो जमीन खराब होने से बच सकती है। इस जिप्सम को लेकर या ध्यान में रखकर कोई अनुसंधान किया हो उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है या अगर इस पर कोई अनुसंधान नहीं किया गया है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर अनुसंधान किया जावे कि जिप्सम का उपयोग कहां तक उपयोगी सावित हो सकता है। मेरा यह भी अनुरोध है उपाध्यक्ष महोदय कि इस कार्य को प्राथमिकता देते हुवे कोई ऐसा खाद निकाला जावे जिससे खारा

(श्री राम रघुनाथ)

पानी जमीन को बंजर न कर सके अन्यथा समस्त योजना अनुपयोगी तो साबित होगी ही पर जमीन को बंजर कर उससे भी हाथ धोना पड़ेगा। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज हमारे प्रदेश में कृषि विभाग और बिजली विभाग में भी कोई तालमेल नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, आज लोग लाखों रुपये लगा कर लोग कुए बना रहे हैं और उनमें बिजली लगवा रहे हैं लेकिन बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ता है कि चूंकि कृषि विभाग में और बिजली विभाग में तालमेल नहीं है इसलिये कुए तो किसान बना लेते हैं लेकिन उन्हें बिजली नहीं मिलती है और जहां बिजली सेंक्शन होती है वहां पानी नहीं, कुए नहीं। कृषकों को कुओं में लगाने के लिये इंजिन खरीदने के लिये कृषकों को कोई व्यवस्था नहीं है। उन्हें लोन मिलने की व्यवस्था नहीं है जो कि बहुत जरूरी है। और जो लोन आज दिये जा रहे हैं वे करीब 5 हजार, 8 हजार या दस हजार रुपये तक दिये जाते हैं जोकि पर्याप्त नहीं हैं। उससे न तो कुओं में लगने वाली मशीन आ सकती है और न ही कुए बनाये जा सकते हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसके लिये राज्य सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि काश्तकार अपने कुओं को बनाने के लिये या कुओं को गहरा करने के लिये पर्याप्त लोन देने की व्यवस्था की जाय। दूसरे ऐसी व्यवस्था की जाय कि उनको कुओं में बिजली के कनेक्शन दिये जांय और समय पर उनको बिजली मिलनी चाहिये। आज कृषि विभाग और बिजली विभाग के आपस में तालमेल नहीं होने से कृषकों का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको थोड़ा उदाहरण मेरे इलाके का देना चाहूंगा। हमारे रींया, कुचामन, नावां, मेड़ता में लोगों ने कुए बनवाये और उनमें बिजली लगवायी लेकिन वहां पर दो-दो, तीन-तीन दिन तक बिजली नहीं आती और अगर आती है तो बार बार फ्यूज उड़ जाता है। वहां पर जो ट्रान्सफोर्मर्स लगाये हुये हैं वे उस बिजली के भार को वहन नहीं कर सकने के कारण ट्रान्सफार्मर फेल हो जाते हैं। ट्रान्सफोर्मर्स में जो फ्यूज लगे हुए हैं उससे एक जगह से बिजली उड़ जाने से 50 कुओं पर उसका असर पड़ता है कभी कभी तो ऐसा होता है कि वहां की पूरी ही बिजली की लाइन खराब हो जाती है इसलिये मेरा निवेदन है कि वहां पर जो ट्रान्सफार्मर्स लगे हुए हैं उनमें ऐसी शक्ति के ट्रान्सफार्मर्स लगाये जांय जिनकी शक्ति अधिक हो कि बिजली खराब नहीं हो। और काश्तकारों को समय पर बिजली मिल सके। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि विभाग और बिजली विभाग में आज जो तालमेल नहीं है उसके लिये कृषि विभाग वाले और बिजली विभाग वाले बैठ कर आपस में बातचीत करें और इस समस्या का समाधान करने की व्यवस्था करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही कठिनाई की बात हो गयी है। मैंने तो बहुत ही थोड़ा समय लिया है और मुझे काफी निवेदन करना है। मैं चाहूंगा कि आप मुझे दो मिनट और दें। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब शंकर बाजरा के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। हमारे यहां पर शंकर बाजरा सन् 67, 68 और 69 में बांटा गया था। उसमें पहले पहले तो काफी उत्पादन

(श्री राम रघुनाथ)

शक्ति थी लेकिन अब उसमें वह उत्पादन शक्ति नहीं है। और अब उसमें भी हाई ब्रीड में ग्रेडेशन हो गये हैं। 1, 2, 3 इस प्रकार के ग्रेडेशन हैं। इससे भी काफी दिक्कत होती है। मैं समझता हूं कि ग्रेडेशन स्थान की वर्षा की कमी व अधिकता को देखते हुये किया गया है। ब्रीड कम वर्षा वाले इलाकों के लिए है। इस नये शंकर बाजरा की हाई ब्रीड से तो हमारे यहां का जो लोकल बाजरा है वह ही अच्छी है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस बारे में भी हमारे यहां पर दुबारा अनुसन्धान करने की आवश्यकता है। राज्य सरकार को चाहिये इस बारे में कृषि विभाग द्वारा विशेषज्ञों से अनुसन्धान करायें ताकि इनकी उत्पादन शक्ति जो आज कम हो गयी है वह बढ़ सके। और ऐसा अनुसन्धान इसमें किया जाना चाहिये कि जो उत्पादन शक्ति एक बार बढ़ जाय वह दुबारा कम नहीं हो।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ तकावी के बारे में निवेदन करूंगा। हमारे यहां पर राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा बैलों के तकावी के लिये काश्तकारों को लोन दिया जाता था। लेकिन उसके बारे में यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो बैलों के लिये तकावी मिली थी वो अब नहीं दी जाती है। उसके न दिए जाने से जो काश्तकारों को सीधा लाभ होता था उसको रोक कर समाजवाद की भावना पर आघात किया है। इसके लिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसके लिये बैलों की तकावी के लिये जो आइन्दा लोन दिया जाय वह समय पर और पूरा दिया जाना चाहिये। इसके साथ साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, काश्तकार को यह शार्ट टर्म लोन ही दिया जावे पर इसको दिए जाने की व्यवस्था हो। भूमि विकास बैंक द्वारा या कोआपरेटिव बैंक्स द्वारा जो लोन दिया जाता है जिसको कि काश्तकार वापिस री-पे करता है...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

थोड़ासा रह गया है उपाध्यक्ष महोदय, बस एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भोपालसिंह।

श्री भोपालसिंह (जैसलमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रदेश का बहुत बड़ा मरू व अर्ध मरू भाग पश्चिमी भाग है जिसका क्षेत्रफल करीब 1 लाख 88 हजार किलोमीटर है। और इसके अन्दर जितने लोग रहते हैं उनकी पोपूलेशन करीब 85 लाख है। इसमें करीब 85 लाख का भी 85 परसेन्ट लोग ऐसे हैं जो कि खेती का काम करते हैं। ये लोग कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी काम करते हैं। इसमें भी विशेष तौर से हमारे बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर का इलाका आता है। लेकिन पशुपालन का प्रदेश की आय में योगदान करीब 13 परसेन्ट होता यह बहुत ही कम है। आज उपाध्यक्ष महोदय हमारे यहां पर इन जिलों में विकास की काफी सम्भावनायें हैं। अभी हमने जो पंचम पंचवर्षीय योजना बनायी है इसमें हमने हमारा टारगेट 5 परसेन्ट का और ज्यादा रखा है कम्पोजिट ग्रोथरेट का। मेरा निवेदन यह है कि पशुपालन संबंधी कार्य ज्यादा एक्टिव किया जाना चाहिये इस संबंध में आपका ध्यान पंजाब के पशुपालन के क्षेत्र में परिकल्पित ग्रोथरेट जो 12% है की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय

(श्री भोपालसिंह)

हमारे यहां पर पशुपालन का टारगेट आधार 12 परसेन्ट रखें पंचम पंचवर्षीय योजना के अन्दर यह भी कम है। उपाध्यक्ष महोदय हमारे यहां पर पशुओं के विकास की काफी सम्भावनायें हैं। हमारे इलाके की राठी, थरपारकर जिले की जो गायें हैं वे हमारे प्रदेश में ही नहीं बल्कि सारे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हैं। वहां पर काफी पैश्चर लैण्ड मौजूद है लेकिन पानी की बहुत कमी है इस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय अगर इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। पानी के लिये मैं आपको उदाहरण दूंगा कि इजरायल के अन्दर पानी की कमी थी लेकिन वहां के लोगों ने काफी अनुसन्धान करके उस रेगिस्तान को हरा भरा बना दिया, इसी प्रकार अमेरिका, कैलीफोर्निया, आस्ट्रेलिया वगैरह में लोगों ने अनुसन्धान करके उन रेगिस्तानी इलाकों को आज हरा भरा बना दिया है। वहां के लोगों ने हर तरह से अपने प्रदेश का विकास किया। इजरायल की तो यह हालत थी कि वहां पर तो कई देशो के लोग Migrate होकर आये थे वहां पर कई प्रोफेसर्स आये, डाक्टर्स आये और कई किस्म के वैज्ञानिक लोग आये जिन्होंने कठोर से कठोर परिश्रम करके उस इलाके को जो रेगिस्तान था हरा भरा बना दिया है। उन्होंने न केवल इन्डस्ट्रियलाइजेशन में बल्कि हर सीगे में ही तरक्की की लेकिन खेती के मामले में भी काफी तरक्की की है। उसके लिये साफ्ट जोन से हार्ड जोब अपनाया जो कि मुश्किल था फिर भी कर्त्तव्यनिष्ठा से उन्होंने सभी कार्यों को अपनाया और किया।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां जैसलमेर में भी और दूसरे बाड़मेर वगैरह में पानी की बहुत ही गुन्जायश है वहां पर अन्डर ग्राउन्ड बोर्ड ने बताया है कि वहां पानी है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि उन सभी को एक्सप्लोर किया जावे। और इस रेगिस्तानी समस्या का हल किया जाना चाहिये। ताकि आज वहां पर जो हर साल अकाल पड़ते हैं वह मिट जाय।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको कुछ पशुओं के फार्म के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। हमारे जैसलमेर के अन्दर चान्दना एक जगह है वहां पर पशुओं के लिये हमने एक फार्म सन् 1964 में शुरू किया था उस फार्म का इन्चार्ज डाक्टर पूनिया था। वहां पर हमने सिर्फ पहले 40 गांवों से शुरू किया था लेकिन उसके दो तीन साल के बाद ही हमारे वहां पर गायों की संख्या 250 हो गयी है। श्री पूनिया काफी होशियार आफिसर थे। उन्होंने इसमें काफी इन्टरेस्ट लिया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे वहां को जो फार्म की गायें हैं वे गायें बहुत ही दूध देने वाली हैं। इसमें कई कई गायों की ईल्ड इतनी है कि वे दिन में 25 से लेकर 30 किलो तक दूध दे सकती है। कुछ गायें ऐसी हैं जो 15 से लेकर 20 किलो तक दूध दे सकती हैं। और ऐसी कोई गाय नहीं है जिसका एवरेज दूध देने का 6 किलो से भी कम हो। इसके अलावा हमने वहां पर सांड भी रखे हैं जो बहुत ही अच्छे किस्म के सांड हैं जो कि हमने बाद में पंचायत समितियों को और पंचायतों को बांटे थे। इनके यानि श्री पूनिया साहब के बाद में एक श्री साहनी साहब आये। उन्होंने भी काफी अच्छा काम किया। उन्होंने भी अपना काम काफी कर्तव्य निष्ठा के साथ किया। और उसके अन्दर ग्रास, फोडर के लिये भी बहुत सारे कदम उठाये। लेकिन प्रभारी

(श्री भोपाल सिंह)

अधिकारी आये उन्होंने इसमें दिलचस्पी नहीं ली और उसका पतन होने लगा। वर्ल्ड बैंक की टीम आयी। गायों की यह हालत हो गयी कि पूंछ से उनको उठाना पड़ता था और गायों का दूध 1 किलो रह गया। किसी विकास कार्य में ह्यूमन एलीमेन्ट कितना जरूरी है यह बताता है। आप कितनी ही योजना बना दें, कितना ही और अर्थ उसमें खर्च करदें, कुशल प्रशासन न हो और अच्छे प्रभारी अधिकारी न हो तो वहां सफलता की आशा नहीं की जा सकती। मैं चाहूंगा कि जितनी भी योजनायें हैं इस क्षेत्र में की जा रही हैं, सरकार हमें आश्वस्त कराये, ऐसे अधिकारियों को भेजेंगे जो इसमें दिलचस्पी रखते हों, जिनमें मिशनरी स्प्रिट हो विकास करने की और योजना को सफल बनाने की। अगर उनमें इस ओर रुचि नहीं है तो उनको नहीं भेजें। जैसलमेर में प्राय: जिस आदमी की शिकायत होती है, हमारे यहां यह धारणा है, उस आदमी को वहां भेजा जाता है। वहां के फेक्टर्स को देखते हुए पशुओं का विकास करना और जितनी योजनायें हैं उनको पूरा करने के लिये बहुत कर्त्तव्यनिष्ट व्यक्ति चाहिये। उसके लिये मैं मंत्री जी से आश्वस्त होना चाहता हूं। आयन्दा कोई आदमी भेजें उसके लिये ध्यान रखें और उसके लिये हार्ड ड्यूटी अलाउन्स का भी प्रावधान करें। कोई न कोई इन्सेन्टिव उसके लिये होना चाहिये ताकि अच्छी तरह से कार्य कर सके।

इसके अलावा हमारे इसके अन्दर एक और योजना भेड़ पालन के सम्बन्ध में है जो सन् 72 में तैयार की गयी उसकी क्रियान्वित करने के लिये अब तक कोई कदम नहीं उठाया। यह डी० पी० ए० पी० के अन्तर्गत है। केन्द्रीय सरकार से पैसा मिल गया है लेकिन क्रियान्वयन के सम्बन्ध में अब तक कोई कदम नहीं उठाये गये हैं। कुछ अर्से पहले भेड़ ऊन निदेशक पधारे थे। उनको इलाका बताया जिसमें काफी बड़ा पोश्चर लैंड बनाया जा सकता है करीबन तीस वर्ग माइल्स का है। यह योजना तुरन्त क्रियान्वित करनी चाहिये यह मेरा निवेदन है।

जैसलमेर की ग्रेड सबसे उत्तम भेड़ है। राजस्थान में सबसे ज्यादा उसमें भार होता है। ऊन के लिहाज से भी 2½ किलो ऊन साल में पैदा करती है जब कि भारतीय भेड़ औसत 800 ग्राम पैदा करती है और राजस्थानी का औसत 1.2 किलो है। सिवाय नाली के जो 2 किलो करती है। यह ढाई ढाई किलो करती है। यह भेड़ सबसे उत्तम है। रेशा भी इसका फाइन है। यह भेड़ सबसे उत्तम भेड़ है। जहां दूसरी भेड़ों की प्रोग्रेस के लिये क्रास ब्रीडिंग का प्रोग्राम चलाते हैं, वहां की भेड़ एक किलो ऊन देती है और वह मटन देती है। जैसलमेर में की भेड़ के लिहाज से भार में कम है जिसका ऊन की पैदावार और सब दृष्टि से जो उत्तम है वे विकास की यह स्कीम जो 72 में बनी डेवलपमेंट आफ फोडर रिजर्व एरियाज फोर मीटिंग शिप रिक्वायरमेन्टस फोर जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट,' इसको क्रियान्वित करने के लिये जल्दी से जल्दी कदम उठाये जाने चाहिये।

श्री मोहनलाल छंगानी : गोटेवालाजी के अधिक हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला: मटन देख ही रहे हो।

श्री भोपाल सिंह : इसी तरह से जैसलमेर में ऊंट भी अच्छे होते हैं। ऊंट ऐसे जानवर हैं कि कितना ही अकाल हो, वह मनुष्य के साथ

(श्री भोपाल सिंह)

में दुख में और सुख में रहता है और सब तरह की झाड़ियें खाकर भी उससे सरवाइव कर जाता है। बीकानेर में जैसा राज्य का प्रजनन फार्म है जैसलमेर में नहीं तो कम से कम शेरगढ़ में तो शुरू कर दीजिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : फलोदी के लिये बात करदें। जानवर तो अच्छे हैं ही मनख भी अच्छे हैं क्या। हम तो मानते हैं।

श्री भोपाल सिंह : मानते क्या हैं। हकीकत में है।

हमारे क्षेत्र में राज्य द्वारा कुछ ट्यूब वेल्स रखे जाते हैं। उनसे खेती होती है। ये फोरेस्ट में भी काम में लिये जावेंगे और डेयरी फार्म में भी कार्य में लिये जावेंगे। लेकिन यदि अकाल पड़ते हैं जो पड़ते ही रहते हैं तो वे पेय जल के लिये भी काम में आते हैं। पी० एच० डी० के अन्तर्गत ट्यूब वैल्स हैं। उनपर रिजर्ववायर बने हुए हैं। हाइजनिक व्यवस्था है मनुष्य और पशुओं के लिये काम में आते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जितने भी ट्यूब वैल्स हैं उनमें रिजर्ववायर नहीं हैं जिससे कि मनुष्य और पशुओं को हाइजनिक तरीके से पानी उपलब्ध हो सके। मैं चाहूंगा कि उसी तरह से इनकी भी व्यवस्था होनी चाहिये। वरना होता क्या है कि कुत्ते, बिल्ली, जानवर, घोड़े, गधे, सब एक ही जगह पानी पीते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जिससे बीमारियां फैलती हैं क्योंकि रिजर्ववायर न होने से गड्डों में पानी भरा रहता है। मेरा निवेदन है कि इन ट्यूब वैल्स पर भी रिजर्ववायर होने चाहिये और हाईजनिक तरीके से व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वित्त मंत्रीजी।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि और पशुपालन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आज सदन के अन्दर गम्भीर चर्चा हुई है। उसके बारे में ब्यौरे वार प्रकाश मेरे से सीनियर मंत्री माननीय कृषि मंत्रीजी रखेंगे। मेरे जिम्मे इतना ही है कि कृषि विभाग का एक छोटा सा अंग है, अन्डर ग्राउन्ड वाटर डिपार्टमेंट उसका इन्तजाम मेरे पास है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी में दूं। वैसे हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि अन्डर ग्राउन्ड वाटर डिपार्टमेंट के बारे में किसी ने नहीं कहा, कहे या न कहे, कट मोशन आये या न आये, मेरा फर्ज होता है कि साल भर में इस विभाग के बारे में जो थोड़ी जानकारी में दे सकूं गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य के अनुसार सदन का ज्यादा समय न लेते हुए मैं संक्षेप में ही कहूंगा।

राजस्थान अन्डर ग्राउन्ड वाटर डिपार्टमेंट के मुख्य दो काम हैं। एक सर्वे कराना और दूसरा इन्जीनियरिंग। तीन तरह से सर्वे करते हैं। एक प्रिलिमिनरी सर्वे जो केवल जियोलोजिकल सर्वे होती है, जमीन का स्ट्रेटा देख कर पता लगाते हैं कि कहां कितना पानी है। दूसरा होता है सेमी डिटेल्ड सर्वे। मानसून के पहले कुओं में कितना पानी है और मानसून के बाद में कितना बढ़ा और कितना डिस्चार्ज हुआ इसका पता लगाता है। एक होता है डिटेल्ड सर्वे जिसमें तीन साल लगते हैं। अभी हम सेमी डिटेल्ड सर्वे राजस्थान में कर रहे हैं। प्रिलिमिनरी सर्वे तो राजस्थान में 3/4 भाग में हो चुका है और उसकी बड़ी अहमियत अब नहीं है। सेमी डिटेल्ड सर्वे राजस्थान में कर रहे हैं और अब तक जो आंकड़े उपलब्ध हैं उनके अनुसार 71-72 में 15 पंचायत समितियों

(श्री वित्त मंत्री)

में किया, 72-73 में 40 पंचायत समितियों में किया और 73-74 में 47 पंचायत समितियों में किया और 74 में सारे राजस्थान में यह सेमी डिटेल्ड सर्वे पूरा करा देंगे। इसका मतलब यह है कि एग्रीकल्चरल रिफाइनेन्स कार्पोरेशन, रिजर्व बैंक और रूरल कारपोरेशन है वह इन सर्वे के बगैर हमको किसी तरह का लोन नहीं देता है। वह हमेशा इस बात के लिये कहता रहता है कि जब तक सेमी डिटेल्ड सर्वे न हो जाय और हमें यह पता नहीं चल जाय कि कहां कितना पानी उपलब्ध है तब तक हम रूरल इलेक्ट्रिकल स्कीम या एग्रीकल्चर रिफाइनेन्स स्कीम है उसको मंजूर नहीं करेंगे। इसी प्रकार रिजर्व बैंक कहता है। इसको देखते हुए पहले साल 15 और 20 पंचायत को लिया। फिर पंचायत समिति बढ़ाकर 40 की और इस साल 47 की और मैं समझता हूं पांचवी योजना के पहले साल तक सारे राजस्थान का सर्वे करवा लेंगे। जिससे कि सारे राजस्थान का इस बारे में हमें पता लग जावेगा कि मानसून के कारण हमारे यहां कहां कहां कितना कितना पानी का डिस्चार्ज होता है और कितना अण्डरग्राउड पानी हमें उपलब्ध हो सकता है।

पर जैसा अर्ज कर चुका हूं पूरा पता तब लग सकेगा जब हम तीन साल का डिटेल्ड सर्वे करावेंगे। इसके लिये हमने भारत सरकार को छः करोड़ की एक स्कीम भेजी थी, खुशी है कि वह स्कीम मन्जूर कर ली गई और अगले साल इस स्कीम के तहत हमको करीब 33 लाख रुपया दिया गया है। इस सारी स्कीम को कम्पलीट करने में हमें दस साल लगेंगे क्योंकि एक एरिया में तीन साल लगावें तो सारे एरिया में दस साल से कम नहीं लग सकेंगे। छठी और पांचवी योजना तक यह कार्य सम्पन्न हो सकेगा। देर से यह काम जरूर होगा पर यह महत्वपूर्ण काम होगा, इससे हमें पता लग जावेगा कि सारे राजस्थान में कितना पानी कहां कहां उपलब्ध हो सकता है।

आज बहुत सी शिकायतें आती हैं कि हमारे यहां कुआ तो बना दिया पर पानी कम आया। ट्यूब वैल खुद जरूर गया पर खराब हो गया और जिससे 15 हजार गैलन पानी की आशा बंधाई गई थी वहां केवल पांच हजार गैलन ही निकला। तो इस तरह की शिकायतें हमारे पास भी आती हैं। इस बारे में मेरा निवेदन है कि जब तक हम डिटेल्ड सर्वे नहीं करेंगे ये गलतियां थोड़ी बहुत होती रहेंगी। इस में एक साल या एक महीने में होने वाली प्रिलिमिनरी सर्वे से पता लगाना मुश्किल है। इसलिये यह जरूरी है कि हम ठीक ठीक पता लगाने के लिये डिटेल्ड सर्वे करें। पर साथ में यह भी ठीक है कि तब तक हम इन्तजार में बैठे रहें यह भी नहीं हो सकता सम डिटेल और आर० ई० से सहायता प्राप्त न करें यह भी गलत होगा। ए० आर० सी० से सहायता मिल चुकी है। बहुतों को मालूम भी नहीं होगा जो सफलता इस विभाग ने प्राप्त की है। इस विभाग ने बहुत बड़ा काम किया है। लोगों ने इनकी तारीफ भी की है। तारीफ के लायक यह विभाग काम कर भी रहा है। अभी तक इसको बनाई हुई तीस स्कीमें मन्जूर हो चुकी हैं इसका टोटल आउट ले जो है वह 21 करोड़ रुपये का है। वह है आपके इस विभाग की ए० आर० सी० की माइनर इर्रिगेशन स्कीम। इसका टोटल आउट ले 21 करोड़ रुपया का है और जो स्कीमें जिनके लिये कह दिया गया है कि मन्जूर जल्दी कर देंगे उसका आउट ले होगा करीब तीन करोड़ रुपया।

(श्री वित्त मंत्री)

इसके अलावा जो जून में हमारी स्कीमें मन्जूर करने का कहा है उसका आउट ले 12 करोड़ रुपया होगा, इसमें कुल बीस स्कीमें हैं। और स्कीमें तैयार कर रहे हैं अभी उनकी मंजूरी के लिये जो अगर मन्जूर हो जावेंगी तो उनका आउट ले होगा 15 करोड़ रुपया। इस तरह 21 और तीन चौबीस, और 12 छत्तीस और यह 15 इस तरह कुल मिलाकर यह 51 करोड़ की स्कीमें हैं। तो माइनर ईरिगेशन की 51 करोड़ की ये स्कीमें तैयार करके सेमी डिटेल सर्वे कराकर मन्जूरी के लिये भेज दी हैं कुछ तो कुछ भेज रहे हैं। इस तरह से यह विभाग सचमुच में सराहनीय कार्य कर रहा है। यह मैं मान रहा हूं कि जो डिटेल्ड सर्वे से रिजल्ट आने चाहिये वे सेमी डिटेल्ड से नहीं आ सकते। फिर भी इससे काफी सीमा तक हमें सफलताएं मिली हैं और जो हमारा फेल्योर है कम मात्रा में रहा है। पर जब डिटेल्ड सर्वे हो जावेगा तो फेल्योर की संख्या कम हो जावेगी।

इसके बाद इस विभाग के इन्जीनियरी सैक्शन में हमारे पास इस समय जो मशीनें हैं उसका थोड़ा ब्यौरा सदन में रखना उचित समझूंगा। बार बार चारों ओर से मांग आती है कि हमारे यहां ब्लास्टिंग करने और बोरिंग करने के लिये मशीनें भेजी जावें, रिगें भेजी जावें पर हम सभी जगह भेजने में इसलिये असमर्थ हैं कि हमारे पास इस समय मांग को देखते हुए मशीनें कम हैं। इस समय हमारे पास हैवी ड्यूटी एक्सप्लोरेशन रिग्स 14 हैं। बोरिंग मशीनें 29 हैं, कन्वेइंग बेल्ट 110 हैं, रोटरी यूनिट्स 12 हैं, कम्प्रेशर्स और ड्रिल्स मशीनें 4 हैं।

तो ये इतनी मशीनें हमारे पास हैं और इन मशीनों से हम जो काम कर रहे हैं वह यह है कि एक तो जहां जहां भी कुओं पर पानी कम हो गया है उनको गहरा करने और पानी की मात्रा अधिक बढ़ाने के लिये ब्लास्टिंग करते हैं। इस साल, भूलता नहीं हूं मैं, तो शायद 30 हजार कुओं का हमने ब्लास्टिंग किया है। दूसरा काम यह करते हैं कि सेमी डिटेल्ड सर्वे करते हैं। ए० आर० सी० स्कीम मन्जूर जहां हो जाती है वहां एक्सप्लोरेटरी ट्यूब वैल खोदते हैं। जो रेगिस्तानी एरिया है जहां पीने तक का पानी नहीं है, और जहां सेमी डिटेल्ड सर्वे भी नहीं है उस जगह आगे और डिले नहीं करते हुए अन्दाज से पता लगाते हैं और सौभाग्य से वहां पानी मिल जाता है तो पीने के लिये तो मीठा पानी हम दे पाये हैं इतना सन्तोष हमें होता है। भले ही वह अधिक मात्रा में नहीं निकला हो। तो इस तरह से ये तीन तरह के काम इन मशीनों की मदद से हमारा यह विभाग करता है। यह मैं मानता हूं कि काम को देखते हुए ये मशीनें कम हैं। पिछले साल जो मशीनें हमारी बिहार, उड़ीसा में काम करने के लिये फेमीन के समय भेजी थीं उन सारी मशीनों को बाहर से हमने यहां मंगवा ली हैं। फिर भी आज यह महसूस हो रहा है कि मशीनों की हमारे पास में कमी है। इसलिये पांच नई मशीनें हम तुरन्त ही खरीद रहे हैं। एक मशीन तो खरीद भी ली गई है और चूंकि आज इस मद के बारे में यहां विचार विमर्श चल रहा है इसलिये इस मशीन को स्वयं लेने के लिये जो अधिकारी आज ही जा रहे थे उनको आज रोक लिया है। कल वे लारसन और टोब्रो की फेक्टरी में जहां ये मशीनें बनती हैं जाने वाले हैं और उनको हिदायत दे दी है कि जितनी मशीनें वहां हों और वे खरीद सकते हैं, वे खरीद लें। धरना देकर बैठ जावें और

(श्री वित्त मंत्री)
मशीनें वहां से लेकर आवें । अगले साल विचार है धन की उपलब्धि हुई तो छः मशीनें और खरीदेंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा हम ट्यूब वैल खोदने का काम कर सकें ।

एक बात जो पी० डब्लू० डी० की डिमाण्ड के डिसक्शन के अवसर पर मैंने कही थी वह मैं और निवेदन कर देना चाहता हूं कि हमारा इन्जीनियरिंग विभाग ब्यावर में, जयपुर के आसपास, और डूंगरपुर, बांसवाड़ा में हैण्ड पंप खोदने और लगाने का कुछ काम कर रहा है। ब्यावर में, अभी तक जो सूचनाएं मुझे मिली हैं, उसके अनुसार 61 बोर होल्स किये हैं जिसमें से 30–35 सक्सैसफुल गये हैं । डूंगरपुर, बांसवांड़ा में 600 गांवों में लगभग 2 हजार हैण्ड पम्प लगाने की योजना है जिससे उस इलाके के लोगों को स्वच्छ पीने का पानी मिल सके और इस तरह नहरूं रोग को भी जड़ मूल से वहां से समाप्त कर सकें।

श्री केशरीमल : ब्यावर में ये हैण्ड पम्प काम ही नहीं कर रहे हैं।

श्री चन्दनमल बैद : मेरी सूचना है कि 30–35 काम कर रहे हैं।

श्री केशरीमल : कुछ में पानी आया है, पर जो पम्प लगाये हैं वे इतने डिफेक्टिव लगाये हैं कि काम ही नहीं करते अब, लगाने के थोड़े दिन बाद ही बेकार हो गये।

श्री चन्दनमल बैद : इसके लिये वे खराब न होने पावें और मिस हैण्डलिंग से खराब हो जाते हों तो इनको तुरन्त सुधार कर चालू रखने के लिये मैं एक ओवरसीयर और इन्जीनियर को वहां नियुक्त कर दूंगा । हैण्ड पम्पों को यूज करने में जनता लापरवाही बरतती है । इसलिये वे टूट भी जाते हैं, इसकी शिकायतें हमारे पास भी आई हैं। तो जब तक वहां पानी की कमी रहेगी तब तक ओवरसीयर एक बराबर वहां लगा रहेगा और जहां खराब होगा तो तुरन्त उसकी मरम्मत कर दी जावे यह उसको हिदायत होगी और जहां टूट जावे तो वहां तुरन्त नया लगा दिया जावे । अभी तो इसके सिवाय हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि जो नीचे पानी है उसको हैण्ड पंप के जरिये से निकालें या बाहर से टैंकरों में लाया जाय जिसके लिये नगरपालिका को हम पैसा बराबर दे रहे हैं और जो मौजूदा कुए हैं उनको ब्लास्ट करके गहरा करके उनसे जितना पानी प्राप्त कर सकते हों वह करेंगे । ये तीन तरीके हैं जो ब्यावर के लिये तुरन्त लागू हो सकते हैं और जो हमने लागू किये हैं । लौंग टर्म प्लान के लिये मैं काफी विस्तार से पहले बता ही चुका हूं ।

श्री केशरीमल : वहां आसपास के गांवों में भी यही हालत है, वहां पीने का पानी नहीं है। गांवों में भी यही हाल है।

श्री चन्दनमल बैद : यह काम अकाल सहायता विभाग कर रहा है। कृषि मन्त्रीजी बराबर इसके लिये सदन को विस्तार से बतलाते रहे हैं । अगर इससे भी आपको सन्तोष नहीं होता है तो फिर मेरे इस संक्षिप्त भाषण से सन्तोष नहीं होगा ।

तो वह हैंड पम्प का काम भी कर रहा है । पर इससे एक समस्या हमारे सामने आई है, उसके बारे में जिक्र करना चाहूंगा । ओवर ड्राफ्टिंग होता रहा तो अण्डर ग्राउण्ड वाटर की भी एक सीमा है। यह नहीं कि वह सीमा रहित हो। जहां भी अण्डर ग्राउण्ड वाटर मिलता है लोग उसका ओवर यूज करने का

(श्री वित्त मंत्री)

प्रयत्न करते हैं। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये हम तुरन्त ही बिल लाना चाहते हैं ताकि इसको रेगुलेट कर सकें। आज हो क्या रहा है कि जयपुर, अजमेर, जोधपुर में ओवर ड्राफ्टिंग होने से वाटर लेवल नीचे चला गया है। वहां अगर यही स्थिति रही तो और नीचे चले जाने की पूरी आशंका है। पहले यह होना चाहिये कि पीने के पानी की पूर्ति उससे कर सके। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने जवाई बान्ध से कृषि सिंचाई बन्द कर दी है। रामगढ़ बांध है, उसका सारा पानी रिजर्व करना पड़ेगा उसी तरह मेजर बान्ध है, उसका सारा पानी रिजर्व करना पड़ेगा। प्रायोरटीज बान्ध कर यह तय करना पड़ेगा। हमारा जो अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड है उसका डिटेल्ड सर्वे हो जाय तो मालूम हो जायेगा हमारे राजस्थान में अन्डर ग्राउन्ड वाटर कहां कहां और कितना कितना है। उसके लिये हमें कुछ कानून अपने हाथ में तत्काल लेना पड़ेगा। इसके लिये मैं जल्दी ही सोच रहा हूं कि एक बिल लाया जाय। सारे राजस्थान की मान्यता है। हम भी इस विधान सभा में बिल लायेंगे और उस समय आप सब को विचार करने का और सुझाव देने का पूरा मौका मिलेगा।

एक चर्चा यह की गई है कुछ ट्यूब वैल आपने बना दिये, वे काम नहीं कर रहे हैं। ट्यूब वैल्स की करीब करीब तीन श्रेणियां हैं। एक ट्यूब वैल तो वे जो सिंचाई के काम में आते हैं जिसका डिस्चार्ज आधा से पौन क्यूसेक तक होता है लेकिन वह भी इस बात पर निर्भर है कि कितना गहरा है और उसकी कितनी क्षमता है। और साथ में इकोनोमिक इतना होना चाहिये एक एकड़ इन्च पानी निकालने में उससे अगर 8 रुपया खर्च होता है तब तो इकोनोमिक मानते हैं उससे ज्यादा खर्च होता है तो अन-इकोनोमिक मानते हैं। एक तो ऐसे कुए हुये जो सिंचाई के काम में आये दूसरे कुए जो खेती के काम नहीं आते हैं और पीने के पानी के काम में आते हैं उनको हम पी०एच० डी०को हेन्ड ओवर कर देंगे। जब भी वह डिपार्टमेंट स्कीम बनायेगा, क्योंकि सारे राजस्थान को पीने का पानी तो मुहैया करना ही है। इसमें भारत सरकार भी काफी पैसा देने वाली है। हम इसके लिये पंचम योजना में काफी पैसा रखने वाले है। इस प्रकार के सारे कुए पी० डी० को हेन्ड ओवर कर देंगे। अब तीसरे कुए वे हैं जो न तो पी० एच० डी० के काम आ सकते हैं और न उनसे सिंचाई ही हो सकती है। ऐसे कुओं का काम जब अकाल का समय हो और अगर फेमिन डिपार्टमेंट चाहता है सील करके उनको रख दिया जायगा और जब जरूरत पड़ेगी तो उसकी सील तोड़ दी जायगी।

बहुत से माननीय सदस्यों को यह गलत फहमी है कि कुएं चलते नहीं हैं तो कुए नहीं चलने के कारण अन-इकोनोमिक हैं।

एक बात है वह यहां उठाई नहीं गई लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड में काफी लॉसेज जा रहे हैं। इसके कई कारण हैं। हर चीजों के भाव बढ़ गये, सीमेन्ट के भाव बढ़ गये, डीजल के भाव बढ़ गये। हम चाहते ह कि स्केल रि-वाईज करें, लेकिन मेरा मन नहीं मानता है किसान के लिये रेट बढ़े लेकिन पी० एच० डी० के लिये करना पड़ेगा। आखिर एक सरकारी डिपार्टमेंट जितना खर्चा लगाता है उतना तो अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड को

(श्री वित्त मंत्री)
देना ही है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। शायद हमारा जो घाटा होता है वह कम हो जायगा।

श्री खेत सिंह : यह तो बुक एडजस्टमेंट है।

श्री चन्दनमल बैद : इसके लिये हाई पावर कमेटी बनाई है। वह सारे कारणों में जायगी और हमें सुझाव देगी कि क्या तरीका अपनाया जाय जिससे इसका घाटा पूरा हो सके। हाई पावर कमेटी का निर्माण हो चुका है। उस कमेटी को कहा गया है शीघ्र ही रिपोर्ट दे दें ताकि हमें क्या सुधार करना है वह कर सकें।

एक माननीय सदस्य : नान-आफिसियल मेम्बर नहीं रखे है क्या कमेटी में ?

श्री चन्दनमल बैद : आफिशियल मेम्बर है। आपकी राय से सारा काम हो रहा है ....

श्री रणजीत सिंह : पता तो लगे कि क्या काम हो रहा है।

श्री खेतसिंह : दो–एक नान-आफिशियल मेम्बर भी रख दें।

श्री चन्दनमल बैद : खैर, यह विवाद की बात हो जायगी। नान-आफिशियल के बजाय आपकी एस्टीमेट कमेटी है, पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी है जो सारी चीजों को बराबर देखती रहती है ....

श्री श्रीराम गोटेवाला : मुख्य सचेतक महोदय का सुझाव है, मान लेना चाहिये।

श्री खेतसिंह : शेरगढ़ के बारे में..

श्री चन्दनमल बैद : शेरगढ़ और फलोदी के बारे में कहा गया शेरगढ़ में कुछ..

श्री खेतसिंह : 40 नल कूप मंजूर हुये है।

श्री चन्दनमल बैद : 40 नहीं, 20 हुये थे इसलिये मैं कागज को ढूंढ रहा हूं ...

श्री खेतसिंह : खोदा एक भी नहीं गया।

(विराम)

श्री चन्दनमल बैद : ट्यूब वैल नहीं खोदने का यही कारण है अभी तक हमें वहां बिजली प्राप्त नहीं हुई है और बिजली प्राप्त नहीं होने से जो एस्टीमेट्स लगाये जायं तो जो कुये खोद देंगे वे हमारे किसानों के काम नहीं आयेंगे। अभी 19 गांवों की स्कीम भारत सरकार को भेजी है। वह मंजूर होते ही, उसमें शेरगढ़ शामिल है जितने वायदे किये हैं वह खोदेंगे। हमारा ऐसा मानना है शेरगढ़ में 45 ट्यूब वैल्स की सम्भावना है, पानी के हिसाब से।

श्री लूणाराम : बिजली है, वहां तो खुदवायें।

श्री चन्दनमल बैद : जहा पानी है वहां खोद रहे हैं, खासोली में खोद रहे हैं। जहां जहां पानी मिला वहां वहां खोद रहे हैं...

श्री लूणाराम : सिरनावा में ...

श्री चन्दनमल बैद : सिरनावे से मेरी कोई नाराजगी नहीं है। खेती के लिये पानी मिलेगा तो खेती के लिये कुए खोदेंगे और पीने के पानी के लिये पानी मिलेगा तो पीने के पानी के लिये खोदेंगे। राजस्थान में जितनी पानी की कमी है, अगर मजाक में यह कहूं आंसू निकलते हैं उसका भी उपयोग

(श्री वित्त मंत्री)

किया जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जहां पानी मिलेगा, वहां पूरी कोशिश करेंगे।

फलोदी की, जो अभी अर्द्ध विकसित क्षेत्र है, उसकी सर्वे इसी साल पूरी हुई है। उसकी रिपोर्ट अप्रेल में आयेगी और रिपोर्ट आने के बाद फलोदी में कितने कुये खोदने की गुंजाइश है वहां भी खोदेंगे।

श्री हरिसिंह : चित्तौडगढ़ क्षेत्र में अन्डर ग्राऊन्ड वाटर बोर्ड द्वारा सर्वे पूरा हुआ है और पूरा हुये 6 महीने हो गये। मैं निवेदन कर दूं एक घंटे में एक लाख गैलन से ज्यादा है। वहां पर बिजली का भी प्रसार हो चुका है फिर मेरी समझ में नहीं आता वहां काम क्यों नहीं शुरू किया गया।

श्री चन्दनमल बैद : 72-73 में जो सर्वे हुआ है उसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है"

(एक माननीय सदस्य के खड़े होकर बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ रखिये।

श्री हरिसिंह : चित्तौडगढ़ जिले में बेंगूं पंचायत समिति····।

श्री चन्दनमल बैद : बेगू का जो सर्वे हुआ है वह 1972-73 में हुआ है। मेरे पास लिस्ट है····

श्री हरिसिंह : हाईड्रोलाजीकल सर्वे हो गया। कम्पाइलेशन हो गया है।

श्री चन्दनमल बैद : हां बेगूं का सर्वे 1972-73 में हुआ और उसकी रिपोर्ट हमारे पास अप्रेल में आयेगी और उसक बाद हम स्कीम बनाकर ए० आर० सी० को भेजेंगे और ए० आर०सी० को भेजने के बाद उसके स्वीकार होने में भी कुछ टाइम लगता है। आखिर वह भी कुछ बातें देखते हैं। करोड़ों रुपया देते हैं तो यों ही फेंक कर दे दें ऐसी बात नहीं है। वह भी बैंक है···

श्री हरिसिंह : किस स्टेज पर है यही निवेदन कर रहा था।

श्री चन्दनमल बैद : रिपोर्ट अभी नहीं आई है। 1972-73 में सर्वे किया है बेगूं का, अरनोद का, प्रतापगढ का और अप्रेल में सर्वे की रिपोर्ट आ जायेगी उसके बाद ही स्कीम बनायेंगे और उसके अनुसार जैसी पासीबिलिटी होगी उसके अनुसार हम वहां पर कार्य करेंगे।

श्री खेतसिंह : हम सेटिस्फाइड हैं, अब आप जल्दी करो।

श्री चन्दनमल बैद : हां, आप सेटिस्फाइड हैं। मैं अर्ज कर चुका हूं कि मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता और इन्हीं शब्दों के साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य सारे ही मेरे इस अण्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड के कार्य से सन्तुष्ट हैं इसलिए इसकी मांगों को सर्वसम्मति से स्वीकार करेंगे, ऐसी मुझे आशा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कृषि मंत्रीजी।

श्री परसराम मदेरणा (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष जी, कटमोशन्स के जरिये 25 माननीय सदस्यों ने अपने विचार सदन में प्रस्तुत किये। कांग्रेस पार्टी के चीफ व्हिप उकता गये हैं, सवेरे 11 बजे से बैठे हुए हैं इसलिए मैं ज्यादा समय लेना पसन्द नहीं करूंगा और मैं उन्हीं कटमोशन्स का उत्तर

(श्री परसराम मदेरणा)

देना पसन्द करूंगा जो कि माननीय सदस्य यहां पर उपस्थित हैं।

कृषि के संबंध में बहुत सी बातें यहां पर कही गयीं। इसके संबंध में यह भी कहा गया कि कृषि में स्टेगनेशन आ गया, यहां पर यह भी कहा गया कि इनपुट्स की टेक्नोलॉजी पर पुनः विचार करना चाहिए और यहां पर यह भी कहा गया कि राजस्थान बनने के बाद जो कुछ भी कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है या नहीं हो रही है यह सब भगवान के भरोसे है। यहां पर यह भी कहा गया कि विभाग की तरफ से सुपरवीजन में ढिलाई रही इसलिए फर्टीलाइजर का ब्लैक मार्केटिंग हुआ। यहां पर सीड की इम्प्योरिटी की बात भी सामने आई और यहां पर यह बात भी उठाई कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और इरिगेशन डिपार्टमेंट का कोआर्डीनेशन नहीं है। यहां पर यह भी कहा गया कि जिस राजस्थान की 82 प्रतिशत आबादी कृषि और पशुपालन पर निर्भर है और पशुपालन और कृषि के विकास की स्कीम हाथ में नहीं ली गयीं। यहां पर रिसर्च के संबंध में भी माननीय सदस्यों ने खास तौर से गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य और बेगूं से आने वाले माननीय सदस्य ने पूरी रिसर्च की स्कीम को यूनीवर्सिटी को ट्रान्सफर करने के बारे में एक चर्चा उठाई। प्रोक्योरमेंट प्राईसेज के संबंध में भी यहां पर कहा गया कि राज्य सरकार कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को ध्यान में नहीं रख कर आरबीट्रेरी तरीके से तय करती है और इससे किसान मारे जाते हैं। यहां पर यह भी कहा गया, हालांकि, वह माननीय सदस्य हैं नहीं लेकिन मुझे उस पॉइन्ट को जरूर स्ट्रेस करना पड़ेगा। सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने आंकड़े दिये कि 1970·71 में जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन पीक पर था उसका हवाला देते हुए उन्होंने अलग अलग जो वेराईटीज हैं आइल सीड्स हैं, काटन है, शुगरकेन प्राडक्शन है इन सब के बारे में उन्होंने कहा कि प्राडक्शन गिरा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहता हूं कि राजस्थान बनने के 3 साल बाद 29 लाख टन था और वह 1970·71 का एवरेज ईयर है जब कि फूड प्राडक्शन अच्छा था। 1971·72 में वह प्राडक्शन 63.73 लाख टन हुआ है। इसका मतलब यह है कि राजस्थान के अन्दर उत्पादन 120 परसेन्ट बढ़ा है और यह खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा है लेकिन खाद्यान्नों के साथ ही साथ शुगरकेन का उत्पादन 123 परसेन्ट बढ़ा है। कॉटन का प्रोडक्शन हमारा 342 परसेन्ट बढ़ा है, आइल सीड्स का उत्पादन 391 परसेन्ट बढ़ा है। तो यह कहना कि इस राज्य के अन्दर कृषि की प्रोडक्टिविटी में स्टेगनेशन आया है यह बात सही नहीं है। 1970·71 एक्सेपशनली अच्छा ईयर था और उसके संबंध में हिन्दुस्तान के एग्रीकल्चर कमीशन ने इस बात का उल्लेख किया है कि 108 मिलियन टन देश में खाद्यान्न उत्पन्न हुआ है। उसमें जो टारगेट्स थे जिसकी हम उम्मीद करते थे उससे एक्सेपशनली ज्यादा हुआ। 8 मिलियन टन की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। उसमें 4 मिलियन टन तो कोर्स ग्रेन में एक ही साल में ज्यादा बढ़ा है। 1970·71 एक्सेप्शनल ईयर था और एक्सेप्शनल ईयर में जो दूसरा प्रोडक्शन हुआ खरीफ की फसल का उसका कम्पेरीजन 1970·71 या 1971·72 से करके सही चित्रण प्रस्तुत नहीं कर रहे थे माननीय

(श्री परसराम मदेरणा)

सदस्य, इसलिए मुझे यहां पर इसका स्पष्टीकरण करना पड़ा है ।

यहां पर माननीय कुछ सदस्यों ने सिंचाई के संबंध में भी कुछ बातें कहीं । सिंचित एरिया राजस्थान का जो पहले था 1951-52 के अन्दर उसमें केवल बढ़ोतरी ही नहीं हुई है । राजस्थान में 1950-51 में सिंचित एरिया जहां 11.71 लाख हेक्टर था वहां 24.53 लाख हेक्टर है और राजस्थान के अन्दर 1952 के अन्दर जहां 4.52 लाख हेक्टर में इरिगेटेड एरिया जहां दो फसलें होती थीं वहां राजस्थान के अन्दर 1970–71 के अन्दर 15 लाख 50 हजार हेक्टर के अन्दर दो फसलें बोई जाती हैं । मेरे कहने का मतलब यह है कि इस साल राजस्थान के अन्दर जहां भयंकर सूखे की स्थिति है और पिछले वर्ष 36 लाख 47 हजार हेक्टर के अन्दर रबी की फसल बोई गयी थी वह 29 लाख 29 हजार में रबी की फसल बोई गई है । इसका कारण यह नहीं है कि राजस्थान पश्चिमी जिलों में अकाल रहता है लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में जो इलाका है और राजस्थान की जो ज्यग्राफीकल कन्डीशन्स हैं यहां पर टोटल इरिगेटेड एरिया 52 परसेन्ट कुओं से है और 14 परसेन्ट तालाबों से है, जब कभी बरसात की कमी होती है, सूखा होता है तो इन तालाबों में पानी नहीं आता और इनडाइरेक्टली जो डिस्चार्ज कुओं में होता है उसमें भी कमी हो जाती है और इसका नतीजा यह होता है कि जब क्लाइमेट हमारे हक में नहीं है तो आप कितना ही इरिगेशन के काम कीजिये, अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि पश्चिमी जिलों में जो काम कर रहे हैं उनमें डाक्टर वीनस की बात नहीं मानी । डाक्टर वीनस हो या और कोई दूसरे हों, कोई डी० लिट् हों या पी० एच० डी० हों । एक दिन का ट्यूर करते हैं और कहीं पर जाकर गाय का दूध देख लिया तो कह दिया कि वहां पर कैटल डवलपमेंट का काम होना चाहिए । मैं मानता हूँ मिन में ज्यादा काम कैटल डवलपमेंट का नहीं, कैटल को जिन्दा रखने का काम ज्यादा होता है । इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस एरिया की प्राब्लम को सोल्व करने के लिए, काश्तकारों की प्राब्लम को सोल्व करने के लिए सर्वे करा कर इन्टीग्रेटेड प्रोग्राम वहां पहुंचाया जाना चाहिए । मैं स्वयं इसके पक्ष में हूं और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अन्दर जो स्पेशल सैल है, जो स्पेशल स्कीम है । उसका यही परपज है कि माईनर इरिगेशन और पेस्टेराइट ट्यूब वैल की योजनाएं बनाई जावें । और केवल ट्यूब वैल ही नहीं वहां पर ड्राट प्रूविंग प्रोग्राम की योजना बनाई जानी चाहिए और ड्राट प्रूविंग योजना के अन्दर केवल कैटल डवलपमेंट का काम ही नहीं है, कृषि विस्तार का काम ही नहीं है, पाश्चर डवलपमेंट का काम भी है, डेयरी डवलपमेंट का काम भी है जिससे कि वहां के काश्तकार की आमदनी बढ़ सके । इस ओर अगर इन्टीग्रेटेड तौर पर नहीं लग जायेंगे तो मैं यह मानता हूं कि जो 14 परसेंट मार्जिनल फार्मर हैं, 7–8 लाख के करीब जो एग्रीकल्चर लेबर है और उसके बाद में भी करीब 10 परसेंट या 15 परसेंट स्माल फार्मर्स की संख्या आती है । और इन लोगों की अगर आमदनी नहीं बढ़ती है तो राजस्थान की आमदनी नहीं बढ़ सकेगी और राजस्थान की आमदनी नहीं बढ़ेगी

(श्री परसराम मदेरणा)

तो राष्ट्रीय आय नहीं बढ़ सकेगी और राष्ट्र की आय नहीं बढ़ेगी तो गरीबी हटाओ प्रोग्राम भी फैल हो सकता है। इस लिये सरकार ने मार्जिनल फार्मर्स और स्माल फार्म्स के लिए स्कीम बनाई है। इसके साथ ही दूसरे इलाकों में कैटल डवलपमेंट किस तरह से हो सकता है और कैटल डवलपमेंट के कारण किस तरह से ज्यादा से ज्यादा आमदनी काश्तकार के हाथ में आये ताकि उसकी एग्रीकल्चर की आमदनी को सप्लीमेंट किया जा सके। इस प्रश्न पर भी फिफ्थ फाईव ईयर प्लान का अप्रोच नोट माननीय सदस्यों के हाथ में है और उन्होंने पढ़ा होगा कि कृषि विभाग का यह सोचना है कि कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। बरसात भी जरूरी है तो उपयुक्त जलवायु भी जरूरी है। तालाबों में पानी का भराव भी जरूरी है तो उसके साथ ही किसानों को अन्य साधन उपलब्ध करा कर भी इस काम को कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आज जो पंचायत समितियों में बैंक्स के जरिए जो लोन उपलब्ध होता है तो इन कोआपरेटिव इंस्टीट्यूशन्स की हालत भी अच्छी नहीं है। उनको कैसे स्ट्रेंग्थन किया जाय यह बात भी स्पेशलिस्ट्स का सैल देख रहा है। इसके साथ ही साथ पंचायत समितियों के अन्दर एक्सटेंशन का काम करने का जो उत्साह था ग्राम सेवक और दूसरे लोगों के द्वारा। आज एक्सटेंशन सर्विसेज के बारे में भी कुछ बातें कही गई। यह एक्सटेंशन सर्विस किसी एकाध सरपंच के पास नहीं करना है, राजस्थान की 85 परसेंट जनता के पास कृषि एक्सटेंशन सर्विस और रिसर्च का प्रोग्राम या टैक्नोलोजी या साइन्टिफिक नोलेज का प्रोग्राम पहुंचाना है। इसके लिए उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और फार्मर्स को फार्मर टैक्नोलोजी के अन्दर और उसकी फार्मिंग की ट्रेनिंग दिया जाना जरूरी है।

गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि राजस्थान केनाल के आल ओवर एरिया के अन्दर एग्रीकल्चर कालेजेज की स्थापना की जाय। मेरी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि एग्रीकल्चर ग्रेज्यूएट्स जिनको कि कोलोनाईजेशन एरिया के अन्दर जमीन अलाट की गई तो वह वहां पर जाने को तैयार नहीं हैं, पचासों तरह के बहाने बनाते हैं। लोगों के सोचने का तरीका और समाज की वेल्यूज आज दूसरी तरफ जा रही हैं। मेरे पास हनुमानगढ़ के कुछ काश्तकार जिनके पास में 18 मुरब्बा जमीन हैं, भले ही उसको उन्होंने बेनामी ट्रांजिक्शन करके परिवार के सदस्यों में इधर उधर ट्रांसफर कर दिया हो, लेकिन यह सही बात है कि उनके खुद के पास 10-12 मुरब्बा से कम नहीं है, उनकी माली हालत इतनी अच्छी है कि इतनी जमीन उनके पास भाखरा के कमाण्ड एरिया में है जो कि एश्योर्ड इरीगेशन है और आपके पास जो एग्रीकल्चर की नोलेज है तो उसका उपयोग करना चाहिए लेकिन उनका कहना था कि लड़का नौकरी करेगा तो ही ठीक रहेगा। उसे खेती में नहीं डालना चाहते। जिसके पास इतनी जमीन हो और वह भी भाखरा कमाण्ड एरिया और वह भी नौकरी में जाना चाहे तो यह भी एक सोचने का तरीका हो गया है आज का। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सामने भी आज आप देखेंगे कि दुनियां के अन्दर सब बड़े देशों में हिन्दुस्तान भी एक बड़ा देश है आबादी के लिहाज से सिवाय चाईना को छोड़ कर लेकिन उसके बाद में भी इल्लीट्रेसी का कितना परसेन्टेज

Page No.188

(श्री परसराम मदेरणा)

है और इल्लीट्रेसी का इतनी बड़ा परसेन्टेज होते हुए भी पैस्चराईज की जो मांग है, हाई ब्रीड शीड्स और दूसरे इम्प्लीमेंट्स की कितनी मांग है। इसके उपरान्त भी मुझे काश्तकार के कामन सेंस के ऊपर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। उसको कोई भी बात प्रेक्टिल करके बताई जावे तो वह उसको पकड़ता है। पहले नहीं पकड़ता, धीरे 2 पकड़ता है यह बात हो सकती है लेकिन वह पकड़ता जरूर है, कवर करता है। तो फर्टीलाईजर्स के सम्बन्ध में भी यही स्थिति रही है। आज से 16 साल पहले जब पंचायत समितियों में फर्टीलाईजर डाला गया तो किसी ने उठाया नहीं। पिछले सालों में यूरिया की हमारे पास कोई कमी नहीं थी लेकिन इस साल हमको 39 हजार टन यूरिया भारत सरकार से मिलना था। यूरिया का एलोकेशन हम नहीं करते, भारत सरकार हमको करती है। उस यूरिया के अन्दर हमको 39 हजार टन में से नेट्रेट फार्म में है और जिसका वेस्टेज पानी मिलने से कई गुना बढ़ जाता है, तो वह यूरिया जो मिलना था उसमें से 19,630 टन हमें पूल से मिलना था और नोन पूल में से 18,170 टन मिलना था। पूल का जो कुछ भी यूरिया हमको मिलता है या दूसरे प्रकार का फर्टीलाईजर जो हमको मिलता है वह फोरिन कण्ट्रीज से इम्पोर्ट होता है। यह बात भी नहीं है कि क्योंकि कृषि विभाग के जो मंत्री हैं उनको यह ज्ञान नहीं था कि आगे जाकर फर्टीलाईजर की कितनी आवश्यकता हो सकती है। मैं बताना चाहता हूं कि अक्टूबर के महीने के अन्दर ही एक चिट्ठी भारत सरकार को इसके लिए लिखी गई कि श्रीराम फर्टीलाईजर का यूरिया चूंकि राजस्थान में पैदा होता है और इसकी यहां खपत है इसलिए इस यूरिया को पहले राजस्थान में डायवर्ट किया जाय। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। यह पूरे देश के लिए अलाट किया गया है और इसमें तरमीम नहीं की जा सकती। इसके बाद में श्री फखरूद्दीनअली अहमद को चिट्ठी लिखी कि पूल का यूरिया कम मिल रहा है। नॉन पूल एरिया के लिए जो डीलर और एजेंट मुकर्रर किए जाते हैं उनको लाईसेंस लेना पड़ता है लाईसेंस होल्डर होने के लिए और डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर के पास से एक सर्टीफिकेट लेना पड़ता है, इसको भी हम कण्ट्रोल नहीं करते। यहां पर कोआपरेटिव सोसायटीज, मार्केटिंग सोसायटीज वगैरा के थ्रू फर्टीलाईजर बिकवाने की बात भी कही गई। आज कोआपरेटिव सोसायटीज की, क्रय विक्रय संघ की जो आर्थिक हालत है वह किसी से छुपी हुई नहीं है। इसलिए हमने एग्रोइण्डस्ट्रीज कारपोरेशन को यह काम सौंपा और उन्होंने आगे जाकर डीलर मुकर्रर किए। अब सरकार ने यह निर्णय लिया है कि भविष्य के अन्दर कोआपरेटिव सोसायटी का यूरिया खरीदने के लिए और खरीद कर एजेंट बनाने को तैयार है। भविष्य में इस काम को प्राइवेट लोगों को देने के लिए तैयार नहीं है। कुल मिला कर आज हमको पूल एरिया में से 5 हजार टन मिल सका और 14 हजार और कुछ टन हमें यूरिया नहीं मिला। इसलिए यूरिया के अन्दर जो सप्लाईज में शोर्टफाल हुआ है तो उसका कारण यही है कि 29 हजार टन की मांग थी और सब कुछ मिला कर हमें 23 हजार टन यूरिया मिल सका और 14 हजार टन का डेफिशिट रहा। तो इस शोर्टफाल के लिये भी राज्य सरकार और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जिम्मेदार नहीं है। इस बारे में मैं यह भी बता दूं कि यह फर्टीलाईजर फोरिन

(श्री परसराम मदेरणा)

कण्ट्रीज से आता है और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यूरिया के बारे में श्रोवर आल पोजीशन वर्ल्ड की क्या रही है। क्योंकि वेस्टर्न कण्ट्रीज में, सोशलिस्टिक कण्ट्रीज में जहां से हमको यूरिया मिलने वाला था वहां पर भी एक क्रोप फेल हो गई और उनको री-सोइंग करना पडा जिससे वे अपना कमिटमेंट पूरा नहीं कर सके और इस प्रकार फर्टीलाईजर की कमी रही है और जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे थे कि इसमें ब्लेक हुआ है। मैं भी मानता हूं कि शोर्टफाल रहा और ब्लैक हो सकता है। लेकिन राज्य सरकार इस बारे में सजग रही है और 31 लोगों के चालान धर पकड़ करके किए गए हैं। नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि आपने लाइसेंस केंसिल क्यों नहीं किए और उनके साथ सख्ती से कार्यवाही क्यों नहीं की। मैं यह मानता हूं कि इशेंसियल कमोडिटिज एक्ट के प्रोविजन के अंदर इस बारे में कुछ गलतफहमी रही लेकिन बाद में उसको क्लेरिफाई करने के बाद में बराबर इंटरेस्ट लिया गया और यूरिया के मामले के अंदर कुछ लोग जो गड़बड़ कर रहे थे उनके विरुद्ध कार्यवाही की गई। अभी एक माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि यहां धोलपुर का खाद मध्यप्रदेश में बिकवा दिया। हमने काहे को बिकवा दिया। किसने बिकवा दिया? इतना जरूर है कि यूरिया के मामले में शोर्ट सप्लाई के कारण कुछ अनियमितताएं रही हैं और इसीलिए हमने 31 आदमियों के खिलाफ जो लाईसेंस होल्डर थे उनके खिलाफ एक्शन लिया है। जोनल मीटिंग हुई थीं। उस जोनल मीटिंग के अंदर निश्चित तौर पर यह बात हुई थी कि राजस्थान ने जो एक्शन लिया है, वह दूसरे राज्यों ने नहीं लिया है। आगे जो कुछ भी इसमें सुधार किया जा सकता है, उसके प्रति राज्य सरकार सतर्क है।

फरर्टीलाइजर के संबंध में ज्यादातर माननीय सदस्यों ने यहां पर कहा है। फरर्टीलाइजर कन्ट्रोल एक्ट के अन्तर्गत लाइसेंन्स होल्डर को यह बताना होगा कि किस किस एजेन्सी से उनको कितना फरर्टीलाइजर प्राप्त हुआ है और उसकी सूची वे जिला कृषि अधिकारी को देंगे। पहले उन्होंने यह कर रखा था कि महीने के अंत में किस किस को फरर्टीलाइजर दिया है उस प्रकार की सूचना देते थे। अब इमीजियेटली उन लोगों को यह बताना होगा कि उनके पास कितना स्टाक है और उसके अनुसार ही फरर्टीलाइजर का वितरण होगा। अगर कोई लाइसेंन्स होल्डर इसके खिलाफ कार्यवाही करता है और उसकी सूचना मिल जाएगी तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा।

बीज के संबंध में भी यहां पर बात कही गयी है कि वह उगता नहीं है। जो कुछ भी बीज उपलब्ध हो रहा है वह हम नेशनल सीड कारपोरेशन से ले रहे हैं। यह बीज राजस्थान में सात हजार टन के आस पास आया है और 7 हजार टन नेशनल सीड कारपोरेशन से आया है, 2700 टन यहां के किसानों से खरीदा है, जिन किसानों का बीज नेशनल सीड कारपोरेशन ने सर्टिफाइड किया है। क्वालिटी कन्ट्रोल के संबंध में इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है और राज्य सरकार इस ओर सतर्क है। मैं माननीय सदस्यों को इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि चाहे बीज नेशनल सीड कारपोरेशन द्वारा सर्टिफाइड कर दिया गया हो और वह उगता नहीं है तो इसका मतलब यह है कि कोई न

Page No.190

(श्री परसराम मदेरणा)

कोई सर्टिफिकेशन के अंदर जो मशीनरी है, टैक्नीकल सुपरविजन है, उसमें कहीं कमजोरी है, तो इस पर हम कार्यवाही करने के लिए गवर्नमेंट आफ इंडिया को कहेंगे। पहले भी सीड की बात कही गई थी कि जो सीड था वह उगा नहीं। इस संबंध में मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि हमारा पत्र व्यवहार भारत सरकार व सीड कारपोरेशन से चल रहा है। मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सीड के संबंध में जो बात कही गई है, जो शंका उन्होंने यहां पर व्यक्त की है और यह कहा कि यहां पर सूखे की स्थिति है और सूखा होने की हालत में किसानों की आर्थिक स्थिति खराब है इसलिए वे खाद और सीड नहीं खरीद सकेंगे। स इंग सीजन के वक्त इनके पास पैसा नहीं होता है और भावों में तेजी आ जाती है। इसलिये उनको क्रेडिट पर यह खाद और बीज दिया जाना चाहिये। भारत सरकार को मेमोरेन्डम दिया है। उसमें खाद और बीज के लिये मांग की गई है। अब जो सीड दिया जाता है उस पर क्रेडिट नहीं दी जाती है। यह सीड अब केश पर दिया जाता है। क्रेडिट की प्रणाली को खतम कर दिया गया है और इसको करीब पांच साल का समय हो गया है। इसलिये अगर हम को बीज मिला तो निश्चित तौर पर पिछले अकाल के समय जो बीज की व्यवस्था थी वह करेंगे और राज्य सरकार इस संबंध में क्या कर सकती है, उस पर विचार करेगी। परन्तु भारत सरकार इसके लिये कोई लोन नहीं देती है। इसलिये राज्य सरकार इस संबंध में विचार करेगी।

युनिर्वसिटी के संबंध में यहां पर बात कही गई है। युनिर्वसिटी में टोटल रिसर्च का फन्डामेन्टली ट्रांसफर कर दिया गया है। नेशनल कमीशन ओन एग्रीकल्चर ने अपनी रिपोर्ट में एक बात कही है। मेरे पास में अन-आफिशियल रिपोर्ट की एक कोपी आई है और यह रिपोर्ट भारत सरकार के कृषि मंत्री जी को दे दी गई है। नेशनल कमीशन ओन एग्रीकल्चर, रिसर्च के संबंध में अपने क्या विचार रखता है उस पर गौर करने के बाद राज्य सरकार कोई निर्णय लेगी और अभी जो निर्णय है उसको रिवाइज्ड करने की मैं आवश्यकता नहीं समझता हूं।

श्री हरिसिंह : ओन ए पाइंट ऑफ क्लेरिफिकेशन।

श्री परसराम मदेरणा : बीच में नहीं। बाद में पूछ लेना।

युनिर्वसिटी के संबंध में यह जो बात कही गई है कि रिसर्च उदयपुर युनिर्वसिटी को ट्रान्सफर कर देने चाहिये। इसके लिये जो बिल पाइलेट किया था उस वक्त मैं स्वयं मौजूद था, उस वक्त के एग्रीकलचर मिनिस्टर आज नेशनल कमीशन ओन एग्रीकलचर के चेयरमेन हैं और उस वक्त यह मल्टी फेकल्टी युनिर्वसिटी नहीं थी, सिंगल फेकल्टी युनिर्वसिटी थी। लुधियाना युनिर्वसिटी की बात यहां पर कही गई। उदयपुर की युनिर्वसिटी मल्टी-फेकल्टी युनिर्वसिटी रह गई है इसलिये वह कौन सी जगह रहनी चाहिये थी, कौनसी जगह नहीं रहनी चाहिये थी, इसका निर्णय तो पहले हो चुका है, अब मैं कोई कमेन्ट इस पर नहीं करना चाहता परन्तु गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने दूसरी युनिर्वसिटी की बात कही है। गंगानगर एक कमान्ड एरिया है, कमान्ड एरिया वहां पर बढ़ता ही जा रहा है। सिंचाई मंत्री महोदय ने इस सदन को आश्वासन दिया है कि राजस्थान कैनाल का कार्य पांचवी पंचवर्षीय योजना

Page No.191

(श्री परसराम मदेरणा)

के अंत तक पूरा हो जाएगा और जिस द्रुत गति से राजस्थान कैनाल का कार्य हो रहा है, कन्स्ट्रक्शन हो रहा है उसके बाद अनेक प्रकार की प्राब्लम वहां पर आएंगी। वैसे यह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का काम है कि राजस्थान कैनाल एरिया में लेन्ड डवलपमेंट की स्कीम को वह हाथ में ले। यह स्कीम उसने हाथ में ले रखी है। चम्बल एरिया में भी यह स्कीम है। वर्ल्ड बैंक से इस स्कीम के लिये सहायता मिलेगी, ऐसी आशा है। वर्ल्ड बैंक के साथ साथ दूसरी जो फाइनेंसिग ऐजेन्सीज है, या इन्स्टीटयूशन्स हैं उन से भी मदद लेकर इस स्कीम को पूरा किया जाएगा।

क्राप पैटर्न के संबंध में भी बात कही गई है। लेन्ड यूटिलाइजेशन एक्ट के नीचे चम्बल एरिया के क्राप के पैटर्न को बदलने के लिये कानूनी तौर पर पाबंदी लगा दी है और राजस्थान कैनाल एरिया में लूनकरनसर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इस संबंध में सरकार को निर्णय लेना चाहिये। मैं डिपार्टमेन्ट को आदेश दे रहा हूं कि राजस्थान कैनाल के कमान्ड एरिया में क्राप का क्या पैटर्न रहना चाहिये. निश्चित तौर से डिपार्टमेंट के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको वर्क आउट कर के काश्तकारों को असलियत से वाकिफ कराना चाहिये और उनको यह यकीन कराना चाहिये कि जो सजेशन उनको दिए जा रहे हैं वह उनके हक में ही हैं।

प्रोक्यरमेंट प्राइस के बारे में भी बात कही गई है। प्रोक्यरमेन्ट प्राइस के बारे में आप स्वयं जानते हैं कि एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर भारत सरकार तय करती है जो तय की गई उसकी डिटेल में कमीशन नहीं गया है। कमीशन के सामने भी राज्य के प्रतिनिधियों, मुख्य मंत्री और खाद मंत्री इस बात को रखते रहे हैं। उन्होंने कास्ट का कैलकुलेशन ही किया है उसकी डिटेल्स में वे नहीं गए है। इसलिये हमने कहा है कि जो कुछ भी रिकमन्डेशन आपने की है वह रिकमन्डेशन आपने सेक्रेटेरिएट में बैठ कर की है। इसलिये वह रिएलिस्टिक नहीं है। 1973-74 की रबी की फसल की प्रोक्यरमेंट की जो प्राइस तय की है उसके संबंध में कमीशन ने अपनी रिपोर्ट चार पेज में लिखी है और कास्ट को जो वर्क आउट किया है उस पर 50 पेज लिखे हैं। कास्ट जो वर्क आउट की है वह मोटे तौर पर बताना चाहता हूं।

Value of hired labour, Value of machine, Value of site, Value of mechanic and purchase of fertilizer, Irrigation charges, land revenue charges, instruments on work, mistake in responsibility, artisans, rent paid for land.........

इस तरह से पंजाब और हरियाणा ने कास्ट वर्क आउट की है। वह हरियाणा में 1365 रुपये पर हैक्टर आई है जो कि पर क्विन्टल 48 रुपया होती है। पंजाब में पर हैक्टर जो कास्ट आई है वह 1655 रुपया है और वह 61 रुपया पर क्विन्टल आती है, और 61 और 48 की रेट्स को देखने के बाद में भारत सरकार ने लाल गेहूं की कास्ट 73 रुपया तय की है और इस प्रकार 76 रुपया तय की है। जैसा कि मैं पहले निवेदन कर चुका हूं कि लाल गेहूं राजस्थान के इलाके में और मध्यप्रदेश के बहुत थोड़े इलाके में होता है और कहीं लाल गेहूं नहीं होता है।

Page No.192

(श्री परसराम मदेरणा)
वह केवल राजस्थान के लिये है। हमारे 1967 के अंदर जो है और 70-71 के अंदर जो नहर के इलाके में जो लाल गेहूं होता है उसका भाव गिर गया था इसलिये राज्य सरकार ने रिकमण्डेशन की कि इस एक वेराइटी को भी स्वीकार करें और उसकी प्राइस फिक्स की है। बाकी की 76 रुपया है, और मैंने कल सदन में निवेदन किया था कि भारत सरकार इस पर पुनः विचार कर रही है कि जो सुपीरियर क्वालिटी है उसकी प्राइस 76 रुपये से ऊपर रहना चाहिये। वह मैं समझता हूं कि फैसला होने वाला है और वह फैसला निश्चित तौर से 76 रुपये के ऊपर करेंगे। इसलिये प्राइस का केलक्यूलेशन भारत सरकार ने इन सब फेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किया है।

यहां पर कहा गया है प्लान्टस को डिसीजेज हो जाती हैं और यहां पर पेस्टीसाइड्स जिसकी जरूरत होती प्लान्ट को बचाने के लिये, उनका संरक्षण करने के लिये वह हमारे पास में नहीं हैं, और उसकी कोई दवा हमारे पास में नहीं है यानी पेस्टीसाइड्स नहीं है। यह बात नहीं है। चाहे रुबड़ी हो, चाहे कादरा है उन सब के लिये आज निश्चित तौर से हमारे पास में पेस्टीसाइड्स हैं, लेकिन उसको उस क्वान्टिटी में आज जितने की जरूरत हो उसके साथ में एप्लाई किया जाय और समय पर एप्लाई किया जाय तो रिजल्ट आने वाला है निश्चित तौर से। जहां तक कादरे का प्रश्न है, वह माननीय सदस्य चले गये हैं लेकिन मैं उसको निवेदन कर दूं कि 50 पर्सेन्ट सब्सीडाइज्ड कास्ट पर हमने पेस्टीसाइड्स उपलब्ध किये थे उनके डिस्ट्रिक्ट में उन दिनों और आपको इस बात की जानकारी है....

एक माननीय सदस्य : अब पशु पालन ले लें।

श्री परसराम मदेरणा : मैं पशुपालन के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं उसके पहले जो कुछ भी रिसर्च में जो नई वेराईटीज निकली हैं उसके बारे में मैं निवदन कर दूं कि रिसर्च को अब फाइनल एक्सपेरीमेन्ट में और फील्ड्स के अन्दर उनका ट्रायल लिया जा रहा है। जब तक वह पूरा न हो तब तक उनके बारे में नहीं कहा जा सकता है। यह सुपीरियर वेराइटीज 8-10 प्रकार की हैं उन्होंने निकाली हैं दुर्गापुरा फार्म में उनको जल्दी ही रीलीज करने वाले हैं।

यहां पर पशुपालन के संबंध में और भेड़ पालन के संबंध में कुछ माननीय सदस्यों ने ज्यादा तो जिक्र नहीं किया लेकिन कुछ मुद्दे उठाए हैं। सबसे पहले यह बात कही गई है कि जो भेड़ों का सेंसस दिया हुआ है इस प्रगति विवरण के पीछे उसके अनुसार 66-67 के सेन्सस से काफी भेड़ों में कमी हुई है। 3 लाख के आसपास या ज्यादा भेड़ें मर गई हैं या वह भेड़ें जो हैं मटन परपज के लिए काम में आगई हैं कुछ भेड़ें जो भी ज्वाड़े के अन्दर हैं और टोंक के अन्दर हैं जो स्पेशल ब्रीड की हैं वह काफी मटन परपज के लिए सप्लाई की जा रही हैं अभी जो माननीय सदस्य बोल रहे थे उन्होंने कहा कि वे मोटी हो गई हैं इसीलिए ज्यादा घास खा जाती हैं। मोटी हो गई हैं तो बहुत अच्छी बात है। निश्चित तौर से मोटी तो हो गई हैं इसलिए वह मोटी जो होगई हैं तो सब घास खा जायेंगी। उन्होंने यह भी कहा है कि जरसी की जो क्रास ब्रीड हम गाय-भैंसों की तैयार कर रहे हैं तो उनके बच्चों के खूम्भ नहीं होती है इसलिए वे हल कैसे चलायेंगे। आखिर जिस वक्त में गधे का घोड़े से क्रास

(श्री परसराम मदेरणा)
ब्रीड होता है तो खच्चर पैदा होता है वह कितना मजबूत होता है। इसी तरह से वह एनीमल तो स्ट्रांग है लेकिन उसके खूम्भ नहीं है इसलिए जरसी की इस प्रकार की ब्रीड तैयार करानी चाहिए जिसमें खूम्भ रहे तो वह पशु जो है वह खेती के काम में आ सके।

यहां पर मैं भेड़ों की सेन्सस के बारे में निवेदन कर रहा था तो अजमेर में स्पेशली भेड़ों की संख्या 60 हजार घटी है। जोधपुर जिले में जहां अकाल रहता है वह 6,65,354 के स्थान पर 6,83,000 हो गई हैं तो कुछ इन्क्रीज हुई हैं। उसके बाद में सीकर में बढ़ी है, चूरू में बढ़ी है। तो कुछ जिलों में अकाल के रहते हुए भी उनकी संख्या बढ़ी है। कुछ जिलों में घटी है। कोटा में 61 हजार से 48 हजार रह गई है। इसी तरह से सवाई माधोपुर में अकाल नहीं होते हुए भी वहां पर 85 हजार रह गई हैं। इसी प्रकार से अलवर में अकाल नहीं था तो भी वहां पर 1,12,000 से घटकर 94,000 रह गई हैं। इसका मतलब यह है कि इसका संबंध अकाल से नहीं है। कुछ गई हैं मटन परपज के लिए। हम निश्चित तौर से कह सकते हैं कि 66 में जो सेन्सस हुआ था उसमें उनकी संख्या 3,75,000 थी और आज उनकी संख्या 4,02,027 बढ़ी हुई है सब एनीमल्स के अन्दर।

जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अभी बिगड़ रहे थे उन्होंने यहां तो इसके बारे में जिक्र नहीं किया कि केटल पापुलेशन घटने में कितना नुकसान हुआ है। लेकिन जब जब वे मुझे मिलते हैं तो इस बारे में डिसकशन करते हैं कि हमारे पास जो होम ब्रीड रही है वह अच्छी रही है उसको डेवलप कर सकते हैं। आज एक तरफ तो यह कहा जाता है कि फेमिली प्लानिंग का प्रभाव फैला हुआ है वहां पर दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि भेड़ें भी जमीन पर आ रही हैं और इन्सान भी जमीन पर आ रहे हैं और यदि इन्सान, भेड़ और जानवरों की पापुलेशन बराबर बढ़ती है तो हमारे सारे प्लान फेल हो जायेंगे।

इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा था कि पशुपालन का धन्धा बहुत जरूरी है, लेकिन सिलेक्टेड नस्ल रखने के लिए उनका क्रास ब्रीडिंग बहुत अच्छा है और दूध की मात्रा बढ़नी चाहिए, और जितने भी ऐसे क्रास ब्रीडिंग करना है राजस्थान के अन्दर कुछ ऐसी ब्रीड हैं जो कि हिन्दुस्तान के अन्दर सबसे बढ़िया हैं। गायों के अन्दर थारपारकर और राठी और अजमेर की गीर की ब्रीड भी बहुत अच्छी है। मेरे पास एक गाय है जो कि मैं अजमेर से लाया था। वह अच्छी ब्रीड है। इस ब्रीड के साथ में जो बैलों की ब्रीड है तो हमारे यहां जो नागौरी बैल हैं वह एक सिलेक्टेड ब्रीड है और उसको किसी प्रकार से समाप्त नहीं करना चाहिए। क्रास ब्रीडिंग उस परपज के लिए नहीं, उस एरिया में नहीं करते हैं जहां अच्छी ब्रीड है। नागौर डिस्ट्रिक्ट नागौरी बैलों के लिए मशहूर क्षेत्र है। एडिशनल इन्कम बढ़ाने के लिए और सीलिंग लागू करने के बाद यह जरूरी है। बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य यह सोचते हैं कि नागौरी नस्ल की जो असली नस्ल है मोटी मोटी आंखों वाली उसकी वजह से आपकी इकोनामी के डेवलपमेंट पर इफेक्ट पड़ने वाला है। तो मेरे सामने दूसरे जिले का भी प्रश्न है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि अगर किसानों की इकोनामी को ठीक करना है तो निश्चित तौर से डेरी डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है वह राज्य

(श्री **परसराम मदेरणा**)

सरकार हाथ में लेने जा रही है। कुछ डेरी का काम शुरू हो गया है, और कुछ और काम आगे हाथ में लिया जाने वाला है चाहे वह अजमेर में हो, चाहे उदयपुर के अन्दर हो, चाहे अलवर या भरतपुर में हो, बीकानेर में हो या जोधपुर में हो, चाहे वह आपरेशन फ्लड के अन्तर्गत हो, चाहे वह कोआपरेटिव सेक्टर के अन्दर हो, लेकिन सभी जो योजनाएं ले रहे हैं वह कोआपरेटिव वेसिस पर ले रहे हैं, और वहां के जो एक्सपर्ट्स हैं वह उनको यहां पर डेपुटेशन पर भी ले रहे हैं ताकि इन स्कीमों को कायमाब वना सकें और कामयाव वनाने के वाद किसानों की इनकम को सप्लीमेंट किया जा सके।

भेड़ों के संबंध में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि भेड़ों का काम पंचवर्षीय योजना के अन्दर विस्तार से हाथ में ले रहे हैं। वह माननीय सदस्य अभी यहां पर नहीं है जिन्होंने शीप वीडिंग फार्म के वारे में कहा था। उसके वारे में भारत सरकार की चिट्ठी नहीं आई है क्यों कि भारत सरकार को पूरा उसको फाइनेन्स करना था इसलिए उसमें कुछ देरी हुई है। जमीन मिल गई है। भारत सरकार से हमें लेटर मिल गया तो इस काम को हाथ में लेंगे। राजस्थान के अन्दर भी भेड़ों की खास अच्छी अच्छी ब्रीड हैं। यहां पर यह भी निवेदन करूं कि नागौर में भेड़ों के अन्दर वात आई है तो आज हमारी पापुलेशन सवसे ज्यादा है भेड़ों की। नागौर में 8 लाख भेड़ें हैं और आठ लाख भेड़ें दूसरे जिलों में नहीं है। उन्होंने भेड़ों के संबध में जनरली रेम की बात कही। हम इस प्रोग्राम को एक्स्टेन्सिव तौर पर लेने जा रहे हैं, लेकिन मैं निवेदन करूं कि क्रास ब्रीडिंग का प्रोग्राम जो भेड़ों का है, पशुओं का है उससे बहुत फर्क पड़ा और वह फर्क यह है कि भेड़ तो एक जगह रहती नहीं, और एक जगह रहने के अलावा ऐसा एक पर्टीक्यूलर पीरियड होता है कि उस पीरियड के अन्दर ही जो है उसका क्रास ब्रीडिंग किया जा सकता है। इसमें एक डिफिकल्टी यह है कि जितनी भी वाहर की ब्रीड्स लाई गई हैं उसका क्रास ब्रीडिंग करते हैं उनको हमें फार्म में रखना पड़ता है। फार्म पर अगर नहीं रखते हैं तो खतरा रहता है। उनके लिए स्पेशल जलवायु और प्रोटेक्शन और दूसरी सब बातों को देखना पड़ता है। तो भी ऐसे काम को, अच्छी वूल का काम है, ग्रेडिंग का काम है। जैसा कि साइण्टिफिक तरीके से काम को हमने हाथ में लिया है। जो बिचौलिये थे, उनको हमने समाप्त किया है। परचेज में काफी अनियमितताएं हुई थीं। हमने यह एसोर कर लिया है कि इसमें 4 लाख प्राफिट होगा। दूसरे सेक्टर में स्कीम हाथ में लेते हैं तो लोगों को यह कान्फीडेंस रहेगा। जिससे कि वह गवर्नमेन्ट स्कीम को कामयाव वनायेंगे। क्रास ब्रीडिंग के बारे में, राजस्थान के दूसरे हिस्सों के अन्दर इतना वड़ा काम हो, उसके लिए जनता के सहयोग की जरूरत है। कानूनी कार्यवाही अगर करते हैं तो निश्चित तौर पर उसका जनता पर दूसरी प्रकार की प्रतिक्रिया और रिएक्शन होता है। पशु मूक जानवर होता है। वह बोलता तो है नहीं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसको पेट दिखाते हैं। दिल में दर्द है। कान में दर्द है तो वता सकते हैं। लेकिन जो पशुओं के डाक्टर हैं, उनको तो यह पता करना है कि उनको कहां पर दर्द है। ऐसा मानकर चलना चाहिए। मैं माननीय सदस्यों का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। आने वाले समय में बहुत सी

(श्री परसराम मदेरणा)

स्कीम इण्टीग्रेटेड प्रोग्राम में ली हैं। मैं उनके नाम नहीं देना चाहता हूं। लेकिन डिपार्टमेन्ट के लोग अलग अलग नाम देते हैं जैसलमेर से आनेवाले माननीय सदस्य ने पाश्चर डेवलपमेण्ट का नाम दिया है। वेस्टर्न एरिया की स्कीम को हाथ में नहीं लिया गया है। जो अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड है, उस काम को नहीं किया गया है। अभी जो प्रोजेक्ट मिलेगा, इस संबंध में जो स्कीम बनाई है, उसको हाथ में लिया गया है माननीय सदस्य बैठे हैं। 80 लाख की सुमेरपुर की स्कीम है। महीने भर में स्वीकार हो जाएगी। माइनर ईरिगेशन स्कीम को हाथ में ले रहे हैं। वित्त मन्त्रीजी ने इसकी चर्चा कर दी है। 73-74 के अन्दर हम पंचायत समितियों की माइनर ईरिगेशन की स्कीम हाथ में ले रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट ऐज ए होल लेने वाले हैं। जो डेढ़ लाख की है। उसका कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है कि राजस्थान कृषि उत्पादन के अन्दर जो बिजली की मांग है, विद्युतिकरण की मांग को पूरा करना, फर्टिलाइजर की मांग है, और दूसरे लाभ भी उसमें आ सकते हैं। यह सब डेवलप होना चाहिए। यह सब बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। माननीय सदस्यों ने कहा था ईरिगेशन और पावर डिपार्टमेंट का कम्बीनेशन नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि सभी के कोआर्डिनेशन से ही हम वृद्धि कर कर सकते हैं। इसलिए राजस्थान सरकार ने स्माल फार्मर की स्कीम हाथ में ली है। राजस्थान सरकार का बराबर यह प्रयास है। पंचवर्षीय योजना के अन्दर अन्तिम रूप से और निश्चित तौर से जो फण्डामेंटल एप्रोच है, निश्चित तौर से पूरे एरिया की आमदनी बढ़ सकती है। चाहे केवल डेवलपमेंट की बात हो। चाहे एनीमल प्रोडक्ट की बात हो। यह योजना दी है। बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बात उठाई है। मैं उनकी राय से सहमत हूं। उन्होंने कहा है कि क्रास-ब्रीडिंग का प्रोग्राम नहीं लिया गया। सेपरेट इसीलिए नाम नहीं लिया गया है क्योंकि वहां जो प्रोग्राम चल रहे हैं, उस प्रोग्राम के साथ ही साथ आई० सी० डी० के प्रोग्राम में क्रास ब्रीडिंग का प्रोग्राम है। वैटेनरी के अन्दर जो रेण्डेड गुड्स हैं। उनके जरिये से आर्टिफिशियल इन्सेमिनेशन हो रहा है। इसलिए बीकानेर से आनेवाले माननीय सदस्य को शिकायत नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से सैण्डड्युन्स का स्टैबलाइजेशन है। डेवलपमेंट का काम हाथ में ले रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह मांगों को पारित करें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सीकर के बारे में जो ढाई करोड़ की योजना थी। उसके बारे में बता दें।

श्री परसराम मदेरणा : इस सम्बन्ध में सीकर लिफ्ट ईरिगेशन 5 हजार कुवों के बारे में, दातांरामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, किशनगढ़ से आनेवाले माननीय सदस्य ने जो पूछा बताया, उसके बारे में भारत सरकार से पूछा है। मन्त्रिमण्डल में वह विचाराधीन है। राज्य सरकार का निर्णय एक दो दिन में होने वाला है। वैल प्लान को लेकर जो खर्चा होता है, कुछ भी कदम अगर हम बढ़ा सकते हैं, तो कोई दो राय नहीं हो सकती है। एक दो दिन में निर्णय हो जायेगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैंने निवेदन किया था...

श्री हरीसिंह : यह जो आपने एग्रीकल्चर रिसर्च, फण्डामेण्टल एप्लाइड रिसर्च दोनों का निर्णय हुआ। यह फन्डामेण्टल न होकर सम्पूर्ण

(श्री परसराम मदेरणा)
रिसर्च का स्थान दिया गया है। या तो आप यह डिसाइड कर दें, रिसर्च में और फन्डामेण्टल रिसर्च में आप क्या कर रहे हैं।

श्री केदारनाथ शर्मा: Research as a whole.

श्री परसराम मदेरणा: किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि जिस कम्पनी ने रिपेयर की थी और जिसने पिछली रिपेयर की थी, उसकी जांच के आदेश दे दिये गये है। जांच रिपोर्ट आने के बाद कह सकूंगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला: शोभाराम वाली बात कह दें।

श्री परसराम मदेरणा: मैं कह चुका हूं। सेन्टर ने निर्णय दिया और उस वक्त राव साहब कृषि मंत्री थे...

एक माननीय सदस्य: उप-मंत्री।

श्री परसराम मदेरणा: एक ही बात है। 1967 में मैं मिनिस्टर था, मेरे सामने यह मसला आया था। मैंने फ्लेट रिप्लाई दिया था मैं यह करने वाला नहीं हूं। आज भी सुझाव है, उसके बारे में मेरा निवेदन है कि जो पूर्व का निर्णय है, वह अपने आपमें सही है और मैं उसको चेंज करने के लिये नहीं सोचता। फिर भी एक बात है, नेशनल कमीशन की एग्रीकल्चर रिसर्च पर रिपोर्ट है, उस पर विचार करने के बाद निर्णय लिया जायगा। अभी मैं पूर्व निर्णय को रिवाइज करने के बारे में या चेंज करने के बारे में नहीं सोचता हूं....

श्री गोपाल जोशी: डाक्टरों के बारे में कह दें।

श्री परसराम मदेरणा: डाक्टरों की आपने बात कही और कइयों ने राणावत कमीशन की बात कही कि उसने सिफारिश की है। कौनसी बात मान ली गई, कौनसी नहीं मानी, किस ग्रेड में कमी करने की बात कही उसमें मैं नहीं जाना चाहता यह मामला है कि मेडीकल डाक्टर और वेटरीनरी डाक्टर के वेतन में फर्क है इसमें दो राय नहीं है। यह प्रश्न मंत्रिमण्डल के समक्ष है और केबिनेट मीमो फ्रेम होकर इस पर केबिनेट जो निर्णय लेगी वह निर्णय आखिरी होगा।

श्री दिनेश राय डांगी: एक प्रश्न..

श्री उपाध्यक्ष: अनुदान की मांगों पर मतदान (व्यवधान) आर्डर प्लीज नियमों का ध्यान रखिये।

श्री दिनेश राय डांगी: Only one question.

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31 कृषि के संबंध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 9,67,08,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33 पशुपालन के संबंध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये

जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,08,70,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 95-कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत के संबंध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,50,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 22 मार्च, 1973 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 8 बज कर 52 मिनिट पर वृहस्पतिवार दिनांक 22 मार्च, 1973 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई)।

Page No.198

परिशिष्ट—1

(ता० प्र० सं० 652 की सूची)

गांधी शताब्दी वर्ष के विशेष अवसर पर 16 भूखण्ड आवंटन करने है ।

1. श्री जगन्नाथ पहाड़िया
2. श्री जमनालाल बैरवा
3. श्री दिनेशराय डांगी
4. श्री रामचन्द्र मीणा
5. श्री चन्द्र प्रकाश
6. श्री नथमल
7. श्री समरथ लाल
8. श्री गोकुल चन्द
9. श्री जयनारायण सालोदिया
10. श्री श्रवण लाल
11. श्री किशनलाल मीणा
12. श्री देवाराम खटीक
13. श्री सूरजमल
14. श्री कुमारी कमलासील
15. श्री हरिशंकर
16. श्री रामचरण

परिशिष्ट—2

(तारांकित प्रश्न संख्या 672 की सूची)

1-4-70 से 14-3-73 तक समाज कल्याण विभाग के नियोजन प्रकोष्ठ में पंजीकृत अनुसूचित जाति व जन-जाति के प्रार्थियों में नियुक्त व्यक्तियों की सूची :–

क्र०सं०	प्रार्थी का नाम	जाति	नियोजन रजिस्टर में पंजीकृत संख्या
1	2	3	4
1.	श्री दीपचन्द	अनुसूचित जाति	2
2.	श्री पन्नालाल	,,	20
3.	श्री लल्लूराम	,,	24
4.	श्री मांगीलाल	,,	54
5.	श्री रामजीलाल	,,	56
6.	श्री खैरातीलाल	,,	74
7.	श्री प्यारेलाल	,,	106
8.	श्री रमेशचन्द्र	,,	121
9.	श्री टोडरमल	,,	144
10.	श्री रामूलाल	,,	147
11.	श्री भौंरीलाल	,,	156
12.	श्री गणेशलाल	,,	246
13.	श्री नवरतन	,,	247
14.	श्री कन्हैयालाल	,,	230
15	श्री लक्ष्मीनारायण	,,	238
16.	श्री ओमप्रकाश	,,	31
17.	श्री कजोडमल	,,	290
18.	श्री अर्जुनलाल मीना	अनुसूचित जन-जाति	298
19.	श्री रामोतार मीना	,,	306
20.	श्री गिन्नाराम	अनुसूचित जाति	181
21.	श्री कालूराम	,,	343
22.	श्री कालूराम	,,	374
23.	श्री हरिश्चन्द्र मीना	अनुसूचित जन-जाति	324
24.	श्री रामदास	अनुसूचित जाति	337
25.	श्री बाबूलाल	,,	160
26.	श्री छुट्टनलाल	,,	157

1	2	3	4
27.	श्री रूपकिशोर	अनुसूचित जाति	122
28.	श्री सावित्रीदेवी	,,	358
29.	श्री महेशकुमार	,,	195
30.	श्री छाजूराम	,,	402
31.	श्री दामोदरलाल	,,	486
32.	श्री गोपाललाल	,,	520
33.	श्री बाबूलाल तिम्बोल	,,	531
34.	श्री बाबूलाल रिसोलिया	,,	72
35.	श्री हुक्मीचन्द भील	अनुसूचित जन-जाति	373
36.	श्री भवानीशंकर	अनुसूचित जाति	545
37.	श्री हीरालाल	,,	589
38.	श्री रामसहाय मीना	अनुसूचित जन-जाति	399
39.	श्री पांचूराम मीना	,,	421
40.	श्री छोटेलाल मीना	,,	388
41.	श्री मुरलीराम	अनुसूचित जाति	248
42.	श्री मती शान्तीदेवी	,,	664
43.	श्री भोरीलाल	,,	805
44.	श्री गोपाललाल	,,	859
45.	श्री रामपाल	,,	925
46.	श्री सुरेशचन्द	,,	972
47.	श्री रामजीलाल मीना	अनुसूचित जन-जाति	916
48.	श्री मूलचन्द	अनुसूचित जाति	966
49.	श्री रामप्रसाद	,,	975
50.	श्री अशोककुमार	,,	989
51.	श्री जगदीश नारायण	,,	1021
52.	श्री रमेशचन्द	,,	955
53.	श्री श्री राम बैरवा	,,	716
54.	श्री छीतरमल मीना	अनुसूचित जन-जाति	854
55.	श्री भीमराज बैरवा	अनुसूचित जाति	865
56.	श्री मोहनलाल	,,	864
57.	श्री गोधाराम	,,	875
58.	श्री जुगलकिशोर	,,	1000
59.	श्री बृजमोहन	,,	63
60.	श्री तेजपालसिंह	,,	163
61.	श्री रामजीलाल	,,	27

1	2	3	4
62.	श्री जयसिंह	अनुसूचित जाति	54
63.	श्री नरेन्द्रकुमार	"	62
64.	श्री भंवरलाल	"	183
65.	श्री मोतीलाल मीना	अनुसूचित जन जाति	347
66.	श्री लक्ष्मीनारायण	"	355
67.	श्री श्रीकान्त	अनुसूचित जाति	437
68.	श्री रामसहाय	"	445
69.	श्री लक्ष्मीनारायण	"	359
70.	श्री राजेन्द्रकुमार	"	495
71.	श्री छीतरमल	"	868
72.	श्री फूलचन्द	"	882
73.	श्री कालूराम	"	941
74.	श्री फूलसिंह	"	1147
75.	श्री रामस्वरूप	"	997
76.	श्री किशन लाल	अनुसूचित जन जाति	1283
77.	श्री प्रभुदयाल	अनुसूचित जाति	1254
78.	श्री बाबूलाल	"	1657
79.	श्री बोदूराम	"	1532
80.	श्री ताराचन्द	"	1500
81.	श्री अम्बालाल	"	789
82.	श्री बेनाराम	"	1637
83.	श्री रामसुख मीना	अनुसूचित जन जाति	1568
84.	श्री राधेश्याम बुनकर	अनुसूचित जाति	1561
85.	श्री बन्सीलाल बुनकर	अनुसूचित जाति	103
86.	श्री भंवरलाल	"	46
87.	श्री भन्तुराम	"	27
88.	श्री द्वारकालाल वर्मा	"	260
89.	श्री रामस्वरूप	"	351
90.	श्री मदनलाल दहिया	"	1
91.	श्री महावीर भगोरा	अनुसूचित जन जाति	6
92.	श्री होशियारसिंह	अनुसूचित जाति	20
93.	श्री रोहितासव कुमार	"	18
94.	श्री रामगोपाल मीना	अनुसूचित जन जाति	96
95.	श्री सुवालाल	अनुसूचित जाति	183
96.	श्री गणपतलाल	"	83
97.	श्री मानीराम खटीक	"	189

परिशिष्ट–3

(स्थगित प्रश्न सं० 355 की सूची)

सूची (क)

सरकार द्वारा मैसर्स जे० के० सिन्थेटिक्स, कानपुर को दिये गये ऋण का विवरण

क्र० सं०	स्वीकृत ऋण की राशि	स्वीकृति की तिथि	जिस कार्य हेतु ऋण दिया गया
1	2	3	4
1.	30,00,000/-	21-7-1959 (20,00,000/-) 16-3-1961 (10,00,000/-)	कोटा में नाईलोन फैक्ट्री की स्थापना हेतु
2.	20,00,000/-	24-7-1965 व 3-9-1965	नाईलोन फैक्ट्री कोटा के विस्तार (Expansion) हेतु
3.	50,51,712/-	31-3-1967	नाईलोन फैक्ट्री कोटा के विस्तार कार्यक्रम (Expansion Programme) के लिये।
4.	60,00,000/-	28-3-1968	निम्बाहेड़ा में सीमेन्ट फैक्ट्री एवं एक्रीलिक प्रोजेक्ट कोटा की स्थापना हेतु 50:50 के अनुपात में।
5.	50,00,000/-	14-8-1968	कोटा में एक्रीलिक फाईबर प्लान्ट लगाने हेतु
6.	50,00,000/-	11-4-1969	कोटा में सिन्थेटिक स्टेपल फाईबर प्लान्ट लगाने हेतु

1	2	3	4
7.	25,00,000/-	10-2-1970	कोटा में नाईलोन टायर कोर्ड प्लान्ट लगाने हेतु।
8.	25,00,000/-	23-7-1970	कोटा नाईलोन टायर कोर्ड प्लान्ट लगाने हेतु।

मैसर्स जे० के० सिन्थेटिक्स लि० को राजस्थान वित्त निगम द्वारा दिये गये ऋण का विवरण

	स्वीकृत राशि	ऋण स्वीकृति की तिथि	परियोजना जिसके लिये ऋण स्वीकृत हुआ
1.	10 लाख	14-8-1961	नाईलोन उद्योग, कोटा
2.	10 लाख	28-8-1964	" " "
3.	3 लाख	19-2-1966	" " "
4.	20 लाख	13-11-1972	सीमेन्ट उद्योग, निम्बाहेड़ा

सूची (ग)

मैसर्स जे० के० सिन्थेटिक्स द्वारा भारत सरकार से प्राप्त लाईसेन्सों का विवरण

	कम्पनी का नाम	जिस स्थान पर उद्योग हेतु लाईसेन्स प्राप्त किया	उद्योग का नाम	लाईसेन्स की संख्या एवं दिनांक
1.	मैसर्स जे० के० सिन्थेटिक्स लि०, कानपुर	निम्बाहेड़ा	पोर्टलैण्ड सीमेन्ट	सी०ओ०बी० लाईसेन्स सं० एल/35(1)42/71, दि० 26-3-71.
2.	,,	कोटा	पोलिस्टर फिलामेन्ट यार्न	सी०ओ०बी० लाईसेन्स सं०एल/23/5/20/72-सी०एच०, दि० 15-3-72.
3.	,,	,,	पोलिस्टर स्टेप्स फाईबर	सी०ओ०बी० लाईसेन्स सं० एल/23/5/22/72 सी०एच० I, दि0 23-5-72.
4.	,,	,,	नाईलॉन फिलामेन्ट यार्न	एक्सपेन्शन लाईसेन्स सं० एल/19(7) 4/72-सी०एच० I/एस०टी० दिनांक 1-1-73.
5.	,,	,,	ट्यूब एवं टायर	सं० 16/88/71/- एल-I (II), दि० 23-2-72.
6.	,,	,,	नाईलॉन टायर कोर्ड	सं० एल/23/5/4/66/-सी०एच०-I, दिनांक 8-12-66.
7.	,,	,,	नाईलॉन यार्न	सं० एल/23/5/17/25/58 दिनांक 27-5-68.
8.	,,	,,	नाईलॉन यार्न (एक्सपेन्शन)	सं० एल/23/5/54/-टी०ई०एस० (डी)/63 दि० 24-7-68.
9.	,,	,,	नाईलॉन यार्न (एक्सपेन्शन)	सं०एल/23/5/63-टी०ई०एस०(डी)/64, दिनांक 9-3-67.
10.	,,	,,	एक्रीलिक फाईबर	सं० एल/23/5/7/67/सी०एचI, दिनांक 15-5-67.

सूचि (घ)

मैसर्स जे० के० सिन्थेटिक्स लि० को दिये गये ऋण अथवा बैंक गारण्टियों के संबंध में मोर्टगेज डीड एवं एग्रीमेन्ट डीड के सम्पादन का विवरण

	स्वीकृत ऋण की राशि	स्वीकृति की तिथि	एग्रीमेन्ट के सम्पादन की तिथि	मोर्टगेज डीड के सम्पादन की तिथि
1.	30,00,000.00	डी० 769/एफ 8(34)एफ (बी)/59, दिनांक 21-7-59.	18-1-57 7-5-59) 7-11-60) पूरके एग्रीमेन्ट	18-8-64
2.	20,00,000.00	एफ० I(17) आई एन डी/ए/61, दिनांक 24-7-65 एवं 3-9-65	15-7-65	18-8-64
3.	50,51,712.32	एफ. 1(20)आई एन डी/ए/66, दि० 31-3-67	4-1-67	22-11-69
4.	60,00,000.00	एफ. 1(20)आई एन डी/ए/66, दि० 28-3-68	20-9-67	22-11-69
5.	50,00,000.00	एफ. 1(11)आई एन डी/ए/68, दि० 14-8-68	25-10-69	4-9-70
6.	50,00,000.00	एफ. 1(ए)(5)आई एन डी/ए/69, दि० 11-4-69	3-4-70	17-8-71
7.	25,00,000.00	एफ. 1(ए)(15)आई एन डी/69, दि० 10-2-70	26-7-71	— } पार्टी द्वारा उठाये गये कतिपय वैधानिक बिन्दुओं के कारण मोर्टगेज डीड सम्पादित नहीं हो सके ।
8.	25,00,000.00	एफ. 1(ए)(15)आई एन डी/69, दि० 23-7-70	27-11-70	—
बैंक गारन्टी :				
1.	23,40,000.00	29-10-66.	27-10-66	22-9-67

परिशिष्ट–4

(ता० प्र० सं० 656 की सूची)

समाज कल्याण विभाग के बजट से उदयपुर जिले में अब तक जिन गांवों में बिजली व नल की सुविधा के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है उसकी सूची।

क्र०सं०	नाम स्थान जहां सुविधा दी गई	स्वीकृत राशि
1	2	3
	(अ) बिजली	
1.	नाथद्वारा	65,786
2.	देवगढ़	17,071
3.	भटवाड़	5,030
4.	मोदी	5,030
5.	दारोडी	5,030
6.	भिण्डर	9,613
7.	सलूम्बर	9,950
8.	राजसमन्द	28,515
9.	कानोड	6,600
10.	भिसानी	6,550
11.	वेदला	10,650
12.	खंडेरा	5,812
13.	खरोदा	4,282
14.	नमानिया	4,242
15.	हिमता	2,900
16.	मावली	70,147
17.	गिरवा (विभिन्न ग्राम)	11,530
18.	भुवाणा	51,400
	योग ..	3,20,138
	(ब) नल	
1.	वेदला	5,830
2.	देवगढ	4,380
3.	भिण्डर	4,970

1	2	3
4.	सलूम्बर	7,670
5.	राजसमन्द	26,760
6.	कांकरोली	13,950
7.	राजनगर	7,615
8.	किशोरनगर	3,100
9.	नाथद्वारा	42,651
10.	देलवाड़ा	5,000
11.	आमेट	7,500
12.	वल्लभनगर	5,000
13.	ऋषभदेव	5,000
14.	उदयपुर	2,66,957
15.	मावली	26,600
16.	गोगुन्दा	21,632
	योग..	4,54,615

परिशिष्ट–5

(ता० प्र० सं० 659 की सूची)

प्रश्न 2 की सूची

पम्पिग सैट	..	रु० 9,000/-
पाइप लाइन 4 इंच व्यास मय डालने के	..	रु० 41,857/-
खुदाई (कुएं की)	..	रु० 7,113/-
बंधाई (कुएं की)	..	रु० 34,797/-
		रु० 92,767/-

प्रश्न 3 की सूची

कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	भुगतान की गई राशि	समय
कुएं का कार्य	श्री भंवरलाल नत्थूसिंह, जोधपुर।	2,885/-	27-3-70
		4,228/-	8-12-71
		7,113/-	

नोट:—इस ठेकेदार द्वारा यह कार्य अधूरा ही छोड़ दिया गया।

कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	भुगतान की गई राशि	समय
कुएं का कार्य	श्री जगदीश ठेकेदार, राय कोलोनी, बाड़मेर।	12,250/-	22-9-72
		17,493/-	23-10-72
		5,054/-	22-12-72
		34,797/-	
पाइप लाइन	आदर्श श्रमिक ठेका सहकारी समिति।	1,857/-	24-7-70

परिशिष्ट-6

(ता० प्र० सं० 671 की सूची)

तहसील जैतारण व रायपुर में स्वीकृत राहत कार्यों की सूची

क्र० सं०	नाम तहसील	नाम ग्राम व कार्य	स्वीकृति दिनांक	अभिकरण
1	2	3	4	5
1.	जैतारण	पाटवा	13-3-73	भू संरक्षण
2.		मूलमाल	28-2-73	,,
			23-1-73	
3.		देवरिया	28-2-73	,,
			13-3-73	
4.		केकिन्दड़ा	23-1-73	,,
5.		टुकड़ा	23-1-73	सिंचाई
6.		कोटारिया	23-1-73	,,
7.		कलाली	23-1-73	,,
8.		कुडकी	13-3-73	,,
9.		सेवरिया (घोडादोड)	13-3-73	,,
10.		पानावाला एनीकट	14-3-73	,,
11.		जैतारण-देवली-चण्डावल सड़क	23-1-73	निर्माण
12.		जैतारण-मेड़तासिटी सड़क	23-2-73	,,
13.		पाटवा-लाटोतीं सडक वाया राजगढ, गरणिया, रानीवाल	6-2-73	,,
14.		लाम्बिया ब्यावर सड़क (0 से 25 कि. मि.)	6-2-73	,,
15.		विराठियां-खुर्द-गिरी सड़क	6-2-73	,,
16.		बिलाड़ा-ब्यावर सड़क वाया नानणों, चित्तोड़, चांग	6-2-73	,,
17.		गूरनिया-कुशालपुरा सड़क वाया देवरिया-आगवा	C-2-73	,,
18.		लाम्बिया-कुड़की सड़क	13-3-73	,,
19.		मोमार तालाब	13-10-72	राजस्व
			23-12-72	
			6-2-73	
20.		घनेरिया तालाब	13-10-72	,,
21.		पाटवा तालाब	13-10-72	,,
22.		कुडकी तालाब	13-10-73	,,

1	2	3	4	5
23.	जैतारण	गरनिया तालाब	13-10-72 1-2-73	राजस्व
24.		जोजूंडा तालाब	23-12-72	"
25.		समोखी तालाब	23-1-72	"
26.		देवरिया तालाब	23-1-72	"
27.		घोडावड तालाब	23-12-72 1-2-73	"
28.		फूलमाल तालाब	23-12-72	"
29.		वैंड तालाब	23-12-72	"
30.		कालू तालाब	23-12-72	"
31.		करनपुरा तालाब	6-2-73	"
32.		छापरिया तालाब	6-2-73	"
33.		डिगरना तालाब	28-2-73	"
34.		फालका तालाब	28-2-73	"
35.		निम्बोल तालाब	28-2-73	"
36.		मोराई तालाब	28-2-73	"
37.		भाकरवास तालाब	28-2-73	"
38.		मेसोयाका तालाब (जैतारण)	28-2-73	"
39.		निम्बाज तालाब	28-2-73	"
40.		आगेवा तालाब	10-3-73	"
41.		आसरलाई तालाब	14-3-73	"
42.		बलून्दा	14-3-73	"
43.		रास	14-3-73	"
1.	रायपुर	कुशालपुरा	23-1-73	भू-संरक्षण
2.		विराठिया कलां	23-1-73	"
3.		सिरमा	23-1-73	वन विभाग
4.		कानूजा	14-3-73	"
5.		कोट किरापा	14-3-73	"
6.		दिपावास नहर	23-1-73	सिंचाई विभाग
7.		खोखरी बांध	23-1-73	"
8.		सालनदी बांध	23-1-73	"
9.		बांसिया तालाब	13-10-73	"
10.		रेवतसर तालाब	13-10-73	"
11.		चांग तालाब	13-10-73	"
12.		सोडपुरा तालाब	13-10-73	"
13.		कलाली फीडर	28-3-73	"

Page No.211

1	2	3	4	5
14.	रायपुर	कानूजा तालाव	28-3-73	सिचाई विभाग
15.		वर तालाब	14-3-73	"
16.		गिरी एनीकट	14-3-73	"
17.		अमरपुरा	14-3-73	"
18.		रामगढ़	14-3-73	"
19.		बांबरा	14-3-73	"
20.		बिराठिया खुर्द	14-3-73	"
21.		बगडी कलालिया	14-3-73	"
22.		लाम्बिया-ब्यावर सड़क	23-1-73	निर्माण
23.		रायपुर-जस्साखेडा सड़क	23-1-73	"
24.		देवली-सिंगल सड़क	1-2-73	"
25.		पोपलिया-चंडावल स्टे० वाया दोरनडो-करमावास	1-2-73	"
26.		पोपलिया तालाब	23-12-72	सिचाई
27.		गुडिया तालाव	23-12-72	"
28.		हरीपुर-रेल्वे स्टे०-करमावास वाया झूठा सड़क	28-2-73	निर्माण
29.		झालाल की चौकी बगडी कलालिया वाया कानूजाआसन	28-2-73	"
30.		बर-बिरांठिया खुर्द सड़क	28-2-73	"
31.		बूटिवास तालाब	13-10-73	राजस्व
32.		चांग कलालीतालाब	23-10-72	"
33.		चिताड़ तालाब	23-10-72	"
34.		मेसिया तालाब	23-10-72	"
35.		बांसिया	23-10-72	"
36.		पोपलिया तालाब	23-10-72	"
37.		पुड़िया तालाब	23-10-72	"
38.		मागेरा नाड़ी	1-2-73	"
39.		रामपुरा नाड़ी	1-2-73	"
40.		अमरपुरा फीडर तालाब	28-2-73	"
41.		रेलरा फीडर तालाब	28-2-73	"
42.		सोड़पुरा फीडर तालाब	28-2-73	"
43.		सेदड़ा तालाब	28-2-73	"
44.		सेरा तालाब	28-2-73	"
45.		चवाड़िया	14-3-73	"
46.		कालाकोट	14-3-73	"

तहसील रायपुर व जैतारण में राहत कार्यों के अन्तर्गत निर्माण विभाग के अभिकरण द्वारा शुरू किये गये कार्यों व मजदूरों की संख्या की सूची

क्र० सं०	नाम तहसील	नाम कार्य	कार्य शुरू होने का दिनांक	मजदूरों की संख्या जो अब तक कार्य कर रही है
1	2	3	4	5
1.	रायपुर	लाम्बिया से ब्यावर (26 कि०मी० से 39 कि०मी०	3-2-73	725
2.		रायपुर के जस्साखेड़ा	1-2-73	1,140
3.		देवली से सींगला	17-2-73	426
4.		हरिपुर रेल्वे स्टेशन से करमावास वाया झूठा	17-3-73	12
5.		झालाल की चौकी से बगड़ी कलालिया वाया कानूजा आसन	–	–
6.		बर से बिराठिया खुर्द	16-3-73	100
1.	जैतारण	चण्डावल से जैतारण वाया देवली	29-1-73	535
2.		जैतारण से मेड़ता सिटी	29-1-73	213
3.		लाम्बिया से ब्यावर	3-3-73	152
4.		सड़क मरम्मत बिराठिया खुर्द से गिरी रोड	18-2-73	184
5.		बिलाड़ा से ब्यावर वाया गिरी नानणा-चीतार, चांग	1-3-73	188
6.		बर से पृथ्वीपुरा वाया जैतारण	21-2-73	203
7.		बर से सुमेरपुर वाया पाली	17-2-73	154
8.		पाटवा लाटोती वाया गरनिया	–	–
9.		गरनिया से कुशालपुरा वाया देवरिया, भोगवा	–	–
10.		लाम्बिया से कुडकी	–	–

परिशिष्ट-7

(अ० ता० प्र० सं० 301 की सूची)

(सूची अ)

पिछड़े जिलों की सूची

1. अलवर
2. बांसवाड़ा
3. भीलवाड़ा
4. बाड़मेर
5. चूरू
6. डूंगरपुर
7. झुन्झुनू
8. जैसलमेर
9. झालावाड़
10. जोधपुर
11. जालौर
12. नागौर
13. सिरोही
14. सीकर
15. टोंक
16. उदयपुर

घोषित पिछड़े जिलों में दी जाने वाली सुविधायें

1. औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में केन्द्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा सस्ती दरों पर ऋण दिया जाता है।

2. पिछड़े जिलों में लगने वाले उद्योगों को कुछ शर्तों पर एक लाख रुपये तक का आयातित माल मंगवाने की सुविधा भी दी जाती है।

3. पिछड़े जिलों में से चुने हुए जिलों में जिनमें, जोधपुर, अलवर, भीलवाड़ा, चूरू, नागौर व उदयपुर हैं। नये उद्योग लगाने वालों व वर्तमान उद्योगों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु जमीन, भवन व मशीनें खरीदने पर किये गये पूंजी व्यय का 10% अनुदान के रूप में दिया जाता है।

सूची (ब)

निम्न आर्थिक आधारों (Economic Criteria) से सम्बन्धित आंकड़ों को एकत्रित कर पिछड़े जिलों का चयन किया गया था:–

(i) Per capita Foodgrains/Commercial Crops production depending on whether the district is predominently a producer of Foodgrains/Cash Crops.

(ii) Ratio of population to agricultural workers.

(iii) Per capita Industrial output (Gross).

(iv) Number of factory employees per lakh of population or alternatively number of persons engaged in secondary and tertiary activities per lakh of population.

(v) Per capita consumption of Electricity.

(vi) Length of surfaced roads in relation to population of Railway mileage in relation to population.

सूची (स)

वे जिले जिनको पिछड़े जिले घोषित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया ।

1. अजमेर
2. भरतपुर
3. बीकानेर
4. बून्दी
5. गंगानगर
6. जयपुर
7. पाली
8. कोटा

परिशिष्ट-8

(अ० ता० प्र० सं० 309 की सूची)

(सूची अनुसूचित जाति उप-निरीक्षक (जिलों में पदस्थापित हैं)

क्र० सं०	नाम	जिला वर्तमान पदस्थापन	कार्यरत पदस्थापन
1.	मोडांग राम	सवाई माधोपुर	उप-अभियोजक, सवाई माधोपुर
2.	मोहन लाल ए० पी०	अजमेर	लाईन अजमेर
3.	श्री बंशीधर	सीकर	थाना बोई
4.	श्री जीवनराम	झुंझुनू	इंचार्ज, झुंझुनू डी० एस० बी०
5.	श्री सीताराम	जयपुर	कन्ट्रोल रूम, जयपुर
6.	श्री श्यामलाल	कोटा	पी० एस०, मण्डाना
7.	श्री ओमप्रकाश पंवार	जयपुर	आर० टी० सी०, जयपुर
8.	श्री जमन लाल	कोटा	प्रशिक्षणार्थी, पी० टी० एस० किशनगढ (पी० सी० सी० इन्सपेक्टर)
9.	श्री श्रीराम वर्मा	अलवर	थाना प्रतापगढ
10.	श्री विरेन्द्रसिंह पंवार	कोटा	पी०एस०आई०, कोर्ट कोटा
11.	श्री अभय राम	गंगानगर	प्रेक्टिकल ट्रेनिंग

सूची पुलिस निरीक्षक, अनुसूचित जन-जाति

	जिला	नाम अधिकारी	जाति
1.	अपराध अनुसंधान विभाग (वि०शा०) राजस्थान, जयपुर	श्री बुधराम	मीणा
2.	इन्डिया रिजर्व बटालियन बीकनेर	श्री भागीरथ राम	मीणा

सूची उप-निरीक्षक अनुसूचित जन-जाति

क्रम० सं०	नाम	जिला वर्तमान पदस्थापन	कार्यरत पदस्थापन
1	2	3	4
1.	श्री हुलादराय मीणा	गंगानगर	थाना मादरा
2.	श्री फतहसिंह मीणा	चित्तौड़	पी० एस० आई०, रावतभाटा
3.	श्री गौरीशंकर मीणा	अजमेर	थाना विजयनगर
4.	श्री रामनिवास	भरतपुर	थाना सगरू
5.	श्री सुखराम मीणा	जयपुर	पी० एस० आई० नोखा
6.	श्री नानूलाल मीणा	टोंक	थाना मेहन्दियावास
7.	श्री जगन्नाथलाल वर्मा	कोटा	पी० एस० आई०, कोटा आरो
8.	श्री रामहेत	अजमेर	थाना टोडागढ़
9.	श्री गोपालराम	सवाई माधोपुर	डी० एस० बी०, सवाई माधोपुर
10.	श्री प्रहलादसिंह	जयपुर	सैकिंड आफिसेर, रामगंज
11.	श्री गोकुलसिंह	सवाई माधोपुर	पी० एस० आई०, करौली
12.	श्री मुरलीधर	चित्तौड़	रीडर, एस० पी०
13.	श्री पूरनमल मीणा	कोटा	डी० एस० पी०, कोटा
14.	श्री नारायनलाल मीणा	कोटा	पी० एस०, शाहबाद
15.	श्री जगदीश प्रसाद	अलवर	पी० एस०, मन्डावा
16.	श्री वंशीधर	टोंक	सैकिंड आफिसर, मालपुरा
17.	श्री सोमाराम, एस०आई०ए०पी०	उदयपुर	लाईन, उदयपुर
18.	श्री गणपतराम, ए० पी०	अजमेर	लाईन, अजमेर
19.	श्री मूलसिंह मीणा ए० पी०	जयपुर	लाईन, जयपुर
20.	श्री रामकृपाल	भरतपुर	थाना सरमथुरा
21.	श्री प्रहलादराम	गंगानगर	पी० एस० आई०, मादरा
22.	श्री माधोराम	झालावाड़	लाईन, झालावाड़

Page No.217

परिशिष्ट-9

(अ० ता० प्र० सं० 312 की सूची)

प्रश्न 1 की सूची

क्र० सं०	वर्ष	जयपुर	जोधपुर
1.	1959-60	—	—
2.	1960-61	230.00	966.66
3.	1961-62	5,700.00	5,437.74
4.	1962-63	—	6,288.65
5.	1963-64	—	5,942.38
6.	1964-65	17.50	2,187.53
7.	1965-66	2,22,489.20	3,76,238.94
8.	1966-67	19,090.32	1,54,149.44
9.	1967-68	12,014.95	—
10.	1968-69	1,022.79	—
11.	1969-70	8,850.00	—
12.	1970-71	—	2,59,580.43
13.	1971-72	1,74,046.26	2,83,453.77
14.	1972-73	—	10,864.23
	योग..	4,43,461.02	11,05,109.77

परिशिष्ट-10

(अ० ता० प्र० सं० 320 की सूची)

अलवर जिले को जिन हरिजन बस्तियों में बिजली व नल लगाने हेतु स्वीकृति दी गई उनकी ग्रामवार सूची ।

क्र. सं.	वर्ष	ग्राम का नाम	तहसील या पंचायत समिति	बस्ती का नाम	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6
			(अ) बिजली		
1.	1969-70	1. खैरथल	नगरपालिका, खैरथल	मेहतर बस्ती	3,440
		2. रामगढ़	पंचायत समिति, रामगढ़	हरिजन बस्ती	7,500
		3. तिजारा	पंचायत समिति, तिजारा	मेहतर बस्ती	3,730
		4. वासा	पंचायत समिति, रामगढ़	आदर्श बस्ती	5,620
				योग..	20,290
2.	1970-71	1. रामगढ़	पंचायत समिति, रामगढ	हरिजन बस्ती	7,300
		2. नारायणपुरा	पंचायत समिति, थानागाजी	हरिजन बस्ती	4,000
				योग..	11,300
3.	1971-72	1. रामपुरा	ग्राम पंचायत, रामपुर,	हरिजन बस्ती	1,500
		2. सोरपुर	ग्राम पंचायत, सोरपुर	हरिजन बस्ती	5,762
		3. अलवर	नगरपरिषद्, अलवर	विभिन्न हरिजन बस्तियां	33,736
		4. राजगढ़	नगरपालिका, रामगढ़	वार्ड नं. 5, 6, 7, 8	1,068
				योग..	42,066
				महा योग बिजली..	73,656

1	2	3	4	5	6
			(ब) नल		
1.	1969-70	1. रामगढ़	पंचायत समिति, रामगढ़	मेहतर बस्ती	7,500
		2. तिजारा	पंचायत समिति, तिजारा	मेहतर बस्ती	3,660
		3. अलवर	नगरपरिषद्, अलवर	विभिन्न हरिजन बस्तियां	22,740
				योग..	33,900
2.	1971-72	1. नाराणपुर	पंचायत समिति, थानागाजी	हरिजन बस्ती	1,173
		2. शाहबाद	पंचायत समिति, तिजारा	हरिजन बस्ती	2,918
		3. बहादुरपुर	पंचायत समिति, किशनगढ़	हरिजन बस्ती	2,760
		4. हमीरपुर	पंचायत समिति, बानसूर	हरिजन बस्ती	2,000
		5. अम्बरपुरा	पंचायत समिति, उमरेण	हरिजन बस्ती	3,135
		6. राजगढ़	नगरपालिका, राजगढ़	हरिजन बस्ती	22,100
		7. अलवर	नगरपरिषद्, अलवर	विभिन्न हरिजन बस्तियां	49,234
				योग..	88,370
				महा योग नल..	1,22,270

परिशिष्ट-11

(अ० ता० प्र० सं० 321 की सूची)

जिला समाज कल्याण अधिकारियों के विरुद्ध गबन, भ्रष्टाचार आदि शिकायतों के सम्बन्ध में सूची ।

क्र०सं०	लिप्त समाज कल्याण अधिकारी का नाम	जाँचकर्ता विभाग	जाँच प्रारम्भ करने की तिथि
1.	श्री कालूलाल सुखवाल तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी, उदयपुर ।	समाज कल्याण विभाग	15-9-70
2.	श्री बृन्दावन बिहारी शर्मा, तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी, झालावाड़ ।	पहले भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा तथा अब समाज कल्याण विभाग द्वारा	25-3-72 (रा०क० वि० द्वारा)
3.	श्री लक्ष्मण गोस्वामी, तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी, अजमेर ।	समाज कल्याण विभाग	1-5-72
4.	श्री गणपतसिंह गहलोत, तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी, बाड़मेर ।	भ्रष्टाचार निरोधक विभाग	28-8-72
5.	श्री लक्ष्मण गोस्वामी, तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी, सीकर ।	समाज कल्याण विभाग	28-12-72
6.	श्री त्रिलोकीनाथ जोशी, तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी, सीकर ।	भ्रष्टाचार निरोधक विभाग एवं समाज कल्याण विभाग	12-1-73 (रा०क० वि० द्वारा)
7.	श्री प्रहलादराय उपाध्याय तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी, जयपुर ।	समाज कल्याण विभाग	23-1-73
8.	श्री लक्ष्मण गोस्वामी, तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी, बीकानेर ।	भ्रष्टाचार निरोधक विभाग	9-3-73

Page No.221

परिशिष्ट-12

(प्र० ता० प्र० सं० 324 की सूची)

1-4-71 से समाज कल्याण विभाग में रोस्टर प्रणाली चालू करने के पश्चात् सीधी भर्ती द्वारा की गई नियुक्तियों व उनमें अनुसूचित जाति व जन-जाति के व्यक्तियों की सूची ।

क्रमांक	वर्ग	सीधी भर्ती द्वारा की गई कुल नियुक्तियां	अनुसूचित जाति/जन-जाति के लोगों द्वारा भरे गये स्थानों की संख्या
1.	राज्य सेवायें	—	—
2.	अधीनस्थ सेवायें	73	26
3.	मंत्रालयिक सेवायें	7	2
4.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	3	2

परिशिष्ट-13

(अ० ता० प्र० सं० 326 की सूची)

क्र०सं० 1	आवंटी का नाम 2	क्र०सं० 3	अतिक्रमणी का नाम 4	विशेष विवरण 5
1.	श्री राधामोहन पुत्र पाँचूराम	बी–6	श्री शम्भू पुत्र भौंरीलाल	विवाद न्यायालय में चल रहा है।
2.	श्रीमती राज बाई	बी–10	आधा श्री भंवरीलाल	"
3.	श्री राधा गोविन्द	बी–11	गोपाल पुत्र रामकिशन	"
4.	श्री गणेशलाल पुत्र भैरूलाल	बी–50	घीसीलाल पुत्र मोतीराम व कन्हैयालाल पुत्र मोतीराम	
5.	श्री घीसीलाल पुत्र मोतीराम	बी–52	गुलाबराम पुत्र कालूराम	"
6.	श्री कन्हैयालाल पुत्र मोतीराम	बी–53	छोटीलाल पुत्र कालूराम	"
7.	श्री सीताराम पुत्र हरबन्स	बी–54	नरेन्द्रकुमार पुत्र मोतीराम	"
8.	श्री राधेश्याम पुत्र महादेव	बी–70	श्री मोतीराम पुत्र गोरधन	—

9.	श्री लल्लूलाल पुत्र महादेव	बी–72	—	भू-खण्ड का भाग सड़क में आ गया है।
10.	श्री कजोड़ पुत्र नेमीचन्द	बी–107	श्री कन्हैयालाल	विवाद न्यायालय में चल रहा है।
11.	श्री गोपाल लाल पुत्र कल्याणनारायण	बी–118	श्रीमती मांगी बेवा मूलसिंह	—
12.	श्री मोहरीलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण	बी–143	स्वयं का	पूरे भू-खण्ड की मांग कर रहे हैं।
13.	श्री प्रभुनारायण पुत्र कानजी	बी–144	श्री राधेश्याम सुनार	विवाद न्यायालय में चल रहा है।
14.	श्री मदनसिंह पुत्र जगमालसिंह	बी–144	आधा प्रभूनारायण पुत्र कानजी	"
15.	श्रीमती तीजा पत्नी नानगराम	बी–146	आधा श्री मदनसिंह पुत्र जगमालसिंह	"
16.	श्रीमती मांगी पत्नी मूलसिंह	बी–146	" "	"
17.	श्री ग्यारसीलाल व भैरूलाल पुत्रान ईसरजी	बी–166	—	मंदिर आता है।
18.	श्री रामनारायण पुत्र घन्नालाल	बी–170	आधा श्री घनश्याम गहलोत	विवाद न्यायालय में चल रहा है।
19.	श्री नारायण पुत्र जौहरीलाल	बी–171	" "	"
20.	श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र मोतीलाल	बी–178	आधा भू-खण्ड —	मनबाजी के बाग में आता है।

1	2	3	4	5
21.	श्री घनश्याम पुत्र पूरणमल	बी—202	स्वयं का	विवाद न्यायालय में चल रहा है।
22.	श्री नारायण पुत्र जगन्नाथ	बी—204	श्री बिरधीचन्द	"
23.	श्री श्यामसिंह पुत्र बिरधीचन्द	बी—206	श्री रामस्वरूप पुत्र बिरधीचन्द	सड़क में व ए-2 पर निवास करते हैं।
24.	श्री बिरधीचन्द पुत्र सेडूराम	ए—11	आधा श्री मोरीलाल पुत्र हाथीनाथ	मू० सं० बी-204 पर निवास करते हैं।
25.	श्री रामस्वरूप पुत्र बिरधीचन्द	ए—11	" "	मू० सं० बी० 206 पर निवास करते हैं।
26.	श्री लादूराम पुत्र जमनालाल	बी—290	श्री मोरीलाल विजयलाल	शहर में रहते हैं।
27.	श्री बालजी पुत्र किशनाराम व मन्नीबाई पत्नी राधेश्याम	बी—291	श्री कल्याण सिंह	मू० सं० ए-3 पर निवास करते हैं।
28.	श्री गुलाबचन्द पुत्र मोरीलाल	बी—294	—	मू० सं० ए-7 पर निवास करते हैं।
29.	श्री ताराचन्द पुत्र पूरणमल	ई—11	श्रीमती राजबाई	विवाद न्यायालय में चल रहा है।
30.	श्रीमती मंगली पत्नी डालचन्द व मंशाराम पुत्रान घासीराम	ई—45	श्री भूराराम पुत्र उदयलाल	—
31.	श्री मोतीराम पुत्र गोरधन	एस-1	खाली भूमि	मू० सं० बी-70 चाहता है।

परिशिष्ट 14

(अ० ता० प्र० सं० 329 की सूची)

	न्यास का नाम 1	नाम नॉन-आफिशियल चेयरमैन 2	चार्ज देने की तारीख 3	नाम अधिकारी जिसको चार्ज दिया गया 4	राशि जो चार्ज में संभलाई गई 5
1.	भीलवाड़ा	श्री ज्ञानमल कोठारी	7-1-72	श्री रतनलाल बैरवा, सचिव	नकद 7,993) 16, बैंक 12,043) 58 -राज० राज्य विकास ऋण बंध-पत्र 25,000) 00।
2.	उदयपुर	श्री गिरधारीलाल शर्मा	7-1-72	श्री ललितनारायण शाह, सचिव	नोट:—चूंकि हैड ऑफिस प्रन्यास के सचिव थे, इसलिए रुपया उनके ही चार्ज म था न कि अध्यक्ष के।
3.	चित्तौड़गढ	श्री पंकज पंचोली	7-1-72	श्री नटवरलाल श्रीमाली, सचिव	कैश बेलेन्स 1,408) 12 बैंक बेलेन्स 2,47,669) 18।
4.	भरतपुर	श्री विश्वप्रिय शास्त्री	7-1-72	श्री रमाकान्त आर्य, सचिव	राशि नकद 89,816) 16।
5.	कोटा	श्री नाथूलाल जैन	7-1-72	श्री महमूद, सचिव	कैशबुक के अनुसार रुपये 7,626) 50 बेलेन्स थे।
6.	अजमेर	ी केसरीचन्द्र चौधरी	6-1-72	श्री सत्यनारायण सिंह, सचिव	5,00,052) 00।
7.	जोधपुर	श्री तारक प्रसाद व्यास	7-1-72	श्री दुर्गाचन्द, सचिव	11,03,085) 22।

1	2	3	4	5
8. जयपुर	श्री बालचन्द वैद्य	7-1-72	श्री आर० के० नायर, सचिव	5,94,409)92 ।
9. बीकानेर	श्री द्वारकाप्रसाद पुरोहित	7-1-72	श्री रावेकान्त राजोरिया, उप खण्ड-दण्डनायक (दक्षिण) एवं अंशकालीन सचिव, न्यास	पी० डी० आर० अकाउन्ट 12,65,366)92 नकद राशि 3,484)53 ।
10. गंगापुर सिटी	श्री गुलाबचन्द पल्लीवाल	9-1-72	श्री राजेन्द्र जैन (जिलाधीश), सवाई माधोपुर	53,675)86 ।
11. अलवर	श्री के० एन० भार्गव	7-1-72	श्री किशोरी नारायण, सचिव	केश में 885)59 बैंक में 2,46,258)52 ।
12. हिण्डौन	यहां गैर सरकारी अध्यक्ष न होकर जिलाधीश ही अध्यक्ष थे ।			

परिशिष्ट 15

(स्थगित प्रश्न सं० 178 की सूची)

अल्प आय/मध्यम आय वर्ग गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत गत दस वर्षों में अर्थात् 1962-63 से 1971-72 में किये गये जिलेवार ऋण आवंटन का मानचित्र

क्रमांक	जिले का नाम	मध्यम आय वर्ग ग्रह निर्माण योजना के अन्तर्गत धनराशि जो आवंटित की गई	अल्प आय वर्ग गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत धनराशि जो आवटित की गई
1.	अजमेर	10,42,760/-	14,76,340/-
2.	अलवर	8,36,600/-	11,71,476/-
3.	बीकानेर	7,73,520/-	9,54,395/-
4.	बांसवाड़ा	2,21,000/-	4,21,980/-
5.	बाड़मेर	50,000/-	6,000/-
6.	बून्दी	36,200/-	4,80,796/-
7.	भरतपुर	4,11,100/-	3,98,900/-
8.	भीलवाड़ा	5,52,600/-	9,79,500/-
9.	चित्तौड़	32,000/-	5,36,164/-
10.	चूरू	1,18,000/-	2,90,25[illegible]/-
11.	डूंगरपुर	93,000/-	5,03,980/-
12.	गंगानगर	6,99,230/-	4,67,380/-
13.	जयपुर	1,54,98,675/-	1,23,00,336/-
14.	जालौर	14,000/-	1,39,850/-
15.	झुंझुनू	41,800/-	2,60,630/-
16.	झालावाड़	1,41,000/-	2,30,685/-
17.	जोधपुर	15,23,790/-	15,72,370/-
18.	जैसलमेर	—	31,600/-
19.	नागौर	69,000/-	1,71,190/-
20.	कोटा	12,16,070/-	8,58,099/-
21.	पाली	2,89,600/-	5,89,304/-
22.	सवाई माधोपुर	72,300/-	3,81,700/-
23.	सीकर	3,14,440/-	7,65,995/-
24.	सिरोही	1,93,800/-	4,51,200/-
25.	टोंक	—	10,20,485/-
26.	उदयपुर	21,63,100/-	22,41,659/-
		2,84,03,585/-	2,89,32,264/-

शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक 21 मार्च, 1973)

क्रम संख्या	पंक्ति संख्या		अशुद्ध	शुद्ध
1	नीचे से	7	आर्थिक	आर्थिक
3	ऊपर से	2	जले	जिले
3	ऊपर से	3	दया	दिया
3	नीचे से	14	स्नानकोत्तरर	नातकोत्तर
5	नीचे से	2	इजमेर	अजमेर
8	ऊपर से	16	ने	......
29	ऊपर से	8	इस	......
51	नीचे से	8	चाही	चाहती
62	ऊपर से	11	कार्यवाही की	की कार्यवाही
63	ऊपर से	11	अकात	अकाल
89	ऊपर से	2	की राशि	की गई राशि
91	ऊपर से	4	करमें	करने
105	ऊपर से	7	योगेन्द्रनाथ	योगेन्द्रनाथ
117	ऊपर से	2	में	में से
134	ऊपर से	8	संख्या	मांग संख्या
135	उपर से	14	पशुपासन	पशुपालन
134	नीचे से	10	संख्बा	मुख्य
150	नीचे से	2	मम्मत	मरम्मत
186	ऊपर से	15	ती	...
189	नीचे से	7	छटे	छोटे
198	नीचे से	1	कारेपोटेशन	कारेपोरेशन
215	नीचे से	8	बाकर	बाजार
227	ऊपर से	6	फलचन्द	फूलचन्द
260	नीचे से	17	व्यवा	व्यवस्था
274	ऊपर से	10	उष्ट्र	राष्ट्र
291	ऊपर से	2	बच	बैंच
314	ऊपर से	16	जिर्मेंमें	जिसमें
315	नीचे से	1	सक	जा सक
317	ऊपर से	1	चनुरभुज	चतुरभुज
361	नीचे से	4	यज	यूज
383	नीचे से	5	कियर	क्लियर
390	नीचे से	5	ी	श्री